भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र

ग्यारहवां महाधिवेशन

'कामरेड पी. राममूर्ति नगर'

9-13 दिसम्बर, 2003

चेन्नई, तमिलनाडू

महासचिव की रिपोर्ट

प्रिय साथियो,

हैदराबाद में, वर्ष 2000 में आयोजित सी आइ टी यू के दसवें महाधिवेशन के बाद की अवधि में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घट चुकी हैं। भारत में श्रमिक वर्ग तथा श्रमिक आंदोलन पर इनका प्रभाव लम्बे समय तक रहेगा। हमें इनकी समीक्षा बिना किसी संकोच के करनी चाहिये और वर्तमान में हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिये हमें अपने रुख का निर्धारण करना होगा।

1.2 इस अवधि में सी आइ टी यू के चार प्रमुख नेताओं का देहांत हो गया। इस महाधिवेशन में उनका अभाव हमें बुरी तरह खलेगा।

1.3 कामरेड नीरेन घोष, जो सी आइ टी यू की स्थापना के समय से ही उसके सचिव चले आ रहे थे और जिन्होंने सी आइ टी यू को मजबूत बनाने में भारी योगदान दिया था, का 1जुलाई, 2001 को देहांत हो गया। सी.आइ.टी.यू. की पश्चिम बंगाल राज्य समिति के अध्यक्ष के रूप में तथा जूट श्रमिकों के असाधारण नेता के रूप में श्रमिक वर्ग के लिये की गई उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा।

1.4 कामरेड सुशीला गोपालन, हमारी उपाध्यक्ष तथा वाम एवं जनवादी आंदोलन की अग्रगण्य नेत्री का 19 दिसम्बर, 2001 को देहांत हो गया। कामकाजी महिलाओं के बीच सी.आइ.टी.यू. की गतिविधियों का प्रसार एवं विकास करने में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही थी। वह केरल के परम्परागत उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की समस्याओं में भारी रुचि लेती थीं । राज्य में वाम एवं जनवादी मोर्चा सरकार की मंत्री के रूप में उन्होंने परम्परागत उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के मामले में कोई कोर कसर शेष नहीं छोड़ी थी। उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।

1.5 कामरेड सूर्य नारायण राव का 1 जुलाई, 2002 को बंगलौर में देहांत हो गया। वह सी आइ टी यू के उपाध्यक्ष थे। वह अनेक वर्षों तक सी.आइ.टी.यू. की कर्नाटक राज्य समिति के अध्यक्ष भी रहे थे और कर्नाटक में अनेक महत्वपूर्ण श्रमिक संघों के साथ जुड़े रहे थे। उन्होंने राज्य में असंख्य संघर्षों का नेतश्त्व किया था। उन्होनें राज्य में सी.आइ.टी. यू. के संगठन का निर्माण करने के लिये अथक परिश्रम किया था। एक अथक योद्धा के रूप में उनकी याद हमारे दिलों में हमेशा बनी रहेगी।

1.6 कामरेड एन प्रसाद राव सी आइ टी यू के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने सी आइ टी यू के दसवें महाधिवेशन को सफल

बनाने के लिये अथक प्रयास किये थे। उनका देहांत 29 नवम्बर, 2001 को हुआ। वह पहले एक प्रमुख किसान नेता थे; बाद में उनका कामकाजी क्षेत्र बदल कर ट्रेड यूनियन मोर्चा हो गया। उन्होंने आंध्र प्रदेश में सी.आइ.टी.यू के संगठन के निर्माण के लिये बहुत ही शानदार भूमिका निभाई थी। वह भले ही बहुत वृद्ध हो गए थे किन्तु उनमें काम करने के लिये जबरदस्त उत्साह और जजबा हमेशा बना रहा था। यह हमारे लिये प्रेरणा का स्रोत था । हम उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे।

1.7 इस अवधि में हमने अपने दूसरे अनेक बहुमूल्य साथियों को भी खोया है । हमने शोक प्रस्ताव पारित करते समय अपने इन दिवंगत नेताओं तथा शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की है। आईये, हम उन सभी कामों को पूरा करने का संकल्प लें जिन्हें वे अधूरा छोड़ गए हैं!

2. अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति

2.1 हमारे अध्यक्ष इस महाधिवेशन में दिये गए अपने अध्यक्षीय भाषण में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र की घटनाओं पर चर्चा कर चुके हैं।

2.2 जैसा कि उनके भाषण में उल्लेख किया गया है, बुश प्रशासन अमरीका में साम्राज्यवादी हलकों में सबसे अधिक दक्षिण पंथी शक्तियों का पर्याय बन चुका है। खुद बुर्जुआ प्रचार माध्यमों ने ही बुश-ब्लेयर एण्ड कम्पनी को नव-अनुदारवादी करार दे दिया है। हमलावर सैनिक दखलंदाजियों के जरिये पूरी दुनिया पर अमरीका का गलबा बना कर रखा जाएगा; यह दृढ़ संकल्प खुद बुश की ओर से रेखांकित राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में व्यक्त किया गया है । वे दुनिया के जिस भाग पर भी अपनी उंगली रखेंगे उसी पर टूट पड़ेंगे और वह भी 'आतंकवाद के खिलाफ विश्व युद्ध' के नाम पर। इस में अमरीका ही सदा लाभ में रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता। इराक पर कब्जा करने का मोल उसे चुकाना पड़ रहा है; उसकी अर्थ व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है; यूरो तथा येन जैसी सभी प्रमुख मुद्राओं में डालर कमजोर स्थिति में पहुंच गया है या कमजोर पड़ रहा है । कार्पोरेट धोखाधड़ियों, नसडाक के धाराशायी हो जाने, एनरों के गड़बड़ घोटाले के चलते वहां की अर्थ व्यवस्था गहरे संकट में पड़ चुकी है। बुश प्रशासन विश्व की वर्तमान एकध्रुवीय स्थिति से लाभ उठाने की कोशिशों में भले ही लगा हुआ हो किन्तु साम्राज्यवादी खेमे के भीतर ही जबरदस्त सिर फुटोवल बदस्तूर चल रहा है।

2.3 वेनजुएला में राष्ट्रपति शावेज का तख्ता पलट देने की जुगत भिड़ाई गई किन्तु उसमें उन्हें असफलता हाथ लगी है और दक्षिणी अमरीका के सबसे बड़े देश ब्राजील में वामपक्षी उमीदवार लूला डि सिलवा का जीत जाना उत्साहवर्धक घटनाएं हैं।

2.4 चीन एक मजबूत देश के रूप में उभरा है, अपनी अर्थ व्यवस्था की प्रगति के मामले में उसने लम्बी छलांगें लगाई हैं। चीन के विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन जाने के बाद पहली बार हाल ही में मैक्सीको के कैनकुन नगर में आयोजित मंत्री स्तरीय बैठक विफल रही है या दूसरे शब्दों में धाराशायी हो गई है। कैनकुन बैठक के पटड़ी से उतर जाने के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण घटना घटी है; उसमें से 22 विकासशील देशों का एक समूह जी-22 उभर कर सामने आया है जिसका नेतृत्व चीन, ब्राजील तथा दक्षणी अफरीका जैसे देश कर रहे हैं।

2.5 नव-उदारवादी नीतियां विश्व अर्थ व्यवस्था को मंदे तथा संकट की स्थिति में से उबारने में पूरी तरह नाकाम रही हैं; यह एक तथ्य है, इस बात के प्रमाण अधिक से अधिक मिल रहे हैं; इन नीतियों का उद्देश्य उन्नत पूंजीवादी देशों के बहुराष्ट्रीय निगमों को लाभ पहुंचाना है, इसमें अब कोई संदेह अब नहीं रहा। इसके साथ ही विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन द्वारा निदेशित नीतियों के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रतिरोधी संघर्षों की लहर जोरों से चल रही है।

2.6 अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के ये महत्वपूर्ण पहलू हैं। इनकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए मुझे अनुमति दें कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर घटी घटनाओं की चर्चा आपके साथ कर सकूं।

3. वाम मोर्चा सरकारों की शानदार भूमिका

3.1 राष्ट्रीय स्थिति की चर्चा करने से पहले मैं उस शानदार भूमिका का यहां उल्लेख करना चाहूंगा जो पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में वाम मोर्चा सरकारों ने निभाई है।

3.2 पश्चिम बंगाल में पच्चीस वर्षों से चल रहा वाम मोर्चा का शासन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के इतिहास का एक शानदाद अध्याय है। कोई भी राज्य सरकार इतनी स्थिर कभी नहीं रही जितनी पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार रही है। किसी भी दूसरे राजनीतिक गठबंधन ने लगातार 6 बार जीत प्राप्त करके सत्ता में बने रहने का कीर्तिमान स्थापित नहीं किया है। हमारे उपाध्यक्ष कामरेड ज्योति बसु भारत में सबसे लम्बी अवधि तक मुख्यमंत्री रहे हैं। हमें पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार की उपलब्धियों पर गर्व है।

3.3 त्रिपुरा में वाम मोर्चा सरकार ने कांग्रेस पार्टी की शह प्राप्त चरम पंथियों की ओर से पैदा की गई तमाम कठिनाईयों के बावजूद अनेक जीतें हासिल की हैं; उसने आगे बढ़ कर राज्य में मेहनतकश अवाम की सेवा तथा उसके हित में काम किया है। सरकार की जन समर्थक नीतियों के लिये जनता का समर्थन प्राप्त होने के फलस्वरूप वाम मोर्चा दिन ब दिन मजबूत होता चला जा रहा है।

3.4 कामरेड बी. टी. रणदिवे ने कहा था, ''वाम मोर्चा सरकारें केन्द्रीय सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ चल रहे संघर्षों की अग्रिम चौकियां हैं।''

4. राष्ट्रीय स्थिति

4.1 हैदराबाद में आयोजित हमारे 10वें महाधिवेशन के बाद की अवधि में देश के सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों में सर्व व्यापी गिरावट आई है। इसके साथ ही आर्थिक मोर्चे पर विनाश लीला पूरे जोर शोर से अपना जलवा दिखा रही है।

4.2 अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार पिछले पांच सालों से सत्ता में बनी हुई है। यह घोर दक्षिण पंथी पार्टी यदि संसद में बहुमत प्राप्त कर सकी है और अपनी साख बना पाई है तो यह चमत्कार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जैसे रंग बिरंगे गठबंधन में शामिल दूसरे तथा कथित धर्म निर्पेक्ष दलों को ही जाता है।

4.3 वाजपेयी सरकार ने अनेक कारनामें किये हैं; उसने विदेश नीति को साम्राज्यवाद की पक्षपाती बना डाला है; अब तक के सबसे बदतर साम्प्रदायिक दंगे कराए हैं; इसके राज में कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं; हिंसा की आग को और अधिक भड़काया गया है; घोटालों पर घोटाले होते चले गए हैं; और इन घोटालों में एन.डी.ए. सरकार के मंत्री तथा नेता भी भागीदार बने; अपने वोट बैंक को मजबूत बनाने के चक्कर में यह सरकार अथवा पार्टी एक बार फिर से आक्रमक 'हिन्दुत्व' का नारा लगा रही है और जन साधारण के जनवादी अधिकारों पर बेतहाशा हमले कर रही है।

5. साम्राज्यवाद की ओर झुकाव

5.1 वाजपेयी सरकार ने गुट निर्पेक्षता की नीति जिस पर भारत लगातार चलता आया है, को अलविदा कह डाला है; यही वह नीति थी जिस पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के सभी राजनीतिक दलों में सर्व सम्मति थी। एन.डी.ए. के शासन काल में हमारी विदेशी तथा प्रतिरक्षा नीतियों को पूरी तरह अमरीकी साम्राज्यवाद के अधीन कर दिया गया है;

वे उसके हितों के अनुकूल अथवा पिच्छलग्गू बन चुकी हैं। इसके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे में भारत की छवि बहुत खराब हो चुकी है। एन.डी.ए. की सरकार लगभग सभी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर खुले रूप में या गुपचुप ढंग से प्रायः अमरीकी नीति का अनुसरण ही करती है।

5.2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11सितम्बर, 2001 के हमले के बाद ने 'एक नयी विश्व व्यवस्था' लाने के लिये नये सिरे से धावा बोल दिया है; वह पूरी दुनिया पर साम्राज्यवादी दादागिरी स्थापित करने का जजबा लेकर काम कर रही है; यह आंतकवाद के खिलाफ भूमण्डलीय जंग के नाम पर किया जा रहा है । वाजपेयी सरकार बड़ी तत्परता के साथ आगे बढ़ कर उसके साथ सहयोग कर रही है; उसने इसे एक सांझा लक्ष्य बना डाला है और यह 'लक्ष्य' वह उसके साथ मिल कर प्राप्त करना चाहती है। उसने अफ़गानिस्तान में अमरीका की सैनिक कार्रवाई का तहेदिल से अनुमोदन किया था; जाहिरा तौर पर उसने यह काम ओसामा बिन लादेन को पकड़ने का तर्क देकर किया था। अफ़गानिस्तान में अमरीकी फौजों का कब्जा लगातार बना हुआ है जिसका वाजपेयी सरकार पूरा समर्थन कर रही है। सरकार ने अफ़गानिस्तान में अमरीका की कठपुतली करज़ई सरकार के साथ बहुत निकट सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं जबकि उस सरकार का पोषण अमरीका कर रहा है और वह उसकी पीठ पर है, वह इससे पूरी तरह वाकिफ है । उसने अफ़गानिस्तान में निर्माण कार्यों के ठेके लेने की दौड़ में शामिल होकर भारत के बड़े कार्पोरेट घरानों के हितों को आगे बढ़ाने का काम किया है।

5.3 अमरीका तथा ब्रिटेन के साम्राज्यवादियों ने योजनाबद्ध ढंग से इराक में सैनिक हस्तक्षेप किया था; उस देश की सत्ता को बदलना उनका घोषित लक्ष्य था; इसके लिये उन्होंने अजीब सा तर्क दिया था क्योंकि इराक के पास व्यापक स्तर पर तबाही मचाने वाले विध्वंसक हथियार हैं इसलिये उसकी सत्ता को बदलना जरूरी हो गया है; साम्राज्यवादियों की इस कार्रवाई का विश्व भर में जबरदस्त विरोध हुआ था । किन्तु एन. डी. ए सरकार इसके खिलाफ खुल कर आगे नहीं आई और न ही उसने साम्राज्यवादियों के इन हथकण्डों का विरोध करने के मामले में विश्व समुदाय का साथ दिया । सरकार केवल इस बात पर ही बल देती रही कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंध लागू किये जाएं; क्योंकि अमरीका तथा ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र को ही ठेंगा दिखा कर इराक के खिलाफ भयानक जंग शुरू कर दी; सैंकड़ों-हजारों निर्दोष नागरिकों को अमानुषिक हमलों का निशाना बनाया गया---हमलों का शिकार होने वालों में अधिकतर महिलाएं एवं बच्चे थे; इतना सब होने पर भी वाजपेयी सरकार ने इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। जनता में जब इसके खिलाफ रोष बढ़ने लगा तो सरकार को मजबूर होकर इसके खिलाफ संसद में प्रस्ताव पारित कराना पड़ा । इस पर भी उसने अमरीका की भर्त्सना करने के मामले में प्रस्ताव की भाषा को नर्म बनाने का प्रयास जरूर किया था ।

5.4 इराक पर कब्जा करने वाली अमरीकी सेनाओं की मदद के लिये भारतीय फौजें इराक भेजने के मसले पर बुश प्रशासन तथा वाजपेयी सरकार के बीच बातचीत के कई दौर चले; एन. डी. ए सरकार बुश प्रशासन की हर बात मान लेने के लिये तत्पर थी । केवल वामपक्षी दलों ने ही इसका पूरी दृढ़ता के साथ विरोध किया था, बाद में कांग्रेस भी उनके साथ मिल कर इसका विरोध करने लगी तो सरकार को इराक में अमरीकी हितों की रक्षा के लिये भारतीय फौजें भेजने का इरादा टाल देना पड़ा। यहां पर भी एन.डी.ए. सरकार एक बार फिर बड़े कार्पोरेट घरानों की सेवा करना चाहती थी ताकि अमरीका की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से उनके लिये इराक के भावी निर्माण के लिये होने वाले कामों के कुछ ठेके लिये जा सकें। एन.डी.ए. सरकार ने कोच्चि के बंदरगाह क्षेत्र में अमरीका जंगी जहाजों के रुकने तथा ईंधन लेने की सुविधाएं दे दी थीं; ऐसा करते समय उसने जनता के विशाल बहुमत की ओर से इराक में अमरीका के जंगी कार्रवाईयों तथा वहां अमरीकी कब्जा जारी रखने के खिलाफ व्यक्त किये जा रहे विरोध अनसुना कर दिया; उसने जन भावनाओं का कोई सम्मान नहीं किया।

5.5 इस्राइली सेनाओं की ओर से अमरीका की शह पर फलस्तीन के खिलाफ हमले किये जाने के कारण पश्चिमी एशिया का माहौल गर्माता चला जा रहा है । इस स्थिति में वाजपेयी सरकार खुले रूप में इस्राइल के साथ सांठ गांठ कर रही है। उसने इस्राइल के प्रधान मंत्री का भारत की यात्रा करने का निमंत्रण दिया। भले ही फलस्तीन में फलस्तीनी नागरिकों पर हर रोज संहारक हमले किये जा रहे हैं फिर भी शेरोन का भारत आने पर पूरे राजसी सम्मानों के साथ शाही स्वागत

किया गया। एन.डी.ए. सरकार ने बड़ी बेशर्मी से काम लेते हुए इस्राइल के साथ रक्षा सौदे किये हैं; उसे अमरीका का पूरा आशीर्वाद प्राप्त था। एन.डी.ए. सरकार की इन कार्रवाईयों के चलते भारत पूरे अरब जगत में अलग-थलग पड़ चुका है। इस प्रकार भारत सरकार का अमरीकी साम्राज्यवाद की ओर झुकाव और बढ़ गया है। एन.डी.ए. सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बृजेश मिश्र तथा उप प्रधान मंत्री एल के अडवानी ने आंतकवाद के खिलाफ लड़ने के नाम पर खुल कर भारत, अमरीका तथा इस्राइल के बीच त्रिपक्षीय गठबंधन बनाने की वकालत की है।

5.6 एन.डी.ए. सरकार बुश प्रशासन को खुश करने तथा अमरीकी आकाओं की कृपा पाने के मामले में पाकिस्तानी शासकों के साथ होड़ ले रही है। हाल ही में अमरीका के बरिष्ठ अधिकारियों के भारत दौरों की तो बाढ़ सी आ चुकी है; शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ होगा। एन. डी. ए सरकार के प्रवक्ता गाहे बगाहे अमरीका से प्रार्थना करते रहते हैं कि वह सीमा पार आतंकवाद की कार्रवाईयों को रोकने के लिये पाकिस्तान पर दबाव डाले, इसका दुष्परिणाम यह निकलेगा कि कश्मीर की समस्या का अन्तर्राष्ट्रीयकरण हो जाएगा किन्तु उसे इसकी थोड़ी-सी भी चिन्ता नहीं है। अमरीका को खुश करने की इस दौड़ में पाकिस्तान की मुशर्रफ सरकार भी भारत के साथ मुकाबला कर रही है । इसका लाभ केवल अमरीका को ही हुआ है और वह कश्मीर के प्रश्न पर हम पर अपना समाधान थोपने के प्रयासों लगा हुआ है । अमरीकी अधिकारियों की ओर से पहले ही यह सुझाव दिया जा रहा है कि साम्प्रदायिकता के आधार पर कश्मीर को तीन भागों में बांट दिया जाए और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तथा कश्मीर घाटी के बीच लचीले सम्बन्ध स्थापित किये जाएं। जम्मू और कश्मीर में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और नेशनल कान्फ्रेंस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। उसके पश्चात् अमरीका के साथ एन. डी. ए सरकार की नजदीकियां बढ़ती चली गई। यह हमें अधिकाधिक देखने को मिल रहा है।

5.7 जम्मू-कश्मीर के लोग अब आतंकवादी हिंसा से तंग आ चुके हैं। आर्थिक गतिविधियों के अभाव में तथा पर्यटकों की संख्या में कमी आने के कारण जम्मू एवं कश्मीर की अर्थ व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इन परिस्थितियों में एन.डी.ए. सरकार की नीतियां आतंकवादियों तथा अमरीकी साम्राज्यवाद के हाथ मजबूत कर रही हैं, इसमें संदेह नहीं। ये शक्तियां भारत में अस्थिरता लाने तथा अपना प्रभाव बढ़ाने के लिये जी तोड़ कोशिशें कर रही हैं। वे नहीं चाहतीं कि कश्मीर समस्या का संतोषजनक समाधान निकले, वे उसे तारपीडो करने के लिये किसी भी सीमा तक जा सकती हैं।

5.8 वाजपेयी सरकार की ओर से अमरीका के साथ सामरिक गठबंधन करने तथा हमारी सेना के तीनों अंगों में संयुक्त रक्षा अभ्यास कराए जाने के फलस्वरूप देश की सुरक्षा के लिये गम्भीर खतरा पैदा हो गया है।

5.9 जब अमरीका में जार्ज डब्ल्यू बुश के प्रशासन ने अपने लिये दुनिया के दरोगे की भूमिका चुन ली थी और उसने अपनी इच्छा से किसी भी देश पर हमला करने का दैवीय अधिकार पा लिया था तब एन. डी. ए सरकार ने इसके प्रति ढीला-ढाला रुख अपनाया था; उसने इसे बहुत हलके में लिया। इससे अमरीका को पूरे एशियाई क्षेत्र और उसके साथ-साथ दक्षिण तथा पश्चिम में भी अपनी स्थिति मजबूत बनाने में ही सहायता मिली है।

5.10 प्रधान मंत्री वाजपेयी ने हाल ही में अमरीका की अपनी यात्रा के समय अमरीकी साम्राज्यवादियों के साथ सामरिक गठबंधन बनाने की खुली वकालत की थी। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था कि दोनों देशों ने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों जिनका सामना आज विश्व को करना पड़ रहा है, एक जैसे विचारों को व्यक्त किया है।

5.11 देश के श्रमिक वर्ग तथा श्रमिक आंदोलन को साम्राज्यवाद के सैनिक, आर्थिक तथा विचारधारात्मक हमलों के खिलाफ अपने अभियान में और तेजी लानी होगी; हमारे देश की साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों की समृद्ध परम्पराएं रही हैं, इनसे आने वाले दिनों में देशभक्त जनता को जागरूक बनाना होगा।

6. आग लगाऊ साम्प्रदायिक हिंसा बढ़ रही है

6.1 पिछले महाधिवेशन के बाद देश में बदतर किस्म की आग लगाऊ साम्प्रदायिक हिंसा फिर से सिर उठाने लगी है; दंगे कराए जा रहे हैं; कानून व्यवस्था की मिट्टी पलीद की जा रही है और भारतीय समाज के धर्म निर्पेक्ष स्वरूप को भारी क्षति पहुंचाई गई है।

6.2 विश्व हिन्दु परिषद, बजरंग दल तथा संघ परिवार के दूसरे घटक संगठनों की ओर से देश के अनेक भागों में अल्प संख्यक समुदायों के खिलाफ कहर बरपा कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अल्प संख्यक समुदायों के खिलाफ घृणा का वातावरण पैदा करने में लगा हुआ है; वह खुले रूप में मांग कर रहा है : उन सब को यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि उनके पुरखे हिन्दु थे। सरकारी तंत्र के माध्यम से शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है; पाठ्य पुस्तकों में मनमानी तबदीलियां की जा रही हैं; ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है तथा उनका मिथ्याकरण किया जा रहा है ताकि उन्हें उसी रंग में रंगा जा सके जिसमें संघ परिवार चाहता है और वे उसके साम्प्रदायिक हथकण्डों के अनुकूल बन जाएं। सरकारी समारोहों में सरस्वती वंदना को लाजमी बना दिया गया है; सेना, नौकरशाही तथा यहां तक कि न्यायपालिका में भी साम्प्रदायिक तत्वों की खुली घुसपैठ कराई जा रही है।

6.3 गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की बोगियों में आग लगा कर 58 कार सेवकों जो अयोध्या से वापिस लौट रहे थे, को जिंदा जला देने की जघन्य घटना के शीघ्र पश्चात् गुजरात में साम्प्रदायिक हिंसा का दौर शुरू हो गया; स्वतत्रता के पश्चात् सबसे अधिक भयानक, घृणित तथा निंदनीय साम्प्रदायिक नर संहार का जो सिलसिला चला उससे हम सब वाकिफ हैं। साम्प्रदायिक हिंसा की यह सोची समझी साजिश थी; इसका उद्देश्य था एक सम्प्रदाय विशेष के लोगों का सफाया करना; भाजपाई मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी इसके सूत्रधार थे। उन्हीं की शह तथा इशारों पर राज्य प्रशासन एवं पुलिस ने भगवा ब्रिगेड वालों के साथ मिल कर इन दंगों को और अधिक भयावह बनाने में कोई कोर कसर शेष नहीं छोड़ी थी। गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री हिरेन पांड्या जिन्होंने साम्प्रदायिक दंगों में नरेन्द्र मोदी की संदिग्ध भूमिका को जग जाहिर कर दिया था, की बहुत ही रहस्यमयी हालतों में हत्या करा दी गई। उनके पिता ने खुले रूप में आरोप लगाया था कि उनके बेटे की हत्या के पीछे मुख्यमंत्री का हाथ था।

6.4 साम्प्रदायिक हिंसा तथा आतंक हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब हिटलर की जर्मनी में फासिज्म का बोलबाला हुआ करता था । गुजरात में साम्प्रदायिक हिंसा का यह तांडव पूरी शिद्दत के साथ एक महीने तक चला था । इन साम्प्रदायिक दंगों में एक हजार से अधिक मुसलमानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी । बहुत बड़ी संख्या में पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों को जिंदा जला दिया गया । लोगों ने खुद देखा था कि किस प्रकार ज्वलनशील पदार्थ पुलिस की गाड़ियों में भर कर लाए जाते और दंगा करने वालों को उनकी सप्लाई की जाती जबकि भाजपा के नेता खुले रूप में उन्हें मुसलमान पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की हत्याएं करने के लिये उकसाते थे । मुसलमान भाईचारे के एक लाख से अधिक लोगों को अपने घर बार छोड़ कर चले जाने के लिये मजबूर होना पड़ा; उन्हें राहत शिविरों का नर्क झेलना पड़ा; प्रशासन की ओर से इन राहत शिविरों में मानवीय जीवन के लिये जरूरी बुनियादी नागरिक सुविधाएं भी जानबूझ कर उपलब्ध नहीं कराई गईं; दंगा पीड़ितों को जो राहत मिलनी चाहिये थी उसकी तो बात ही मत कीजिये । दंगा पीड़ितों को क्षतिपूर्ति की बांट करने के मामले में भी मोदी ने खुल. कर अपनी साम्प्रदायिक मानसिकता का प्रदर्शन ही किया था । गोधरा के जघन्य हत्या कांड तथा उसके बाद हुए साम्प्रदायिक दंगों के मामलों के साथ निपटने के प्रश्न पर भी मोदी सरकार ने दोहरे मापदण्ड अपनाए थे । पोटा के अन्तर्गत गुजरात में जितने भी लोगों को पकड़ा गया है, वे सभी मुसलमान हैं, एक आध सिख है, एक भी हिन्दु साम्प्रदायिक को पोटा के अन्तर्गत गिरफ्तार नहीं किया गया; यह एक कड़वी सच्चाई है ।

6.5 गुजरात में साम्प्रदायिक हिंसा का तांडव नश्त्य हो चुकने के बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी ने दुःखी (कम से कम दिखावा तो यही किया था।) लहजे में कहा था कि वह अब कौन सा मुंह लेकर अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे में जाएंगे। उन्होंने तथा भाजपा में उनके संगी साथियों ने न केवल नरेन्द्र मोदी को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मांग रद्द कर दी थी बल्कि पूरे साम्प्रदायिक नर संहार का ठीकरा 'गोधरा के जघन्य कांड' के मत्थे मढ़ दिया था; सब लोग जानते हैं कि मोदी

को हटाने की मांग सभी ओर से की गई थी।

6.6 भाजपा ने मोदी की सराहना की थी; उसने अपनी खेल की भावी रणनीति के लिये उसकी भूमिका को एक माडल मान लिया था। उसने इस भयावह स्थिति का उपयोग अत्यंत बर्बर ढंग से चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिये किया था। मोदी ने गुजरात विधान सभा के चुनाव समय से पहले कराने पर बल दिया था किन्तु चुनाव आयोग ने उसके आग्रह को ठुकरा कर ठीक ही किया । प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर किन्तु परन्तु करने और राष्ट्रपति के माध्यम से यह मामला विचार के लिये उच्चतम न्यायालय में भेजने में एक क्षण की भी देरी नहीं की थी। सौभाग्यवश उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग के फैसले को बनाए रखा।

6.7 भाजपा तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के घटक संगठनों की ओर से चुनाव आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग, उच्चतम न्यायालय को भी अपने हमलों का निशाना बनाया गया। उन्होंने अपने शब्दकोष में से भद्दी गालियां निकाल कर इन संस्थानों पर उनकी बौछार की है। मोदी की ओर से 'गौरव यात्रा' निकाली गई। इस प्रकार अल्प संख्यकों के खिलाफ नफरत का एक और दौर चलाया गया ताकि वे भयभीत होकर भाजपा के खिलाफ अपनी वोट दे ही न सकें।

6.8 गुजरात विधान सभा के चुनावों के पश्चात् नरेन्द्र मोदी एक बार फिर से सत्ता में लौट आए; इसके फलस्वरूप आक्रमक तेवरों वाली हिन्दु साम्प्रदायिक शक्तियों के हौंसले बढ़ गए हैं। वे गुजरात के माडल को पूरे भारत पर लागू करना चाहते हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश विधान सभा के चुनाव परिणाम आए; खुश किस्मती से उन्होंने भाजपाईयों के घिनावने मनसूबों पर पानी फेर दिया; कम से कम इस समय तो उनके सपने टूट ही चुके हैं।

6.9 चुनावों के बाद की स्थितियों में भी नरेन्द्र मोदी ने अपनी अपराधिक विभाजक नीतियों को जारी रखा है; उसने गुजरात में हुए दुर्भाग्यपूर्ण साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण को भी जीवित रखा है। मोदी खुद अपने में एक कानून है, यह बात बेस्ट बेकरी के मुकद्दमे ने जग जाहिर कर दी है; हर अपराधी बेखौफ होकर खुला घूमता रहे और पीड़ितों का मनोबल गिरता रहे, उसने इसे यकीनी बनाने के लिये वह सब किया जो वह कर सकता था । उच्चतम न्यायालय ने बेस्ट बेकरी के मामले में 'राज धर्म' सम्बन्धी वाजपेयी की कथनी तथा नरेन्द्र मोदी की करनी को लम्बे हाथों लिया था।

7. घोटालों और गड़बड़ घोटालों की भरमार

7.1 भाजपा उच्च नैतिकता की बात करती रहती है; उसकी ओर से हमेशा यह दावा किया जाता है कि वह एक 'अलग प्रकार' का दल है। इस 'अलग प्रकार के दल' के सुशासन के पिछले कुछ वर्षों में रोज ब रोज होने वाले घोटालों तथा गड़बड़ घोटालों के बड़े-बड़े ढेरों का अम्बार लग चुके हैं। उसके सभी लम्बे चौड़े दावे घोटालों के इन्हीं ढेरों के नीचे दब से गए हैं, इसमें संदेह नहीं। हां, एक फर्क जरूर देखने को मिला है; इन घोटालों में शामिल प्रत्येक मंत्री इनके लिये अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने से इन्कार जरूर करता रहा है; वे बड़े धड़ल्ले के साथ पदों से इस्तीफे देने की जनवादी मांगों को ठुकराते रहे हैं। यदि कभी उन्हें इस्तीफा देने के लिये मजबूर होना ही पड़ा तो यह वर्तमान प्रधानमंत्री का राज धर्म बन गया कि उन्हें पूरी इज्जत के साथ फिर से मंत्रिमण्डल में शामिल कर लिया जाए।

7.2 रक्षा उपकरणों की खरीद के मामले में किस प्रकार संदेहास्पद सौदे किये जाते हैं और वह भी जार्ज फर्नांडिस की रहनुमाई में, तहलका कांड ने इसकी पोल भी खोल दी है। समता पार्टी की अध्यक्ष जया जेतली तथा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण वीडियों कैमरों के आगे रंगे हाथों पकड़े गए थे। उन दोनों को तथा उनके साथ ही जार्ज फर्नांडिस को अपने-अपने पदों से इस्तीफे देने के लिये मजबूर होना पड़ा था। तहलका की टेपों ने उन कामुक चुहलबाजियों को भी नंगा किया था जिनमें कुछ बरिष्ठ सैनिक अधिकारी भी संलिप्त पाए गए थे।

7.3 उसके बाद कफन घोटाला प्रकाश में आता है । कारगिल की लड़ाई में अपनी बहादुरी से दुश्मन के दांत खट्टे करने

वाले वीर जवानों के मृत शरीरों को भी नहीं बख्शा गया और उनके लिये 'कफन की खरीद' करने के मामले में घोटाला किया गया उससे एन. डी. सरकार की ढोल की पोल खुल जाती है। महालेखा नियंत्रक की रिपोर्ट तथा केन्द्रीय स्तर्कता आयोग की रिपोर्ट में भी ऐसे संदेहजनक सौदों की पोल खोली गई है; इनके कारण राष्ट्रीय राजकोष को करोड़ों रुपये का चूना लगा। एन.डी.ए. सरकार ने एक और आपराधिक कार्य किया है; उसने सेना के लिये ऐसा असला खरीदा जो खराब था और जिसकी मियाद खत्म हो चुकी थी। प्रतिरक्षा मंत्री ने जिस प्रकार सी वी सी की रिपोर्ट संसद की जन लेखा समिति के सामने पेश करने से इन्कार कर दिया था उससे सेना की युद्धक सामग्री खरीदने के मामले में हो रहे राष्ट्र विरोधी सौदों की पोल खुल जाती है। यह तर्क देना गलत है कि इन सौदों के ऊपर पड़ा पर्दा उठाने के फलस्वरूप सेना के मनोबल पर बुरा असर पड़ेगा क्योंकि ये सौदे सेना के अधिकारियों, प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा स्वयं प्रतिरक्षा मंत्री के आपराधिक आचरण पर प्रकाश डालते हैं।

7.4 जार्ज फर्नांडिस जिन्हें तहलका के मामले में बेनकाब हो जाने पर इस्तीफा देना पड़ा था, को वाजपेयी मंत्रिमण्डल में फिर से शामिल कर लिया गया; हालांकि उस समय तहलका की जांच चल ही रही थी। क्योंकि एन. डी. ए सरकार को अपनी स्थिरता का भरोसा नहीं था इसलिये उनका फिर से मंत्रिमण्डल में शामिल होना जरूरी हो गया था।

7.5 इसके बाद पेट्रोल पम्प घोटाले से पर्दा उठा। कुल 3857 लोगों को पेट्रोल पम्पों का आबंटन किया गया था; उनमें आधे से अधिक लोग न केवल एन.डी.ए. अपितु आर. एस. एस. तथा विश्व हिन्दु परिषद के शिखर पुरुषों के निकट सम्बन्धी थे; उन्होंने सभी नियमों कानूनों को ताक पर रख कर इस बहती गंगा में हाथ धोए थे; किसी ने ठीक ही तो कहा है: सईयां भये कोतवाल फिर डर काहे का। मीडिया ने इसकी पोल भी खोल दी; संसद में भी खूब शोर शराबा हुआ; पता चल गया कि 'अलग किस्म की इस पार्टी' का असल चेहरा कितना घिनावना है।

7.6 नयी दिल्ली की प्राइम लोकैल्टी में स्थित पलाटों अथवा भूखण्डों की एक बड़ी संख्या का आबंटन संघ परिवार के साथ सम्बन्ध रखने वाले संगठनों के नाम किया गया और वह भी औने पौने दामों पर। वेंकैय्या नायडु ने उस समय जब वह आंध्र प्रदेश में विधायक हुआ करते थे, धोखाधड़ी करके उस भूमि को हथिया लिया था जो अनुसूचित जाति तथा जन जाति के लोगों के लिये थी। दूसरे घोटालों की भांति यह मामला भी प्रकाश में आ चुका है।

7.7 निजीकरण तथा विनिवेश के सौदे भी जबरदस्त रिश्वतखोरी के कीचड़ से लथपथ हैं। मुम्बई के सेंटूर होटल का मामला स्पष्ट रूप में इसकी पोल खोलता है। आर.एस.एस. के एक समर्थक को यह होटल 83 करोड़ रुपये में दे दिया गया। उस महानुभाव ने तीन महीनों के अन्दर ही उसे 115 करोड़ रुपये में बेच डाला। स्टरलाइट उद्योग समूह जिसे एस ई बी आइ अर्थात् सेबी ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ था, की झोली में बालको को डाल दिया गया और वह भी औने पौने दाम लेकर। यू टी आइ द्वारा महंगे भाव शेयर खरीदे गए; प्रधान मंत्री कार्यालय की भूमिका भी इसमें रही थी; इसके चलते भारी आर्थिक क्षति झेलनी पड़ी; इसकी पोल किसी और ने नहीं बल्कि शिव सेना के एक सदस्य ने संसद में खोली थी । एक नकली कम्पनी ने बड़ी संख्या में यू टी आइ को शेयर बेचे थे; प्रत्येक शेयर का भाव था 960 रुपये; बाद में उनका बाजार भाव गिर कर मात्र 2 रुपये प्रति शेयर रह गया। तेल कम्पनियों के शेयर भी रिलाइंस समूह को बेच देने की साजिशें की गईं; इसके लिये भ्रष्ट हथकण्डे अपनाए गए; इन दिनों यह गड़बड़ घोटाला भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

7.8 एक और पूर्व मंत्री जिसका सम्बन्ध एम. डी. एम. के. से है, को भी इस्तीफा देना पड़ा था। उसका नाम एक भ्रष्ट सौदे में आया; कहा गया था कि उसने अपने निजी सहायक के माध्यम से लेन देन किया है। उसे फिर से मंत्रीमण्उल में शामिल करके राज्य मंत्री बना दिया गया। शपथ ग्रहण करने के दूसरे दिन ही उसे सी बी आइ द्वारा की गई पूछताछ का सामना करना पड़ा। उस पर आरोप था कि उसने अपने निजी सहायक के माध्यम से 'तबादले के लिये रिश्वत' ली है।

7.9 पांच राज्यों में विधान सभा चुनावों की प्रक्रिया शुरु होने के बाद भी एक और घोटाला प्रकाश में आया है; इस

घोटाले में कोई और नहीं बल्कि केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री दिलीप सिंह जू देव शामिल हैं। उन्हें खदानों के एक एजेंट से रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है; इस घोटाले की गूंज पूरे मीडिया में सुनाई दी थी। भारतीय जनता पार्टी रिश्वत लेने के आरोप को झूठे तथा राजनीतिक विरोधियों का 'षडयंत्र' करार देने के बाद भ्रष्ट मंत्री को बाहर जाने का दरवाजा दिखाने के लिये मजबूर हो गई। मंत्री महोदय ने इस भयंकर अपराध के लिये अपना बचाव करते हुए कहा था कि उन्होंने 'निजी सेना' के माध्यम से धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ लड़ने के लिये यह धन स्वीकार किया था। उनका यह कथन भी संदेह से परे नहीं है। इस घटना ने एक बार फिर भाजपा के उन खोखले दावों की पोल खोल दी है कि वह 'एक अलग प्रकार की पार्टी है'!

7.10 ये घोटाले कितने भयानक थे और कितनी तेज गति से हुए; एन.डी.ए. सरकार तथा संघ परिवार पूरे का पूरा भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी के इस कीचड़ से लथपथ है, यह देख कर पूरे राष्ट्र को आघात पहुंचा है। बहती गंगा में हाथ धोने वाले महानुभावों की निर्लज्जता तो देखिये जनाब! ये लोग अभी तक मंत्री पदों की 'शोभा' बढ़ा रहे हैं। और अधिक धन बटोरो और अधिक मजे लो, इन महानुभावों का मंत्र बन चुका है।

8. हिन्दुत्व वोट बैंक की नीतियां : फिर से लार टपकने लगी

8.1 साम्प्रदायिकता का भयानक तांडव नृत्य करके गुजरात में एक बार फिर से सत्ता में लौटी भाजपा खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी; संघ परिवार के लोगों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था; उन्हें मोदी के रूप में एक ऐसा मांझी मिल गया जो उनकी नैया का खेवैया हो सकता था और जिसे आगे करके वे हिन्दुत्व की आक्रमक विचारधारा का भोंपू और अधिक जोर से बजा सकते थे और इस प्रकार उनकी हिन्दुत्व वोट बैंक की साम्प्रदायिक नीतियों की ओर धुआं-धार वापसी हो गई।

8.2 हिन्दुत्व वोट बैंक की नीतियों की ओर वापसी यूं ही नहीं हो गई; और न ही यह कोई ऐसा विचार था जिसे संघ परिवार के प्रवक्ता ने मौज में आकर व्यक्त कर दिया हो। प्रधान मंत्री वाजपेयी ने खुद दावा किया था कि गुजरात में जीत के साथ भाजपा का विजय पर्व शुरू हो गया है। वाजपेयी ने एक प्रकार से मुसलमान भाईचारे पर आरोप लगाया था कि उसने आगे बढ़ कर गोधरा कांड की निंदा नहीं की थी। उन्होंने यह बात ऐसे कही कि मानों अल्प संख्यक समुदाय ने ही गोधरा के जघन्य कांड की खुल कर निंदा नहीं करके गुजरात में खुद अपने ही सम्प्रदाय के खिलाफ नर संहारों, बलातकारों, आगजनियों जैसी जघन्य कार्रवाईयों को न्योता दिया हो। प्रधान मंत्री जैसे ऊंचे और संविधानिक पद विराजमान व्यक्ति के लिये यह बात संविधान की मर्यादा के अनुकूल नहीं है कि वह एक सम्प्रदाय विशेष को उस अपराध के लिये दोषी करार दें जो मुट्ठी भर लोगों ने किया है; वह भी उस समय जब यह भी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है कि गोधरा में अत्यंत भयानक एवं जघन्य हत्या कांड किन लोगों ने किया था। याद रहे, जब गुजरात में ईसाई गिरजा घरों तथा डांग जिले में ईसाई धर्मावलम्बियों पर भगवा ब्रिगेड की ओर से जानलेवा हमले किये जा रहे थे तब भी इन्हीं प्रधानमंत्री महोदय ने ही धर्मांतरणों पर राष्ट्रीय बहस कराने का सुझाव दे डाला था।

8.3 विश्व हिन्दु परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने मोदी के चुनाव अभियान के साथ ही अपना प्रचार अभियान भी चलाया था। उन्होंने उस समय 'संघ परिवार' की भावी योजनाओं पर विस्तार में प्रकाश डाला था। उन्होंने घोषणा की थी कि 'हिन्दुत्व' की आंधी केवल गुजरात तक ही सीमित नहीं रहेगी। दूसरे शब्दों में यह खुली घोषणा थी कि जिस प्रकार गुजरात में खून की होली खेल कर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण कराया गया है उसी प्रकार पूरे देश में भी कराया जाएगा। उसने तो 'हिन्दुत्व' के सभी विरोधियों-पढ़िये धर्म निर्पेक्ष लोगों-को मौत के घाट उतारने की धमकी देने का दुःसाहस भी किया है; उसके अनुसार मौत की सज़ा 'लोगों की ओर से ही दी जाएगी'। उन्होंने व्यापक स्तर पर 'त्रिशूल' वितरण के समारोहों में भाग लेने के लिये पूरे देश का दौरा किया; इसका उद्देश्य था-भगवा अनुयाइयों को संगठित करना; उनके हाथों में हथियार थमा देना ताकि वे उन लोगों पर जिन्हें वे 'हिन्दुत्व' के शत्रु मानते हैं, हमले कर सकें; ये हमले उसी तरह के होंगे जैसे गोधरा कांड के पश्चात् पूरे गुजरात में अल्प संख्यक समुदाय के लोगों पर किये गए थे। इस अभियान को 'त्रिशूल दीक्षा' समारोहों का नाम दिया गया था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये परम्परागत

'त्रिशूल' में सुधार लाया गया और उसे नया रूप दिया गया।

8.4 भारत अगले दो वर्षों में 'हिन्दु राष्ट्र' बन जाएगा और पाकिस्तान का भूगोल भी बदल जाएगा; इस प्रकार की टिप्पणियां की यदा कदा की जाती रही हैं।

8.5 कुल मिला कर उनकी कार्यसूची इन कार्यक्रमों पर आधारित है-अयोध्या में राम मन्दिर का निर्माण, देश भर में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करना, समान नागरिक संहिता, संविधान की धारा 370 समाप्त करना (जिसके अन्तर्गत जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है), सभी बंगला देशी घुसपैठियों को वापस भेजना तथा देश में गोवध विरोधी कानून बनाना इत्यादि। ये कार्यक्रम 'हिन्दुत्व' के कट्टर समर्थकों की ओर से बनाया गया है।

8.6 अब चुनावों की बात करते हैं; 'हिन्दुत्व' की साम्प्रदायिक शक्तियां तथा उनका राजनीतिक अंग भाजपा एक बार फिर से अपने संकीर्ण राजनीतिक लाभों की प्राप्ति के लिये 'अयोध्या समस्या' को उठाने पर आमादा है। उसने इसी मुद्दे को उठा कर अतीत में जबरदस्त राजनीतिक लाभ प्राप्त किया था। वोट बैंक की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को कदापि छोड़ना नहीं चाहती । इसलिये वह 'राम मंदिर नाम का तुरुप का पत्ता' आने वाले चुनावों में भी फेंकने का मन बना चुकी है। विश्व हिन्दु परिषद के राम जन्म भूमि न्यास ने विवाद वाले स्थान पर राम मन्दिर बनाने की दुहाई देनी शुरू कर दी है; मन्दिर निर्माण के अपने कार्यक्रम की घोषणा वह किसी भी समय कर सकता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा उसके अग्रणी दस्तों के दिलों में देश के संविधान के प्रति सम्मान की कोई भावना नहीं है; वे न्यायपालिका का सम्मान भी नहीं करते; अपनी इन कुत्सित भावनाओं का प्रदर्शन वे खुले आम कर चुके हैं।

8.7 वाजपेयी ने महंत परमहंस के अंतिम संस्कार के समय भाषण देते हुए कहा था कि स्वर्गीय संत की इच्छाओं के अनुसार राम मंदिर का निर्माण विवाद वाले स्थान पर ही किया जाएगा। विश्व हिन्दु परिषद तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने मांग की थी कि सरकार को न्यायपालिका के फैसले का इंतजार किये बिना ही संसद में कानून बना कर राम मन्दिर का निर्माण करने की अनुमति दे देनी चाहिये। एल. के. अडवानी भी स्पष्ट कह चुके हैं कि विवाद वाले स्थान पर राम मन्दिर का निर्माण हो, भारत की जनता के बहुसंख्यक की यही इच्छा है।

8.8 एन.डी.ए. सरकार ने अपने एजेंडा के विपरीत पहले अदालत के दरवाजे पर दस्तक देकर गुहार की थी कि वह विवाद वाला स्थान निर्माण कार्य के लिये हिन्दु न्यास को सौंप दे। विवाद वाले स्थान पर राम मन्दिर के निर्माण के विचार को आगे बढ़ाने के लिये कांची कामकोटि के शंकराचार्य का उपयोग किया गया किन्तु इसमें ये लोग बुरी तरह असफल रहे हैं।

8.9 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बाबरी मसजिद वाले स्थान पर खुदाई का आदेश देकर साम्प्रदायिक लामबंदी के नये सिरे से उभरने में ही सहायता दी है । ऐसा कदम उठाने की जरूरत कतई नहीं थी; यह अनिष्टसूचक था; भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) को खुदाई कराने का काम सौंप दिया गया; वह भी उस समय जब यह संस्थान भाजपा के नेतृत्व वाले संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम कर रहा हो । उस समय 'संघ परिवार' ने भविष्यवाणी की थी कि ए.एस.आई. इस तथ्य के ठोस प्रमाण उपलब्ध कराएगी कि मसजिद जिसे 6 दिसम्बर, 1992 को भाजपा के शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में साम्प्रदायिक उन्माद से ग्रसित भगवा कार्यकर्ताओं की भीड़ ने गिरा दिया था, के मलबे के नीचे से मन्दिर के अवशेष निकलेंगे।

8.10 ए.एस.आई. ने अगस्त 2003 के अंत में अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी। रिपोर्ट ने उन्हीं बदतर खदशों की पुष्टि की है जो धर्म निर्पेक्ष शक्तियों की ओर से इस प्रयोग के शुरू होने के समय जाहिर किये गए थे। ए.एस.आई. की रिपोर्ट बड़े धैर्य के साथ बनाई गई थी और उसमें बड़ी खूबी के साथ तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया था। देश भर के पुरातत्व वेताओं तथा इतिहासकारों ने ए.एस.आई. की रिपोर्ट में विशेष कमियों को ढूंढ निकाला था; उन्होंने इसके

ठोस प्रमाण भी दिये थे। अदालत ने अभी तक रिपोर्ट के बारे में अपना फैसला नहीं दिया है। किन्तु विश्व हिन्दु परिषद तथा भाजपा के भौंपू अदालत के फैसले का इंतजार नहीं करेंगे; यह स्पष्ट ही है। उन्हें इस बात की परवाह बिलकुल नहीं कि रिपोर्ट पर अदालत का निष्कर्ष क्या होगा। उन्होंने बड़े ही ऊंचे स्वर में यह राग गाना शुरू कर दिया है कि विवाद वाला स्थान उन लोगों को सौंप दिया जाए जो वहां मन्दिर बनाना चाहते हैं ताकि वहां मन्दिर का निर्माण कराया जा सके। ए.एस.आई. की जांच रिपोर्ट ने उनके दावों की पुष्टि कर दी है; कम से कम इस समय वे लोग यही दावा कर रहे हैं।

8.11 भाजपा के नेतृत्व ने बड़ी प्रसन्नता के साथ इस नये घटनाक्रम का लाभ उठाया है। उन्होंने सोचा था कि हाल ही में सम्पन्न पांच राज्यों के विधान सभा चुनावों जिसे वर्ष 2004 में होने जा रहे आगामी लोक सभा चुनावों का सेमी फाइनल भी कहा जा रहा है, के समय इसका चुनावी लाभ भाजपा को मिलेगा।

8.12 बाबरी मसजिद ढहाने के मामले की सुनवाई कर रही राय बरेली की विशेष अदालत ने मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती तथा अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश दिया था फिर भी उसने बड़े रहस्यमयी ढंग से लाल कृष्ण अडवानी को इस पूरे मामले से बरी कर दिया। सी बी आइ की ओर से भी इसी प्रकार का संदेहास्पद काम किया गया; जो उन्हीं उप प्रधान मंत्री के अधीन काम कर रही है; उसने भी सोचे समझे ढंग से वही साक्ष्य जुटाए जो अपने मन मुताबिक आरोप पत्र तैयार करने के लिये जरूरी थे । अडवानी ने खुद को इस मामले से बाहर रखे जाने के लिये जो हथकण्डे अपनाए थे उनके चलते स्वयं भाजपा में भी कुछ लोगों की भौवें तन गईं थीं । केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी के इस्तीफे तथा बाद में प्रधानमंत्री के आग्रह पर उसे वापिस लेने के नाटक ने बाबरी मसजिद के ढहाने में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका की पोल ही खोली है।

8.13 इतना सब हो जाने पर भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में मौजूद भाजपा के धर्म निर्पेक्ष सहयोगी दलों की ओर से केन्द्र में सत्ता का सवाद चखने के लिये घोर अवसरवादिता का परिचय दिया जा रहा है हिन्दु बहुसंख्यक वाद के दर्शन का राजनीतिक अंग होने पर भी भाजपा ने बड़ी चालाकी के साथ अपने असल एजेंडा को छिपा रखा है ताकि वह अपने इन सहयोगी दलों को एन. डी. ए में बांध कर रख सके। यह बात साफ हो चुकी है कि इन सहयोगी दलों ने धर्म निर्पेक्षता की अपनी प्रत्येक प्रतिबद्धता के साथ गद्दारी की है। भाजपा ने बड़ी सफाई के साथ इन सहयोगी दलों को किनारे कर रखा है। सरकार के सभी महत्वपूर्ण विभाग उसने केवल अपने मंत्रियों को दिये हैं। ये दल भाजपा के सभी कुकर्मों, कुशासन तथा विनाशकारी नीतियों के लिये भी जवाबदेह होंगें।

8.14 संसद में प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने भी नर्म हिन्दुत्व की नीति अपना रखी है ताकि वह साम्प्रदायिक शक्तियों को प्रसन्न करके चुनावी लाभ प्राप्त कर सके। जब भाजपा ने एकतरफा तौर पर ए. पी. जे. अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद के लिये अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था तब भी कांग्रेस पार्टी ने चूक की थी और अंत में उसने भाजपा प्रत्याशी का समर्थन किया था। गुजरात विधान सभा के चुनावों के समय शंकर सिंह बघेला उसकी ओर से मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी थे; यही बघेला कभी भाजपा के नेता हुआ करते थे । कांग्रेस पार्टी ने इन चुनावों में कमजोरी दिखाई और 'नर्म हिन्दुत्व' का पत्ता खेला; इसके फलस्वरूप ये चुनाव एकतरफा होकर रह गए थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गोवध पर पाबंदी लगाने के लिये केन्द्रीय कानून बनाने की मांग कर डाली थी और उन्होंने भोजशाला विवाद पर हिन्दुत्व की शक्तियों को प्रसन्न करने का प्रयास भी किया था। कांग्रेस पार्टी का रुख साम्प्रदायिक कार्यसूची को आगे बढ़ाने के मामले में साम्प्रदायिक शक्तियों की सहायता कर रहा है। आर्थिक नीतियों के मामले में भी जनता को कुछ अलग देने के लिये इस पार्टी के पास कुछ विशेष नहीं है।

8.15 धर्म निर्पेक्षता के सिद्धांतों पर कोई समझौता किये बिना 'संघ परिवार' मार्के के आक्रमक 'हिन्दुत्व' के खिलाफ पूरी दृढ़ता के साथ संघर्ष करना होगा । वे लोगों की अत्यंत ज्वलंत समस्याओं को पृष्ठभूमि में धकेल देना चाहते हैं; आर्थिक मोर्चे पर एन. डी. ए सरकार बुरी तरह विफल रही है; इसलिये वे पांच राज्यों के आगामी विधान सभा चुनावों तथा 2004 में होने जा रहे लोक सभा चुनावों के लिये पूरे जोर शोर के साथ उन मुद्दों को उछाल रहे हैं जिन्हें मुद्दे

ही नहीं कहा जा सकता। श्रमिक वर्ग को इस मामले में चौकस रहना होगा और उसे इसके खिलाफ जनता को जागरूक बनाना होगा ताकि भाजपा तथा 'संघ परिवार' की कोशिशों को सिरे चढ़ने से रोका जा सके।

8.16 श्रमिक आंदोलन को पूरी दृढ़ता के साथ साम्प्रदायिक शक्तियों का विरोध करना होगा क्योंकि ये शक्तियां जानबूझ कर जनता का ध्यान राष्ट्र के असल मुद्दों पर से हटाना चाहती हैं । वे चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिये साम्प्रदायिकता के आधार पर लोगों को बांटना चाहती हैं। इसके चलते राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता के लिये गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। देश में उनकी इस खतरनाक तथा विषैली खेल को मात देनी ही होगी।

8.17 साम्राज्यवादी एजेंसियां लोगों में फूट डालने तथा राष्ट्र को कमजोर बनाने की साम्प्रदायिक शक्तियों की इस घिनावनी खेल में उनकी पूरी सहायता कर रही हैं; यह तथ्य भी श्रमिक संघों को रेखांकित करना होगा। साम्प्रदायिक शक्तियों के विभिन्न घटकों को साम्राज्यवादी एजेंसियों की ओर से विशाल नैतिक एवं भौतिक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

8.18 अल्प संख्यक समुदाय की साम्प्रदायिकता भी बहुसंख्यक समुदाय की साम्प्रदायिकता के हाथ मजबूत करती है; श्रमिक वर्ग को यह बात भी गांठ बांध लेनी चाहिये। उनकी गतिविधियां जनवादी आंदोलन तथा भूमण्डलीयकरण विरोधी संघर्ष में भी व्यावधान पैदा करती हैं। अल्प संख्यक समुदाय की साम्प्रदायिक शक्तियों को भी साम्राज्यवादी एजेंसियों की मदद मिलती है क्योंकि अल्प संख्यक तथा बहु संख्यक दोनों प्रकार की साम्प्रदायिकता से साम्राज्यवाद को अपने घिनावने मनसूबे पूरे करने में सहायता मिलती है और ये दोनों एक दूसरी की पूरक होती हैं। इसलिये साम्प्रदायिकता के इन दोनों रूपों के खिलाफ संघर्ष करना जरूरी हो जाता है और श्रमिक आंदोलन के लिये यह एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। हम यह संघर्ष करके ही न केवल राष्ट्र की एकता को बनाए रख सकते हैं अपितु श्रमिक आंदोलन को सामाजिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने के लिये जोरदार स्थिति में ला सकते हैं।

8.19 श्रमिक वर्ग को चाहिये कि वह समय की इस नजाकत को समझे। उसे लोगों की एकता की रक्षा करने के लिये आसन्न संघर्षों की अगली पंक्तियों में रहना होगा; साम्प्रदायिक फासीवाद के खिलाफ प्रतिरोधी संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा; धर्म निर्पेक्षता के सिद्धांतों की रक्षा करनी होगी और साम्प्रदायिकता के आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण करने के वर्तमान में जारी प्रयासों एवं मनसूबों पर पानी फेर देना होगा।

9. जनवादी अधिकारों पर हमले

9.1 एन. डी. ए सरकार जब से सत्ता में है तभी से लोगों के जनवादी अधिकारों को अपने हमलों का निशाना बना रही है।

9.2 वाजपेयी सरकार ने संसद पर आतंकवादी हमले के बाद एक पैशाचिक कानून बनाया है; आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के नाम यह कानून पहले एक अध्यादेश के रूप लागू किया गया था। इससे पहले बदनाम टाडा कानून लागू था; नया कानून उसी का दूसरा संस्करण है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। नागरिक स्वतंत्रताओं पर धावा बोलने के लिये ही यह कानून लाया गया है, इसमें संदेह नहीं। जनवादी शक्तियां पूरी शक्ति के साथ पोटा का विरोध कर रही हैं, किन्तु इस पर भी एन.डी.ए. सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। एन.डी.ए. के सहयोगी दलों ने भी इसकी आलोचना की है; वे इसे निरस्त करने अथवा इसमें तबदीलियां लाने की मांग कर रहे हैं। पोटा के प्रावधानों का जम कर दुरूपयोग किये जाने के अनेक उदाहरण देखने को मिल रहे हैं । इस पर भी वाजपेयी सरकार इस कानून में मामूली छेड़छाड़ किये जाने की कोशिश कर रही है किन्तु वह बुनियादी तौर पर गैर जनवादी ढंग से नागरिक स्वतंत्रताओं पर हमलों को जारी रख रही है।

9.3 भाजपा इस अवधि में भारत गणराज्य के दो राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपति जैसे दो सर्वोच्च पदों पर अपने मनोनीत

व्यक्तियों को आसीन कराने में सफल रही है। भाजपा सरकार को पूरा विश्वास है कि वह राज्य सभा के लिये अपनी पसंद के लोगों को मनोनीत करा कर संसद के ऊपरी सदन में अपनी उन कदमों जिन्हें वह कानून बनाने चाहती है, के आड़े आने वाली किसी भी रुकावट को दूर कर सकेगी।

9.4 वाजपेयी शासन ने उदारीकरण के इस युग में अनेक अदालती फैसलों पर अपनी चुप्पी साध रखी है, असल में वह अंदर से खुश है; क्योंकि ये फैसले विरोध एवं असंतोष जाहिर करने के जनवादी अधिकारों पर रोक लगाने वाले हैं। बंदों तथा हड़तालों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का फैसला और अभी हाल ही में श्रमिकों तथा कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार पर शीर्ष न्यायालय की ओर से दिया गया फैसला एन. डी. ए सरकार के राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों की जरूरतों के अनुरुप माना जाता है।

9.5 उच्चतम न्यायालय की ओर से हड़ताल के अधिकार पर फैसला दिये जाने से पहले भी वाजपेयी ने अपने कोरिया दौरे के समय राज्य के ट्रेड यूनियन कल्चर को खुल कर कोसा था, उस समय वह भूमण्डलीय निवेशकों की एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। हड़ताल के अधिकार के मामले में उच्चतम न्यायालय की ओर से जो फैसला दिया गया था, उसके बुरे असर को दूर करने के लिये श्रमिक संघों ने सरकार से उचित कदम उठाने की मांग की थी किन्तु वाजपेयी सरकार ने उसे अनसुना कर दिया है । यह बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।

9.6 वाजपेयी सरकार ने इसके साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से लाए गए महिला आरक्षण विधेयक को भी ठण्डे बस्ते में डाल रखा है; वामपक्षी दल तथा कांग्रेस पार्टी की ओर से समर्थन किये जाने पर भी वह इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।

9.7 उच्चतम न्यायालय का फैसला आ जाने पर भी जिसमें उसने हड़ताल करने के श्रमिकों के अधिकार पर अपना फतवा दे डाला था, सी आइ टी यू ने तत्काल और पूरे साहस के साथ कहा था कि यह केवल श्रमिकों पर ही हमला नहीं है बल्कि जन साधारण के जनवादी अधिकारों पर ही हमला है। तमिलनाडु विधान सभा की ओर से मीडिया के लोगों को कैद की सजा सुनाए जाने के बाद नाटकीय घटनाएं घटी हैं; सजा पाने वालों में एक राष्टीय दैनिक 'द हिन्दु' के पत्रकार भी शामिल हैं; इसके लिये विधान सभा के विशेषाधिकारों के हनन का वावेला मचाया गया था; इसके चलते हमारी शंकाएं सत्य सिद्ध हो जाती हैं, इसमें संदेह नहीं । श्रमिक वर्ग ने एक तानाशाही सत्ता के पैशाचिक कदम के खिलाफ अपने विरोध का इजहार करने वाले मीडिया के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए तमिलनाडु तथा देश के दूसरे भागों में आगे बढ़ कर प्रेस की आजादी के लिये चल रहे इस संघर्ष में भाग लिया था।

9.8 जनवादी अधिकारों तथा नागरिक स्वतंत्रताओं पर हमलों के खिलाफ श्रमिक संगठनों तथा मेहनतकश अवाम की दूसरी श्रेणियों को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा, यह संघर्ष और तेज करना होगा और इसे नयी बुलंदियों तक ले जाना होगा।

10. तमिलनाडु की हड़ताल तथा उच्चतम न्यायालय का फैसला

10.1 इस अवधि में श्रमिक आंदोलन पर अभूतपूर्व हमला किया गया। तमिलनाडु के 13 लाख सरकारी कर्मचारियों तथा शिक्षकों ने 2 जुलाई से अनिश्चितकाल की हड़ताल शुरू की थी, राज्य की जय ललिता सरकार ने हड़ताल का दमन करने के लिये बर्बर कार्रवाईयों का सहारा लिया और इस दौरान राज्य आतंक का खुला दौर देखने को मिला।

10.2 तमिलनाडु सरकार ने हड़ताल का दमन करने के लिये एक पैशाचिक कानून का सहारा लिया। तमिलनाडु के अनिवार्य सेवाओं सम्बन्धी अधिनियम (तेस्मा) 2002 को लागू किया गया। उसके कठोर प्रावधानों का सहारा लेकर 30 जून को आधी रात के समय सरकारी कर्मचारियों तथा शिक्षकों के 2300 से अधिक नेताओं को पकड़ लिया गया। ये कर्मचारी श्रम शक्ति का आकार कम किये जाने तथा पेन्शन एवं दूसरे सेवा लाभों में जबरदस्त कटौती किये जाने के

खिलाफ अपना रोष व्यक्त कर रहे थे। इसके बाद सरकार ने एक नया अध्यादेश लागू किया जिसके अन्तर्गत उसे अन्धी शक्तियां मिल गईं और 1.7 लाख कर्मचारियों को पूर्व सूचना दिये बिना ही उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर देने का सर्वोच्च अधिकार उसने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार तमिलनाडु में तानाशाही शासन का पूरा दौर चला। सी आइ टी यू की तमिलनाडु राज्य समिति को इस असाधारण स्थिति में दखल देना पड़ा; उसने पीड़ित कर्मचारियों के हित में हड़ताली कर्मचारियों के नेताओं की एक श्रेणी की ओर से चलाई जा रही अदालती लड़ाई में भाग लिया।

10.3 यही वह पृष्ठभूमि थी जिसमें तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला दिया; यह फैसला एक ब्रजपात था, कहने की आवश्यकता नहीं। यह फैसला देश के श्रमिकों को उनके बुनियादी जनवादी अधिकार से वंचित करने वाला था। उच्चतम न्यायालय ने हड़ताल शब्द की व्याख्या उस हथियार के रूप में की 'जिसका सर्वाधिक दुरुपयोग' होता है और उसने घोषणा कर दी कि सरकारी कर्मचारियों को 'हड़ताल करने का कोई मौलिक, कानूनी, उचित अथवा नैतिक अधिकार नहीं है'। सीधे अर्थों मे अदालत का यह फैसला देश के सभी श्रमिकों के हड़ताल करने के अधिकार को ही एक सिरे से खारिज कर देने वाला था।

10.4 उच्चतम न्यायालय का यह फैसला श्रमिक वर्ग तथा उसके संगठन पर एक नये हमले के महत्व को दर्शाता है। उच्चतम न्यायालय ने जो उद्घोषणाएं की हैं वे एक प्रकार से 'हायर एण्ड फायर' जैसे पैशाचिक सिद्धांत के अनुकूल हैं जिसके लिये सेवा योजकों अथवा मालिकों की श्रेणी जोर जोर से दुहाई दे रही है। शीर्ष अदालत की ओर से हड़ताल के अधिकार से ही इन्कार करना नागरिक स्वतंत्रताओं पर हमला है। यह न केवल श्रमिक संगठनों तथा श्रमिकों के अधिकारों बल्कि जनवादी अधिकारों तथा संस्थानों के लिये भी अनिष्टकारी है। हमें गम्भीरता के साथ इस चुनौती को न केवल स्वीकार करना होगा बल्कि इसका मुकाबिला भी करना होगा।

10.5 सी आइ टी यू ने अपनी पूरी शक्ति के साथ उच्चतम न्यायालय के फैसलों का विरोध किया है और उसने घोषणा की है कि श्रमिक अपने जनवादी अधिकारों के मामले में कोई दखल सहन नहीं करेंगे और हड़ताल करने के अपने अधिकार का प्रयोग वे जम कर करेंगे; सी आइ टी यू चुपचाप बैठा नहीं रहेगा; वह उनके अधिकारेां पर हो रहे हमलों का कड़ा प्रतिकार करेगा । पूरे श्रमिक आंदोलन के साथ-साथ अटार्नी जनरल, अनेक पूर्व न्यायाधीशों अग्रणी अधिवेताओं (वकीलों) ने एक स्वर में शीर्ष अदालत के इस फैसले की जोरदार शब्दों में निंदा की है; उन्होंने इस फैसले के औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया है। इस सम्बन्ध में सितम्बर महीने में नयी दिल्ली में दो राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया था; एक सम्मेलन केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से तथा दूसरा सम्मेलन राज्य एवं केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संगठनों की ओर से आयोजित किया गया। दोनों सम्मेलनों ने भारत सरकार से मांग की थी कि वह उच्चतम न्यायालय के फैसले के दुष्प्रभावों को निष्प्रभावी बनाने के लिये जरूरी कदम उठाए। देश के पूरे श्रमिक आंदोलन की ओर से हड़तालें तथा संघर्ष की दूसरी जोरदार कार्रवाईयां करके इस मांग के लिये जबरदस्त अभियान चलाया जा रहा है। हड़ताल करने के श्रमिक वर्ग के अभिन्न अधिकार की हिफाजत करने के लिये सी आइ टी यू को अधिक से अधिक पहलकदमियां करके संघर्ष के इन कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाना होगा।

11. दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं

11.1 इस अवधि में जम्मू एवं कश्मीर में अनुकूल स्थिति उत्पन्न हुई है; राज्य में चुनावों के पश्चात् पी. डी. पी-कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आया है । इसके फलस्वरूप जनवादी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये अनुकूल वातावरण पैदा हुआ है। फिर भी वे शक्तियां जो नहीं चाहतीं कि राज्य में जनवादी प्रक्रिया चले, निर्दोष लोगों पर प्राणघातक हमले कर रही हैं। जम्मू एवं कश्मीर में ये दूसरी प्रकार की घटनाएं भी हो रही हैं।

11.2 त्रिपुरा में भी आतंकवादी हमलों का दौर चल रहा है; इस वर्ष 14 अगस्त को हुए नर संहार में अनेक लोगों की जानें चली गईं। राज्य में कांग्रेस-आइ एन पी टी गठबंधन आतंकवादियों की पीठ पर है; यह दुर्भाग्य का विषय है। केन्द्रीय सरकार भी आतंकवादी हिंसा पर काबू पाने तथा उसका मुकाबिला करने के लिये वाम मोर्चा सरकार को पर्याप्त

सहायता नहीं दे रही है।

11.3 देश के दूसरे भागों में भी विभाजक शक्तियां अपने हिंसक हमलों में तेजी ला रही हैं। असम तथा सम्पूर्ण उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में उग्रवादी हिंसा बेरोकटोक चल रही है।

11.4 मुम्बई में भयानक बम विस्फोट, गुजरात में अक्षरधाम मन्दिर पर हमला, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्र बाबू नायडू पर जानलेवा हमला, हरियाणा के झझर में दलितों की जघन्य हत्या तथा इसी प्रकार की दूसरी अनेक भयावह घटनाएं सभी विभाजक, चरमपंथी तथा समाज विरोधी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष तथा लोगों की एकता की रक्षा करने की जरूरत को दर्शाती हैं।

11.5 उत्तर प्रदेश में विधान सभा के पिछले चुनावों के पश्चात् बी एस पी तथा बी जे पी का अवसरवादी गठबंधन सत्ता में आया था । भाजपा की ओर से पागलपन की हद तक जाकर प्रयास करने तथा राज्य एवं केन्द्रीय सरकारों की पूरी मशीनरी का दुरुपयोग किये जाने पर भी यह गठबंधन चल नहीं सका; आखिरकार यह सिद्धांतहीन गठबंधन अपने जन्मजात विरोधाभासों के कारण दम तोड़ ही गया । भाजपा के लिये यह एक बहुत बड़ा धक्का है, इसमें संदेह नहीं। नयी सरकार ने सत्ता सम्हाल ली है, उसे भी उन भयावह चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो उसके सामने मुंह बांए खड़ी हैं।

11.6 इस अवधि में एक नयी घटना घटी है; हमारी न्यायपालिका जरूरत से ज्यादा गतिशील हो गई है; इसे 'न्यायपालिका की गतिशीलता अथवा सक्रियतावाद' का नाम दिया जा रहा है । देश के वर्तमान परिदृश्य में इसका दोहरा दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। जहां कार्यपालिका के कारनामों से पीड़ित लोग अपनी शिकायतें दूर कराने के लिये न्यायपालिका के पास दौड़े जाते हैं और उससे दखल देने की मांग करते हैं वहीं अदालतों की ओर से हाल ही में दिये गए कुछेक फैसले लोगों के लिये एक जनवादी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से मेल नहीं खाते।

11.7 श्रमिक वर्ग को हड़ताल करने का अधिकार है; इसमें न्यायपालिका के हस्तक्षेप को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता; इस बात का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं । रांची उच्च न्यायालय ने हाल ही में बोकारो के इस्पात श्रमिकों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे डाला था । मेघालय सरकार एक ऐसा अध्यादेश लेकर आई जिसके द्वारा उसने न केवल राज्य में छात्रों के हड़ताल करने पर पाबंदी लगा दी बल्कि मीडिया पर भी हड़ताल की खबरें देने पर प्रविबंध लगा दिया था । इस प्रकार उसने प्रेस की स्वतंत्रता का ही हनन कर डाला । न्यायपालिका ने देश के विभिन्न भागों में लाखों श्रमिकों को विस्थापित करके उनके काम तथा आजीविका पर भी गहरा दुष्प्रभाव डाला है; इसका प्रमाण महानगरों में देखने को मिल जाएगा जहां प्रदूषण को नियंत्रित करने के नाम पर उसने थोक के भाव औद्योगिक इकाईयों को बंद करने का आदेश दे दिया था । शीर्ष न्यायालय ने एयर इंडिया के मामले में खुद अपने ही पिछले आदेश को बदल डाला था, इसके दुष्परिणामस्वरूप देश में ठेका मजदूरों पर बुरा प्रभाव पड़ा था। केरल उच्च न्यायालय ने बंदों तथा हड़तालों के खिलाफ फैसला दिया जिसे उच्चतम न्यायालय ने बनाए रखा था; शीर्ष अदालत ने पूरे तमिलनाडु में प्रदर्शन करने तथा रैलियां निकालने पर पाबंदी लगा दी; कोलकाता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने आदेश जारी करके शहर में सभी कामकाजी दिवसों में सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक जलसे करने तथा जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी थी । न्यायपालिका की ओर से इस प्रकार की दखलंदाजी करना क्या दर्शाता है ? वह लोगों के बुनियादी जनवादी अधिकारों की रक्षा करने की बजाए उदारीकरण की प्रक्रिया को ही सहज बनाना चाहती है।

11.8 अपराधीकरण बढ़ता चला जा रहा है; इसके दुष्परिणामस्वरूप हमारे समाज तथा राजतंत्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ चुका है; देश के जनवादी एवं श्रमिक आंदोलन पर भी इसका विनाशकारी असर पड़ा है। बेरोजगार नौजवानों की विशाल सेना सहज में ही इन अपराधी एवं समाज विरोधी तत्वों के हत्थे चढ़ जाती है।

11.9 तमिलनाडु में जय ललिता सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून भी बनाया था; यह कानून सबसे अधिक प्रतिगामी

है विशेष रूप से आक्रमक साम्प्रदायिक शक्तियों की ओर से पैदा की गई वर्तमान उत्तेजक परिस्थितियों में; उच्चतम न्यायालय की ओर से कठोर जमीनी वास्तविकताओं को समझे बिना ही एक और फैसला दे दिया गया; उसने यह फैसला समान नागरिक संहिता के पक्ष में दिया था; जाहिर है, उसका यह फैसला ठीक दिशा में नहीं लिया गया था।

12. श्रमिक अधिकारों पर हमले

12.1 इस अवधि में भारत सरकार की ओर से श्रमिक संघों तथा श्रमिक अधिकारों पर गम्भीर हमले किये गए। वास्तव में, दूसरी पीढ़ी के तथा कथित सुधारों के नाम पर यह सब किया जा रहा है और सरकार की अपनी योजना भी तो श्रम अधिकारों को पूरी तरह समाप्त करना तथा श्रमिकों को गुलामी जैसी हालतों में धकेल देना ही है।

12.2 रवीन्द्र वर्मा की अध्यक्षता वाले द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट 29 जून, 2002 वाले दिन प्रधानमंत्री को भेंट की गई थी। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा करने में कोई देर नहीं लगाई थी कि उनकी सरकार अपनी पूरी शक्ति के साथ श्रम सुधारों की कार्यसूची का पालन करेगी और श्रम आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी। उन्होंने 'अराजक श्रम कानूनों' को बदल डालने के अपनी सरकार के दृढ़ निश्चय को भी दोहराया।

12.3 सार रूप में यह रिपोर्ट श्रमिकों के अधिकारों पर हमलों की वकालत ही करती है और अलोकतांत्रिक है। यह रिपोर्ट संगठन बनाने, सामूहिक सौदेबाजी करने और आंदोलन करने के श्रमिकों के अधिकारों पर थोक के भाव किये जाने वाले हमलों के कच्चे चिट्ठे की प्रस्तावना है। सी आइ टी यू ने इस विषय पर अलग से एक पुस्तिका का प्रकाशन किया था जिसमें आयोग की रिपोर्ट की ठोस आलोचना की गई थी; उसने रिपोर्ट की श्रमिक विरोधी सिफारिशों के खिलाफ देश व्यापी अभियान भी चलाया था। याद रहे, एन डी ए सरकार पहले ही इस दिशा में अपना काम शुरू कर चुकी है; वह औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) के संरक्षणकारी प्रावधानों को समाप्त करके श्रम आयोग की श्रमिक विरोधी सिफारिशों को कानून के रूप में बदल देने की कोशिश कर रही है।

12.4 सरकार ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट को भारतीय श्रम सम्मेलन के 38वें सत्र की कार्यसूची में शामिल कर दिया था; इस सत्र का आयोजन 28-29 सितम्बर, 2003 को हुआ था। सरकार इस त्रिपक्षीय मंच से हरी झण्डी लेना चाहती थी ताकि वह द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिये आगे बढ़ सके। सी आइ टी यू ने सरकार की इस कार्रवाई का विरोध किया था।

12.5 प्रधानमंत्री ने भारतीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन करते समय दावा किया था कि 'सरकार की ओर से विचारे गए श्रम सुधारों के लिये व्यापक बल दिये जाने' की भावना का रिपोर्ट में अनुमोदन किया गया था। उन्होंने कहा था: 'सरकार इस समय आयोग की सिफारिशों का अध्ययन कर रही है और उसके बाद ही वह उस पर समुचित कार्रवाई करेगी । उन्होंने श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों से भी अपील की थी कि वे श्रम सुधारों पर सरकार की कार्यसूची का समर्थन करें।

12.6 सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने सरकार की इस एकतरफा कार्रवाई का विरोध किया था, किन्तु सरकार आयोग की रिपोर्ट को लागू करने पर तुली हुई थी, वह कुछ जल्दबाजी में यह काम करना चाहती थी । सरकार को मजबूर किया गया कि वह इस मामले में श्रमिक संगठनों के साथ विचार विमर्श करें।

12.7 सरकान ने विचार विमर्श करने का वादा तो कर दिया किन्तु उसका यह वादा बस वादा ही रहा । उसने इसे पूरा नहीं किया । वी वी गिरी राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान के तत्वाधान में कुछ त्रिपक्षीय बैठकों तथा संगोष्ठियों का आयोजन जरूर किया गया जिसमें केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से गम्भीर आपत्तियां किये जाने पर भी सरकार ने झूठी आम सहमति बनाने का प्रयास किया।

12.8 इसी दौरान श्रम मंत्री ने मीडिया के सामने स्वीकार किया कि मंत्रियों के दल ने औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है जिसके अन्तर्गत छंटनियों, ले आफ अर्थात जबरी छुट्टी तथा कामबंदियों के आड़े आने वाली सभी रुकावटों को दूर कर दिया जाएगा और मालिकों के लिये पूर्ण स्वतंत्रता को यकीनी बनाया जाएगा, वे बिना किसी भय के 'हायर एण्ड फायर' की सत्ता का स्वाद चख सकेंगे। मंत्रियों के उस दल ने ही जल्दबाजी से काम लेते हुए संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम में संशाधनों के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया, ताकि उसे संपूर्ण श्रम शक्ति का मुकम्मल तौर पर संविदाकरण करने में सहायता मिल सके। ये दोनों संशोधन विधेयक संसद में पेश किये जाने हैं।

12.9 उदारीकरण की प्रकिया शुरू होने के बाद की अवधि में केन्द्र तथा अधिकांश राज्यों-दोनों में श्रम विभाग तथा कानून लागू करने वाले तंत्र सरकार का राग अलाप रहे हैं; यह राग क्या है-सेवायोजकों अथवा मालिकों को बिना किसी भय के श्रम कानूनों को पावों तले रौंद डालने की आजादी होनी चाहिये; उसके लिये किसी प्रकार का निरीक्षण अथवा इंस्पेक्शन नहीं होना चाहिये; श्रमिकों की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिये, शिकायत करने के लिये उन्हें हतोत्साहित किया जाना चाहिये, उस पर समझौता वार्ता एवं समझौता करने की प्रकिया में देरी करनी चाहिये।

12.10 भारत सरकार ने 29-7-2003 को कारखाना विधेयक (संशोधन) 2003 लोक सभा में पेश किया था; उसका उद्देश्य था कारखाना अधिनियम ,1948 की धारा 66 में संशोधन करके रात्रि पाली के लिये महिलाओं को काम पर रखना आसान बना दिया जाए। केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने पूरे जोर के साथ इसका विरोध किया था और इस विषय पर किसी भी त्रिपक्षीय निकाय में आम सहमति नहीं बन पाई थी।

12.11 ' निर्धारित अवधि के रोजगार सम्बन्धी श्रमिक' के एक नये वर्गीकरण के शुरू करने के उद्देश्य से सरकार की ओर से अलग से एक और कोशिश की गई। उसने एक अधिसूचना जारी की जिस में औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम,1946 में संशोधन लाने के लिये एक प्रस्ताव शामिल किया गया था।

12.12 ' असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम स्तर तक संरक्षण प्रदान करने के लिये ये छाता कानून के नाम पर' श्रम मंत्रालय की ओर से एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया और उसका परिपत्र भेजा गया। यह अधिकार अंशदायी सामाजिक सुरक्षा के प्रशासन कार्यों के लिये कल्याण निकायों का एक ढांचा उपलब्ध कराने तक ही सीमित रहा है और कल्याणकारी कदमों की रूप रेखा बाद में तैयार की जाएगी; यह काम श्रमिकों के लिये रोजगार की सुरक्षा तथा न्यूनतम वेतन इत्यादि का प्रावधान किये बिना ही किया गया। उप प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के दल की ओर से इसे स्वीकृति दे दिये जाने के बाद सरकार यह विधेयक संसद में पेश करने के लिये आवश्यक कार्रवाई कर रही है; विधेयक के इस प्रारूप में सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा विचार विमर्श किये जाने की प्रकिया के विभिन्न चरणों में सर्वसम्मति से दिये गए सुझावों को जोड़ा ही नहीं गया। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये संरक्षणात्मक कानून बनाने का दावा करके सरकार केवल राजनितिक लाभ ही लेना चाहती है; उसकी आंख आने वाले चुनावों पर है; उसका उद्देश्य केवल इतना ही है।

12.13 यदि श्रमिक संगठनों की ओर से विरोध किये जाने पर भी भारत सरकार एकतरफा कार्रवाई करके श्रम कानूनों में संशोधन करने की दिशा में आगे बढ़ती है तो देश भर में संयुक्त श्रमिक आंदोलन की ओर से उसका जोरदार प्रतिरोध किया जाना बहुत जरूरी है।

12.14 सामाजिक सुरक्षा पर हमलेः एन डी ए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की मौजूदा व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाईयां शुरू कर दी है, जबकि श्रम शक्ति की विशाल श्रेणियां इस समय चल रही औपचारिक योजनाओं से ही लाभ नहीं उठा पा रहीं, उनके लिये सामाजिक सुरक्षा का कवच उपलब्ध कराना बहुत ही जरूरी है ।

12.15 बीमा क्षेत्र के किवाड़ों को खोले जाने के इस युग में जब निजी बीमा कम्पनियों को हरी झण्डी दिखाई जा

रही है; सरकार पेन्शन क्षेत्र के सुधारों के नाम पर 'परिभाषित अंशदानों' की अवधारणा के स्थान पर 'परिभाषित लाभों' की अवधारणा के अनुसार काम करने का मन बना चुकी है । व्यक्तिगत एवं सामाजिक बीमा योजनाओं को सामाजिक सहायता की योजनाओं से निकाला जा रहा है । ये सभी कार्रवाईयां केवल वित्तीय एवं वित्तीय नीति की चिंताओं को ध्यान में रख कर ही की जा रही हैं। एन डी ए सरकार ने इन्हीं नीतियों के अनुसार एक नयी योजना की घोषणा पहले ही कर रखी है; सरकारी सेवाओं में भर्ती होने वाले नये लोगों को इस नयी योजना के अन्तर्गत लाया जाएगा।

12.16 भारतीय श्रम सम्मेलन के पिछले सत्र में भी भारत सरकार ने 'सामाजिक सुरक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी को किस सीमा तक परस्पर मिलाया जा सकता है', का पता लगाने के विचार को आगे बढ़ाया था।

12.17 यह बहुत ही खतरनाक एवं हानिकारक कार्रवाई है, क्योंकि निजी क्षेत्र उसी स्थिति में सामाजिक सुरक्षा की कार्रवाई में भाग लेना चाहेगा जब उसे निजी पेन्शन निधि की विशाल धन राशि दिखाई देगी; यह धन जुटाया जा सकता है और यह धन देश में एक्विटी बाजार में झोंक दिया जाएगा।

12.18 उदारीकरण के इन वर्षों में सामाजिक सुरक्षा की वर्तमान योजनाओं की हालत बद से बदतर हो चुकी है।

12.19 कर्मचारी भविष्य निधि की सदस्यता का त्याग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। वर्ष 1995-96 में सदस्यता छोड़ने वाले लोगों की संख्या 12,24,568 थी, यह संख्या 2001-02 में बढ़ कर 20,28,866 हो गई थी; इन वर्षों में सदस्यता छोड़ने वाले लोगों की कुल संख्या 1,15,86,627 तक पहुंच चुकी थी। वर्ष 1995 से कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों की संख्या का आंकड़ा बहुत विशाल था अर्थात् यह एक करोड़ से अधिक थी; किन्तु पेन्शन के विभिन्न वर्गीकरणों के अन्तर्गत कर्मचारी पेन्शन योजना से लाभ लेने वाले कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों की कुल संख्या 9,33,561 थी; यह स्थिति 31मार्च, 2002 की थी। इनमें बाल पेन्शन से सम्बन्ध रखने वाले मामले शामिल नहीं हैं क्योंकि वर्तमान में पेन्शन का यह लाभ केवल आश्रित पेन्शन के रूप में उपलब्ध है।

12.20 चूककर्ता सेवा योजकों की कोताही के चलते भविष्य निधि के बकाया संचित धन का कोष बढ़ता चला गया है; सेवा योजक अपने अंशदान जमा नहीं कराते जो इस अधिनियम के अन्तर्गत जरूरी है; संचित कोष वर्षों से बढ़ता चला गया है । वर्ष 2001-02 के अंत में संचित कोष की स्थिति इस प्रकार थी:

छूट प्राप्त क्षेत्र	953.04 करोड़ रुपये
गैर छूट प्राप्त क्षेत्र	383.20 करोड़ रुपये
कुल	573.18 करोड़ रुपये

गैर छूट प्राप्त क्षेत्र की 71.23 प्रतिशत राशि और छूट प्राप्त क्षेत्र की 92.48 प्रतिशत राशि की वसूली नहीं हो सकती, ऐसा माना जाता है।

12.21 वर्तमान में व्याप्त स्थिति का रहस्योद्घाटन आघातपूर्ण है; कम्प्यूटर द्वारा सत्यापित उपक्रमों तथा सदस्यता का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रशासन की ओर से किया जाता है; उसने दर्ज किया है कि कुल उपक्रमों में से 46.12 प्रतिशत उपक्रम वैसे थे जहां यह योजना ही लागू नहीं थी (इन उपक्रमों में एक भी सदस्य ऐसा नहीं था जिसके खाते में राशि बकाया हो) और ई पी एफ की कुल सदस्यता का 32.40 प्रतिशत भाग अंशदान नहीं देने वाले सदस्यों का था (उनके मामलों में कोई अंशदान लिया नहीं गया; हां, पिछले तीन वर्षों में एक बार भी नहीं) और 14.84 प्रतिशत सदस्य जो कभी थे ही नहीं (उनके मामलों में एक बार भी अंशदान लिया नहीं गया)।

12.22 यद्यपि ओएसिस परियोजना समिति की सिफारिशों को कर्मचारी भविष्य निधि न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड ने

सर्वसम्मति से ठुकरा दी थीं इस पर भी भारत सरकार उन्हें लागू करने के लिये जोरदार कदम उठा रही है । उन्हीं सिफारिशों को बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नाम पर नये रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है ।

12.23 वर्ष 1989-90 से कर्मचारी भविष्य निधि में जमा राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज दिया जाता था । किन्तु वर्ष 2001-02 से सरकार प्रत्येक वर्ष ब्याज दरों में कटौती करती चली आ रही है; इसे 12 प्रतिशत से कम करके 8 प्रतिशत तक ले आया गया है; यद्यपि वर्तमान वर्ष में ब्याज दरों को 9.5 प्रतिशत से कम करके 8 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है।

12.24 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पहले ही मौजूदा कर्मचारी पेन्शन योजना, 1995 के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों में जबरदस्त कटौती किये जाने का प्रस्ताव पहले ही ला चुका है; इसके लिये उसने तर्क दिया है कि क्योंकि पेन्शन निधि में धन कम जमा हो रहा है इसलिये उसका ब्याज भी कम होना चाहिये। भारत सरकार ने उन सिफारिशों को लागू करने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की है जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में लाभदायक संशोधन लाने के लिये कहा गया था । कर्मचारी पेन्शन योजना, 1995 के अन्तर्गत अंतिम वार्षिक मूल्यांकन 31 मार्च, 2000 को कराया गया था । अब तक कुल चार मूल्यांकन किये जा चुके हैं; उनका परिणाम चार वर्षों के लिये पेन्शन राशि पर केवल 4 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी के रूप में निकला था। तीन और मूल्यांकन किये जाने अभी शेष हैं, उन्हें कराया नहीं गया है।

12.25 उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में पेन्शन के एक मामले में अपने फैसले की घोषणा की थी जिसमें उसने कर्मचारी पेन्शन योजना, 1995 को बनाए रखा है। देश के श्रमिक वर्ग पर इसका गहरा एवं विषम दुष्प्रभाव पड़ेगा ।

12.26 कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 लाभदायक संशोधन करने के लिये की गई सिफारिशों पर भारत सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

12.27 कर्मचारी राज्य बीमा निगम में श्रमिकों के पक्ष की ओर से उन श्रमिकों के लिये जो वी आर एस ले रहे हैं, स्वस्थ्य की देखभाल जैसे उठाए जाने वाले मुद्दों पर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया । यहां पर भी ई एस आइ औषधालयों का निजीकरण कर देने और इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली सेवाओं को बंद करके मौजूदा लाभों में कटौती किये जाने की कोशिशें चल रही हैं।

12.28 ई पी एफ ओ तथा ई एस आइ की इन योजनाओं का संचालन करने वाले प्रशासन को इसका जबरदस्त खमियाजा भुगतना पड़ा है क्योंकि इन्हें लागू करने के मामले में ढिलाई से काम लिया गया था । इस योजना पर स्वेच्छा से अमल हो, इसी लिये यह ढिलाई बरती जा रही है; इन महानुभावों ने कितना अद्भुत तर्क दिया गया था।

12.29 हमने इस महाधिवेशन में इस विषय पर कमिशन में अलग से बहस कराने की योजना बनाई है ताकि हम सब के लिये न्यायोचित सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार पर दबाव डालने के लिये जबरदस्त आंदोलन चला सकें।

13. त्रिपक्षवाद के लोकाचार में गिरावट

13.1 इन वर्षों में एन डी ए सरकार के शासनकाल में त्रिपक्षीय विचार विमर्श की प्रक्रिया को जबरदस्त आघात पहुंचा है।

13.2 अनेक त्रिपक्षीय समितियों का पुनर्गठन नहीं किया गया और जिन समितियों का गठन किया भी गया है, उनकी

बैठकें भी नियमित रूप से कराई नहीं जातीं। भारतीय श्रम सम्मेलन स्थाई श्रम समिति जैसे शीर्ष त्रिपक्षीय निकायों की कार्रवाई चलाने के मामले में गम्भीरता का अभाव वर्तमान शासन व्यवस्था के अन्तर्गत त्रिपक्षवाद में आ चुकी गिरावट के रूप में प्रतिबिम्बित हुआ है ।

13.3 भारतीय श्रम सम्मेलन की पिछली बैठक में लिये गए निर्णयों पर क्या कार्रवाई की गई; इसे उसकी रिपोर्ट में जोड़ना होता है; यह आइ एल ओ की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची का एक भाग होता है और लम्बे समय से इसका पालन किया जाता रहा है; किन्तु सरकार ने इस पुरानी परिपाटी को तिलांजलि दे दी है । मई 2001 में आयोजित आइ एल सी के 37वें सत्र के समय तक इस परिपाटी को बनाए रखा गया था; सितम्बर 2002 में आयोजित आइ एल सी के 38वें सत्र के समय इसका पालन नहीं किया गया और यही बात 2003 में आइ एल सी के 39वें सत्र के समय भी हुई है।

13.4 निकट अतीत में अयोजित अनेक त्रिपक्षीय बैठकों में भाग लेते समय सी आइ टी यू ने इसकी कड़ी आलोचना की है; उसका कहना था कि इन त्रिपक्षीय निकायों की बैठकों को महज गप्पबाजी करने का अड्डा बना कर रख दिया गया है; दूसरे शब्दों में बैठक करने के बहाने आओ और गप्प गोष्ठी करके चलते बनो। उसने सरकार से भारतीय श्रम सम्मेलन की गरिमा को बहाल करने की अपील की है। किन्तु इस सम्बन्ध में भारत सरकार का रुख लगातार लापरवाही वाला रहा है, इसलिये इनमें और गिरावट आ गई है ।

13.5 यद्यपि पिछले तीन वर्षों में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठकों का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था किन्तु उन्होंने सदा श्रमिक संगठनों से यही अनुरोध किया कि वे खुद को भूमण्डलीयकरण एवं उदारीकरण की सरकार की नीतियों के अनुरूप ढालें । उन्होंने उन अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट करने की जरूरत महसूस नहीं की जिन्हें केन्द्रीय श्रमिक संगठन उठाते रहे हैं । इन मुद्दों के चलते देश भर के श्रमिकों में जबरदस्त असंतोष पैदा हो रहा है ।

13.6 त्रिपक्षीय समितियों में केन्द्रीय श्रमिक संगठनों को सीटों का आबंटन करने के मामले में श्रम मंत्रालय मनमौजीपना दिखाता रहा है ।

13.7 श्रम मंत्रालय वर्ष 1999 के दौरान केन्द्रीय श्रमिक संगठनों को सीटों का आबंटन करने अथवा उन्हें प्रतिनिधित्व देने के मामले में एक प्रस्ताव लाया था जिसमें उनकी अंतिम सत्यापित सदस्य संख्या (जो 31-12-1989 को थी) के अनुसार प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी । किन्तु श्रम मंत्रालय ने शायद ही कभी इसका पालन किया हो, यदि वह इसका पालन करता तो बी एम एस के साथ विशेष रू-रियायत करने जैसी कार्रवाईयां वह कैसे कर सकता था, जो संघ परिवार का ही एक घटक संगठन है ।

13.8 सी आइ टी यू की ओर से इस मामले में श्रम मंत्रालय को अनेक ज्ञापन भेजे जा चुके हैं; उसकी ओर से मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाया गया कि किस प्रकार अनुचित ढंग से कर्मचारी भविष्य निधि कोष न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड में बी एम एस तथा इंटक को तीन-तीन सीटें दी गई कर्मचारी राज्य बीमा निगम बी एम एस को चार तथा इंटक को दो सीटें दी गई हैं । सी आइ टी यू को केवल एक सीट का आबंटन किया गया जबकि वह इन दोनों निकायों में प्रतिनिधित्व करने के लिये दो-दो सीटों की हकदार है।

13.9 क्षेत्रीय स्तरों पर भी ई पी एफ एवं ई एस आइ सी की समितियों में बी एम एस के अनेक प्रतिनिधि भरे पड़े हैं । सी आइ टी यू तथा दूसरे केन्द्रीय श्रमिक संगठनों उनमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया; उन क्षेत्रों में भी उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया जहां अनेक वर्षों से उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त था।

13.10 इस प्रकार उद्योगवार त्रिपक्षीय समितियों में भी श्रम मंत्रालय की ओर से उसी श्रमिक संगठन को प्रतिनिधित्व

दिया गया जो उसकी आंखों का तारा था । उसने उन उद्योगों में विभिन्न श्रमिक संगठनों की सदस्य संख्या अर्थात् सांगठनिक शक्ति की ओर ध्यान देने की आवश्यकता भी महसूस नहीं की। सी आइ टी यू की ओर से एतराज किये जाने पर भी श्रम मंत्रालय ने अपना शर्मनाक पक्षपाती रुख बदला नहीं है। बगीचा, परिवहन एवं जूट जैसे उद्योगों के मामले में भी जहां सी.आइ.टी.यू की सदस्य संख्या सबसे अधिक है, उसे उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। उसके विरोध ा को भी अनसुना कर दिया जाता है।

13.11 सी.आइ.टी.यू और उसके साथ-साथ एटक को भी कर्मचारी भविष्य निधि कोष में पर्याप्त प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया है; उन दोनों को एक अजीबो गरीब प्रस्ताव भेजा गया जिसमें उनसे कहा गया था कि वे एक-एक सीट के लिये जो उन्हें आवंटित की गई है, तीन-तीन नामों के पैनल भेजें और श्रम मंत्रालय उन तीन नामों में से अपनी मर्जी का कोई नाम चुन लेगा। मंत्रालय की इस कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं है; यह तर्कहीन ही नहीं बल्कि जनवादी अधिकारों के विपरीत भी है। किसी भी प्रतिनिधि संगठन को एक त्रिपक्षीय निकाय में अपनी पसंद के प्रतिनिधि का चयन करने जनवादी अधिकार है। इस मामले में बार बार मांग की गई कि सरकार अपने इस तर्कहीन एवं अनुचित रुख को बदले; सी बी टी में सी.आइ.टी.यू तथा एटक के प्रतिनिधित्व को बहाल करे किन्तु इस पर भी श्रम मंत्रालय अपनी जिद छोड़ने के लिये तैयार नहीं है।

14. आर्थिक स्थिति

14.1 भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एन.डी.ए. सरकार के सत्तारूढ़ होने के पश्चात् उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीयकरण की नीतियों को पूरी शक्ति के साथ लागू किये जाने के फलस्वरूप पूरी अर्थ व्यवस्था में स्थापित गिरावट के रुझान का उल्लेख हमने दिसम्बर, 2000 में आयोजित महाधिवेशन की रिपोर्ट में किया था। पिछले तीन वर्षों की अवधि में अर्थ व्यवस्था सर्व व्यापी गिरावट के रुझान की प्रति न केवल त्रैमासिक बन गई है बल्कि इसके चलते समग्र रूप में पूरी अर्थ व्यवस्था में भारी विसंगतियां पैदा हो गई हैं।

14.2 तथापि सरकारी प्रवक्ता ने जोरदार शब्दों में भविष्यवाणी की है कि गिरावट के रुझान के बदलने की सम्भावना है और बहाली का दौर शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्री की ओर से प्रत्येक वर्ष यह बयान दिया जाता रहा है कि 'हम अंधेरी गुफा से बाहर निकलने वाले ही हैं और नया मोड़ काटने जा रहे हैं।' आर्थिक सर्वेक्षणों, भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट जैसे सभी सरकारी प्रकाशनों में वर्ष दर वर्ष इस प्रकार की झूठी भविष्यवाणियां की जाती हैं। लेकिन असलियत तो यह है कि ये सभी भविष्यवाणियां झूठी आशाएं बंधाती हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिये जानबूझ कर झूठ बोला जाता है।

14.3 असल में, उदारीकृत सत्ता के दूसरे दशक के शुरू में ही आर्थिक हालत बद से बदतर होने लगी थी तथा उसमें और अधिक गिरावट आने का संकेत मिल गया था। 1992-2001 के दौरान असल जी डी पी की वार्षिक आनुपातिक वृद्धि दर 6.1प्रतिशत थी। 2001-02 तथा 2002-03 के अगले दो वर्षों में ये दरें पिछले दशक की आनुपातिक दरों से कहीं नीचे अर्थात् 5.7 प्रतिशत तथा 4.3 प्रतिशत रहीं जो यह दर्शाता है कि उनकी गिरावट का रुझान कहीं अधिक तेज होगा। असल में, दसवीं पंच वर्षीय योजना अवधि के पहले वर्ष दसवीं पंच वर्षीय योजना के दस्तावेज में निर्धारित लक्ष्य से लगभग आधी रह गई है। इससे उन योजनाकारों जो 8 प्रतिशत वृद्धि दर का स्वप्न देख रहे हैं, की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन ही होता है। सेक्टरवार वृद्धि दर का भी यही हाल है। पिछले दशक (1992-2000-01) में कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों की वार्षिक वृद्धि दरें क्रमवार 3 प्रतिशत, 6.6 प्रतिशत व 7.7 प्रतिशत रही थीं। पिछले दशक की आनुपातिक दरों के विपरीत वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान उन तीनों क्षेत्रों में ही कमतर वृद्धि का अनुपात देखने को मिला है (कृषि 5.7 प्रतिशत तथा 3.2 प्रतिशत; उद्योग 3.2 प्रतिशत तथा 5.7 प्रतिशत; सेवाएं 6.5 प्रतिशत तथा 7.1 प्रतिशत)। (वार्षिक रिपोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक, 2002-03)।

14.4 इतना सब होने पर भी भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा वार्षिक रिपोर्ट तथा आर्थिक सर्वेक्षण में भी आने वाले वर्षों

में आर्थिक मंदे से उबरने की मनोहारी तस्वीर की कल्पना की गई है। यह अलग बात है कि उन रिपोर्टों में दिये गए आंकड़े भी वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते। सेक्टरवार रुझान दिखा कर भी ये मनोहारी कल्पनाएं जमीनी सच्चाईयों को बदल नहीं सकतीं जैसा कि चालू वित्तीय वर्ष 2003-04 की पहली तिमाही में किया गया था। उसकी वृद्धि दरें पिछले वर्षों की आनुपातिक वृद्धि दरों से कहीं कम हैं। इस प्रकार के गुमराहकुन प्रचार को हवा देने का उद्देश्य लोगों को धोखा देना, उन्हें मूर्ख बनाना और आर्थिक नीति की सत्ता के घोर दिवालियापन पर पर्दा डालना है।

14.5 प्रतिगामी नीतियों तथा उनके विनाशकारी परिणामों के फलस्वरूप लोगों के कष्टों तथा मुसीबतों में अपार वृद्धि हो चुकी है। काम बंदियों तथा औद्योगिक बीमारी के चलते हालत बद से बदतर हो गई है, जन संख्या तथा श्रम शक्ति में वृद्धि की गति मंद होने पर भी बेरोजगारी तथा रोजगारहीनता में चौंका देने वाली सीमा तक बढ़ोतरी हो चुकी है और दरिद्रता ने अपनी जड़ें और गहरी कर ली हैं, यह अत्यंत व्यापक हो गई है जिसके चलते जन साधारण के जीवन की गुणवत्ता में भारी गिरावट आ चुकी है। मानव विकास रिपोर्ट में उल्लेख किया जा चुका है (यू एन डी पी), मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से भारत का स्थान 175 देशों की सूची में पहले 123वां था, वह अब और नीचे सरक कर 127वां हो गया है ।

15. औद्योगिक परिदृश्यः अंधेरा ही अंधेरा

15.1 समीक्षा अवधि (2001-02, 2002-03) में उद्योगों की वार्षिक वृद्धि दर आनुपातिक रूप में 6.6 प्रतिशत के लगभग रही है जो पिछले दशक में अप्रैल 2001 तक की अवधि की वृद्धि दर की तुलना में कहीं नीचे रही है। अलग अलग देखने से हमें स्थिति और भी गम्भीर दिखाई देगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो अर्थ व्यवस्था में उत्पादक क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करता है, में पिछले दशक की इसी अवधि के 7.2 प्रतिशत की तुलना में प्रति वर्ष केवल 4.75 प्रतिशत नीचे गिरी थी। खनन तथा उत्खनन में यह 2001-03 के दौरान आनुपातिक रूप में केवल 3 प्रतिशत रही थी जो 1996 से जारी लगातार गिरावट के रुझान के अनुरूप ही थी। बिजली, गैस तथा पानी की आपूर्ति के मामले में वृद्धि दर आनुपातिक रूप में केवल 4.1 प्रतिशत रही जबकि पिछले दशक में यह 6 प्रतिशत के लगभग थी। निर्माण के क्षेत्र में भी 2000-01 में वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत थी जो उसके अगले वर्ष अर्थात् 2001-02 में नीचे सरक कर 5.4 प्रतिशत रह गई। सेवा क्षेत्र जिसके बारे में सरकार दावा करती है कि वह वृद्धि की चालक शक्ति है, में पिछले दो वर्षों में आनुपातिक वृद्धि दर (6.8%) रही जो पिछले वर्ष की आनुपातिक वृद्धि दर (7.7%) से कहीं नीचे चली गई है।

15.2 अंदरूनी ढांचे से सम्बन्धित उद्योगों के मामले में भी स्थिति उज्जवल नहीं है जबकि सरकार प्रत्येक वर्ष बजट बनाने की कबायद करते समय इसका खूब जोर से शोर मचाती रहती है। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट (2002-03) में उल्लेख किया गया हैः 'ऊर्जा, परिष्कृत इस्पात, कच्चे तेल अथवा पेट्रोलियम, उर्वरकों तथा पेट्रोलियम रिफायनरी उत्पादों के मामले में 2002-03 हमारा कार्य प्रदर्शन निर्धारित लक्ष्य से कहीं नीचे रहा था।' इसी अवधि में विद्युत के क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर 1999-2000 में 7.2 प्रतिशत थी जो 2002-03 में नीचे सरक कर 3.9 प्रतिशत रह गई; इस्पात में यह 15 प्रतिशत से नीचे सरक कर 6.9 प्रतिशत तक पहुंच गई; सीमेंट में 14.3 प्रतिशत से नीचे सरक कर 8.8 प्रतिशत; और पेट्रोलियम रिफायनरी उत्पादों में यह 25.4 प्रतिशत से नीचे सरक कर 4.9 प्रतिशत रह गई। कच्चे तेल अथवा पेट्रोलियम के उत्पादन के मामले में 1999-00 से लेकर 2002-03 तक पिछले चार वर्षों की अवधि में से दो वर्ष पूर्ण गिरावट को दर्शाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष (2003-04) में भी अंदरूनी ढांचागत क्षेत्र ने अपना धूमिल कार्य प्रदर्शन जारी रखा है। अप्रैल-अगस्त (2003-04) की अवधि में अंदरूनी ढांचे से सम्बन्धित सभी उद्योगों के मामले में वृद्धि दरें और नीचे चली गई हैं; इसकी तुलना में पिछले वर्ष (2002-03) की इसी अवधि में प्राप्त की गईं वृद्धि दरें इससे अधिक थीं। अंदरूनी ढांचे से सम्बन्धित सभी छह उद्योगों को एक साथ देखने से पता चलेगा कि ये दरें 7.3 प्रतिशत से नीचे गिरना शुरू हुई थीं और और 3.8 प्रतिशत तक पहुंच गईं; उनका कार्य प्रदर्शन प्रभावहीन रहा है, कहने की आवश्यकता नहीं। अप्रैल-अगस्त 2003-04 के दौरान पेट्रोलियम रिफायनरी उत्पादों के मामले में वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत की तुलना में 5.2 प्रतिशत रही।

कच्चे तेल अथवा पेट्रोलियम के मामले में वृद्धि दर (-)1.9 प्रतिशत रह गई जबकि पिछले वर्ष यह 6.3 प्रतिशत थी; कोयला के क्षेत्र में यह 3.5 प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष 7.6 प्रतिशत थी; विद्युत में यह 2.3 प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष 4.2 प्रतिशत थी; सीमेंट में 4.7 प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष 11.6 प्रतिशत थी; परिष्कृत इस्पात में यह 8.1प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष 11.2 प्रतिशत थी। (द फायनांशल एक्सप्रेस, 23-09-2003)

15.3 उदारीकरण की नीतियां लागू होने के बाद की पूरी अवधि में अंदरूनी ढांचे से सम्बन्धित परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को उत्साहित करने के नाम पर बड़ी उदारता के साथ भारी रियायतें एवं छूटें दी गईं। बहुत समय पहले ही ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में दाखिल होने के लिये निजी क्षेत्र को खुली छुट्टी दे दी गई थी, किन्तु इस पर भी बिजली के उत्पादन में गिरावट आती चली गई है। आसान शर्तों पर धन इकट्ठा करने में सहायता मिले और बांड जारी करने की अनुमति देने के लिये सड़क क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक सहित सभी वित्तीय संस्थानों की ओर से ऋण देने सम्बन्धी शर्तों को नर्म एवं उदार बना दिया गया है। ये सब सुविधाएं एवं छूटें दिये जाने पर भी अंदरूनी ढांचे से सम्बन्धित परियोजनाओं और उनके साथ-साथ अंदरूनी ढांचे का विकास करने के मामले में निजी क्षेत्र के योगदान एवं भागीदारी को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। बिजनस लाइन (19.07.2001) की ओर बताया गया है कि वास्तव में, परियोजनाओं के लिये निजी क्षेत्र के निवेश ने वर्ष 2000-01 में और उसके साथ-साथ 2001-02 के पहले आधे भाग में नकारात्मक वृद्धि दर्ज कराई है। आर बी आइ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है: '2003-04 की पहली तिमाही में अंदरूनी ढांचे की वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की वृद्धि दर की तुलना में अब भी पीछे है।

15.4 यह तथ्य अपने स्थान पर बना हुआ है कि सम्पूर्ण औद्योगिक अर्थ व्यवस्था एक गहरे संकट की दलदल में फंस चुकी है। औद्योगिक बीमारी तथा कामबंदियां के विषाणु बहुत दूर दूर तक फैल चुके हैं और उनके दंशों की सबसे अधिक पीड़ा श्रमिकों को ही झेलनी पड़ रही है। गहरे मंदे के चलते अर्थ व्यवस्था की उत्पादक क्षमता में भारी कमी आई है और उसके साथ-साथ निवेशों को खपाने की उसकी शक्ति भी क्षीण पड़ चुकी है। यह स्थिति केपिटल गुड्स के क्षेत्र तथा सकल घरेलू पूंजी के गठन की वृद्धि के मामले में आ चुकी तीखी गिरावट के रूप में भी प्रतिबिम्बित हुई है। केपिटल गुड्स के उत्पादन के मामले में वृद्धि दर 1999-00 में 6.9 प्रतिशत थी जो 2000-01 में गिरते गिरते 1.8 प्रतिशत तक पहुंच गई। इसके बाद 2001-02 में (-)3.4 प्रतिशत की पूर्ण गिरावट आई और वर्ष 2002-03 में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई; इसका अर्थ है कि वास्तविक अर्थों में वृद्धि की दर 1999-00 से भी कहीं नीचे के स्तर पर रही है । दूसरी ओर, सकल घरेलू पूंजी के गठन की गति तेजी से कम हुई है; यह 1999-00 में जी डी पी के 25 प्रतिशत से कम होकर 2001-02 में 23.7 प्रतिशत तक आ गई है; यह स्थिति निवेशों के मामले में अंधकारमय परिदृश्य को प्रतिबिम्बित करती है। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट (2002-03) में उल्लेख किया गया है: 'निवेश दरों में गिरावट आना अनिवार्य रूप से उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लाने के लिये निवेश की मांग की विफलता को प्रतिबिम्बित करता है।'

15.5 भारतीय रिजर्व बैंक का उपरोक्त कथन उस धारणा को ध्वस्त करता है कि 'संसाधनों की कमी' ही अर्थ व्यवस्था की सभी बीमारियों की जड़ है और नव उदार नीतियां इसका समाधान हैं । वास्तव में स्थिति वैसी नहीं जिसका प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है । नव उदार आर्थिक नीतियां अर्थ व्यवस्था की यह हालत की है; ये उसे विनाश के कागार पर ले आई हैं; संसाधन उपलब्ध होने पर भी अर्थ व्यवस्था उन्हें निवेशों के रूप में खपा नहीं पा रही है । निवेश को खपाने की शक्ति का इतना भारी क्षरण अथवा क्षति और वह भी हमारे जैसी विकासशील अर्थ व्यवस्था में, अर्थ व्यवस्था में दोषपूर्ण नीतियों द्वारा पैदा की गई जबरदस्त विसंगतियों को प्रतिबिम्बित करता है । हालत का बद से बदतर हो जाना बैंकिंग व्यवस्था में पर्याप्त धन होने पर भी वाणिज्यक ऋण लेने वालों की संख्या में तेजी से आ रही गिरावट के रूप में भी प्रतिबिम्बित होता है । बैंकों के कारोबार में भी धीरे-धीरे परिवर्तन आता चला जा रहा है; पहले बैंकों का कारोबार व्यावसायिक एवं वाणिज्य घरानों के साथ होता था, उसकी प्रकृति कारोबारी होती थी किन्तु अब वह सट्टा बाजार की प्रतिभूतियों के कारोबार में लगा हुआ है। वर्ष 2002-03 के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि 2001-02 में सूची दर्ज वाणिज्यक बैंकों के शुद्ध लाभ में 80 प्रतिशत तथा परिचालन लाभ में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है । इसके साथ

ही साथ यह देखा गया है कि 'लाभों में इस प्रकार की वृद्धि प्रमुख रूप में दूसरी आय के बढ़ने विशेष रूप से प्रतिभूतियों के कारोबार से होने वाली आय', के चलते हुई है । इसका कारण यह है कि जमा राशियों में भारी वृद्धि होने पर भी वाणिज्यक एवं औद्योगिक क्षेत्र उनसे पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं लेता है और इसके फलस्वरूप बैंकों के पास चलायमान अथवा चंचल धन का संचय हो रहा है जो कब चला जाएगा, कोई नहीं कह सकता। पिछले वर्ष (2001-02) के आर्थिक सर्वेक्षण में भी बताया गया था कि बैंकिंग गतिविधियों में विसंगतियों के समदर्शी रुझान देखने को मिल रहे हैं क्योंकि 'गैर-खाद्य ऋणों में तीखी गिरावट आई है, आर्थिक मंदे के कारण कारोबारी ऋणों की मांग कमजोर पड़ी है' और 'प्रतिभूतियों के कारोबार में बैंकों के निवेशों में 'जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है,' जो एस एल आर स्तर से कहीं अधिक है।'

15.6 नव उदार नीतियों के कारण अर्थ व्यवस्था में आ चुकी विसंगतियों का एक और पहलू यह है कि सभी सेक्टरों के कार्य प्रदर्शन में गिरावट आने पर भी नैगम घरानों के लाभों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। आर्थिक मंदे का पूरा बोझ श्रमिक वर्ग तथा जन साधारण के कंधों पर डाल दिया गया है । जहां औद्योगिक बीमारी, कामबंदी तथा उसके फलस्वरूप पैदा हुई रोजगारहीनता और आय एवं रोजगार की गुणवत्ता के स्तरों में तीखी गिरावट इत्यादि वे दुष्परिणाम हैं जिन्हें व्यापक स्तर पर जन साधारण को भुगतना पड़ रहा है वहीं बड़े नैगम घरानों का लाभ और भी अधिक से अधिक बढ़ा है । आर बी आइ की वर्ष 2002-03 की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है: 'निजी क्षेत्र के नैगम घरानों की वित्तीय कारगुजारी में लाभकारिता की दशष्टि से पर्याप्त सुधार दिखाई दे रहा है ।' उल्लेखनीय विसंगति आर बी आइ की ओर से कराए गए सर्वेक्षण के परिणामों में देखी जा सकती है; उसने 1236 कम्पनियों का सर्वेक्षण किया था; उनको देखने से पता चलेगा कि इन कम्पनियों की बिक्री में वशद्धि की अपेक्षा उनके लाभों में तेज गति से बढ़ोतरी हुई है और उनके शुद्ध लाभ में (करों का भुगतान करने के बाद) उनकी बिक्री में वृद्धि की दर से दोगुणा बढ़ोतरी हुई है । इसका अर्थ है कि नैगम घरानों का लाभ उत्पादन तथा धन की वशद्धि में उनके योगदान की तुलना में उस अनुपात से नहीं बढ़ा और उन्होंने करों का भुगतान करने के मामले में भी अधिक बचत की है; इसका श्रेय सरकार की ओर से उन पर रियायतों तथा छूटों के रूप में की जा रही अनुकम्पाओं को ही जाता है।

15.7 इसलिये, उदारीकरण के प्रचारकों की ओर से किये जाने वाले लम्बे चौड़े दावों के बावजूद औद्योगिक अर्थ व्यवस्था की बैलेंस शीट विकास दरों में वृद्धि, निवेश तथा रोजगार अवसरों की उपलब्धता में चहुंमुखी गिरावट को दर्शाती है; इसके विपरीत कारोबारी घरानों को दी गई छूटों एवं रियायतों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है; कार्पोरेट लाबी देशी तथा विदेशी दोनों के लाभ बढ़ते ही चले जा रहे हैं । ये तथ्य सरकार के इस दावे की खिल्ली उड़ाने के लिये काफी हैं कि भारत चीन के बाद तेजी से विकसित हो रही अर्थ व्यवस्था बन रहा है । सरकार के इस दावे को न वृद्धि दरों के आंकड़े प्रमाणित करते हैं और न ही केवल मात्र विकास अथवा वृद्धि के आंकड़े वास्तविक संकट को प्रतिबिम्बित करते हैं । उद्योगों के परम्परागत क्षेत्र में लघु एवं मंझोली इकाईयां जो दसियों लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती थीं, विनाशकारी नीतियों के चलते लुप्त हो रही हैं । सूचना प्रौद्योगिकी (आइ टी) के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराए जाने का शोर बहुत बढ़ चढ़ कर मचाया गया था किन्तु तथ्य तो यह है कि यह क्षेत्र अब भी कुल रोजगार में 0.1 प्रतिशत से भी कम रोजगार उपलब्ध कराता है और इस क्षेत्र में परले दर्जे की अनिश्चितता की हालत बनी हुई है; कब ये इकाईयां बंद हो जाएं और कब किसी का रोजगार चला जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता । यहीं पर बस नहीं, आइ टी क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता अब भी न केवल देश की आर्थिक गतिविधियों बल्कि पहली दुनियां अर्थात् उन्नत देशों की ओर से अपने सारे काम विकासशील देशों में ठेके पर कराए जाने पर निर्भर करती है । उन देशों के श्रमिक वर्ग की ओर से इसका घोर विरोध किया जा रहा है । यही कारण है कि रोजगार की इस उपलब्धता में किसी भी समय जबरदस्त कमी आ सकती है ।

15.8 सी आइ टी यू जनरल कौंसल की पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, 'वृद्धि दरों के आंकड़ों का कुल जोड़ औद्योगिक अर्थ व्यवस्था में गिरावट तथा संकट की गहराई को प्रतिबिम्बित नहीं करता जो वास्तविक अर्थों में दिन प्रतिदिन गहरे से गहरा होता चला जा रहा है। जो भी नये औद्योगिक उद्यम बन एवं उभर रहे हैं वे बढ़ती कामबंदियों और उनके नतीजों के तौर पर पैदा होने वाली रोजगारहीनता के चलते रोजगार की सम्भावनाओं तथा उत्पादन क्षमता

दोनों के क्षरण की सीमा से कहीं नीचे हैं । एसोचैम द्वारा कराए गए अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि उदारीकरण की नीतियां लागू होने के बाद की अवधि में अधिकांश 'बीमारू राज्यों' (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश) राजस्थान को छोड़ कर, में औद्योगिक विकास ने गति नहीं पकड़ी--जिसका प्रमाण उन राज्यों की औद्योगिक इकाईयों की संख्या में तीखी गिरावट को देखने को मिल जाता है जहां बिहार में औद्योगिक इकाईयों की संख्या में 57 प्रतिशत की गिरावट आई और वे 4,163 से कम होकर 3,269 रह गई हैं दक्षिणी राज्यों में आंध्र प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों की संख्या में बडी गिरावट देखने को मिली; उनकी संख्या 15,972 से कम होकर 13,164 रह गई' (बिजनस लाइन, 6-01-2003)।

केन्द्रीय श्रम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (2002-03) में भी हड़तालों के कारण मानव दिवसों की क्षति जो प्रकट है, के विपरीत औद्योगिक अर्थ व्यवस्था में तालाबंदियों, जबरी छुट्टियों, कामबंदियों तथा छंटनियों के बढ़ते रुझान को दर्ज करना पड़ा है ।

15.9 कारोबारी लाबी को भारी भरकम रियायतें एवं छूटें दी गई हैं; यहीं पर बस नहीं, श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ा कर अर्थात् उनका आपराधिक उलंघन करके इन रियायतों को और पुख्ता बनाया जाता है; केन्द्र में सत्तारूढ़ सरकार तथा अधिकांश राज्यों की सरकारों की ओर से उन्हें संरक्षण दिया जाता है; जो आपराधिक है, इसमें संदेह नहीं। यह काम विभिन्न क्षेत्रों में श्रम कानूनों को लागू करने से छूट देकर किया जाता है--ये सब निवेश के प्रति मित्रवत एवं तथा कथित व्यावहारिक होने के नाम पर किया जाता है और इसके पक्ष में सुन्दर व्याख्यान किये जाते हैं । इस समीक्षा अवधि में देश भर में श्रमिकों से सम्बन्धित कानूनों का उलंघन करने के बदतर रूप देखने को मिले हैं; विशेष रूप से उन कानूनों के मामले में जो न्यूनतम वेतनों, संविदा श्रम/बाहर से काम ठेके पर कराने और भविष्य निधि, ई एस आइ जैसे सामाजिक सुरक्षा के बुनियादी कदमों से सम्बन्ध रखते हैं, उल्लंघन की इन कार्रवाईयों की कोई सीमा ही नहीं रही । इस पर भी निवेश टांय टांय फिस्स हो गए; उत्पादन धाराशायी हो गया; कामबंदियों तथा तालाबंदियों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हो गया है; समग्र रूप में रोजगार सिकुड़ गया है किन्तु इसके विपरीत लाभों का स्तर ऊंचा हो गया है । कारोबारी दैवों ने जो अतिरिक्त पूंजी प्राप्त की है या संचित की है, वह आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी करके नहीं बल्कि श्रमिकों के खून और पसीने की कमाई को लूट कर की है । और अर्थ व्यवस्था में आई विसंगतियों का यही असल चेहरा है; ये विसंगतियां उदारीकरण की नयी नीतियों के कारण उत्पन्न हुई हैं।

15.10 प्रख्यात अर्थ शास्त्री प्रभात पटनायक के शब्दों में , 'यह दावा कि बजट 'विकासोन्मुखता' पर आधारित है, एक कपोल कल्पना ही हो सकता है । पूंजीपतियों (जिनमें विदेशी भी शामिल हैं) को छूटें एवं रियायतें दी गई हैं और इस प्रकार विकास को बढ़ावा देने की बातें की जा रही हैं। सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से कोई मूर्ख व्यक्ति ही अपने मुंह मियां मिठ्ठू बन सकता है । पूंजीपति तभी निवेश करते हैं जब मांग अधिक हो, जब मांग अधिक नहीं होती तो उस स्थिति में यदि सरकार राजकोष से उनकी सहायता करती है तो भी वे निवेश नहीं करेंगे। वे केवल सरकार का धन अपनी जेब में डाल लेंगे। इसी लिये तो अपने मुंह मियां मिठ्ठू बनने वाला तर्क दिया जाता है और वह भी विशेष रूप से मंदे की स्थिति में।'

16. दिवालियेपन और गड़बड़ियों वाली नीति

16.1 वास्तव में, कोष/बैंक निदेशित सुधारों का पूरा माडल ही दिवालिया है; इसके दिवालियापन की पोल इसके लागू होने के एक दशक के भीतर ही खुल गई है । उदारीकरण के माडल का केन्द्रीय बिन्दु है--आर्थिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों से सरकार का पूरी तरह पीछे हट जाना और अर्थ व्यवस्था के किवाड़ पूरी तरह खोल देना । इस नीति का पालन पिछले एक दशक से भी अधिक समय से किया जा रहा है; उद्योगपतियों की लाबी अब सरकार से परियोजनाओं तथा अंदरूनी ढांचे की दूसरी गतिविधियों में अधिक निवेश करने की मांग करने लगी है । वे अब और अधिक ऊंची आवाज में शोर मचा रहे हैं कि सरकार निर्माण तथा दूसरी गतिविधियों में अधिक धन का निवेश करे । इसी पृठभूमि में, फिक्की के प्रमुख महासचिव ने सुझाव दिया था कि केन्द्रीय सरकार मंदे की समस्याओं से निपटने के लिये आगे बढ़ कर उन परियोजनाओं के लिये निवेश करे और अर्थ व्यवस्था पर 'तीव्रकारी प्रभाव' डाले और घरेलू बाजार तथा लोगों की खरीद

शक्ति को बढ़ाने के लिये कदम उठाए (फायनांशल एक्सप्रेस, 9-07-2001)

16.2 इस पूरी नीति के माडल का विरोधाभास यही है। जहां सरकार एक ओर कार्पोरेट तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की लाबी को करों में उदारतापूर्वक रियायतें देकर अपने राजस्व का नुकसान झेल रही हैं वहीं दूसरी ओर वह मुद्रा स्फीति को कम करना चाहती है और वित्तीय घाटे पर भी काबू पाना चाहती है। उसके लिये अंदरूनी ढांचे, बिजली के उत्पादन तथा रोडवेज इत्यादि के लिये भी धन खर्च करना जरूरी है। इसके साथ ही वह लाभ पर चलने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों जो उसके लिये आय का एक नियमित स्रोत हैं, को मिट्टी के मोल अपने कार्पोरेट मित्रों तथा अपने बहुराष्ट्रीय आकाओं की झोली में डाल देना चाहती है और अपनी आय के इस स्रोत से भी वंचित हो जाने के उतावली दिखाई दे रही है। वह चूककर्ता कार्पोरेट घरानों की ओर से लिये गए कर्जे के ब्याज उदारता के साथ माफ कर देना चाहती है और वह भी उस धन में से जो राष्ट्रीयकृत बैंकों का है और इसके साथ ही वह बैंकों को कोसने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही, उन पर आरोप लगाती है कि वे चूककर्ताओं से बट्टेखाते पड़े धन की वसूली करने के मामले में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उनकी कारगुजारी बेहद खराब है।

16.3 हमें यह बता दीजिये कि अंदरूनी ढांचे में निवेश करने के लिये धन कहां से आएगा? उसके लिये जन साधारण की विशाल संख्या ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसका शोषण नियमित रूप से किया जाता रहा है या किया जा रहा है। किन्तु इसके चलते एक बार फिर घरेलू बाजार पर बुरा असर पड़ेगा; मंदे की स्थिति और गहरी हो जाएगी; इससे उद्योगों की उत्पादन क्षमताओं के उपयोग पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसके साथ ही व्यवस्था के किवाड़ क्योंकि पहले ही पूरी तरह खोले जा चुके हैं इसलिये पहले ही सिकुड़ चुके बाजार का एक बड़ा भाग बाहर के लोग अर्थात् बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हड़प लेंगी । विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रस्तावित उदारीकरण के माडल में आप जिस भी दिशा में जाएंगे वही दिशा आपको विनाश के गड्ढे की ओर ले जाएगी। वहां त्रैमासिक मंदे जैसी स्थिति का बार-बार उत्पन्न होना एक आम बात है । जरूरत इस बात की है कि इन नीतियों को ही पूरी तरह बदल दिया जाए; उसके स्थान पर जनोन्मुखी नीतियां अपनाई जाएं। ये नीतियां कार्पोरेट घरानों तक ही केन्द्रित न हों । इन नीतियों के अन्तर्गत मांग को पुनः पैदा करने, विशाल जन गण की खरीद शक्ति को बढ़ाने तथा देश के औद्योगिक आधार को मजबूत बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। बिना सोचे समझे कोष/बैंक/डब्ल्यू टी ओ की हां में हां मिलाते चले जाने से काम नहीं चलेगा; और यह कहना भी ठीक नहीं है कि इन नीतियों को बदला नहीं जा सकता जैसा कि इन दिनों साथ अर्थ सरकारी प्रवक्ताओं की ओर से सभी मंचों पर तर्क दिये जा रहे हैं।

17. असंगठित क्षेत्र की हालत

17.1 असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की हालत तथा असंगठित अथवा अनौपचारिक क्षेत्र का ढांचा प्रायः बदलता रहता है । इस क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण बहुत निर्ममता के साथ किया जाता है; उनका भयानक दमन करने के लिये भयानक हथकण्डे अपनाए जाते हैं जिसका प्रकटीकरण बड़ी सीमा तक प्रायः होता ही रहता है। यह सारा कहर अर्थ व्यवस्था की गाड़ी को खींचने वाली इस पूरी श्रम शकित पर उदारीकरण की नयी नीतियां बरपा कर रही हैं। ये नीतियां उस पर लादी गई हैं। परम्परागत अर्थों में असंगठित क्षेत्र बुनियादी तौर पर उन श्रमिकों पर आधारित है जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, अकुशल श्रमिक होते हैं, वे श्रम की भारी सघनता वाला काम करते हैं; इस क्षेत्र में इन्हीं श्रमिकों का बर्चस्व होता है । अर्थ व्यवस्था का गहरा संकट उनकी असल आय में गिरावट के रूप में प्रतिबिम्बित होता है और वे लगभग वंचना की सी स्थिति में धकेल दिये जाते हैं । इस विशाल असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा का कोई कवच नहीं होता और न ही रोजगारों की क्षति होने पर उन्हें ठोस रूप में संरक्षण प्रदान किया जाता है; वे बेरोजगारी की पुरानी बीमारी से सदा पीड़ित रहते हैं; इस श्रम शक्ति की विशाल बहुसंख्या की हालत तेजी से बद से बदतर होती चली जा रही है।

17.2 उदाहरण के लिये असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की एक बहुत बड़ी संख्या ईंट के भट्ठों पर काम करने वाले श्रमिकों की है; ये श्रमिक अधिकतर उजरत दर पद काम करते हैं; उनकी आय में लगातार गिरावट आते

देखी गई है और पिछले तीन वर्षों में उनके रोजगार के दिनों में तीखी गिरावट आई है, यह गिरावट उन क्षेत्रों में भी देखने को मिली है जहां उनका यूनियनकरण अधिक था। जंगलात के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की अधिकांश संख्या जनजाति एवं समाज की दलित श्रेणियों के लोगों की होती है; उनकी कामकाजी स्थितियां अत्यंत दमनकारी होती हैं; उन पर काम का भारी बोझ होता है; उनकी आय बहुत कम होती है; और तो और यह क्षेत्र इन दिनों बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की घुसपैठ से प्रभावित हो रहा है; ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां वन संसाधनों के दीर्घावधि के पट्टे ले लेती हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में इन दिनों फलोद्यान अथवा हार्टिकल्चर एवं वानिकी की गतिविधियों के निजीकरण तथा अपवानिकीकरण की प्रक्रिया के चलते श्रमिकों के काम पर बुरा प्रभाव पड़ा है। निर्माण के क्षेत्र में मंदे की स्थिति लगातार चल रही है; इसके परिणामस्वरूप अधिकाधिक रोजगारहीनता, अर्ध रोजगारी की हालत पैदा हो गई है; पिछले तीन वर्षों में वार्षिक वृद्धि दर का अनुपात 5.4 प्रतिशत रहने पर भी इन श्रमिकों की एक बहुत बड़ी संख्या की आय में गिरावट आई है । देश भर की मण्डियों में सामान उतारने एवं लादने के कामों में लगे श्रमिकों की हालत पहले से अधिक खराब हो गई है; क्योंकि रोजगार की तलाश में भटकने वाले अधिक से अधिक श्रमिक इसी क्षेत्र का रुख करते हैं; रोजगार की तलाश में आने वाले ये लोग गांवों के बेरोजगार होते हैं; इसके अतिरिक्त और भी अनेक कारणों के चलते उनका रोजगार सिकुड़ता चला जा रहा है । बीड़ी उद्योग के कारोबार में गिरावट देखी गई है, इसके कारण श्रमिकों की कामकाजी स्थितियों पर बुरा असर पड़ा है; उन पर काम का बोझ बढ़ रहा है; इस पर भी वे अल्प वेतनों पर काम करने के लिये मजबूर हैं। यह उद्योग कारखाना और गश्ह आधारित काम धंधों दोनों पर आधारित है। वस्त्र उद्योग कारखाना तथा गृह आधारित काम धंधों दोनों पर आधारित है; इस उद्योग की हालत भी ऐसी ही है। हैंडलूम उद्योग भी सरकार की दोषपूर्ण कपड़ा नीतियों के कारण गहरे संकट की मार झेल रहा है। असंगठित क्षेत्र के उन उद्योग धंध ों की स्थिति भी इसी प्रकार की दयनीय है जिन्हें परम्परागत माना जाता है।

17.3 उदारीकरण की प्रक्रिया में तथाकथित असंगठित क्षेत्र भी बदलता जा रहा है । उसमें भारी तबदीलियां आ रही हैं । सरकार तथा प्रशासन की ओर पीठ थपथपाए जाने के कारण संगठित क्षेत्र अत्यंत कुशल मैन्युफेक्चरिंग तथा सर्विसिंग कामों के एक बड़े भाग का अपना बोझ हलका कर रहा है और उसे असंगठित क्षेत्र के कंधों पर डाल रहा है। असंख्य हाइ-टैक इकाईयां बड़े स्तर पर अनौपचारिक क्षेत्र में उभर रही हैं; वहां की कामकाजी स्थितियां बिलकुल अलग होती हैं और कमरतोड़ काम के बोझ के नीचे दबे श्रमिकों का जबरदस्त शोषण होता है। कामों को बाहर से ठेके पर करा कर तथा बड़ी संख्या में अपने रोजगारों को अनौपचारिक क्षेत्र में धकेल कर पूंजीपति श्रेणी संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या में जबरदस्त कटौती करना चाहती है और अनौपचारिक क्षेत्र में उत्पादन की विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था लाना चाहती है, जहां श्रम लागत आधी से भी कम पड़ती है; यह काम श्रमिकों पर काम के बोझ तथा कामकाजी घण्टों को बढ़ा कर किया जाता है; इसके अतिरिक्त उससे कहीं अधिक पारिश्रमिक इन श्रमिकों को दिया जाता है जो यही काम करने पर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलता है । उन्हें सामाजिक सुरक्षा की कोई सुविधा भी नहीं दी जाती। उत्पादन की सम्पूर्ण व्यवस्था का धीरे धीरे अनौपचारिक करण होना शुरू हो गया है, इससे यही संकेत मिलता है। कपड़ा उद्योग का स्पिनिंग सेक्टर, वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र अनौपचारिक करण की इस प्रक्रिया की उदाहरणें हैं। श्रमिक आंदोलन ने हाई-टैक सूचना के इन नये क्षेत्रों में अभी तक घुसपैठ नहीं की है जबकि इन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी तथा शोषण की सघनता दोनों का स्तर परम्परागत क्षेत्र की तुलना में बहुत ऊंचा है। असंगठित क्षेत्र में उत्पादन की व्यवस्था के इन नये हलकों का उभरना पूंजीवादी शोषण की बर्बरता को बेनकाब करता है; उदारीकरण की नीति की सत्ता में इस बर्बर शोषण की कोई सीमा ही नहीं रही।

18. ग्रामीण अर्थ व्यवस्था लुढ़कने लगी

18.1 उदारीकृत सत्ता में उत्पादन की गिरावट तथा मंदे की जो स्थिति पैदा हुई है उसकी सबसे अधिक मार ग्रामीण अर्थ व्यवस्था तथा उसके साथ जुड़ी उत्पादन की गतिविधियों पर पड़ी है । 2002-03 तक पिछले तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र की वार्षिक वशद्धि दर आनुपातिक रूप में 0.7 प्रतिशत के लगभग बनी हुई है। इन तीन वर्षों में से दो वर्षों में जी डी पी ने नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज कराई थी । अनाजों के उत्पादन में 2000-01 तथा 2002-03 के दौरान पूर्ण गिरावट दर्ज की गई है; उत्पादन का जो स्तर 1996 में था, यह उससे भी नीचे चली गई है। तेल के बीजों, कपास,

गन्ना, चाय तथा काफी इत्यादि सभी प्रमुख वाणिज्यक फसलों में भी लगभग इसी प्रकार की पूर्ण गिरावट अथवा एक प्रकार के ठहराव की स्थिति देखने को मिली है। कृषि क्षेत्र में विफलता का सारा दोष सूखे की स्थिति पर मढ़ा जा रहा है जबकि समस्या इससे कहीं अधिक गहरी है।

18.2 उदारीकरण की नीतियों का गलत पक्षपोषण करने वाले प्रचारक हो सकता है कि यह कह कर अनाजों के उत्पादन में गिरावट का औचित्य ढूँढने का प्रयास करें कि अनाज गोदाम लबालब भरे हुए हैं उनमें और अनाज रखने के लिये जगह नहीं है। चलो मान लिया, किन्तु ये महानुभव वाणिज्य फसलों के उत्पादन में गिरावठ के लिये क्या बहाना बनाएंगे और वह भी बाजाज द्वारा संचालित तथाकथित अर्थव्यवस्था में! नयी नीतिगत सत्ता के अर्न्तगत बाजार को कुल मिलाकर भारतीय कृषि की पहुँच से बाहर ले जाया गया है आयातों का पूर्ण उदारीकरण और उसके साथ जुड़ी कृषि उत्पादों को खरीदने की अपनी गति कटौती, इन दिनों पर अधोगामी (नीचे की ओर) दबाव डाला है। सरकार द्वारा कृषि को बद से बदतर बना डाला है और कृषि अर्थव्यवस्था में निवेश की सम्भावनाओं पर बुरा असर पड़ा है सार्वजनिक मार खेतिहर श्रमिकों तथा सीमांत किसानों पर पड़ी है; उन्हें व्यापक स्तर पर रोजगार हीनता, भूख तथा वंचना की स्थिति झेलनी पड़ रही है और वह भी अनाज के विशाल भण्डारों पर चल रही राजनीति की पृष्ठभूमि में। हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूख से तड़प कर लोग मरते हैं और उसके साथ अनाज के गोदाम भी लबालब भरे रहते हैं।

18.3 उदारीकण की सभी कार्वाईयां करने और बड़े जगीदारों को सभी सुविधाएं दिये जाने पर भी जी डी पी की प्रतिशता के रूप में कृषि में सकल पूंजी के गठन में निरंतर गिरावट आई है और 2001-02 में यह केवल 1.3 प्रतिशत रह गई थी। 1983-93 की अवधि मं कृषि रोजगार की वार्षिक विकास दर में भी 1.51 प्रतिशत से गिरावट आई; वर्ष 1993-2000 की अवधि में 034 प्रतिशत की पूर्ण गिरावट आई और चालू वित्तीय वर्ष में यह और अधिक नीचे चली गई है। अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता उदारीकरण के इस पूरे दशक में प्रत्येक वर्ष कम होती चली गई है।

18.4 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की ओर से आंकलन करने सम्बन्धी कराए गए सर्वेक्षण के पहले चरण में उस कपोल कल्पना की सच्चाई से पर्दा उठ गया कि बढ़ते उदारीकरण का लाभ किसानों को मिला है। उसमें निष्कर्ष निकाला गया था 'गरीब तथा विशेष रूप से सीमांत किसानों जो देश में कृषकों का लगभग 80 प्रतिशत भाग हैं, को नीति के रूप में कोई सहायता नहीं मिल रही, संस्थागत उदारीकण देखने को मिलती है, वे कमजोर स्थिति में है और वे उस पर निर्भर भी नहीं कर सकते। इसके कारण उनकी आय पर विषम दुष्प्रभाव पड़ा है' (इकानामिक टाइम्स, 06-02-2003) इन सभी आंकड़ों ने सरकारी सर्वेक्षणों के आंकड़ों में बोले जा रहे झूठ की पोल खोल दी है; सरकारी आंकड़ों में तो यहां तक दावा किया गया है कि हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में दरिद्रता के स्तर में कमी आई है।

19. आयात-निर्यात की स्थिति

19.1 तथा कथित आर्थिक बहाली का शोर बहुत जोर से मचाया जा रहा है, यह कहा जाता है कि 2002-03 में अचानक निर्यातों में भारी उछाल आ गया है। इस प्रकार की बातें करके लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है; दावा किया जाता है कि डालर की दृष्टि से 2002-03 में निर्यातों में 19.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि उससे पहले 2001-02 में उसमें 1.6 प्रतिशत की गिरावट आई थी। पिछले दो वर्षो 2001-03 में निर्यातों में आनुपातिक वृद्धि केवल 8.8 प्रतिशत पर बनी रही थी जो उससे पहले के दो वर्षो (1999-2001) में निर्यातों में 15 प्रतिशत वृद्धि से कहीं कम थी। निर्यात के मोर्चे पर इस प्रकार की स्थिति किसी स्थिर कारगुजारी के महत्व का बखान नहीं करती जैसा कि उदारीकरण के प्रचारकों की ओर से वादा किया जाता है । यह तथ्य अपने स्थान पर बना हुआ है कि निर्यात व्यापार में भारत का भाग उदारीकरण की पूरी अवधि में ही अर्थात् 1991 से ही 0.6 प्रतिशत पर ठहराव सा चल रहा है । भारत से निर्यात योग्य सामग्री में भी कोई उल्लेखनीय तबदीली नहीं आई है।

19.2 दूसरी ओर उन वर्षो में भी जब आयातों में पूर्ण गिरावट आई थी व्यापार संतुलन पूर्वतः नकारात्मक बना रहा है। इससे एक और महत्वपूर्ण तथ्य से पर्दा उठ जाता है। उस वर्ष (2000-01) में भी जब आयात में वृद्धि बहुत कम

अर्थात् 1.7 प्रतिशत थी और उसकी तुलना में निर्यातों में 21 प्रतिशत की बड़ी ऊंची वृद्धि दर्ज की गई थी, व्यापार का संतुलन घाटे का रहा था; यह घाटा बहुत अधिक था अर्थात् 5 अरब 97 करोड़ 60 लाख का था; यह भारतीय निर्यातों के मूल्यों में गिरावट के रुझान तथा आयातों के मूल्यों में बढ़ोतरी के रुझान को दर्शाता है और वह भी विश्व अर्थ व्यवस्था में मूल्यों के धाराशायी होने तथा मंदे के गहराते चले जाने की पृष्ठभूमि में। विश्व व्यापार का अलग-अलग अध्ययन करने से पता चलता है कि उदारीकरण की पूरी अवधि में भारत तथा अन्य विकासशील देशों से निर्यात योग्य वस्तुओं के मूल्यों पर भारी अधोगामी दबाव पड़ रहा है और इसके विपरीत विकसित देशों से निर्यात योग्य सामग्री के मूल्य वास्तविक अर्थों में लगभग जस के तस बने हुए हैं। इसलिये व्यापार की शर्तें लगातार कठोर चली आ रही हैं। वास्तव में, विकासशील देशों के लिये परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हैं । इसलिये यदि कभी भारत से निर्यातों में अचानक उछाल आ जाता है तो उससे भारत की अर्थ व्यवस्था को बहुत अधिक भौतिक लाभ होने वाला नहीं है क्योंकि व्यापार की कठोर शर्तों के चलते विकासशील देशों से संसाधनों का बहिर्वाह उनके अन्तर्वाह से कहीं अधिक हो रहा है और भारत इस मामले में कोई अपवाद नहीं है ।

20. विश्व व्यापार संगठन में क्या चल रहा है

20.1 विश्व व्यापार संगठन में इन दिनों ये प्रयास चल रहे हैं कि व्यापार शर्तों की इस विषमता को निरंतर बनाए रखा जाए । विश्व व्यापार संगठन के दोहा घोषणा पत्र में कहा गया था कि कैनकुन में होने वाली डब्ल्यू टी ओ की मंत्री स्तरीय बैठक के लिये नयी कार्यसूची लाई जानी चाहिये । हमने जनरल कौंसल की पिछली बैठक में इस पर विस्तार में चर्चा की थी । उनकी खेल साफ थी; विकासशील देशों को 'निवेशों पर मंत्री स्तरीय समझौते' (एम ए आइ) की सत्ता और उसके साथ-साथ प्रतिस्पर्धा की नीति, व्यापार सहयोग तथा सरकारी खरीद में पारदर्शिता इत्यादि के लिये समृद्ध राष्ट्रों के सुझावों को मानने के लिये मजबूर कर देना जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को विकासशील देशों की अर्थ व्यवस्था की लूट मचाने की खुली छूट देते हैं तथा विकासशील देशों की सरकारों की नियामक प्राधिकरणों वाली सत्ता को अपंग बना कर रख देने वाले हैं । ये सारे मुद्दे इस ढंग से गढ़े गए थे कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और युरोपीय संघ, अमरीका, कैनेडा तथा जापान पर आधारित अमीर देशों के समूह के आदेशों पर विकासशील देशों के लिये विषमताओं से भरे हालातों को जारी रखा जा सके ।

20.2 लोग ज्यों ज्यों भूमण्डलीयकरण तथा उदारीकरण की नयी नीतियों का घिनावना चेहरा अथवा पहलू देख रहे हैं त्यों त्यों उनका मोह भंग होता चला जा रहा है और विश्व भर में विरोधों की लहर दिन ब दिन प्रबल होती चली जा रही है; इसी पृष्ठभूमि में अमीर देशों का समूह कैनकुन की बैठक में अपने घिनावने मनसूबों को पूरा करने में सफल नहीं हुआ। कैनकुन बैठक के दिनों विशाल विरोध प्रदर्शनों का आयोजन हुआ था इसलिये भी विकासशील देशों की सरकारों को अमीर देशों के समूह के इरादों के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने का साहस हो सका था; अन्यथा वे कमजोरी दिखाती या ढुलमुल रुख अपनातीं । दक्षिणी अफरीका ने ब्राजील तथा चीन के साथ मिल कर विकासशील देशों की चिंताओं एवं समस्याओं की ओर डब्ल्यू टी ओ का ध्यान खींचने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। इन देशों ने अमरीका, कैनेडा तथा युरोपीय संघ के देशों में कृषि के लिये दी जा रही भारी सब्सिडियों का मुद्दा उठाया तथा बताया कि किस प्रकार 'मुक्त व्यापार' के सिद्धांतों जिसका झण्डा डब्ल्यू टी ओ ने उठाया हुआ है, का हेंकड़ी भरे ढंग से उल्लंघन किया जा रहा है और विश्व व्यापार में विसंगतियां पैदा की जा रही हैं । इसके फलस्वरूप कार्यसूची में शामिल दूसरे मुद्दों पर कोई बहस नहीं हो सकी और किसी सर्वसम्मत निष्कर्ष पर पहुंचे बिना ही कैनकुन की बैठक समाप्त हो गई ।

20.3 कैनकुन की घटना स्थिति में आए विशेष परिवर्तन की सूचक है । डब्ल्यू टी ओ की सिएटल बैठक (जो डब्ल्यू टी ओ का गठन होने के बाद पहली बैठक थी) के समय मंत्री स्तरीय मंच पर बहुत अधिक विरोध की अभिव्यक्ति नहीं हो पाई थी किन्तु इस पर भी वह बैठक किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना समाप्त हो गई थी क्योंकि उस समय भी बैठक स्थल के बाहर हिंसक प्रदर्शन हुए थे । डब्ल्यू टी ओ की दोहा बैठक अगली बैठक के लिये विकसित देशों की कार्यसूची पर सहमति देने के लिये विकासशील देशों के मंत्रियों को मनाने अथवा उन पर दबाव डालने में सफल हो गई थी; भले ही वे अन्दर ही अन्दर बुदबुदाते रहे थे। किन्तु डब्ल्यू टी ओ की कैनकुन बैठक में प्रमुख विकासशील देशों के

प्रतिनिधियों की ओर से एकजुट होकर बहादुरी के साथ अमीर देशों के समूह के घिनावने मनसूबों का जोरदार विरोध किया गया। अमीर देशों का यह समूह विकासशील देशों पर व्यापार की असमान शर्तें लादना चाहता था। यह इसलिये सम्भव हो सका क्योंकि पूरे विश्व में डब्ल्यू टी ओ के हथकण्डों के खिलाफ जन संघर्षों का सैलाब पूरे उफान पर है। इसी सैलाब ने विकासशील देशों के प्रतिनिधियों को मजबूर कर दिया था कि वे कृषि सब्सिडियों के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाएं। यही वह मुद्दा है जिसके कारण जी-22 का गठन हुआ था। इसने इस मिथ्या धारणा को भी तोड़ कर रख दिया है कि तथाकथित भूमण्डलीयकरण के इस युग में विकासशील देशों पर अमीर देशों के समूह के बर्चस्व का प्रतिरोध किया ही नहीं जा सकता अथवा उसे पराजित नहीं किया जा सकता। इसके फलस्वरूप भूमण्डलीयकरण विरोधी संघर्षों में एक नये विश्वास का संचार हुआ है; ये संघर्ष पूरे भूमण्डल में धीरे-धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं।

20.4 भारत सरकार ने भी इसके विरोध में भाग लिया है; भले ही उसकी ओर से कई मुद्दों पर हिचकिचाहट दिखाई गई हो । तथापि हमें यह रेखांकित करना होगा कि आयात शुल्कों में और कमी किये जाने, व्यापार सहयोग और सरकारी खरीद में तथा कथित पारदर्शिता लाने जैसे अमीर देशों के समूह की ओर से उठाए गए अनेक मुद्दों पर भारत सरकार के प्रतिनिधि अर्थात् केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री ने कमजोर एवं ठण्डा रुख अपनाया था जो हमारे राष्ट्रीय हितों के लिये घातक है ।

21. रोजगार तथा विकास की स्थिति

21.1 आर्थिक नीति के कदम साफ तौर पर आपूर्ति के प्रबंधन के पक्ष को ही लेते हैं । यदि हम खुल कर कहें तो ये नीतियां पूंजीपति श्रेणी की लाबी की ओर से अपने हित में और विशेष रूप से विदेशी पूंजीपति वर्ग के हितों को ध्यान में रख कर बनाई जाती हैं और इनका प्रचार किया जाता है। इन नीतियों के फलस्वरूप रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे, इसकी तो बात ही मत कीजिये; बेरोजगारी की बद से बदतद होती चली जा रही स्थिति में भी कोई सुधार नहीं होगा। विकासशील देशों में अधिकांश सरकारों की भूमिका आइ एम एफ, विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन की त्रिमूर्ति की हां में हां मिलाने वाली है। वे इसी त्रिमूर्ति की नीतियों का पालन करती हैं। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। जब हालत यह हो तब बेरोजगारी की स्थिति बद से बदतर नहीं होगी तो और क्या होगा?

21.2 इस नीतिगत दृष्टिकोण के फलस्वरूप अर्थ व्यवस्था में भारी विकृति पैदा होती है। इसी विकृति के चलते विभिन्न प्रकार के हथकण्डे अपना कर करोड़ों लोगों की संपत् का हस्तांतरण मुट्ठी भर पूंजीपतियों तथा सामंतों की लाबी के लिये कर दिया जाता है। औद्योगिक वृद्धि दर में गिरावट आने पर भी कार्पोरेट सेक्टर के लाभ में जबरदस्त बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। जन साधारण को लूट कर औद्योगिक लाबी को भारी भरकम रियायतें एवं छूटें दी जा रही हैं। निवेश, उत्पादन, मूल्य पैदा करने तथा रोजगार उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में कोई ठोस सुधार लाए बिना ही उन्हें लगातार भारी धन की वापसी की खुली छूट दी जा रही है।

21.3 लम्बे समय से चल रहे औद्योगिक मंदे तथा बाजार के सिकुड़ते चले जाने की स्थिति होने पर भी कार्पोरेट घराने अपने लाभ की ऊपरी सीमा को बनाए रखने के लिये पागलपन की हद तक जाकर अपने यहां काम करने वाले श्रमिकों की संख्या में कमी ला रहे हैं और इसके लिये छंटनियों जैसे हथकण्डे अपनाते हैं। योजना आयोग के सदस्य तथा उदारीकरण की नीतियों के घोर समर्थक मोंटेक सिंह आहलूवालिया की अध्यक्षता में रोजगार अवसरों पर गठित टास्क फोर्स ने माना है कि देश में रोजगार की स्थिति बहुत भयानक सीमा तक खराब हो चुकी है; रोजगार की संख्या तथा गुणवत्ता दोनों ही दृष्टियों से ।

21.4 वर्ष 1988-1994 में श्रम शक्ति की वार्षिक वृद्धि दर 2.29 प्रतिशत थी जो 1994-2000 में कम होकर 1.03 प्रतिशत वार्षिक रह गई; वृद्धि दर में गिरावट आने पर भी इसी अवधि में रोजगार की वृद्धि दर में और अधिक तेजी से गिरावट आई है; यह 2.43 प्रतिशत से कम होकर 0.98 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। 1990 के दशक में रोजगार की वृद्धि दर कभी भी 0.8 प्रतिशत से अधिक नहीं रही थी । यदि कार्पोरेट सेक्टर में जबरदस्ती या स्वेच्छापूर्वक

दोनों ही ढंगों से पूरी शक्ति के साथ श्रमिकों की संख्या में लाई जा रही कमी को देखें तो पता चल जाएगा कि रोजगार की वृद्धि दर पहले ही नकारात्मक मोड़ काट चुकी है। एक अनुमान के अनुसार केवल वर्ष 2001-2002 में ही उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते संगठित क्षेत्र में दस लाख से अधिक लोग अपना रोजगार खो चुके हैं । केवल सार्वजनिक क्षेत्र की केन्द्रीय इकाईयों में ही पिछले कुछ वर्षो मे इस प्रक्रिया के चलते चार लाख रोजगारों पर कुल्हाड़ी चलाई जा चुकी है। अकेले बैंकिंग सेक्टर में एक लाख दस हजार रोजगार खत्म किये जा चुके हैं। वर्ष 2001-02 में आइ टी सेक्टर में दस हजार रोजगारों की क्षति हुई थी। केन्द्रीय वित्त मंत्री की ओर से केन्द्रीय सरकार के विभागों में प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की दर से कर्मचारियों की संख्या में कटौती किये जाने के बारे में जो घोषणा की गई थी उसने रोजगारों का सवाहा कर देने वाली इस आग को और अधिक प्रचण्ड किया है। इसका श्रेय गीताकृष्णन आयोग (व्यय सुधार आयोग) को ही दिया जाना चाहिये, इसमें संदेह नहीं। हाल ही में प्रकाशित की गई एक रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद केन्द्रीय सरकार के विभागों में 9000 से अधिक रोजगार पहले ही समाप्त हो चुके हैं; वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक केन्द्रीय सरकार के और 17000 रोजगारों को खत्म किये जाने को लक्ष्य निर्धारित किया जा चुका है (द फायनांशल एक्सप्रेस, 16-08-02)।

21.5 भारतीय श्रम सम्मेलन के 38वें सत्र जिसका आयोजन 28-29 जून को हुआ था, में पेश की गई अपनी कार्यसूची में सरकार ने दावा किया था कि रोजगार के अवसर प्रमुख रूप से असंगठित क्षेत्र में उपलब्ध हो रहे हैं । सरकार के इस दावे के विपरीत वर्तमान वित्तीय सर्वेक्षण (2001-02) की रिपोर्ट का क्या कहना है? उसके अनुसार कशषि के क्षेत्र तथा खनन एवं उत्खनन के क्षेत्र में जहां असंगठित क्षेत्र के रोजगार का एक बहुत बड़ा भाग है, कुल मिला कर 1993-94 में लगभग 50 लाख तथा 1999-2000 में 4.3 लाख रोजगारों की क्षति हो चुकी थी । इसी प्रकार इसी अवधि में निर्माण के क्षेत्र में लगभग 51 लाख रोजगार कम हो चुके हैं । अतः ये आंकड़े रोजगार वृद्धि के नकारात्मक रुझान को दर्शाते हैं जबकि ये तीनों क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रोजगार के एक बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

21.6 इसलिये उदारीकरण शिविर के लिये काम करने वाले भाड़े के अर्थ शास्त्री जो चाहे प्रचार क्यों न करते रहें, किन्तु वास्तविकता अपनी जगह पर बनी हुई है; आर्थिक सुधारों के मौजूदा ब्रांड के चलते रोजगार की सम्भावनाएं बहुत ही कम हैं बल्कि ये नकारात्मक हो चुकी हैं। उदारीकरण की तथाकथित नीति के द्वारा अर्थ व्यवस्था में पैदा की गई विकृति नयी नयी बुलंदियों को छूती चली जा रही है।

22. रोजगार की गुणवत्ता के बारे में

22.1 विशेष रूप से कृषि क्षेत्र सहित अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की स्थिति की चर्चा करते समय हमें एक बात की ओर ध्यान जरूर देना चाहिये; वह यह कि सरकारी आंकड़े देश में ऋतुनिष्ठ (सीजनल) बेरोजगारी सहित अर्ध रोजगारी की स्थिति को प्रतिबिम्बित नहीं करते। यही नहीं, हमारे जैसे देश में जहां गरीबी का अनुपात बहुत ऊंचा हो; सामाजिक सुरक्षा के कवच के बिना समाज की निचली श्रेणी का कोई भी व्यक्ति रोजगार के बिना रह ही नहीं सकता; उसका रोजगार कितना ही खराब अथवा तुच्छ क्यों न हो यदि उसने अपना अस्तित्व बरकरार रखना है तो उसे हर हालत में रोजगार मिलना चाहिये। इस स्थिति में कूड़ा कचरा बीनने वाले लोगों को भी सरकार के आंकड़ों में रोजगार पर लगे मान लिया गया है; ऋतुनिष्ठ अथवा सीजनल कामों पर लगे श्रमिक जिनमें से अधिकांश वंचना जैसी स्थिति में होते हैं और तो और बेरोजगारी के दौर में भीख मांगने वालों को भी बरसरे रोजगार लोगों की श्रेणी में मान लिया गया है। रोजगार सम्बन्धी आंकड़ों का संग्रह एवं सम्पादन करने की प्रक्रिया में इन सभी श्रेणियों को भी तथा कथित असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र की व्यापक परिभाषा के अन्तर्गत शामिल कर लिया जाता है। क्योंकि हर हाल में जिंदा रहना है, यह भावना लाखों-करोड़ों लोगों को दो जून का रूखा-सूखा भोजन जुटाने के लिये कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। रोजगार के आंकड़ों में इन असहाय एवं मजबूर लोगों को भी बरसरे रोजगार मान लिया जाता है।

23. रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम

23.1 इसलिये रोजगार उपलब्ध कराने के काम को सिरे चढ़ाने अथवा अर्थ व्यवस्था में रोजगार की सम्भावनाओं को उपयुक्त ढंग से बढ़ाने के लिये आर्थिक नीति की पूरी दिशा को ही बदल डालने की जरूरत है । योजना आयोग की ओर से नियुक्त किये गए विशेष दल जिसके अध्यक्ष डाक्टर एस पी गुप्त थे, के शब्दों में : 'उत्पादन एवं रोजगार दोनों दृष्टियों से देश के विकास के लक्ष्य को जीवनक्षम एवं न्यायसंगत ढंग से प्राप्त करने के लिये पिछली आर्थिक नीतियों में अनेक बड़ी तबदीलियां लानी होंगी और निकट भविष्य में रोजगार पैदा करने वाले नये-नये कार्यक्रमों को चलाने की आवश्यकता पड़ेगी' विशेष दल ने यह विचार भी व्यक्त किया था, 'यदि ज्ञात मूल्यों एवं आंकड़ों के अनुमान के आधार पर नब्बे के दशक के आखरी भाग के अनुभवों का आंकलन किया जाता है और भविष्य में उन्हें पुनः दोहराया जाता है तब उस स्थिति में भारत को बेरोजगारी की भयानक समस्या का अधिक से अधिक सामना करना पड़ेगा; उसके साथ ही रोजगारों की मांग तथा रोजगार के अवसरों की उपलब्धता के बीच का अन्तर जो सदा बढ़ता रहता है, और भी तेजी के साथ बढ़ने लगेगा।'

23.2 दूसरे, विशेष दल ने यह सुझाव भी दिया था कि सरकार की नीतियों की दिशा श्रम सघनता वाले रोजगार को बढ़ावा देने वाली हो तथा उस प्रौद्योगिकी को अपनाने वाली हो जिससे पूंजी की बचत हो सके । बाजार की शक्तियों के भरोसे सब कुछ छोड़ देने से काम नहीं चलेगा । इस मामले में भी नीति को बदलने की जरूरत है; उनमें बदलाव लाने की जरूरत है । विशेष रूप से उद्योगों की लघु तथा मंझौली इकाईयों और असंगठित क्षेत्र का भी उल्लेख करते हुए विशेष दल ने सिफारिश की है: 'विकास में तेजी लाने के लिये श्रम सघनता वाले उद्योगों के पक्ष में पूंजी का समुचित आबंटन करने के लिये उपयुक्त कार्यक्रमों और नीतियों का निर्धारण किया जाना चाहिये इस क्षेत्र के लिये प्रतियोगिता के एक समान अवसर प्रदान करने में सहायता देने वाले नियमों को लागू किया जाए, इसे भी यकीनी बनाना होगा।' उद्योगों के बड़े क्षेत्र के मुकाबले में इस क्षेत्र को अधिक संरक्षण दिये जाने की जरूरत है और वह भी पक्षपात की सीमा तक जाकर; बाजार के आका इसे यकीनी नहीं बना सकते । उस दिशा में भी वर्तमान नीतियों में बदलाव लाया जाना आवश्यक है।

23.3 तीसरे उत्पादकता, कार्य दक्षता तथा गुणवत्ता के प्रति असंगठित क्षेत्र जिसकी पहचान रोजगारों के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने वाले क्षेत्र के रूप की जा चुकी है, की जागरूकता में सुधार लाने के लिये पहली शर्त यह है कि उसे असंगठित प्रकृति से उबारा जाए और उसे संस्थागत कामकाजी ढांचा उपलब्ध कराया जाए; उसके काम को व्यवस्थित करने तथा उसे सही दिशा में ले जाने के लिये श्रम सम्बन्धी मामलों सहित उसके कामकाजी तंत्र के सभी पहलुओं की जांच पड़ताल करने, उसके कामों में नियमितता लाने तथा उसके परिचालन में सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की जाए । जहां उसे संस्थागत ढांचा एवं तंत्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता है वहीं यह भी यकीनी बनाया जाना चाहिये कि बड़े खिलाड़ी कहीं प्राक्सी में ही इसे हड़प न कर जाएं और वह भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा किये बिना । यहां पर भी हमारे लिये अपने वर्तमान दृष्टिकोण में बदलाव लाना जरूरी होगा । इस सम्बन्ध में विशेष दल की रिपोर्ट के 'ओवरव्यू' अध्याय का उल्लेख करना संगत होगा; उसमें कहा गया है: 'श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास करते समय (असंगठित क्षेत्र में) अधिक बल इस क्षेत्र के विकास की ओर देना चाहियेकृसामाजिक सुरक्षा के बुनियादी कदमों, कामकाजी स्थितियों, न्यूनतम वेतनों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा किये जाने के सम्बन्ध में आगे चल कर रोजगार की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उसकी सुरक्षा के लिये कानून में तबदीलियां लाने की आवश्यकता होगी।' दुर्भाग्य की बात है कि वही योजना आयोग ऊंचे स्वर में जी डी पी के 8 प्रतिशत वृद्धि दर की दुहाई दे रहा है, उसने दसवीं पंच वर्षीय योजना के नीतिगत कदमों को उसके ठीक विपरीत दिशा में अंतिम रूप दे डाला है जिसका सुझाव एस पी गुप्त समिति की ओर से दिया गया था।

23.4 और चौथी बात, आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाए जाने के फलस्वरूप उद्योगों की लघु इकाईयों के साथ-साथ कृषि तथा कृषि आधारित काम धंधों पर जो विनाशकारी दुष्प्रभाव पड़ा है, उसे गम्भीरता के साथ दूर किया जाना चाहिये; बजाए इसके कि 'डब्ल्यू टी ओ के मुआफिक' तर्क देकर 'अपने हाथ बंधे होने की दुहाई' दी जाए । इस स्थिति से निकलने के ढंग तरीके हम जानते हैं और इसका समाधान भी हमारे पास है; किन्तु यदि कुछ नहीं है तो

वह केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति ही है; हां, उन लोगों में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव ही है जो देश का शासन चला रहे हैं; उनमें देश की विकास की जरूरतों को पूरा करने की इच्छा होनी चाहिये। उनके विदेशी आकाओं की मर्जी का यहां क्या काम!

23.5 संगठित क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर कहां तक उपलब्ध कराए जा सकते हैं, इसका पता लगाने की सम्भावनाएं काफी हैं। सबसे पहले सरकार को श्रमिकों की संख्या में कमी लाने के काम को बंद करना होगा जिसे वह बिना सोचे समझे कर रही है और जिसका दुष्प्रभाव अनेक क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं पर पड़ा है। 'अतिशय श्रम शक्ति' होने का शोर भले ही कितने ऊंचे स्वर में क्यों न मचाया जाए किन्तु यह असलियत अपने स्थान पर बनी हुई है कि भारत में जनता को विश्व भर में सबसे कम अनुपात में सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र का रोजगार प्राप्त होता है। भारत में यह अनुपात प्रति हजार दो है जो बहुत कम है जबकि एशिया का अनुपात प्रति हजार 4.5 है। विकसित देशों में यह अनुपात इससे भी अधिक अर्थात् प्रति हजार 6 है। इस पर भी सरकारी विभागों में श्रमिकों/कर्मचारियों की संख्या कम करने का अभियान चलाया जा रहा है; सार्वजनिक क्षेत्र की लाभ पर चलने वाली अनेक इकाईयों तथा अनेक महत्वपूर्ण जन सुविधाओं को लगभग मुफ्त में ही निजी क्षेत्र के लोगों को बेचा जा रहा है । इससे निजी कार्पोरेट सेक्टर का हौंसला और अधिक बढ़ गया है और वह बेखौफ होकर अपने यहां काम करने वाले श्रमिकों की संख्या में जबरदस्त कटौती कर रहा है; श्रमिकों पर काम का बोझ बेतहाशा बढ़ा दिया गया है; उत्पादन बढ़े या न बढ़े किन्तु उनके लाभों में जबरदस्त उछाल जरूर आया है और उनकी धन सम्पत्ति तेजी के साथ बढ़ रही है । यह बात भी पल्ले बांध लेनी होगी कि सभी प्रकार के मंदे की स्थिति होने पर भी भारतीय कार्पोरेट सेक्टर के लाभों का स्तर पहले की भांति ऊंचा ही ऊंचा होता चला जा रहा है । ये लोग अपने बही खातों में जो हेराफेरियां एवं गड़बड़ियां करते हैं, उनकी तो बात ही मत कीजिये । इस क्षेत्र में सरकार को अधिक जोरदार एवं नियामक भूमिका निभानी चाहिये ताकि वर्तमान कानूनों को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सके ।

23.6 इसके साथ ही साथ बिना सोचे समझे अर्थ व्यवस्था के किवाड़ खोलने की नीति को भी बदले जाने की जरूरत है और भारतीय उद्योगों के लिये एक समान अवसर उपलब्ध कराने तथा उन्हें असमान प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिये एक समुचित नियामक तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता भी है । विश्व की वर्तमान परिस्थितियों में भी ये कदम उठाए जा सकते हैं और हम एक बार फिर कहेंगे कि इसके लिये राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है ताकि हम बेखौफ होकर अपने बड़े भाई के साथ बात कर सकें । बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा अनुचित ढंग से अपने माल की डम्पिंग यहां की जा रही है; वे स्वदेशी उद्योगों को किनारे लगाने के लिये इस प्रकार की हरकतें करते हैं; सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों के स्वदेशी उद्योगों की इससे रक्षा करने के लिये नीतिगत कदम उठाए जाने चाहियें। अमरीका ने खुद तो हठी रुख अपनाते हुए भारतीय इस्पात पर अपने यहां डम्पिंग विरोधी शुल्क लगा रखा है किन्तु भारत की धरती में लागत से भी कम मूल्य पर सी आइ एस देशों से इस्पात का प्रवाह बदस्तूर चल रहा है; इस मामले में डब्ल्यू टी ओ के नियमों को पांवों तले रौंदा जा रहा है; अमरीका तथा युरोपीय संघ की ओर से भारत तथा दूसरे विकासशील देशों से निर्यातों के खिलाफ गैर-टैरिफ संरक्षण कानून लागू किये हुए हैं; ये इसके कुछेक प्रमाण हैं; डब्ल्यू टी ओ के नियम कुछ भी क्यों न हों किन्तु भारत सरकार को अपनी रीढ़हीन नीति में बदलाव लाना ही होगा।

23.7 नीति निर्धारकों की चिंतनधारा को बदल देने की जरूरत है और या उन नीति निर्धारकों को ही पूरी तरह बदल दिया जाना चाहिये । श्रमिक वर्ग द्वारा जन साधारण की दूसरी श्रेणियों के साथ मिल कर पूरी दृढ़ता के साथ इन नीतियों के खिलाफ जुझारू संयुक्त संघर्ष चलाए जाने से ही इन्हें बदला जा सकता है। उसे सरकार तथा दूसरे अभिकरणों के इन तर्कों का मुंह तोड़ जवाब देना होगा कि वर्तमान स्थिति को बदला नहीं जा सकता।

24. सार्वजनिक क्षेत्र का मलियामेट कर देने पर आमादा

24.1 आर्थिक सुधार और उसके लिये सार्वजनिक क्षेत्र का मलियामेट कर देने का काम उत्तरोत्तर बनने वाली सरकारों की ओर से किया जाता रहा है; वे इसके लिये लोगों की आंखों में धूल झोंकती रही हैं ; उन्हें अंधेरे में रखा गया

है। दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्र की सम्पदाओं जिनका निर्माण श्रमिकों ने अपना खून पसीना एक करके किया था, को लाभ के भूखे निजी क्षेत्र के उद्यमियों की झोली में डाला जा रहा है; इसके लिये राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक बहस भी नहीं कराई गई । सुधार समर्थक मंच ने भी इसका उल्लेख इस प्रकार किया है: 'सुधारों पर अंग्रेजी भाषा में निकलने वाले समाचार पत्रों, संसद तथा बुद्धिजीवी लोगों के मंचों पर बहस कराई गई है किन्तु वर्ष 1991 के पश्चात् भारत में दो संसदीय चुनाव हो चुके हैं, किन्तु सुधारों को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में चुनावी राजनीति का भाग नहीं बनाया गयाकृ' (इंडिया इन द इरा आफ इकनामिक रिफार्म, हारवर्ड यूनिवर्सिटी, 1996)।

24.2 सरकार की ओर से निजीकरण के लिये पागलपन की हद तक जाकर अभियान चलाया जा रहा है, इसके लिये वह अपनी वित्तीय अथवा प्रबंधकीय बुद्धिमत्ता से काम नहीं ले रही है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन द्वारा अपनाए गए विचारधारात्मक रुख के चलते यह अभियान चलाया जा रहा है; अमरीका के नेतश्त्व में अमीर देश पर्दे के पीछे रह कर इसे आगे बढ़ा रहे हैं । पूरे विश्व में कहीं भी सार्वजनिक क्षेत्र हो, यह वे नहीं चाहते। निजी क्षेत्र के मगरमच्छ दुनिया की पूरी की पूरी अर्थ व्यवस्था को अपने जबड़ों में ले लेने के लिये बेताब हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की कहीं नाम मात्र के लिये भी मौजूदगी हो, वे इसे भी सहन करने के लिये तैयार नहीं हैं । भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार दासत्व भाव के साथ उनके हर आदेश का पालन करती चली जा रही है ।

24.3 याद रहे, कांग्रेस सरकार ने 1991 का नीतिगत वक्तव्य जारी करके निजीकरण की इस खेल को शुरू किया था ; उस वक्तव्य में घोषणा की गई थीः 'सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के पास जितने शेयर हैं उनका एक भाग म्यूचुअल फण्ड्स, वित्तीय संस्थानों, जन साधारण तथा श्रमिकों को दिया जाएगा ।' जहां संयुक्त मोर्चा सरकार ने विनिवेश आयोग की स्थापना करके यह प्रक्रिया जारी रखी थी वहीं भाजपा के नेतृत्व वाली एन डी ए सरकार ने देश के औद्योगिक नक्शे से सार्वजनिक क्षेत्र का नामो निशान मिटा देने की ठान ली, उसने इस काम को प्राथमिकता दी है; उसकी ओर से इसके लिये एक अलग से मंत्रालय अर्थात् विनिवेश मंत्रालय का गठन किया गया जिसका प्रभारी मंत्री श्रीमान अरुण शोरी को बनाया गया है । इस प्रकार भाजपा के नेतृत्व वाली एन डी ए सरकार द्वारा अपनाई गई सार्वजनिक क्षेत्र की घोर विरोधी नीतियां अब अपनी सब हदें पार कर चुकी हैं । सार्वजनिक क्षेत्र की लाभ कमाने वाली ब्लू चिप इकाईयां जिनका 'रत्न' कह कर यशगान किया गया था, निजीकरण के चालू हमले का सबसे बड़ा निशाना बन चुकी हैं । इस प्रक्रिया में लाभ कमाने वाली तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सार्वजनिक इकाईयों का एक-एक करके निजीकरण किया जा रहा है ।

24.4 यह चिन्ता का विषय है कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और लाभ कमाने वाले ब्लू चिप सार्वजनिक उपक्रमों जिन्हें विनिवेश मंत्रालय की ओर से हड़बड़ी में आकर निजीकरण के रास्ते पर धकेला गया था, में एच पी सी एल, बी पी सी एल, आइ ओ सी, जहाजरानी निगम, नालको, गोदी एवं बंदरगाह, भारत का वायुपत्तण प्राधिकरण तथा कोल इंडिया लिमिटेड शामिल हैं । विनिवेश मंत्रालय का गठन होने के बाद से ही सामरिक बिक्री के रास्ते पर चलते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की 34 इकाईयों का निजीकरण किया जा चुका है । सामरिक विनिवेश के सौदों से सरकार द्वारा 11,344.00 करोड़ रुपये जुटाए गए। (सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी सर्वेक्षण 2001-2002)। आइ टी डी सी तथा एच सी आइ के होटलों के अतिरिक्त जिन सार्वजनिक उपक्रमों का सामरिक विनिवेश किया जा चुका है उनमें एम एफ आइ एल, बालको, सी एम सी, एच टी एल, आइ बी पी, वी एस एन एल, पी पी एल, एस टी सी, एम एम टी सी, एच ज़ैड एल, मारूति उद्योग तथा आइ पी सी एल शामिल हैं ।

24.5 उच्चतम न्यायालय की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र की इन तेल इकाईयों का निजीकरण करने से पहले संसद से स्वीकृति लेने सम्बन्धी दिये गए आदेश के चलते एच पी सी एल तथा बी पी सी एल का निजीकरण करने में विफल रहने के कारण विनिवेश पर केन्द्रीय मंत्री मण्डल की समिति ने इन्हें विभाजित करने तथा भारतीय तेल निगम (आइ ओ सी) का निजीकरण कर देने का फैसला किया था। याद रहे, आइ ओ सी भारत की एकमात्र ऐसी कम्पनी है जिसकी पहचान विश्व भर की फारचून 500 कम्पनियों में से एक कम्पनी के रूप में की गई थी और वह विश्व भर में 17वीं सबसे बड़ी पेट्रोलियम कम्पनी है।

24.6 केन्द्रीय विनिवेश मंत्रालय ने 'निजीकरण पर एक संहिता' का प्रकाशन किया है । उस संहिता मे यही बताया गया है कि विश्व बैंक की ओर से सुझाए गए नुसखे के अनुसार फास्ट ट्रैक निजीकरण कैसे किया जाए; इसकी प्रक्रिया को एक नीतिगत ढांचा उपलब्ध करा दिया गया है। इस मैन्युअल अथवा संहिता में बिक्री के लिये पहले से ही नामजद की जा चुकी सार्वजनिक कम्पनियों के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों पर विस्तार में चर्चा करते हुए एक विशेष विधि को अपनाने की सिफारिश की गई है। इस विधि का नाम है--'डिस्काऊंटिड कैश फलो विधि (डी सी एफ)', बिक्री के लिये नामजद सार्वजनिक इकाई की सम्पत्ति के विशाल आधार तथा उसके हस्तांतरण की लागत पर विचार किये बिना ही उसके मूल्य का कम से कम निर्धारण हो, यह विधि इसे यकीनी बनाती है; यह सब सम्भावित खरीद दार को लाभ पहुंचाने के लिये ही किया जाता है, इसमें संदेह नहीं। यह राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों को निजी क्षेत्र के कारोबारी दैवों की झोली में औने पौने दामों पर डाल देने का हथकण्डा है । यदि सरकार के विनिवेश मैन्युअल द्वारा सुझाई गई मूल्यांकन की विधि में भारत के महा लेखा नियंत्रक की ओर से 'अंदरूनी दोष' को ढूंढ निकाला गया है तो यह अकारण नहीं हुआ । मूल्यांकन के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हस्तांतरण लागत जिसका पहले ही अवमूल्यन हो चुका हो, की यह विधि (अर्थात् परिसम्पत्ति के मूल्यांकन की विधि) सबसे अधिक उपयुक्त विधि है ।'

24.7 विनिवेश मंत्रालय की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र के साथ गद्दारी करने के लिये एक और दस्तावेज निकाला गया जिसका शीर्षक है, 'सामरिक बिक्री के समझौते को समझना'। एक खरीद दार बेचने वाले (सार्वजनिक उपक्रमों को) का धन हड़प ले, इसका मौका उपलब्ध करा कर सरकार की ओर से अपने ही किस्म की एक खास सम्भावना पैदा कर दी गई है । नीति के विषय की रूपरेखा इस दस्तावेज में दी गई है; विनिवेश मंत्री अरुण शोरी के अनुसारः 'इसका अर्थ है कि सरकार घाटे पर चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों से छुटकारा पाने के लिये निजी क्षेत्र के बोलीकारों को वास्तव में अपनी ओर से पैसे का भुगतान करती है । निजीकरण से सम्बन्धित सभी प्रमुख समझौतेां में पोस्ट कलोजिंग एडजेस्टमैंट के बदनाम प्रावधान शामिल किये गए हैं; इन्हीं बदनाम प्रावधानों के अन्तर्गत बालको, पी पी सी एल, माडर्न फूड, सी एम सी, एच टी एल इत्यादि के सौदों में सरकार की ओर से निजी क्षेत्र के खरीदारों को बाद में भारी धन राशि का भुगतान किया गया था । कुछेक मामलों में जैसा कि उड़ीसा में पी पी एल के मामले में हुआ था; खरीदने वाले पक्ष ने उससे कहीं अधिक राशि का दावा कर दिया जितने में उसने इस इकाई को खरीदा था और समझौते के अन्तर्गत सरकार इस राशि का भुगतात करने के लिये बाध्य थी ।

24.8 वाजपेयी सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र का पूरा नेटवर्क निजी कारोबारी घरानों तथा विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हवाले कर देने के मामले में कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी मची हुई है और इसके लिये वह निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिये आउट आफ द वे जाकर उसे अच्छी खासी छूटें व सुविधाएं देती चली जा रही है। हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों का उनके संचित घाटे के साथ निजीकरण करने के लिये एक नीति की घोषणा की है जिसे तीन वर्षों की 'शैशवकालीन' (इनफेंसी टाइम) व्यवस्था कहा गया है। इस नीति के अन्तर्गत बेची जा चुकी सार्वजनिक इकाईयों के निजी मालिकों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से उदारता के साथ ऋण दिये जाएंगे और इन ऋणों को तीन वर्षों के लिये एन पी ए नियमों से बाहर रखा जाएगा। पता चला है कि इस श्रेणी में 24 सार्वजनिक उपक्रम रखे गए हैं; इस पूरी कार्रवाई को इन शब्दों में बयान किया जा सकता हैः 'वाणिज्यक बैंक निजीकृत सरकारी कम्पनियों के लिये उच्चतर कामकाजी पूंजी के ऋण उपलब्ध कराएं और इसके माध्यम से उन्हें और अधिक अवसर प्रदान करें।' (इकनामिक टाइम्स : 29.05.03)

24.9 शोरी जिस प्रकार नग्न रूप में और तनिक भी लज्जा किये बिना निजी क्षेत्र की वकालत कर रहे हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के खिलाफ उन्होंने जो जेहाद छेड़ रखा है; उस मामले में कोई उन्हें परास्त नहीं कर सकता । इसकी उदाहरणें हम ऊपर दे चुके हैं; उसके अलावा भी एक और दस्तावेज प्रकाशित किया गया है; यह दस्तावेज विनिवेश विभाग ने तैयार किया है । इस दस्तावेज में विनिवेश विभाग की ओर से निजीकरण के कुछ लक्ष्यों का वर्णन किया गया है; इनमें से एक लक्ष्य 'लागत नियंत्रण' के नाम पर श्रमिकों के वेतन कम करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में श्रमिक आंदोलन की सफलता के फलस्वरूप उनके श्रमिकों को निजी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों

की अपेक्षा कुछ बेहतर वेतन मिलते हैं; शोरी के लिये यह मामला बहुत ही दुःखदायी है। सच पूछो तो यह देख कर उनका दिल जलता है । वर्ष 1990-91 में सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाली बिक्री की प्रतिशतता के रूप में इन श्रमिकों के वेतनों का प्रतिशत मात्र 18.6 था और निजी क्षेत्र में यही प्रतिशत 8.9 था; वर्ष 1997-98 में सार्वजनिक क्षेत्र में यह प्रतिशतता बढ़ कर 23.3 प्रतिशत हो गई जबकि निजी क्षेत्र में यह और भी कम होकर 6.5 प्रतिशत रह गई। अब शोरी के विनिवेश विभाग की ओर से तैयार किये गए दस्तावेज में उल्लेख किया गया है, 'जहां तक निजी क्षेत्र के मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का सम्बन्ध है, वह लागत में कमी लाने के लिये कदम उटाने में सक्षम है (बेहतर तो यही होगा कि आप इसे वेतन पढ़ें) वहीं सार्वजनिक क्षेत्र इस प्रकार के कदम नहीं उठा सकता। शोरी के लिये क्षमता की कसौटी निजी क्षेत्र की लूट के अतिरिक्त और क्या हो सकती है ।

25. सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों का पुनरुद्धार

25.1 सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार और घाटे पर चल रही इकाईयों का पुनरुद्धार करने के लिये कुछ नहीं करेगी; यह घोषणा भी आखिरकार उसने कर ही दी है । यह भी एक वास्तविकता है कि अच्छी खासी हालत में चलने वाली ये इकाईयां सरकार की अपनी पक्षपाती नीतियों के कारण ही बीमार हुई थीं । इन सार्वजनिक इकाईयों को उस सूची में शामिल किया जा चुका है जिन्हें बंद किया जाना है; आठ सार्वजनिक इकाईयों में कामबंदी करने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। सरकार कई अन्य इकाईयों में भी कामबंदी करने की प्रक्रिया चला रही है और इसके लिये वह बहुत सक्रिय है। जिन आठ इकाईयों को बंद करने का फैसला किया गया है, उनकी कामबंदी पर आने वाली लागत उस लागत से कहीं अधिक है जो उनका पुनरुद्धार करने में आएगी; बी आइ एफ आर में इस सम्बन्धी सुझाव भी दिये गए थे, किन्तु सरकार तो उन्हें हर हालत में बंद कर देने के लिये तुल गई है; इसे विडम्बना ही कहा जाएगा । सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक इकाईयों को बंद कर देने की प्रक्रिया को तेज करना चाहती है; इसके लिये बी आइ एफ आर के रास्ते के अतिरिक्त वह कुछ और ढंग तरीके भी अपना रही है; औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों को अमल में लाकर श्रम मंत्रालय के माध्यम से वह उदारतापूर्वक इकाईयों को बंद करने की अनुमति देने लगी है। ऐसा करते समय केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करने की जरूरत भी महसूस नहीं करती। निकट अतीत में कामबंदी का शिकार हो चुकीं सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख बीमार इकाईयों में भारतीय उर्वरक निगम के चार संयंत्र, हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के चार संयंत्र, पाइराइट्स-फास्फेट तथा केमिकल के तीन संयंत्र और इंडियन ड्गस एण्ड पेट्रोकेमिकल्स के तीन संयंत्र भी शामिल हैं ।

26. सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों की शानदार वित्तीय कारगुजारी

26.1 यह ठीक ही तो कहा गया है कि, 'सार्वजनिक उपक्रमों को यदि एक बार बेच दिया जाता है तो अनेक मामलों में सरकार को उनसे होने वाले अच्छे धन की वापसी भी बंद हो जाएगी ।' (बिजनस लाइन, 18.6.2002)। नीचे व्यक्त किये गए विचारों से पता चल जाएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम केन्द्र सरकार के राज कोष में बहुत भारी योगदान दिया है; विषम परिस्थितियों में भी उसका योगदान सदा बढ़ता रहा है । इसके विपरीत इस मामले में निजी क्षेत्र ने दिवालियेपन का सबूत दिया है। सरकार को करों तथा शुल्कों का भुगतान करने के मामले में निजी क्षेत्र के कारोबारी घरानों का रिकार्ड बेहद खराब रहा है; उनकी गड़बड़ियां बढ़ती ही चली गई हैं; हेराफेरी करने के मामले में वे लोग नित नये-नये हथकण्डे अपनाते रहे हैं। बैंकों से ऋण लेना और डकार जाना, निजी क्षेत्र के कारोबारियों के लिये कोई नयी बात नहीं है । इस मामले में अनेक सरकारों की भूमिका को भी लोग भली भांति जानते हैं । सार्वजनिक उपक्रमों को भंग किये जाने का दुष्प्रभाव दीर्घावधि में सरकार के राजस्व पर पड़ेगा। उसकी आय कम हो जाएगी, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है; सरकार को इस प्रश्न का उत्तर राष्ट्र को देना ही होगा। इसलिये निजीकरण की कोष/बैंक नीति का मतलब और कुछ नहीं बल्कि आय अर्जित करने वाली परिसम्पत्तियों की लूट मचाना है और वित्तीय घाटा दूर करने के नाम पर पूंजी का उपयोग करना है। इसे 'दाल रोटी के लिये परिवार के आभूषण बेच देना' कहा जाएगा।

26.2 सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से वर्ष 2001-2002 में 26,045.00 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया गया

जबकि वर्ष 2000-01 में उन्होंने 15,653.00 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था; इस प्रकार उन्होंने अपने लाभ में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज कराई है । लाभ, ब्याज, मूल्यह्रास तथा करों के भुगतान में 2000-01 के 69,287 करोड़ रुपये की तुलना में 2001-02 में 29.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात् यह राशि बढ़ कर 89,619 करोड़ रुपये हो गई । वर्ष 2001-02 के लिये पूंजी के एक्विटी शेयर पर वापसी (शुद्ध लाभ और पेड अप केपिटल का अनुमान) 24.58 प्रतिशत रही। करों का भुगतान करने से पहले का शुद्ध लाभ इस अवधि में बढ़ कर 38,299 करोड़ रुपये तक पहुंच गया जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 24,967 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था; इस प्रकार उसमें 53.40 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई । करों का भुगतान करने से पहले के शुद्ध लाभ तथा वर्ष 2001-02 के लिये उसका शुद्ध मूल्य 16.49 प्रतिशत रहा । शुद्ध मूल्य में 31.47 प्रतिशत तक वृद्धि हुई । आबकारी शुल्क, सीमा शुल्क, नैगम कर, केन्द्रीय सरकार के ऋणों पर ब्याज, लाभांश तथा दूसरे शुल्कों एवं करों के रूप में केन्द्रीय राज कोष में सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान वर्ष 2000-01 के 61,037 करोड़ रुपये से बढ़ कर वर्ष 2001-02 में 62,753 करोड़ रुपये हो गया; दूसरे शब्दों में उसके योगदान में 1,716 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। (सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी सर्वेक्षण 2001-02)। सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र का भाग सत्तर के दशक के शुरू में केवल 13.7 प्रतिशत था। अगले दो दशकों में उसमें तेजी से वृद्धि हुई थी और 1990-91 तक पहुंचते उसमें दोगुणा बढ़ोतरी हो चुकी थी अर्थात् यह 25 प्रतिशत हो गया था और अपेक्षाकृत नब्बे के दशक में उसमें तेज वृद्धि ही होती रही है।

27. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल इकाईयों का योगदान

27.1 सार्वजनिक क्षेत्र की तेल इकाईयों के काम का प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है और उन्होंने लाभांशों, करों तथा शुक्लों के रूप में सरकार के राज कोष अपने योगदान को भी बढ़ाया है; उनके निजीकरण के खिलाफ दिये जा रहे ठोस तर्कों में यह एक तर्क भी दिया जा रहा है । तेल क्षेत्र की दो प्रमुख कम्पनियों-बी पी सी एल तथा एच पी सी एल जिन पर निजीकरण की काली छाया पड़ चुकी है, का शानदार वित्तीय प्रदर्शन रहा है । पिछले कुछ वर्षों में बी पी सी एल की आय 42,294 करोड़ रुपये रही है और उसकी ओर से 10,513 करोड़ रुपये के आबकारी शुल्क का भुगतान किया गया । एच पी सी एल की आय 45,286 करोड़ रुपये रही है और उसकी ओर से 11,246 करोड़ रुपये के आबकारी शुल्क का भुगतान किया गया । इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र की इन दोनों प्रमुख कम्पनियों की कुल आय 87,580 करोड़ रुपये रही और उनकी ओर से 21,759 करोड़ रुपये के आबकारी शुल्क का कुल भुगतान किया गया ।

27.2 इसके विपरीत निजी क्षेत्र का कार्य प्रदर्शन कैसा रहा, इसकी एक उदाहरण देखिये । रिलायंस, ग्रेसिम, बजाज आटो, टाटा स्टील, स्टर लाइट, कोलगेट-पामोलिव, एल एण्ड टी, रेमण्ड एवं ग्लैक्सो की कुल आय उसी अवधि में 88,157 करोड़ रुपये रही और इन कम्पनियों ने अपनी आय के लिये सरकार को आबकारी शुल्क के रूप में 6,840 करोड़ रुपये का भुगतान किया । ये आंकड़े स्पष्ट रूप में दर्शाते हैं कि लाभ पर चलने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों का निजीकरण किये जाने के कारण राष्ट्रीय राज कोष को कितना भारी धक्का लगा है ।

27.3 सार्वजनिक क्षेत्र की सभी तेल कम्पनियों ने 2002-03 के वित्तीय वर्ष में रिकार्ड लाभ कमाया है । प्रमुख तेल कम्पनियों ने अपने शुद्ध लाभ को 69 प्रतिशत से बढ़ा कर 111 प्रतिशत किया है । ओ एन जी सी ने तो अपने पिछले सभी रिकार्ड तोड़ डाले हैं और उसने 'भारत के कार्पोरेट इतिहास में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक लाभ कमा कर एक नया अध्याय जोड़ा है; उसने पहली बार 10,467 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है ।' सबसे बड़ी तेल शोध एवं विपणन कम्पनी-आइ ओ सी ने 6,579 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया; बी पी सी एल ने 1,822 करोड़ रुपये तथा एच पी सी एल ने 1,537.36 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है ।

27.4 तेल कम्पनियों-ओ एन जी सी, आइ ओ सी, एच पी सी एल, बी पी सी एल, जी ए आइ एल, ओ आइ एल, नुमलीगढ़ रिफायनरी, चेन्नई पेट्रोलियम, कोच्चि रिफायनरी, ई आइ एल, आइ बी पी, बोंगाईगांओं रिफायनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड- ने सामूहिक रूप से वर्ष 2002-03 के लिये 8,862 करोड़ रुपये के लाभांशों का भुगतान

किया है । चालू वित्तीय वर्ष के बजट में यह 80 प्रतिशत से अधिक लाभांशों की प्राप्ति थी । ओ एन जी सी ने सबसे अधिक 300 प्रतिशत लाभांशों का भुगतान किया था; उसके बाद एच पी सी एल ने 200 प्रतिशत तथा आइ ओ सी ने 160 प्रतिशत लाभांशों का भुगतान किया हैं। 2002-03 के वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय राज कोष में आइ ओ सी ने 33,007 करोड़ रुपये तथा ओ एन जी सी ने 16,492 करोड़ रुपये का योगदान दिया है ।

27.5 दिलचस्प बात यह है कि पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (आर आइ एल) ने करों के रूप में सरकार को यदि सबसे अधिक राशि का भुगतान किया है तो यह राशि केवल 10,000 करोड़ रुपये ही है । सरकार के राज कोष में ओ एन जी सी, आइ ओ सी तथा आर आइ एल के योगदान को यदि रेखांकित किया जाए और इन तीनों कम्पनियों के आरक्षित कोष तथा अतिरिक्त कोष पर भी नजर डाली जाए तो हमें सनसनीपूर्ण बातों का पता चल जाएगा । आर आइ एल को 28,978 करोड़ रुपये, ओ एन जी सी को 28,296 करोड़ रुपये तथा आइ ओ सी को 14,532 करोड़ रुपये मिले थे । इसलिये निजी कम्पनियों की तथा कथित कार्य दक्षता यही है कि राज कोष में कम राजस्व का योगदान दिया जाए और अपने कोष के लिये अधिक से अधिक योगदान दिया जाए; यह तथ्य इस सच्चाई से पर्दा उठाने के लिये काफी है । इसके विपरीत सार्वजनिक कम्पनियां राष्ट्रीय राज कोष में अधिक योगदान देती हैं; यही है उनकी कार्य दक्षता! निजीकरण के विरोधियों को उन लोगों के साथ बात करते समय तर्क की यह चपत अवश्य मारनी चाहिये जो निजीकरण का समर्थन करते हैं।

28. निजीकरण के बाद श्रमिकों की शोचनीय स्थिति

28.1 सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के निजीकरण के फलस्वरूप श्रमिकों की संख्या में बेरोकटोक कमी की गई है या की जा रही है। असल में, जब से सरकार ने निजीकरण का हमला शुरू किया है तभी से सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों का प्रबन्धन, सरकार का आदेश मिलने के कारण अपने श्रमिकों की संख्या कम कर रहा है। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के अनुसार 'पिछले दस वर्षों में सार्वजनिक उपक्रमों की श्रम शक्ति 23 लाख से कम करके 17 लाख कर दी गई है ।' बालको के निजीकरण के मामले ने लोगों का ध्यान सबसे अधिक खींचा था, निजीकरण होने के बाद उसके सैंकड़ों श्रमिकों की छंटनी की जा चुकी है । आइ पी सी एल में 400 श्रमिकों को दूर से ही बाए बाए कह दी गई और रिलायंस ने अपने अकेले वडोदरा संयंत्र में ही 2,000 अतिरिक्त श्रमिकों का पता लगा लिया है।' माडर्न फूड्स, आइ टी डी सी होटल्स, मारूति, वी एस एन एल की कहानी भी न्यूनाधिक कुछ इसी प्रकार की है।

28.2 निजी क्षेत्र में श्रम कानूनों का घोर उल्लंघन होता है और ट्रेड यूनियन अधिकारों को ही मानने से इन्कार कर दिया जाता है; इस प्रकार के मामले आम तौर पर देखने को मिलते रहते ही हैं; श्रमिकों की ओर से पूरी गम्भीरता के साथ इसका प्रतिरोध भी किया जाता है । निजी क्षेत्र के नये प्रबन्धन के हाथों अपमान का घूंट जो श्रमिक पी नहीं पाते उनकी ओर से आत्म हत्याएं किये जाने के मामले भी प्रकाश में आ रहे हैं।

28.3 सर्व शक्तिमान प्रधानमंत्री कार्यालय (पी एम ओ) की ओर से पिछले वर्ष एक समिति का गठन किया गया था; उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है; रिपोर्ट चौंका देने वाली है । समिति के सदस्यों ने निजीकरण के बाद की हालत का जायजा लेने के लिये बालको तथा माडर्न फूड्स की इकाईयों का दौरा किया था । कहा जाता है कि समिति के सूत्रों ने बालको के बारे में बताया था, 'स्टर लाइट ने कर्मचारियों को वी आर एस लेने पर मजबूर किया और वी आर एस की राशि का भुगतान पांच किश्तों में करने का फैसला किया जिन्होंने उसकी बात मानने से इन्कार किया उन्हें तबादले करके परेशान किया गया ।' वी आर एस के नाम पर कर्मचारियों को जबरी सेवा निवृत्त होने के लिये बाध्य किया जा रहा है । स्टर लाइट के लिये बहुमेधा होने का अर्थ यह है कि श्रमिकों को सभी काम करने चाहियें जिनमें निचले काम भी शामिल हैं। कर्मचारी दशकों से जिन सुविधाओं का सुख भोग रहे थे, वे धीरे धीरे खत्म की जा रही हैं। चिकित्सा सुविधाओं पर व्यावहारिक रूप में पूर्ण विराम लगा दिया गया है। श्रमिकों की कैंटीन के लिये जो नया हाल बनाया गया था, उसे कार्यालय बना दिया गया है, क्योंकि स्टर लाइट श्रमिकों के लिये इस प्रकार की कैंटीन को ऐश्वर्य की वस्तु मानता है। बालको के सार्वजनिक क्षेत्र में रहते समय सम्पन्न किये गए सभी समझौतों, कन्वेंशनों तथा समय की कसौटी

पर खरी उतरी प्रणालियों एवं व्यवस्थाओं का मलियामेट किया जा चुका है । स्टर लाइट के प्रबन्धन ने सेवा एवं बिक्री की शर्तों तथा अदालत के आदेशों की खुली अवहेलना करते हुए 1400 श्रमिकों की छंटनी कर डाली है ।

28.4 माडर्न फूड्स के बारे में क्या कहा जाए, 'यह बात मानने को दिल तो नहीं करता, किन्तु इसे झुठलाया भी तो नहीं जा सकता; हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड (एच एल एल) के प्रबंधन ने केवल दो वर्षों में ही कर्मचारियों की संख्या 1,650 से कम करके 850 कर दी है और इन दिनों वह अपनी दिल्ली की मशीनरी को जयपुर भेज देने के चक्कर में है जबकि फरीदाबाद की इकाई पहले ही बंद की जा चुकी है' (ठी ओ आइ 27. 05. 03)। एच एल एल प्रबंधन ने घोषणा कर दी है कि माडर्न फूड्स के कर्मचारी एच एल एल के कर्मचारियों की अपेक्षा कम वेतन लेते रहेंगे। कम्पनी के एक कार्यकारी अधिकारी की ओर से यह कहा गया, 'हम माडर्न फूड्स के किसी भी कर्मचारी को समान वेतन नहीं देंगे; यदि हम किसी नये कर्मचारी की भर्ती करते हैं और उसे माडर्न फूड्स में काम पर लगाते हैं तो हम उसे वही क्षतिपूर्ति देंगे जो हिन्दुस्तान लीवर के कर्मचारी को दी जाती है।' निजीकृत आइ टी डी सी होटल्स के श्रमिकों के मामले में 'क्योंकि विनिवेश के बाद उनकी कुछ सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया था इसलिये कुल मिला कर उनकी क्षतिपूर्ति में कटौती कर दी गई है ।' (बिजनस स्टैंडर्ड 27. 6. 02) ठीक इसी प्रकार निजीकृत हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड के कर्मचारी अपने सेवा लाभों में जबरदस्त कटौती की मार झेल रहे हैं और जबरी वी आर एस जैसी हालत उनके सामने पैदा हो चुकी है ।

28.5 समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था; उसके अनुसार स्टर लाइट समूह ने बालको तथा हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड (उसे भी श्रीमान अरुण शोरी ने बहुत ही सस्ते दामों के बदले में स्टर लाइट समूह की झोली में डाल दिया था) का विलीनीकरण कर देने और विदेशों से ऋण लेने अथवा उसे विदेशी भागीदारी में लाने का फैसला कर लिया है। यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि बालको जल्दी ही विदेशी हाथों में चला जाएगा।

28.6 बालको तथा माडर्न फूड्स के कर्मचारी निजीकरण के बाद की स्थितियों में बहुत खुश हैं; कम से कम श्रीमान अरुण शौरी अर्थात् हमारे विनिवेश मंत्री महोदय का तो यही कहना है; वह कितनी खूबी के साथ झूठ पर झूठ बोलते हैं, इसका प्रमाण तो उपरोक्त तथ्यों को पढ़ने से ही मिल जाता है ।

29. संघर्ष के मोर्चों पर

29.1 दिसम्बर, 2000 में आयोजित सी आइ टी यू के दसवें महाधिवेशन के बाद हमने सभी स्तरों पर संघर्ष तेज होते देखे हैं । आंदोलनों के समय कुद शानदार घटनाएं भी हुई है; शक्तियों का एक नया गठबंधन उभर कर सामने आया है और सबसे महत्वपूर्ण घटना राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों पर तेजी के साथ विशेष प्रकार के आंदोलनों का चलना है । हमने संघर्षों की धारा का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाई है इसलिये हमारा प्रसन्नता का अनुभव करना स्वाभाविक ही है । वर्तमान में जो स्थितियां हैं, उनके संदर्भ में हमें अपनी कारगुजारी, उपलब्धियों की सम्भावनाओं तथा लक्ष्य को पाने के मामले में अपनी सफलताओं का विश्लेषन हमें अवश्य करना चाहिये ।

29.2 दसवें महाधिवेशन के तत्काल पश्चात् 24 जनवरी, 2001 को एन.डी.ए सरकार की विनाशकारी नीतियों के विरोध में राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाया गया। पूरे देश भर में हमारी भागीदारी एक समान नहीं रही थी। अधिकांश राज्यों में इस कार्यक्रम को गम्भीरता के साथ नहीं लिया गया जिसके परिणामस्वरूप हमारी लामबंदी संतोषजनक नहीं रही। 5-7 फरवरी, 2001 के धरना कार्यक्रम के अंतिम दिन अर्थात् 7 फरवरी को किसानों तथा खेतिहर श्रमिकों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिये प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। हमारी सूचनाओं के अनुसार यह कार्यक्रम अच्छे ढंग से संगठित किया गया था।

29.3 बालको के कर्मचारियों ने निजीकरण विरोधी आंदोलन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है । सी आइ टी यू के साथ सम्बद्ध श्रमिक संघ ने इस आंदोलन में सराहनीय भूमिका का निर्वहन किया है । सी आइ टी यू की ओर

से एकजुटता की कार्रवाईयों को संगठित करने के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इस आंदोलन के लिये सी आइ टी यू के साथ जुड़े दूसरे क्षेत्रों के कर्मचारियों की ओर से 10 लाख रुपये से अधिक राशि का योगदान दिया गया । हड़ताली श्रमिकों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिये विशाखापत्तनम से एक बस में सवार होकर अनेक श्रमिक वहां पहुंचे थे । यह हड़ताल 67 दिनों तक चली किन्तु उसे सफलता नहीं मिल सकी क्योंकि दूसरे श्रमिक संगठनों की ओर से ढुल मुल रुख अपनाया गया था और वे संघर्ष में भाग लेने से संकोच करते रहे । फिर भी हम निःसंकोच यह कहेंगे कि बालको के श्रमिकों का आंदोलन एक ऐतिहासिक घटना है और भारत का श्रमिक वर्ग इससे प्रेरणा लेता रहेगा ।

29.4 केन्द्रीय श्रमिक संगठनों जिनमें इंटक भी शामिल थी, के संयुक्त आह्वान पर केन्द्रीय सरकार के बजट के विरोध में 16 अप्रैल, 2001 को औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 2 घण्टों की हड़ताल की गई थी। अधिकांश राज्यों में श्रमिकों की ओर से इसके लिये उत्साह दिखाया गया ।

29.5 भारत सरकार के बजट के खिलाफ केरल में 12 मार्च को बंद का आयोजन किया गया; गुजरात में 16 अप्रैल को राज्य व्यापी हड़ताल की गई तथा 25 अप्रैल को महाराष्ट्र बंद का आयोजन किया गया । इन कार्रवाईयों को सफल बनाने के लिये दूसरे श्रमिक संगठनों तथा राजनीतिक शक्तियों को एकजुट करने में सी आइ टी यू ने एक माध्यम के रूप में काम किया था।

29.6 राज्य सरकारी कर्मचारी, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षक 27 मई को एकत्रित हुए थे; उनकी ओर से एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया था; उस कन्वेंशन में 25 जुलाई, 2001 को एक दिवसीय हड़ताल करने का आह्वान किया गया था । सी आइ टी यू ने कन्वेंशन में भाग लिया और हड़ताल के आह्वान के लिये अपना पूरा समर्थन दिया था । 3-4 राज्यों में हड़ताल सफल रही, 7 दूसरे राज्यों में आंशिक रुप से सफल रही । इस आंदोलन को ब्रिटिश श्रमिक संघों तथा कुछ दूसरे विदेशी श्रमिक संगठनों का समर्थन भी प्राप्त हुआ था ।

29.7 रक्षा उद्योग के श्रमिकों की ओर से निजीकरण के खिलाफ 23-24 जुलाई को हड़ताल का आह्वान किया गया था; मंत्री द्वारा मौखिक रूप आश्वासन दिये जाने पर इंटक तथा बी एम एस ने ठीक अंतिम समय पर इसे वापस ले लिया । यही हाल 2001 में दिये गए हड़ताल के आह्वान का हुआ था क्योंकि इंटक तथा बी एम एस ने उससे अपना सम्बन्ध तोड़ लिया था और हड़ताल में शामिल होने से ही इन्कार कर दिया था ।

29.8 सी आइ टी यू की ओर से पहलकदमी किये जाने पर डब्ल्यू टी ओ की नीतियों के खिलाफ 9नवम्बर, 2001 (दोहा में मंत्री स्तरीय बैठक से एक दिन पहले) को विश्व स्तर श्रमिक संगठनों का कार्रवाई दिवस मनाया गया। पूरे देश में श्रमिकों की ओर से भारी उत्साह के साथ इसके सम्बन्ध में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया गया। आइ सी एफ टी यू, डब्ल्यू एफ टी यू, तथा डब्ल्यू सी एल के अन्तर्राष्ट्रीय आह्वान का भारत में लगभग सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से समर्थन किया गया । शिव सेना, अन्ना द्रमुक, एम डी एम के, टी एम टी यू सी के साथ सम्बद्ध क्षेत्रीय श्रमिक संघों ने भी इस अभियान में भाग लिया।

29.9 खेतिहर श्रमिकों तथा किसानों ने भी 9 नवम्बर, 2001 के प्रदर्शनों में भाग लिया । अधिकांश राज्यों में इसके लिये अच्छा प्रत्युत्तर मिला ।

29.10 सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ 14 मार्च, 2002 को राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया गया था । यह कार्यक्रम भी सफल रहा । इंटक ने शुरू में संकोच दिखाया किन्तु बाद में उसकी ओर से भी प्रदर्शनों में भाग लिया गया । संसद के आगे एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया ।

29.11 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में 16 अप्रैल,2002 को देश व्यापी हड़ताल की गई । सार्वजनिक क्षेत्र की

इकाईयों में चल रहे संयुक्त आंदोलन के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक घटना थी । बी एम एस ने आधिकारिक रूप से हड़ताल की इस कार्रवाई में भाग लिया था । इंटक ने इसमें भाग नहीं लिया किन्तु इंटक के साथ सम्बद्ध अनेक फेडरेशनों तथा यूनियनों ने हड़ताल में भाग लिया । सी पी एस टी यू के सम्मेलन का आयोजन 5 मार्च,2002 को किया गया; सम्मेलन ने हड़ताल का आह्वान किया । यह सम्मेलन अब तक आयोजित सम्मेलनों में सबसे बड़ा सम्मेलन था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की सभी इकाईयों से 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

29.12 भले ही 16 अप्रैल को हड़ताल करने का आह्वान सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के लिये किया गया था फिर भी उसमें देश भर में राज्य सरकार के कर्मचारियों, बैंक एवं बीमा कर्मचारियों की फेडरेशनों की ओर से उत्साह के साथ हड़ताल में भाग लिया गया; यह एक शानदार घटना थी । गोदी एवं बंदरगाह श्रमिकों की सभी फेडरेशनों ने राष्ट्रव्यापी कार्रवाई में भाग लिया । असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं एवं सहायिकाओं की सभी चारों फेडरेशनों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के श्रमिकों ने भी भारी संख्या में हड़ताल में भाग लिया । पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक हड़ताल पूर्ण रही जबकि झारखण्ड में बंद पूर्ण रूप से सफल रहा । सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की ओर से अनेक राज्यों में एकजुटता प्रदर्शनों का आयोजन किया गया ।

29.13 कोयला खदानों का निजीकरण करने की केन्द्रीय सरकार की नीति के खिलाफ कोयला श्रमिकों की ओर से 3-5 दिसम्बर, 2001 को तीन दिनों की हड़ताल की गई; हड़ताल का आह्वान संयुक्त रूप से सी आइ टी यू, एटक, एच एम एस तथा बी एम एस की ओर से किया गया था । इंटक के केन्द्रीय नेतृत्व ने इसका अनुमोदन नहीं किया किन्तु खदानों के स्तर पर इंटक के नेताओं ने हड़ताल में भाग लिया और इस प्रकार यह तीन दिवसीय हड़ताल पूर्ण रूप से सफल रही ।

29.14 क्योंकि भारत सरकार अगस्त 2002 में 7 दिवसीय हड़ताल की पूर्व संध्या में सम्पन्न समझौते को लागू करने से संकोच करती रही है इसलिये कोयला श्रमिकों का आंदोलन जारी रहा । सी आइ टी यू, एटक, इंटक, एच एम एस तथा बी एम एस के साथ सम्बद्ध सभी पांचों फेडरेशनें संयुक्त रूप से कोयला खदानों में कामबंदी, कोयले के उत्पादन का काम ठेकेदारों के माध्यम से बाहरी लोगों से ठेके पर कराए जाने, भ्रष्टाचार तथा मशीनरी के दुरुपयोग के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं । उन्होंने मांग की है कि निजीकरण की योजना को समाप्त किया जाए और ई सी एल जैसी बीमार इकाईयों का पुनरुद्धार करने के लिये प्रभावी कदम उठाए जाएं। कोयला श्रमिकों के एक सम्मेलन का आयोजन 14 सितम्बर, 2003 को किया गया । उसमें संघर्ष का एक चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया गया जिसकी परिणिति 17 दिसम्बर, 2003 को कोलकाता में कोल इंडिया के मुख्यालय के आगे विशाल प्रदर्शन के साथ होगी । हड़ताल की राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के कार्यक्रम की घोषणा उसी अवसर पर की जाएगी ।

29.15 विशाखापत्तनम में स्थापित 'निर्यात प्रसंस्करण अंचल' में स्थित इस्राइल के स्वामित्व वाली डायमण्ड फेक्टरी के श्रमिकों की ओर से दो चरणों में हड़ताल की गई । पहली हड़ताल अक्टूबर, 2001 में की गई जो दस दिनों तक चली; और उसके बाद हड़ताल की दूसरी कार्रवाई 10 जनवरी, 2002 से शुरू हुई जो पूरे 39 दिन चली । सी आइ टी यू के नेतृत्व में श्रमिकों ने बड़ी बहादुरी के साथ यह संघर्ष किया; राज्य सरकार तथा बहु राष्ट्रीय निगम की ओर से उनका जबरदस्त दमन किया गया; गिरफ्तारियां की गईं तथा नौकरियों से बर्खास्त करने जैसी कार्रवाईयां की गईं । सी आइ टी यू की सचिव कामरेड हेमलता को भी इस संघर्ष के दौरान गिरफ्तार किया गया था ।

29.16 20,000 से अधिक बीड़ी श्रमिकों की ओर से 27 नवम्बर, 2001 को संसद के आगे प्रदर्शन किया गया; इस कार्यक्रम के द्वारा बीड़ी श्रमिकों की मांगों एवं शिकायतों को सफलतापूर्वक उठाया गया ।

29.17 आंध्र प्रदेश राज्य परिवहन निगम के 1,25,000 श्रमिकों द्वारा 15 अक्टूबर, 2001 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई । यह हड़ताल 24 दिनों तक चली; जबरदस्त दमन, गिरफ्तारियों, निलम्बनों के बावजूद श्रमिकों ने दृढ़ता के साथ अपना संघर्ष जारी रखा । सात नवम्बर को उनके संघर्ष को जबरदस्त सफलता मिली जब राज्य सरकार को

मजबूर होकर समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े; दूसरे दिन 8 नवम्बर को राज्य व्यापी बंद का आयोजन किया गया । हड़ताल का नेतृत्व संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से किया गया जिसमें सी आइ टी यू ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई थी; सभी प्रतिपक्षी दलों तथा दूसरे श्रमिक संघों की ओर से हड़ताल का समर्थन किया गया था।

29.18 तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम के 1,25,000 श्रमिकों तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के 30,000 श्रमिकों द्वारा सभी श्रमिकों के लिये बोनस की मांग पर बल देने के लिये 10 नवम्बर, 2001 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई; हड़ताल का नेतश्त्व संयुक्त संघर्ष समिति ने किया था । यह हड़ताल 17 दिनों तक जारी रही । गिरफ्तारियां देने का राज्य व्यापी कार्यक्रम चला कर श्रमिकों की दूसरी श्रेणियों की ओर से एकजुटता की शानदार कार्रवाईयां की गई । 23 नवम्बर, 2001 को राज्य व्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया।

29.19 हरियाणा में पत्थर खदानों में काम करने वाले श्रमिकों की ओर से डेढ़ महीने तक हड़ताल की गई । यह हड़ताल 2 फरवरी,2002 से शुरू हुई थी; श्रमिकों की मांगें इस प्रकार थीं : उत्खनन अधिनियम को लागू किया जाए, श्रमिकों का पंजीकरण कराया जाए और ठेकेदारों की ओर से मचाई जा रही लूट बंद की जाए। राज्य इकाई के महासचिव सहित सी आइ टी यू के पूरे नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया। पत्थर उत्खनन के पूरे क्षेत्र को यातना शिविर के रूप में बदल डाला गया । इस पर भी श्रमिकों ने झुकने से इन्कार कर दिया। 20 मार्च को दोनों पक्षों में समझौता हुआ। दूसरे क्षेत्रों के श्रमिकों की ओर से एकजुटता की कार्रवाईयों का आयोजन करके हड़ताली श्रमिकों का समर्थन किया गया । इस अवधि में हरियाणा में ईंट के भट्ठों, वन-क्षेत्र के श्रमिकों तथा गांव के चौकीदारों एवं निर्माण श्रमिकों की ओर से जुझारू संघर्ष चलाए गए।

29.20 मध्य प्रदेश में जब सरकार की ओर से 28000 श्रमिकों की छंटनी कर दी गई थी तब सी आइ टी यू की ओर से दैनिक वेतन पर काम करने वाले श्रमिकों के संघर्ष का नेतृत्व किया गया। दूसरे श्रमिक संघों तथा राजनीतिक शक्तियों की ओर से हमारे प्रयासों का समर्थन किया गया। सी आइ टी यू यूनियन की ओर से उच्चतम न्यायालय का द्वार खटखटाया गया और सफलतापूर्वक यह अदालती लड़ाई लड़ी गई और दैनिक वेतनों पर काम करने वाले श्रमिकों को औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिधि से बाहर निकालने सम्बन्धी सरकार के आदेशों को निष्प्रभावी कर दिया गया।

29.21 केरल में राज्य सरकारी कर्मचारियों तथा शिक्षकों की ओर से एक महीना लम्बी हड़ताल की गई; यह हड़ताल 6 फरवरी, 2002 से शुरू हुई थी । वेतनों, पेन्शन तथा दूसरी सुविधाओं में कटौती किये जाने सम्बन्धी यू डी एफ सरकार के मनमाने फैसलों के खिलाफ जनता की सभी श्रेणियों की ओर से संघर्ष की संयुक्त कार्रवाईयां की गई। महिला कर्मचारियों सहित सैंकड़ों कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। लोगों की ओर से 5 मार्च, 2002 को राज्य व्यापी बंद का आयोजन करके सरकार की मनमानी कार्रवाईयों का जवाब दिया गया; बंद का आह्वान इंटक तथा बी एम एस सहित सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। सरकार को मजबूर होकर कर्मचारियों के साथ समझौता करना पड़ा ।

29.22 नासिक में छोटी औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों की ओर से संघर्ष का लम्बा कार्यक्रम चलाया गया। इस अवधि में सी आइ टी यू की जनरल कौंसिल के सदस्य डाक्टर कराद आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया। उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी तथा इस समय वह जमानत पर रिहा किये गए हैं।

29.23 मेडिकल एण्ड सेल्स रिपर्जेटेटिव्स की ओर से 8 अप्रैल, 2002 से देश भर में हड़ताल की गई जो लगभग दो महीनों तक जारी रही। ऐसा ही एक और आंदोलन मई-जून, 2003 में भी चलाया गया। इन आंदोलनों के माध्यम से लोगों को उन खतरों से आगाह किया गया जो उदारीकरण-निजीकरण-भूमण्डलीयकरण की नीतियों तथा विश्व व्यापार संगठन के नियमों जो जनता के हितों के प्रतिकूल हैं, के चलते पैदा हो रहे हैं; विशेष रूप से दवाओं के मूल्य बढ़ने के कारण। उन्होंने दवा उद्योग में बहु राष्ट्रीय कम्पनियों के हथकण्डों के खिलाफ संघर्ष किया है।

29.24 सी आइ टी यू जनरल कौंसिल की सिलीगुड़ी बैठक में आठ मांगों को लेकर 30 मई से लेकर 6 जून तक राष्ट्रीय अभियान सप्ताह मनाने का फैसला किया गया था; प्राप्त सूचनाओं के अनुसार तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश को छोड़ कर अधिकांश राज्यों में इसे सरसरी तौर पर एवं कामकाजी ढंग से मनाया गया । अनेक राज्यों ने अपने यहां अभियान सप्ताह मनाए जाने के समाचार केन्द्र को नहीं भेजे हैं ।

29.25 राष्ट्रीय जन संगठन मंच ने गुजरात में साम्प्रदायिक नर संहार के खिलाफ 19 जून से लेकर 4 जुलाई तक अभियान चलाने का आह्वान किया था; यह अभियान आधे-अधूरे मन से चलाया गया। इससे पहले इन्हीं मुद्दों को लेकर 15 मई को कोलकाता में एक संयक्त प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और जिलों में रैलियां की गई थीं।

29.26 29 जून को द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशन हो जाने के बाद पैदा हुई स्थिति में सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से एक साथ मिल कर सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों को परास्त करने के लिये राष्ट्रव्यापी कार्रवाई करने का आह्वान किया गया । श्रमिक आंदोलन के भीतर एकता का शानदार वातावरण बना।

29.27 द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की श्रमिक विरोधी सिफारिशों तथा दूसरी मांगों को लेकर 15 जुलाई, 2002 को नयी दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में मजदूरों की राष्ट्रीय संसद का आयोजन किया गया । बी एम एस को छोड़ कर अन्य सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के नेताओं ने इसमें भाग लिया । मजदूर संसद ने श्रम कानूनों में सुधारों, निजीकरण, बेरोजगारी, रोजगारहीनता तथा उदार आयातों के खिलाफ संघर्ष करने के लिये सर्व सम्मति से एक घोषणापत्र जारी किया । मजदूर संसद ने श्रमिकों के लिये बेहतर सामाजिक सुरक्षा, वार्षिक बोनस, भविष्य निधि पर 12 प्रतिशत ब्याज और खेतिहर श्रमिकों के लिये सर्व समावेशी कानून बनाने की मांग भी की ।

29.28 राष्ट्रीय मजदूर संसद ने संयुक्त अभियान चलाने के लिये एक लम्बा कार्यक्रम बनाया; उसके बाद 8 जनवरी, 2003 को जेल भरो, 26 फरवरी, 2003 को संसद मार्च तथा 21 मई को अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल का आयोजन किया गया ।

29.29 कई लाख श्रमिकों की ओर से 8 जनवरी को गिरफ्तारियां दी गई । सभी राज्यों में हड़ताल के इस आह्वान के लिये सहज स्वाभाविक प्रत्युत्तर मिला । श्रमिकों की ओर से धरने दिये गए, गिरफ्तारियां दी गई, सड़कों पर आवाजाई ठप्प की गई और बहादुरी के साथ पुलिस दमन की कार्रवाईयों का सामना किया गया; अनेक स्थानों पर पुलिस की ओर से श्रमिकों पर लाठीचार्ज किया गया । कमजोर राज्यों में भी संघर्ष की इन कार्रवाईयों में श्रमिकों की भागीदारी बेहतर रही थी । राज्यों की राजधानियों के अतिरिक्त सभी महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों में पिकटिंग की गई एवं धरने दिये गए । कुछ क्षेत्रों में तो लगभग पूरी की पूरी श्रमशक्ति सड़कों-गलियों में निकल आई थी ।

29.30 26 फरवरी, 2003 को संसद की ओर मार्च कार्यक्रम को ठीक ढंग से संगठित नहीं किया जा सका था । यह स्थिति कुछ केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से निभाई गई भूमिका के कारण उत्पन्न हुई थी । यद्यपि उस दिन लाखों श्रमिक दिल्ली में एकत्रित हुए थे । सी आइ टी यू की ओर से सभा स्थल तक आठ किलो मीटर लम्बा जुलूस निकाला गया । क्योंकि श्रमिकों का जमावड़ा संसद के निकट नहीं हुआ और संसद तक पहुंचने से बहुत पहले ही हो गया था इसलिये श्रमिकों में हताशा उत्पन्न हुई । जमावड़े में अखिल भारतीय हड़ताल की तिथि की घोषणा नहीं किये जाने के कारण भी उनकी निराशा और अधिक बढ़ गई थी । इसका कारण यह था कि कुछ श्रमिक संगठन इंटक को हड़ताल की कार्रवाई में शामिल करने के लिये अपने प्रयास अभी तक जारी रखे हुए थे। इस पर भी श्रमिकों की भागीदारी कुछ बेहतर हो सकती थी यदि बिहार तथा झारखण्ड जैसे कुछ समीपवर्ती राज्य बड़ी संख्या में इसके लिये श्रमिकों को लामबंद करते । किन्तु कुल मिला कर यह कार्यक्रम सफल रहा ।

29.31 21 मई, 2003 की हड़तालः- इसके लिये जबरदस्त एवं अभूतपूर्व प्रत्युत्तर मिला । इंटक तथा बी एम एस की ओर से इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने से इन्कार किये जाने पर भी देश के ओर छोर से सभी सांगठनिक

प्रतिबद्धतओं एवं विचारों से ऊपर उठ कर श्रमिकों तथा कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर इस हड़ताल में भाग लिया । बैंकों, बीमा कम्पनियों, रक्षा उद्योगों, औषध उद्योगों के कर्मचारियों ने सभी राज्यों के राज्य सरकारी कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ मिल कर बिना किसी संकोच के इस कार्रवाई में भाग लिया जबकि प्रमुख रूप से इसका नेतश्त्व वाम पक्षी श्रमिक संगठन तथा औद्योगिक श्रमिकों के संघ कर रहे थे । हड़ताल की इस कार्रवाई के चलते पूरे देश तथा प्रशासन का काम ठप्प हो गया था। गोदी एवं बंदरगाह कर्मचारियों, पालिका कर्मचारियों, सड़क परिवहन श्रमिकों, डाक सेवाओं के श्रमिकों तथा एस ई बी कर्मचारियों की ओर से जो लामिसाल उत्साह दिखाया गया उससे पता चलता है कि भूमण्डलीयकरण के दुष्प्रभावों को लोग कितना समझने लगे हैं और संघर्ष के प्रति उनके रुख में भी बदलाव आया है। छह राज्यों में पूर्ण बंद तथा कुछ अन्य राज्यों के अनेक जनपदों में बंद जैसी स्थिति देखने को मिली थी। इसका एक उल्लेखनीय पहलू यह भी था कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों ने भी बढ़ चढ़ कर हड़ताल की कार्रवाई में भाग लिया था; उनकी ओर से देश भर में अनेक केन्द्रों पर सड़कों तथा रेलों की आवाजाई ठप्प कर दी गई थी।

29.32 एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि 26 फरवरी तथा 21 मई की कार्रवाईयों में महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं बेहतर थी। हमने देखा कि असंगठित क्षेत्र के अनेक उद्योगों में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं ने न केवल हड़ताल में भाग लिया बल्कि वे बहुत सक्रिय संगठनकर्ता के रूप में भी उभर कर सामने आई हैं । हम इस मामले में आंगनवाड़ी महिलाओं का विशेष उल्लेख करना चाहेंगे । एक और उल्लेखनीय पहलू यह था कि कुछ औद्योगिक इकाईयों जहां आयोजक श्रमिक संघों का प्रभाव न के बराबर है, में श्रमिकों तथा अधिकारियों ने एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला कर 21 मई को हड़ताल की थी। राष्ट्रव्यापी जन आंदोलनों के इतिहास में यह दिन ऐतिहासिक महत्व का दिन बना रहेगा।

30. दूसरी गतिविधियां

30.1 उर्वरक इकाईयों में कामबंदी के खिलाफ श्रमिकों तथा अधिकारियों की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई; उन्होंने विशाल प्रदर्शन किया तथा संघर्ष की दूसरी कार्रवाईयां की थीं जिनमें विभिन्न केन्द्रों में की गई रास्ता रोको तथा रेल रोको की कार्रवाई भी शामिल है ।

30.2 हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं तथा सहायिकाओं ने फरवरी तथा मार्च में प्रत्येक राज्य में सड़कों पर उतर कर मांग की कि उनके मानदेय के लिये तत्काल घोषणा की जाए तथा आदेश जारी किये जाएं और नया मानदेय इसकी घोषणा होने की तिथि से ही लागू किया जाए । यह आंदोलन आखिरकार कई वर्षों के बाद सफल हुआ ।

30.3 नालको का आंदोलनः– यद्यपि नालको में हमारी सांगठनिक शक्ति बहुत कम है फिर भी सी आइ टी यू की ओर से पहलकदमी किये जाने के फलस्वरूप बी एम एस को छोड़ कर अन्य सभी श्रमिक संगठनों और भाजपा को छोड़ कर दूसरी सभी राजनीतिक शक्तियों को एकजुट करके एक अपराजेय शक्ति के रूप में बदला जा सका और यही शक्ति नालको का निजीकरण रोकने के लिये प्रतिरोध की शक्ति बनी । नालको के श्रमिकों तथा अधिकारियों ने एक साथ मिल कर नालको के कामकाजी स्थलों, राज्य मुख्यालय तथा दूसरे शहरों में प्रदर्शन किये और उन्होंने नालको का निरीक्षण करने के लिये आने वाली निजी क्षेत्र की पार्टियों को भीतर प्रवेश ही नहीं करने दिया । उसके बाद 19 सितम्बर वाले दिन सफलतापूर्वक उड़ीसा बंद का आयोजन किया गया जो इस आंदोलन की चरम परिणति थी । इस हड़ताल के बाद भी निजी कम्पनियों को नालको के भीतर जाने से रोकने की कार्रवाईयां बदस्तूर जारी रहीं । 16 जून, 2003 को मंत्रालय के अधिकारियों तथा सलाहकारों के एक दल को जबरदस्त प्रदर्शन के कारण भुबनेश्वर के हवाई अड्डे से ही वापस लौट जाने के लिये मजबूर हो जाना पड़ा । केन्द्रीय सरकार को कम से कम इस समय तो इस मामले को टाल देना पड़ा है। कटक में जुलाई, 2003 में आयोजित सी आइ टी यू जनरल कौसिल की बैठक ने संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं का सम्मान किया था । कामरेड एम के पन्धे ने नालको का दौरा करके संघर्षशील श्रमिकों के साथ एकजुटता व्यक्त की थी ।

30.4 इस्पात श्रमिकों की ओर से वार्षिक बोनस की मांग के लिये लगातार अभियान चलाया गया । दुर्गापुर में हड़ताल का नोटिस दे दिये जाने के पश्चात् दोनों पक्षों में समझौता हुआ और बोकारो में दिसम्बर, 2002 में हड़ताल की गई जिसमें 95 प्रतिशत श्रमिकों ने भाग लिया था।

30.5 असम में बगीचा श्रमिकों की ओर से हड़ताल की गई; वे वार्षिक बोनस की मांग कर रहे थे । तिनसुकिया में चाय बगीचों में काम करने वाले श्रमिकों पर पुलिस फायरिंग जिसमें सात श्रमिक मारे गए थे, के खिलाफ सितम्बर, 2003 में बंद का आयोजन किया गया।

30.6 केरल में इस अवधि में अनेक जन आंदोलन चलाए गए; प्रदर्शनों का आयोजन किया गया; सचिवालय का घेराव किया गया; विभिन्न उद्योगों के श्रमिकों की ओर से क्षेत्रवार बंदों का आयोजन किया गया। यू डी एफ सरकार की नीतियों के खिलाफ किये गए संघर्षों की इन कार्रवाईयों में 6 अगस्त,2002 की जबरदस्त राज्य व्यापी हड़ताल भी शामिल है। काजू के उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की ओर से भूख हड़तालें की गई; सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों की ओर से 2003 में 48 घण्टों की हड़ताल की गई जिसके फलस्वरूप सभी मण्डियों का काम ठप्प हो गया; हैंडलूम श्रमिकों, कायर श्रमिकों, ताड़ी श्रमिकों तथा दूसरे अनेक क्षेत्रों के श्रमिकों की ओर से अपनी-अपनी शिकायतों को लेकर तथा सरकार की नीतियों के खिलाफ राज्य व्यापी आंदोलन चलाए गए। इन संघर्षों में सबसे उल्लेखनीय राज्य सचिवालय तथा राज्य भर में जिला कलैक्टरों के कार्यालयों के घेराव करने की कार्रवाईयां थीं जिनमें पांच लाख से अधिक श्रमिकों ने सी आइ टी यू के नेतृत्व में भाग लिया था । इन कार्रवाईयों में कामकाजी महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया है; यह तथ्य अत्यंत भयावह स्थितियों में भी नयी आर्थिक नीतियों की सत्ता का प्रतिकार करने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है ।

30.7 तमिलनाडु में 2002 के पूरे वर्ष में राज्य भर में अनेक आंदोलन चलाए गए; ये आंदोलन अलग-अलग समय अनेक मुद्दों को लेकर चलाए गए । असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने मई 2002 में अपनी तकलीफों की ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिये गिरफ्तारियां दीं । तेस्मा को लागू किये जाने के खिलाफ हजारों श्रमिकों जिनमें कामकाजी महिलाओं की एक बहुत बड़ी संख्या भी थी, ने जुलाई 2002 में गिरफ्तारियां दी थीं । संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से तमिलनाडु में जुलाई में विशाल प्रदर्शनों का आयोजन किया गया; इस अभियान की परिणति 2 अक्टूबर, 2002 को राज्य व्यापी हड़ताल के रूप में हुई । हैंडलूम श्रमिकों ने अपनी तकलीफों की ओर ध्यान खींचने के लिये सितम्बर, 2002 में हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां दी थीं । सलेम इस्पात संयंत्र के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन चरणबद्ध ढंग से चला और परवान चढ़ा; दूसरे अधिकांश श्रमिक संघों तथा राजनीतिक दलों की ओर से हमारी मांगों का समर्थन किया गया । इसके फलस्वरूप कम से कम इस समय निजीकरण के प्रयास धरे के धरे रह गए हैं ।

30.8 हिमाचल प्रदेश में होटल श्रमिकों की ओर से 76 दिनों तक सफल हड़ताल की गई; यह हड़ताल नौकरी से बर्खास्त किये गए 16 श्रमिकों को बहाल करने की मांग के लिये की गई थी । एक को छोड़ कर शेष सभी श्रमिकों को काम पर वापस ले लिया गया । पण विद्युत परियोजना के 4500 श्रमिकों ने लुर्गी में 10 दिवसीय हड़ताल की थी; इसके कारण प्रबन्धन को उनके बुनियादी ट्रेड यूनियन अधिकारों तथा दूसरी मांगों को मानने के लिये मजबूर होना पड़ा था। पण विद्युत परियोजना के श्रमिकों की ओर से राज्य भर में वर्ष 2003 में कोल डैम साइट में सी आइ टी यू के नेता अशोक कुमार की हत्या किये जाने के खिलाफ हड़ताल की गई । प्रदेश की निर्माणाधीन पण विद्युत परियोजना में काम करने वाली सम्पूर्ण श्रम शक्ति में सी आइ टी यू एक नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में उभरा है और उसकी ओर से सभी परियोजनाओं में हड़ताल के अनेकानेक सफल संघर्षों का नेतृत्व किया गया है । हिमाचल प्रदेश में परियोजना श्रमिकों के आंदोलन की ओर से जम्मू एवं कश्मीर में संघर्ष चला रहे परियोजना श्रमिकों को वित्तीय एवं भौतिक सहायता भेज कर उनके साथ सक्रिय रूप में एकजुटता व्यक्त की गई है।

30.9 आंध्र प्रदेश में ग्रामीण सेवकों द्वारा राजस्व विभाग से अपने तबादले रोकने के लिये राज्य व्यापी संघर्ष किये गए

हैं । ग्राम पंचायतों तथा पालिका श्रमिकों की ओर से भी अपने रोजगारों का संविदाकरण तथा निजीकरण रोकने के लिये संघर्ष किये गए हैं। 13 अगस्त, 2002 को राज्य व्यापी हड़ताल के साथ उनके आंदोलन की परिणति हुई। इंडिया सीमेंट के श्रमिकों ने अपने बुनियादी ट्रेड यूनियन अधिकारों की मांग को लेकर 13 महीनों तक संघर्ष किया है जिसमें बीस दिन की हड़ताल की कार्रवाई भी शामिल है । विजाग में चित्तीवलसला जूट मिल के 5000 श्रमिकों ने लम्बा संघर्ष किया है जो 118 दिनों तक जारी रहा; यह संघर्ष उनके वेतनों में एकतरफा कटौती किये जाने तथा दूसरी सेवा शर्तों को बदले जाने के खिलाफ चलाया गया; आखिरकार उनके संघर्ष की जीत हुई और प्रबंधन की ओर से सभी श्रमिक विरोधी कदमों को वापस ले लिया गया। तेलगू देशम सरकार तथा उसकी पुलिस की ओर से इन सभी आंदोलनों के समय श्रमिकों पर बर्बर हमले किये गए। श्रमिक इससे भयभीत नहीं हुए हैं और उनका विश्वास बढ़ा है और सभी क्षेत्रों में सांगठनिक रूप से उनका उत्साह और अधिक बढ़ा है।

30.10 उत्तरांचल में टी एच डी सी में 30 सितम्बर, 2002 को मुकम्मल हड़ताल की गई । हड़ताल का आह्वान सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों तथा अधिकारियों एवं सुपरवाइजरों की एसोसिएशनों की ओर से किया गया था। इसके बाद अनेक आंदोलन चलाए गए; भूख हड़तालें की गईं; इनकी परिणति 18 नवम्बर, 2002 को राज्य व्यापी हड़ताल के रूप में हुई । इसके अलावा होटल श्रमिकों, परिवहन श्रमिकों तथा चीनी मिलों के श्रमिकों की ओर से अपनी अपनी मांगों के लिये अनेक संघर्ष किये गए।

30.11 छत्तीसगढ़ में, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा वन श्रमिकों की ओर से प्रमुख संघर्षों का नेतृत्व किया गया। राज्य परिवहन का निजीकरण भले ही रोका न जा सका हो किन्तु उसके श्रमिकों की ओर से इसके खिलाफ संघर्ष किया गया । चावल मिल के श्रमिकों को अपने ट्रेड यूनियन अधिकारों, भविष्य निधि, उपयुक्त वेतनों तथा दूसरे कानूनी लाभों के लिये संघर्ष करते तीन साल बीत चुके हैं किन्तु उनका संघर्ष अभी तक सफल नहीं हो सका है।

30.12 सी आइ टी यू की दिल्ली राज्य समिति की ओर से पहलकदमी किये जाने के फलस्वरूप 27 मार्च, 2003 को दिल्ली, गाजियाबाद तथा फरीदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों की एक दिवसीय हड़ताल की जा सकी; यह हड़ताल उच्चतर न्यूनतम वेतनों का भुगतान करने, श्रम कानूनों को लागू करने और दिल्ली में श्रमिकों एवं झुग्गी-झोंपडियों में रहने वाले लोगों को बेदखल किये जाने के खिलाफ की गई थी । इस हड़ताल से पहले इन मांगों के पक्ष में दो महीनों तक अभियान चलाया गया था। हड़ताल आंशिक रही और इसकी तैयारियों के लिये चलाए गए अभियान ने लोगों पर अच्छा प्रभाव डाला था।

30.13 एच पी ई एल, बी पी सी एल तथा के आर एल में 25-27 मार्च, 2003 को तीन दिनों की हड़ताल हुई; कई अर्थों में यह एक महत्वपूर्ण घटना है । सार्वजनिक क्षेत्र की तेल इकाईयों के निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रीय संयुक्त मंच का गठन करने तथा उनके श्रमिकों में एकता लाने के काम में सी आइ टी यू ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । इसके फलस्वरूप ही तेल क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की ओर से सभी प्रकार की कठिनाईयों का सामना करते हुए हड़ताल की गई थी । तेल कम्पनियों के कार्यालयों, तेल शोध संयंत्रों तथा विपणन केन्द्रों में हड़ताल मुकम्मल रही । इस हड़ताल की सफलता ने एक नये युग का सूत्रपात किया है । श्रमिक आंदोलन के इतिहास में पहली बार तेल उद्योग के श्रमिक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के प्रेरित हुए हैं । आइ ओ सी, ओ एन जी सी, बी पी सी एल, एच पी सी एल जैसी प्रमुख तेल कम्पनियों के तेल शोध संयंत्रों तथा विपणन केन्द्रों और उनके साथ-साथ एन आर एल, के आर एल, बी आर पी एल जैसी सब्सिडेयरीज़ में काम करने वाले श्रमिकों ने 21 मई, 2003 को अखिल भारतीय हड़ताल में भाग लिया था।

30.14 उसकी अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 1 जून, 2003 को कोलकाता में तेल श्रमिकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था । उसके पश्चात् 28 सितम्बर, 2003 को नयी दिल्ली में एक और अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया; इसमें सभी तेल कम्पनियों तथा तेल शोध संयंत्रों में सक्रिय संगठनों की एक बड़ी संख्या ने भाग लिया था । इन सम्मेलनों ने न केवल श्रमिकों की एकता को मजबूत बनाने का काम किया है बल्कि उनमें देश

व्यापी हड़ताल की कार्रवाई करने के साथ-साथ निजीकरण विरोधी आंदोलन को और अधिक बुलंदियों तक ले जाने का संकल्प भी किया गया था। सम्मेलन ने जन हस्ताक्षर अभियान चलाने का फैसला भी किया गया जिसमें जन साधारण को भी शामिल किया जाएगा और इसके माध्यम से निजीकरण के अभियान के पीछे की खेल को बेनकाब किया जाएगा। तेल उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों का अगला राष्ट्रीय सम्मेलन 16 नवम्बर, 2003 को गुवाहाटी में हुआ था; उस सम्मेलन में तेल क्षेत्र में सक्रिय सभी स म्बद्धताओं वाले 40 श्रमिक संघों तथा स्वतंत्र यूनियनों के 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सम्मेलन में फैसला लिया गया था कि पूरे तेल क्षेत्र में निजीकरण के खिलाफ 16 दिसम्बर, 2003 को देश व्यापी हड़ताल की जाएगी। यह देश व्यापी हड़ताल की पहली ऐसी कार्रवाई होगी जिसमें पूरे तेल क्षेत्र के श्रमिकों की ओर से भाग लिया जाएगा।

30.15 विद्युत विधेयक को संसद में पारित कर दिया गया; यह विधेयक पूरी तरह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के निदेशों के अनुसार तैयार किया गया है । राज्य विद्युत मण्डलों का बिस्तर गोल करने और उत्पादन, ट्रांसमिशन तथा वितरण के नाम पर उन्हें अलग-अलग तीन भागों में बांट कर उनका निजीकरण कर देना उसी अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है जिसके लिये यह विधेयक पारित किया गया था । राज्य विद्युत मण्डलों के श्रमिकों तथा जन साधारण ने भी अतीत में बड़े आंदोलन चला कर सरकार के इन प्रयासों के खिलाफ संघर्ष चलाया है । यह विधेयक जो अब अधिनियम बन चुका है, जन विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी है । भारत के श्रमिक वर्ग को और बड़े आंदोलन चला कर आइ एम एफ तथा विश्व बैंक के मनसूबों को नाकाम बनाना होगा । यह सब कहते हुए भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हम इस विधेयक के पारित होने के समय पूरे देश भर में प्रभावशाली प्रतिरोधी आंदोलन नहीं चला सके।

30.16 तमिलनाडु सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस विचारणीय मुद्दे पर आगे की कार्रवाई करने की बजाए यह घोषणा कर डाली कि कर्मचारियों को हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है, हड़ताल के हथियार का दुरुपयोग होता है तथा इसके चलते कुप्रशासन फैलता है।

30.17 उच्चतम न्यायालय की यह कार्रवाई अवांछनीय थी; इसलिये यदि जनवादी लोगों की ओर से पूरे देश भर में इसका घोर विरोध किया गया तो यह स्वाभाविक ही था; विरोध करने वालों में कानून के विशेषज्ञ, ट्रेड यूनियनें तथा राजनीतिक दल भी थे । उच्चतम न्यायालय के आगे जबरदस्त प्रदर्शन किया गया और अनेक राज्यों की राजधानियों तथा औद्योगिक केन्द्रों में भी इसी प्रकार के प्रदर्शन हुए । तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा कुछ अन्य राज्यों में हड़ताल के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशाल संयुक्त सम्मेलनों का आयोजन किया गया। दूसरे राज्यों में भी इसी प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन करने के लिये तैयारियां चल रही हैं।

30.18 सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से 26 सितम्बर, 2003 को एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन ने श्रमिक वर्ग को आह्वान किया कि वे संयुक्त रूप से हड़ताल पर पाबंदी लगाने सम्बन्धी उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ प्रतिरोधी संघर्ष करे और आने वाले दिनों में देश व्यापी हड़ताल की कार्रवाई के लिये जोरशोर से तैयारियां करने में जुट जाए।

30.19 कैनकुन में डब्ल्यू टी ओ की मंत्री स्तरीय बैठक शुरू होने की पूर्व सन्ध्या पर 9 सितम्बर, 2002 को विकासशील देशों के मामले में साम्राज्यवादी शक्तियों के हथकण्डों के खिलाफ श्रमिक संघों की प्रायोजन समिति के आह्वान पर देश भर में संयुक्त रूप से प्रदर्शनों का आयोजन किया गया । अनेक स्थानों पर दूसरे जन संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया ।

30.20 हैंडलूम सेक्टर के श्रमिकों की ओर से अनेक संघर्ष चलाए गए । पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा कुछ अन्य स्थानों पर इस अवधि में हड़तालें भी की गईं ।

30.21 सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों, संगठित क्षेत्र के श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा विशेष रूप से कामकाजी

महिलाओं की ओर से अनेकानेक दूसरे संघर्ष, गतिविधियां तथा अभियान पूरे देश भर में चलाए गए। कुछ आंदोलन सफल हुए जबकि अन्य सफल नहीं हो सके । किन्तु पीछे की ओर देखने से हमें संतोष का अनुभव होता है कि सी आइ टी यू बड़ी तेजी के साथ इन आंदोलनों की एक प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में उभर रहा है । इस रुझान तथा गति को बनाए रखना होगा और इसके लिये प्रयास जारी रखने की जरूरत है।

31. निजीकरण विरोधी संघर्ष

31.1 एन डी ए सरकार की ओर से किये जा रहे निजीकरण के हमले बहुत तेज हो चुके हैं; लाभ कमाने वाली तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कम्पनियों का भी निजीकरण किया जा रहा है; इन सामरिक उद्योगों के श्रमिकों की ओर से इन विनाशकारी नीतियों का पूरी दश्ढ़ता के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है; सरकार की इन विनाशकारी नीतियों का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की इन इकाईयों को खत्म कर देना है।

31.2 इस समीक्षा अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों की ओर से निजीकरण के खिलाफ संघर्ष चलाए गए हैं; अनेक क्षेत्रों में ये संघर्ष और अधिक तेज हुए हैं। इस मामले में एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि जब कभी भी कोई सम्भावित क्रेता सेल के लिये निश्चित किये गए सार्वजनिक उद्यमों को देखने एवं उनका निरीक्षण करने के उद्देश्य से वहां गया तो उसका स्वागत जुझारू प्रदर्शनों के साथ किया गया; यह लगभग सभी जगहों पर हुआ है; इन सम्पत्तियों को खरीदने के चाहवान लोगों को भीतर जाने की इजाजत ही नहीं दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के इन सहज स्वाभाविक प्रदर्शनों की घटनाएं सेलम इस्पात संयंत्र, बी एच पी वी, नालको, एच पी सी एल, बी पी सी एल, हवाई अड्डों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी अनेक इकाईयों के मामले में देखने को मिली हैं; श्रमिकों की ओर से मौके पर ही उनका विरोध किया गया । सी पी एस टी यू की ओर से निजीकरण के खिलाफ 16 अप्रैल, 2002 को हड़ताल करने का आह्वान किया गया था; बी एम एस के नेतश्त्व की ओर से भी इस हड़ताल का समर्थन किया गया था; हड़ताल के प्रति न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की विशाल बहुसंख्या ने जबरदस्त उत्साह दिखाया था बल्कि देश के कम से कम सात राज्यों में निजी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों ने भी उसका समर्थन किया था । राज्य सरकारी कर्मचारियों ने भी देश भर में हड़ताल में भाग लिया था । 21 मई, 2003 को देश व्यापी हड़ताल हुई थी; सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों ने भी व्यापक स्तर पर हड़ताल में भाग लिया था । निजीकरण के प्रयासों के खिलाफ हड़ताल की देश व्यापी कार्रवाई के अतिरिक्त अनेक सेक्टरवार संघर्ष चलाए गए । बी पी सी एल तथा एच पी सी एल में मार्च 2003 में तीन दिवसीय हड़ताल की गई; इस हड़ताल ने आने वाले दिनों में तेल क्षेत्र में हड़ताल की और कार्रवाईयां करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है । वित्तीय क्षेत्रों, कोयला खदानों, गोदी एवं बंदरगाह, नालको, नेशनल फर्टिलाइजर्स, विद्युत क्षेत्र तथा वायु पत्तण प्राधिकरण इत्यादि में चलाए गए निजीकरण विरोधी संघर्ष इस अवधि के दूसरे उल्लेखनीय कार्यक्रमों में शामिल हैं।

31.3 उपरोक्त संघर्षों ने नयी सम्भावनाओं को जन्म दिया है । उदारीकरण के प्रचारकों की ओर से बढ़ चढ़ कर यह कुत्सा प्रचार किया जा रहा है कि इस प्रक्रिया को बदला ही नहीं जा सकता; इसके विपरीत इस समीक्षा अवधि में चलाए गए निजीकरण विरोधी संघर्षों का अनुभव दर्शाता है कि जन साधारण को साथ लेकर चलाए जाने वाले संघर्षों के फलस्वरूप निजीकरण की कार्रवाईयों को रोका जा सकता है । नालको में उड़ीसा के जन साधारण को साथ लेकर निजीकरण के खिलाफ संघर्ष चलाया गया था; उसी संघर्ष के चलते प्रधानमंत्री को यह घोषणा करने पर मजबूर हो जाना पड़ा था कि नालको का निजीकरण फिलहाल नहीं किया जाएगा । सभी कोयला फेडरेशनों की ओर से वर्ष 2002 में हड़ताल के लिये सात दिन का नोटिस दिया गया था; इसके कारण सम्बन्धित मंत्री को यह वादा करने पर मजबूर होना पड़ा था कि सरकार कोयला खदानों का निजीकरण करने के लिये कोई प्रयास नहीं करेगी अथवा उसके कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएगी । भारतीय वायुपत्तण प्राधिकरण लिमिटेड के अधिकारियों तथा श्रमिकों की ओर से अगस्त 2003 में देश भर में संघर्ष का जुझारू कार्यक्रम चलाया गया था, इसके फलस्वरूप सम्बन्धित मंत्री को देश के प्रमुख दो हवाई अड्डों के निजीकरण की कार्रवाई को रोक देने के लिये मजबूर होना पड़ा था । केवल यही नहीं, निजीकरण के खिलाफ जनता में फैल रहे व्यापक असंतोष की पृष्ठभूमि में वर्तमान सरकार को भी हाल ही में शिपिंग कार्पोरेशन तथा हिन्दुस्तान

कापर के निजीकरण के कार्यक्रम बीच में ही रोक देने पड़े थे । निजीकरण के कार्यक्रमों को रोके जाने की ये घटनाएं भले ही अस्थायी प्रकृति की क्यों न हो किन्तु इन घटनाओं ने उस सिद्धांत का निराकरण जरूर कर दिया है कि निजीकरण की प्रक्रिया को बदला नहीं जा सकता; जैसा कि निजीकरण के प्रचारक तथा उनके एजेंट गला फाड़-फाड़ कर प्रचार करते हैं या करते रहे हैं । यदि देश भर में शक्तिशाली जुझारू संघर्ष चलाए जाते हैं और जन साधारण को उनमें भागीदार बनाया जाता है तो निजीकरण को रोका जा सकता है; हाल ही में चलाए गए संघर्षों ने इस वास्तविकता को उजागर कर दिया है।

32. भारत में तीन अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन

32.1 भारत में, वर्ष 2002-03 में तीन महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सी आइ टी यू की ओर से इनमें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया था । यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रति बढ़ते विश्वास तथा प्रभाव का द्योतक है।

32.2 वर्ष 2002 में 15-17 नवम्बर तक कोच्चि में अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा एवं खनन संगठन (आइ.ई.एम.ओ.) की दूसरी विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया । इस कांग्रेस में भाग लेने के लिये लंदन से आर्थर स्कारगिल, पेरिस से अलेन सिमोन तथा ब्रुसेल्स से जान मेटलैंड जैसे युरोप के अत्यंत शक्तिशाली एवं प्रमुख नेता भारत आए थे । भारत से बिजली तथा कोयला खदानों के क्षेत्रों में काम करने वाले 100 प्रतिनिधियों ने इस कांग्रेस में भाग लिया था । यह कांग्रेस बेहद सफल रही थी । कामरेड एम के पन्धे को आइ ई एम ओ के नवनिर्वाचित को-प्रेसिडैन्ट्स में से एक हैं। इस कांग्रेस ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन के साथ हमारे रिश्तों को मजबूत बनाया है।

32.3 सी आइ टी यू की ओर से तेल, गैस तथा तेल शोध के क्षेत्र में सक्रिय श्रमिक संघों के दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 8-10 मार्च, 2003 को कोलकाता में कराया गया। सी आइ टी यू ने ही इस सम्मेलन का आयोजन करने के लिये प्रमुख रूप से पहलकदमी की थी । अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन समिति में सी आइ टी यू के अतिरिक्त सी जी टी नेशनल यूनियन आफ केमिकल इंडस्ट्रीज़ (फ्रांस), यूनियन आफ मेडिटेरनियन आयल वर्कर्स आर्गेनाइजेशन (लीबिया) तथा इंटरनेशनल एनर्जी एण्ड माइन्स आर्गेनाइजेशन (पेरिस) इत्यादि शामिल थीं। विभिन्न देशों से 124 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया । सी आइ टी यू के उपाध्यक्ष कामरेड ज्योति बसु ने सम्मेलन का उद्घाटन किया जबकि उसमें भाग लेने वालों में केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री राम नायक, पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री मोहम्मद अमीन, ओ एन जी सी के चेयरमैन, आइ ओ सी एवं दूसरे गणमान्य व्यक्ति शामिल थे । कामरेड एम के पन्धे, चित्तब्रत मजूमदार तथा दूसरे बरिष्ठ नेताओं ने सम्मेलन की पूरी कार्रवाई में भाग लिया।

32.4 विश्व सामाजिक मंचः 'एक और विश्व सम्भव है' के नारे के अन्तर्गत ब्राजील में विश्व सामाजिक मंच का गठन किया गया। बुर्जुआजी के नव उदारवादी नीति के प्रचारक जो यह प्रचार करते हैं कि उनकी नीतियों का कोई विकल्प नहीं है अर्थात् टिना, का खण्डन करने के लिये ही इस मंच का गठन किया गया है । इसके संदेश का प्रचार करने के लिये एशियाई सामाजिक मंच बनाया गया; इस मंच की पहली बैठक 4-7 जनवरी, 2003 को हैदराबाद में हुई थी । सी आइ टी यू ने दूसरे श्रमिक संगठनों के साथ मिल कर इस विशाल कार्यक्रम का आयोजन करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी । दूसरे देशों से हजारों लोग इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये भारत आए थे; भारत में भी असंख्य लोगों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था । सी आइ टी यू की आंध्र प्रदेश राज्य समिति ने सामूहिक रूप से इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिये काम किया था । इस सम्मेलन की सफलता के बाद 16-21 जनवरी, 2004 को विश्व सामाजिक मंच का अन्तर्राष्ट्रीय जमावड़ा मुम्बई में किया जा रहा है । सी आइ टी यू को इसका आयोजन करने में अग्रणी भूमिका निभानी होगी ।

33. समीक्षा एवं विश्लेषण

33.1 पिछले तीन वर्षों में अनेक सकारात्मक घटनाएं घटी हैं और उनमें हमारी उपलब्धियां भी रही हैं । जब हम मीडिया, सत्ताधारी दलों तथा सेवा योजकों की श्रेणी के शत्रुतापूर्ण रुख पर गौर करते हैं तो इन उपलब्धियों का महत्व अत्याधिक हो जाता है; क्योंकि ये श्रेणियां न केवल श्रमिक आंदोलन की तीखी भर्त्सना करती हैं और उसे नीचा दिखाने के लिये अथक प्रयास करती हैं बल्कि भूमण्डलीयकरण तथा निजीकरण की वकालत एवं गुणगान करने में कोई कोर कसर शेष नहीं छोड़ती हैं । इस तरह का प्रचार श्रमिक वर्ग की एक श्रेणी के मन पर कुछ प्रभाव जरूर डालता है, इसमें संदेह नहीं और इसके वे मानसिक रूप से दो विचारधाराओं में बंट जाते हैं ।

33.2 इस संदर्भ में हमारे लिये इंटक तथा बी एम एस के नेतृत्व की भूमिका का अध्ययन करना जरूरी हो गया है । कुछ वर्षों के बाद जब श्रमिकों तथा परम्परागत उद्योग पर भूमण्डलीयकरण के दुष्प्रभाव दिखाई देने लगे हैं और जो श्रमिकों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहे है; इन श्रमिक संगठनों का नेतृत्व तृणमूल स्तर पर अपनी बाध्यताओं के कारण संयुक्त आंदोलन में भाग लेने के लिये अपनी ओर से कुछ तत्परता दिखा रहा है ।

33.3 किन्तु इससे उन्हें भूमण्डलीयकरण तथा निजीकरण के खिलाफ स्पष्ट स्टैंड लेने में कोई सहायता नहीं मिलती क्योंकि उनके राजनीतिक सरपरस्त इन नीतियों का समर्थन कर रहे हैं और वे पर्दे के पीछे से उन्हें इस आंदोलन से दूर रखने की कोशिशों में लगे हुए हैं। यह अध्ययन करने से हमें एक बार फिर पता चल जाएगा कि निजीकरण के प्रश्न पर उनके विचार तथा भूमिका कोयला, नालको, बालको, माडर्न फूड, सेंतूर होटल, बीमा, बैंक, प्रतिरक्षा इत्यादि अलग-अलग उद्योगों के लिये अलग-अलग है । जैसी भी स्थिति होती है उसके अनुसार ये लोग खुद को ढाल लेते हैं । बी एम एस स्वदेशी तथा विदेशी के सिद्धांतों पर अपने आंतरिक विरोधाभासों में फंसा हुआ है । इसके चलते उसकी पंक्तियों में भ्रांतियां पाई जाने लगी हैं।

33.4 भारतीय मजदूर संघ का नेतश्त्व लोगों का अपना चेहरा कुछ भी क्यों न दिखाए किन्तु वे लोग एन डी ए सरकार के साथ सहमति बना कर ही काम करते हैं; यह बात किसी से लुकी छिपी नहीं है । कभी कभार वे लोग केन्द्रीय सरकार के कुछ कदमों का सार्वजनिक रूप से विरोध करते हैं और कुछेक मामलों में वे श्रमिक संगठनों की संयुक्त कार्रवाई से खुद को अलग रखते हैं; यह सब वे सरकार के साथ अपनी समझदारी पर पर्दा डालने के लिये ही करते हैं । इसका उद्देश्य श्रमिकों में भ्रांतियां फैलाना तथा आंदोलन के साथ गद्दारी करना है।

33.5 ये सभी घटनाएं भूमण्डलीयकरण के खिलाफ एक सुस्पष्ट नीति का निर्धारण करने के मामले में इन संगठनों की दिवालिया सोच को दर्शाती हैं । इसके चलते संगठन के केन्द्रीय निकाय के रूप में उनकी शक्ति का क्षरण भी हुआ है । इसका प्रकटीकरण उनकी अनेक यूनियनों की गतिविधियों से होता है; अनेक मामलों में उनका रुख अलग होता है; उनकी कुछ राज्य समितियां भी कभी संयुक्त आंदोलन के मंच में शामिल हो जाती हैं और कभी उससे बाहर आ जाती हैं । कभी कभार वे केन्द्रीय निदेशों की खुली अवहेलना भी करती हैं।

33.6 इस प्रकार के उदाहरण भी बहुत देखने को मिल जाएंगे जब इंटक के सदस्यों ने नेतृत्व के लिये सी.आई.टी.यू. की ओर देखा है। ये घटनाएं उन स्थानों में भी देखने को मिली हैं जहां हम कमजोर हैं अथवा हमारी शक्ति न होने के समान है। नालको की उदाहरण हमारे सामने है। 'बचाओ समितियों' का प्रचुर संख्या में होना, इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिये काफी है । यदि कहीं 'बचाओ समितियों' का गठन नहीं भी किया जा सका उन स्थानों में भी श्रमिक उस नेतृत्व की कल्पना कर ही नहीं सकते जिसमें सी आइ टी यू शामिल नहीं होती; दूसरे शब्दों में वे अपने संघर्ष का नेतृत्व करने के लिये सी आइ टी यू की ओर ही देखते हैं ।

33.7 21 मई, 2003 की हड़ताल के साथ हमारे देश में श्रमिक आंदोलन नयी बुलंदियों को छूने लगा है। जहां दो प्रमुख श्रमिक संगठनों तथा दो अत्यंत शक्तिशाली राजनीतिक जमावड़ों ने हड़ताल के इस आह्वान का विरोध किया था वहीं उसे कर्मचारियों एवं श्रमिकों का अभूतपूर्व प्रत्युत्तर मिला था, संख्या एवं गुणवत्ता दोनों दृष्टियों से। 21 मई की हड़ताल का आह्वान व्यावहारिक रूप से केवल वामपक्षी श्रमिक संगठनों की ओर से किया गया था। किन्तु उस हड़ताल

में उन श्रमिकों तथा श्रमिक संगठनों की एक बड़ी श्रेणी जो हमारे प्रभाव में नहीं है तथा जिसके साथ हमारा सांगठनिक सम्बन्ध नहीं है, ने भी व्यापक स्तर पर भाग लिया था ।

33.8 ये सभी घटनाएं नयी आर्थिक नीति तथा दूसरे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों तथा कार्रवाईयों के मामले में उचित सीमा तक पाई जाने वाली सर्वानुमति का प्रकटीकरण हैं जिनके लिये सी आइ टी यू की ओर से आगे बढ़ कर काम किया गया है। नीतिगत मामलों पर हमारे स्पष्ट रुख के फलस्वरूप दूसरी श्रेणियों से भी और अधिक लोग हमारे मित्र बने हैं। इनमें शीर्ष स्तर के बुद्धिजीवियों से लेकर छोटे उद्योगपति भी शामिल हैं । मीडिया ने हमारी कोशिशों तथा गतिविधियों को कम करके दिखाने और हमारे विचारों को गलत ढंग से पेश करने की लाख कोशिशें क्यों न की हों किन्तु हमने जो विचारधारात्मक रुख अपनाया है और जो पहलकदमियां की हैं उनके फलस्वरूप सी आइ टी यू मेहनतकश अवाम के संघर्षों की अगली पंक्तियों में आ खड़ा हुआ है। तब एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है; हमें इसका जवाब ढूंढना होगा।

33.9 बड़ा प्रश्न यह है कि हमारे पक्ष में अनेक अनुकूल कारकों के होने पर भी आज हम अपनी संगठनात्मक शक्ति तथा सदस्य संख्या की दृष्टि से कहां खड़े हैं ? उपरोक्त पैरों को पढ़ने से पता चल जाता है कि हमारे लिये इससे अच्छा अवसर पहले कभी नहीं था । हमारी समर नीतियों तथा सम सामयिक घटनाओं के फलस्वरूप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां हम एक अपराजेय शक्ति के रूप में अपना विकास बखूबी कर सकते हैं; एक ऐसी शक्ति जो किसी भी हालत में दखल देने की ताकत रखती हो और सरकार की जन विरोधी नीतियों में बदलाव ला सकती हो। किन्तु यह सब हो नहीं रहा । आखिर क्यों? हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना होगा ।

33.10 ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां हमारी ताकत का लोहा माना जाता है और हमारे नेतश्त्व को स्वीकार किया जाता है, उसका आदर किया जाता है; किन्तु वहां हमारी सदस्य संख्या 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो रही । कुछ इकाईयों में हमने सहकारी समितियों के चुनावों में जीत हासिल की है; कहीं सीधे तौर पर हम श्रमिकों की ओर से चुने गए हैं; किन्तु मान्यता प्राप्त यूनियन का दर्जा पाने के चुनाव में हम जीत नहीं सके । बड़े खेद के साथ कहना होगा कि अनेक इकाईयों में हमारी सदस्यता का प्रतिशत कम हो गया है ।

33.11 नीतियां बनाते समय हमारा रास्ता ठीक होता है, इस बारे में मत भिन्नता नहीं हो सकती; हमारा रास्ता है: (क) स्वतंत्र रूप से पहलकदमियां करना और (ख) संयुक्त आंदोलनों को विकसित करने के लिये लगातार कोशिशें करना। हम व्यापक एकता का निर्माण करने के लिये अपने बुनियादी रुख को बनाए रख कर तथा उस मामले में कोई समझौता नहीं करके दूसरों के विचारों का यथेष्ट सम्मान करते हैं। कभी कभार कुछ दूसरे श्रमिक संगठन हमें नीचा दिखाने में कोई कोर कसर शेष नहीं छोड़ते पर हम संयुक्त आंदोलन का निर्माण करने के लिये पूरी ईमानदारी के साथ अपनी कोशिशें जारी रखते हैं ।

33.12 संयुक्त आंदोलन के मुद्दे तथा प्रकृति में पिछले कुछ वर्षों में काफी बदलाव आया है । पहले श्रमिकों के सामने केवल आर्थिक मुद्दे होते थे और उसके उचित कारण भी थे; यूनियनों के बीच आपसी होड़ रहती थी; हर यूनियन का कोई एक बड़ा नेता होता था और उनमें आपसी लटके झटके चलते रहते थे । अब क्योंकि हमलों पर हमले होते चले जा रहे हैं और संकट भी काफी गहरा हो चुका है इसलिये बहुत निचले स्तर अर्थात् शाप लेवल पर श्रमिकों के बीच में से मानसिक अवरोध खत्म से हो गए हैं । आम तौर पर नीतिगत मुद्दे आर्थिक मुद्दों को पीछे धकेल देते हैं इसलिये श्रमिकों को तत्काल प्रभाव से थोड़ी बहुत राहत मिली है । इसे हम अपनी सफलता भी कह सकते हैं जो हमने श्रमिक आंदोलन में सुधारवादी विचारों के खिलाफ संघर्ष में प्राप्त की है ।

हमारी गतिविधियों तथा समर नीतियों का उद्देश्य अपने संगठन को मजबूत बनाना है। क्या हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सचमुच आगे बढ़े हैं? हम इस निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं चाहते कि हमने इस लक्ष्य को पाने में सफलता प्राप्त की है। साथियों को खुल कर तथा उद्देश्यपरक ढंग से अपने विचार व्यक्त करने चाहियें।

33.13 परेशान करने वाले कुछ और कारण भी हैं; हमें उन पर भी विचार करना चाहिये और हम उन्हें अपने अध्ययन में शामिल कर सकते हैं । नयी पीढ़ी के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों तथा हमारे संगठन के बीच कोई सम्पर्क दिखाई नहीं देता । कभी-कभी हमारा जवाब होता है, 'वे ट्रेड यूनियन विरोधी तथा सीटू विरोधी हैं' । हमें स्वीकार करना होगा कि आज अनेक लोग जो हमारी पंक्तियों में शामिल हैं शुरू शुरू में हमसे कन्नी कतराया करते थे । हमारे नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को उनकी मनोदशा को बदल डालने के लिये लगातार कोशिशें करनी होंगी । इस प्रकार की पहलकदमी का अभी अभाव पाया जा रहा है ।

33.14 अनेक स्थानों पर हम संयुक्त आंदोलन तथा अपनी स्वतंत्र पहलकदमियों के बीच उचित तालमेल कायम नहीं रख पाते और हम यह बात भी ठीक ढंग से समझ नहीं पाते कि हमारी स्वतंत्र पहलकदमी न केवल 'संघर्ष के लिये विभिन्न श्रमिक संघों की एकता' को अमली जामा पहनाने के लिये जरूरी है बल्कि संयुक्त संघर्षों के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये भी निर्णायक होती है । इस प्रकार की स्थिति वर्गीय शक्तियों के समीकरणों को बदल डालने तथा सी आइ टी यू को सांगठनिक दृष्टि से मजबूत बनाने के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में आड़े आती है । इन सब बातों का हमें उपयुक्त ढंग से विश्लेषण करना होगा तभी हम सच्चे अर्थों में सफल हो सकेंगे।

33.15 भूमण्डलीयकरण की नीतियां लागू होने के फलस्वरूप संगठित एवं मैन्युफेक्चरिंग उद्योगों में भी अस्थायी, आकस्मिक अथवा संविदा श्रमिकों की संख्या में तीखी बढ़ोतरी हुई है । सेवा योजक बिना किसी लिखत पढ़त के अपने यहां श्रमिकों को काम पर रख रहे हैं; यह इसका सबसे खराब रुझान है । उन्हें इतने कम वेतन दिये जाते हैं कि वे बस भूखों मर सकते हैं; काम के समय मौत हो जाने की स्थिति में भी उनके परिवार वालों को क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती । अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमने इस प्रकार के मामलों को आज की स्थितियों में सामान्य सी बात मान लिया है । हमें इसके कारणों का विश्लेषण करना होगा कि हमारे साथियों ने इस स्थिति से समझौता क्यों कर लिया है अथवा हमारे सामने ऐसी कौन सी रुकावटें खड़ी हो गई हैं जिनके चलते हम इन असहाय श्रमिकों को संगठित नहीं कर पा रहे हैं।

33.16 हमारे आंदोलनों तथा संघर्षों में कोई नयी बात नहीं होती और वे घिसी पिटी बातों को ही दोहराते हैं, यह शिकायत लम्बे समय से चली आ रही है । इन आरोपों का कुछ न कुछ आधार तो है । आंदोलनों के रूप में बातें दोहराई जा सकती हैं क्योंकि वर्तमान सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों में हर बार आंदोलन के रूप में आमूल परिवर्तन लाया नहीं जा सकता । हमें आंदोलन के रूपों में कुछ परिवर्तन करने चाहियें और कुछ परिवर्तन हमने किये भी हैं, किन्तु कुछ दिनों के बाद हमें फिर से लगने लगेगा कि हम पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं । यदि हम पूरी कोशिश करके अगले साल भोपाल में एक लाख लोगों को इकट्ठा करके जबरदस्त प्रदर्शन कर सकें अथवा 15 राज्यों में बंद जैसी हालत पैदा कर दें तो इसे घिसी पिटी बात नहीं माना जाएगा । यदि जनता की विशाल भागीदारी होती है तो तथा कथित स्टीरियो टाइप होने के आरोप को झुठलाया जा सकेगा । हमें आंदोलनों तथा संघर्षों की समीक्षा करते समय स्वीकार करना होगा कि हमारे तथा श्रमिक वर्ग की विशाल संख्या के बीच अब भी दीवार बनी हुई है । इस दीवार को तोड़ देना हमारा काम होगा और यदि हम सफलतापूर्वक यह काम कर सके तो हमारे आंदोलन का रूप अपने आप ही बदल जाएगा ।

33.17 हमें अपने संगठन तथा उसकी गतिविधियों मे ठहराव आने अथवा स्टीरियो टाइप होने के पहलुओं के दूसरे तत्वों की चिंता अधिक करनी चाहिये । भुबनेश्वर दस्तावेज पर हम प्रत्येक राज्य में अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किये जाने पर भी यदि हम अपनी कामकाजी शैली की समीक्षा करें तो हमें साफ दिखाई देगा कि उसमें अधिक तबदीली नहीं आई है; कोई तबदीली न आना हमारी सांगठनिक शक्ति की यथास्थिति के रूप में प्रतिबिम्बित हो रहा है और कुछ राज्यों में तो वास्तव में ही हमारी सदस्य संख्या में कमी आई है । यह केवल वी आर एस तथा श्रम शक्ति में कमी होने का परिणाम नहीं हो सकता ।

33.18 यह उल्लेख किया जा चुका है कि हमारे अनेक साथी समय-समय पर इस भ्रांति का शिकार होते रहे हैं कि प्रबंधन अथवा सेवा योजकों अथवा सरकारों की ओर से उद्यमों के स्तर पर वी आर एस, श्रमिकों के कुछ अधिकारों में कटौती, श्रम कानूनों में छूट देने जैसे विशेष कदम उठा कर उद्यम सचमुच ही संकट से उबर सकता है अथवा इससे निवेश के वातावरण को सुधारने में मदद मिल सकती है । यह बात सच्चाई से कोसों दूर है; देश तथा विदेश में हमारा अनुभव दर्शाता है कि इसका असर उलटा ही पड़ा है । पिछले कुछ वर्षों से विश्व भर में पूरे जोरशोर के साथ श्रमिकों की संख्या में कमी लाई जा रही है; इतना सब होने पर भी विश्व बाजार मंदे की स्थिति से उबर नहीं पाया बल्कि मंदा और अधिक गहरा हो गया है; हालत बहुत बिगड़ चुके हैं तथा श्रमिकों की छंटनी और अधिक जोर शोर से की जाने लगी है । आइ एल ओ की रिपोर्टों में भी उल्लेख किया गया है कि उन देशों जहां श्रम बाजार सबसे अधिक लोचनीय है, का रिकार्ड भी उज्जवल नहीं है; वहां रोजगारों के अधिक अवसर सुलभ नहीं हुए हैं; और न ही निवेशों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है । असल बात तो यह है कि उन देशों में बड़े स्तर पर रोजगारों की कटौती हुई है; वी आर एस, संविदाकरण तथा श्रम अधिकारों को क्षति पहुंचा कर रोजगारों की गुणवत्ता में कमी लाई गई है; इसके दुष्परिणामस्वरूप दरिद्रता की दलदल और गहरी हुई है; बाजार सिकुड़ गया है; आर्थिक हालत बद से बदतर हो गई है जिसके चलते अनेक विकासशील देशों में आर्थिक मंदी ने अपने पांव और अधिक पसार लिये हैं । यह पूंजीवाद का जहरीला चक्र है; हमें अपने साथियों को इससे जागरूक करना होगा ताकि वे इस प्रकार की भ्रांतियों का शिकार नहीं हों और हम प्रभावशाली ढंग से इनका सामना कर सकें ।

33.19 हमें यह बात भी स्वीकार करनी होगी कि कई बार हमारे साथी आंदोलन में शामिल होने पर हिचकिचाते हैं। हमें इस रुझान को खत्म करना होगा; यदि हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और किसी भी स्थिति में प्रभावशाली ढंग से दखल देना चाहते हैं तो हमारे आगे अपने संघर्षों को तेज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और हम संघर्षों की इसी प्रक्रिया में अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं । हमें यह बात भी गांठ बांध लेनी चाहिये कि सरकार की साम्राज्यवाद समर्थक नीतियों के खिलाफ संघर्षों को तेज करके; श्रमिक आंदोलन में गतिशीलता लाकर तथा जन साधारण को उन संघर्षों में शामिल करके ही हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एन डी ए सरकार की लोगों का ध्यान दूसरी ओर लगाने तथा विभाजक कार्यनीतियों को विफल बना सकेंगे ।

33.20 यद्यपि हमारा आंदोलन गति पकड़ रहा है किन्तु हम सरकार की नीतियों में बदलाव लाने में सफल नहीं हो सके हैं; यह एक तथ्य है और हमें इसे स्वीकार करना ही होगा । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा दूसरे बहुपक्षीय अभिकरणों की ओर से भारत सहित सभी विकासशील देशों की सरकारों पर डाला जा रहा दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है; हमें इसे ध्यान में रखना चाहिये । कोई कारण नहीं है कि हम उदारीकरण की नयी नीतियों के अपरिवर्तनीय होने के तथा कथित सिद्धांत के बहकावे में आ जाएं और अपने भीतर निराशा पैदा हो लेने दें । क्योंकि कोष/बैंक/विश्व व्यापार संगठन की त्रिमूर्ति के खिलाफ विश्व भर में आक्रोश बढ़ रहा है; इन अभिकरणों की प्रत्येक बैठक के समय रोष भरे प्रदर्शनों के साथ लोग अपने गुस्से का इजहार करते हैं । इसके लिये वे कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं देते । हमारे लिये शानदार मौका है कि हम विश्व भर में उठ रही विरोध की इस आवाज को और बुलंद करें तथा शक्तियों के संतुलन को नव उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ कर दें; हम विरोध के इन लहरों को इतना मजबूत कर दें कि इन नीतियों का बदलना यकीनी हो जाए । यह सम्भव है; 'एक और विश्व सम्भव है'; यह नारा धीरे-धीरे लोगों का युद्धघोष बनता चला जा रहा है।

33.21 हमने साथियों से अनुरोध किया है कि वे आत्म आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक आलोचना करें; इससे हमें भविष्य में काम करने के लिये एक नयी दिशा मिलेगी । बहस का समापन हो जाने के बाद आईये, हम पूरी दृढ़ता के साथ अपनी कमजोरियों को दूर करने का फैसला करें और इतनी शक्ति प्राप्त करें कि हम अपने भावी कार्यों को पूरा कर सकें।

34. असंगठित क्षेत्र

34.1 हम पहले ही बता चुके हैं कि किस प्रकार उदारीकरण की नीति की सत्ता के चलते असंगठित क्षेत्र व्यापक स्तर पर बढ़ फूल रहा है और किस प्रकार संगठित क्षेत्र से बड़े पैमाने पर रोजगारों को असंगठित क्षेत्र में तबदील कर दिये जाने का प्रभाव उसके ढांचे पर पड़ रहा है। नये घटनाक्रम को देखते हुए हमें असंगठित क्षेत्र में अपने काम को फिर से संगठित करना होगा; उसे नया रूप देना होगा।

34.2 सी आइ टी यू जनरल कौंसिल की चेन्नई बैठक में असंगठित क्षेत्र में हमारे काम के सम्बन्ध में फैसले लिये गए थे; यहां उनका स्मरण करना महत्वपूर्ण होगा। उसमें फैसला किया गया था कि इस क्षेत्र में किये जाने वाले राज्यवार कामों का पता लगाया जाएगा और उसके लिये प्राथमिकताएं तय की जाएंगी; इन कामों की योजना बनाई जाएगी और जिन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी उनमें ध्यान केन्द्रित करके अपनी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इन फैसलों को लागू करने तथा कामों पर नजर रखने के लिये राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का गठन करने का फैसला भी किया गया था।

34.3 हमने सभी जगहों पर इन फैसलों को लागू किया है, यह दावा हम नहीं कर सकते। किन्तु हमारी कुछ उपलब्धियां जरूर रही हैं । सी आइ टी यू की कुल सदस्य संख्या में असंगठित क्षेत्र के भाग में बढ़ोतरी हुई है; दूसरे शब्दों में असंगठित क्षेत्र में हमारी सदस्य संख्या बढ़ी है; यह सब संगठित क्षेत्र में हमारी सदस्य संख्या में गिरावट आने के बावजूद हुआ है; हमारी ये उपलब्धियां इस रूप में प्रतिबिम्बित होती हैं । इस समीक्षा अवधि में अनेक आंदोलन तथा गतिविधियां चलाई गईं; यह तथ्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में हमारी गतिविधियों के बढ़ते स्तर को दर्शाता है। दिल्ली में बीड़ी श्रमिकों की केन्द्रीय रैली और उससे पहले उनकी मांगों के लिये चलाया गया देश व्यापी अभियान एवं आंदोलन; आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में आटो रिक्शाओं के श्रमिकों निजी परिवहन श्रमिकों की ओर से किया गया संघर्ष; हरियाणा में ईंटों के भट्ठों, पत्थर की खदानों तथा वन श्रमिकों की ओर से किये गए संघर्ष; मध्य प्रदेश में छंटनियों के खिलाफ दैनिक वेतनों पर काम करने वाले श्रमिकों तथा बोझा ढोने व उतारने वाले श्रमिकों की ओर से अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिये किये गए संघर्ष; छत्तीसगढ़ में चावल मिलों में काम करने वाले श्रमिकों का संघर्ष; महाराष्ट्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का आंदोलन इत्यादि घटनाएं उल्लेखनीय हैं । पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा तथा असम में भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की बड़ी लामबंदी होते देखी गई । आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों के लिये चलाए गए संघर्षों तथा अधिकांश राज्यों में सी आइ टी यू के कार्यक्रमों में उनकी लामबंदी का विशेष उल्लेख किये जाने की आवश्यकता है।

34.4 केवल यही नहीं, केन्द्र की ओर से आयोजित किये जाने वाले सभी कार्यक्रमों में भी इस समीक्षा अवधि में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पहले से अधिक भागीदारी देखी गई। 8 जनवरी, 2003 के देश व्यापी सत्याग्रह तथा 21 मई की हड़ताल का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये; असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने देश भर में इन दोनों कार्यक्रमों में भाग लिया था । देश के विभिन्न केन्द्रों में सड़क-रेल जाम की कार्रवाईयों में उनकी सक्रिय भागीदारी विशेष रूप से देखने को मिली है।

34.5 ये सकारात्मक घटनाएं होने पर भी हम इन श्रेणियों के श्रमिकों को प्रभावशाली ढंग से संगठित करने का काम पूरा करने के मामले में समय की मांग पर अभी तक पूरे नहीं उतरे। हमारी गतिविधियां पहचान वाले क्षेत्रों में उपयुक्त योजना बना कर काम करने की अपेक्षा सहज स्वाभाविक घटनाओं पर अधिक निर्भर करती है । अनेक राज्यों में भले ही समन्वय समितियों का गठन किया जा चुका है; किन्तु ये समितियां निष्क्रिय हैं; जो भी पहलकदमी होती है वह उस सेक्टर विशेष में काम करने वाले नेतश्त्व की ओर से होती है। अधिकांश स्थानों पर राज्य स्तरीय सुनियोजित काम नहीं होने के कारण हम असंगठित क्षेत्र पर प्रस्तावित विधेयक जैसे मसले पर गम्भीर अभियान चला नहीं सके हैं। 'वर्किंग क्लास' तथा 'सीटू मजदूर' में इस अभियान के लिये जरूरी सामग्री का प्रकाशन किये जाने पर भी यह काम नहीं कर सके । केन्द्र लिये गए फैसलों के अनुसार राज्य स्तर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच चल रहे काम को देखने एवं उसका निरीक्षण करने का अपना दायित्व पूरा नहीं कर सका है। सचिवमण्डल लम्बे समय से असंगठित क्षेत्र से सम्बन्धित अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक बुला नहीं सका है।

34.6 यही नहीं, असंगठित क्षेत्र में नये कामकाजी क्षेत्र उभर रहे हैं जैसे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाइ-टैक इकाईयां, इलेक्ट्रानिक्स, टेक्सटाइल तथा कुछ अन्य क्षेत्र; हमने अभी इन क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों जिनका यूनियनकरण नहीं हुआ है, के बीच काम करना शुरू नहीं किया है । हमें इन से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा मुद्दों की पहचान करनी होगी और राज्य स्तर पर अपने काम की योजना बनानी होगी ताकि इन श्रेणियों के श्रमिकों को भी श्रमिक आंदोलन की मुख्य धारा में लाया जा सके । उदारीकृत नीति की सत्ता में लोचनीयता को यकीनी बनाने के नाम पर पूरी अर्थ व्यवस्था का अनौपचारिक करण कर देना हुकमरान श्रेणी की कार्यनीति है; हमें यह बात समझ लेनी चाहिये । इस नये उभर रहे अनौपचारिक क्षेत्र में बढ़ती चली जा रही श्रम शक्ति को प्रभावशाली ढंग से संगठित किये बिना हम पूरी श्रम शक्ति का अस्थायीकरण कर देने के लिये सत्ताधारी श्रेणी की ओर से पागलपन की सीमा तक जाकर किये जा रहे प्रयासों को विफल नहीं बना सकते । हम अपने जोखिम पर ही इस काम की अनदेखी कर सकते हैं ।

35. कामकाजी महिलाएं

35.1 हैदराबाद में आयोजित पिछले महाधिवेशन के बाद सी आइ टी यू की गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है । उन उद्योगों में जहां कामकाजी महिलाएं बड़ी संख्या में काम करती हैं, सक्रिय यूनियनों की महिला उप समितियों के गठन के काम में भी सुधार हुआ है । पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में बगीचा, बीड़ी, बिजली बोर्ड इम्पलाईज यूनियनों, सड़क परिवहन श्रमिकों के संघों, मेडिकल एण्ड हैल्थ वर्कर्स यूनियनों में उप समितियों का गठन किया जा चुका है । इस काम को दूसरे राज्यों में भी आगे बढ़ाया जाए तथा महिला उप समितियां ठीक ढंग से काम करें, यह सुनिश्चित बनाना जरूरी है।

35.2 सी आइ टी यू के पिछले महाधिवेशन में लिये गए फैसलों के अनुसार सी आइ टी यू के साथ सम्बद्ध अनेक श्रमिक संघों ने प्रत्येक वर्ष कामकाजी स्थलों पर कामकाजी महिलाओं तथा पुरुष कामगारों को लामबंद करके 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू कर दिया है । अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सामूहिक सभाओं, कन्वेंशनों, गोल मेज बैठकों का आयोजन किया जाता है; लीफलेट बांटे जाते हैं तथा बिल्ले लगाए जाते हैं ।

35.3 कामकाजी महिलाओं से सम्बन्धित विषयों पर प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विमल रणदिवे मेमोरियल भाषण का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2001, 2002 तथा 2003 में इन भाषणों के विषय थेः 'असंगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं पर भूमण्डलीयकरण के दुष्प्रभाव', 'श्रम कानूनों में सुधार तथा कामकाजी महिलाएं' और 'भूमण्डलीयकरण, युद्ध एवं कामकाजी महिलाएं'। प्रख्यात अर्थ शास्त्री जयति घोष, जीवन बीमा कर्मचारियों की अखिल भारतीय एसोसिएशन के तत्कालीन महासचिव एन एम सुन्दरम तथा स्तम्भ लेखिका नलिनी तनेजा की ओर से सी आइ टी यू केन्द्र में आयोजित सभाओं में ये भाषण दिये गए थे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल जैसे अनेक राज्यों में भी इन्हीं विषयों पर स्मारक व्याख्यानों/संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था।

35.4 पिछले महाधिवेशन में कामकाजी महिलाओं की प्रमुख समस्याओं को लेकर एक व्यापक अभियान चलाने का फैसला किया गया था; इन अभियान की परिणति दिल्ली में एक विशाल जमावड़े के साथ की जानी थी, यह अभियान चलाया नहीं जा सका । केवल तमिलनाडु में ही यह अभियान पूरी गम्भीरता के साथ चलाया गया था । यह अभियान समयबद्ध ढंग से चलाया जाए और वर्ष 2004 के पूर्वार्ध में दिल्ली में कामकाजी महिलाओं की एक विशाल रैली का आयोजन किया जाए; इसके लिये इस महाधिवेशन में निर्णय लिया जाना चाहिये । सी आइ टी यू की सभी राज्य समितियां अभियान के इस कार्यक्रमों को सफलता के साथ पूरा करें, इसे सुनिश्चित बनाया जाना चाहिये।

35.5 यद्यपि कामकाजी महिलाओं के बीच हमारे काम के सम्बन्ध में सी आइ टी यू की ओर से लिये गए निर्णयों को लागू करने के मामले में कुल मिला कर हमारे काम में सुधार जरूर हुआ है, किन्तु अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है । सी आइ टी यू राज्य समितियों के अध्यक्षों तथा महासचिवों और उनके साथ-साथ कामकाजी महिलाओं की

राज्य समन्वय समितियों के संयोजकों की एक बैठक 5 दिसम्बर, 2002 को हुई थी। उस बैठक में इस मोर्चे पर हमारी लगातार चली आ रही कमजोरियों पर विस्तार में चर्चा की गई थी और हमारे कामकाज में सुधार लाने के लिये कुछ सुझाव भी दिये गए थे । इस महत्वपूर्ण बैठक में 17 राज्यों से 37 साथियों ने भाग लिया था । किन्तु बैठक में मजबूत राज्यों का प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं था; यह दुर्भाग्य का विषय है। केरल से किसी प्रतिनिधि ने बैठक में भाग नहीं लिया जबकि पश्चिम बंगाल के साथी कुछ समय के लिये ही बैठक में रहे। बैठक में आत्म आलोचनात्मक ढंग से नोट किया कि सी आइ टी यू की राज्य समितियां कामकाजी महिलाओं में काम की ओर उचित ध्यान नहीं दे रही हैं । बैठक में निर्णय लिया गया था कि कामकाजी महिलाओं में से कार्यकर्त्ताओं का विकास करने के उद्देश्य से कामकाजी महिलाओं के लिये अलग से राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियन कक्षाओं का आयोजन जुलाई 2003 के अंत से पहले किया जाए। किन्तु सी आइ टी यू की किसी भी राज्य समिति ने अभी तक इस कक्षा का आयोजन नहीं किया है।

35.6 कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति का सातवां सम्मेलन 11-12 अक्टूबर, 2003 को मुम्बई में हुआ था । सम्मेलन में 19 राज्यों तथा उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले पच्चीस महासंघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । सम्मेलन में पारित किये गए दस्तावेजों को इस महाधिवेशन में पेश किया जा रहा है (देखें अनुलग्निका)। भूमण्डलीयकरण के युग में गश्ह आधारित उद्योग धंधों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है; इन श्रमिकों में अधिकांश संख्या कामकाजी महिलाओं की होती है; इसलिये कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति के सम्मेलन ने सिफारिश की है कि सी आइ टी यू को गृह आधारित उद्योग धंधों में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित करने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। सी आइ टी यू की राज्य समितियों को विस्तार में इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिये; उन्हें उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिये जहां गश्ह आधारित उद्योग धंधे चलते हैं; उन्हें काम की प्राथमिकताएं निश्चित करनी चाहियें और उन्हें संगठित करने के लिये कार्यनीतियां बनानी चाहियें।

35.7 कामकाजी महिलाओं के लिये अंग्रेजी पत्रिका 'द वायस आफ वर्किंग विमन' का सर्कुलेशन लगभग 3,500 प्रतियां है; उसमें ठहराव चल रहा है । तमिलनाडु तथा केरल जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में उसके सदस्यता शुल्क के संग्रह में गिरावट आ चुकी है जबकि आंध्र प्रदेश में कुछ प्रगति हुई हैं; कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल में भी प्रगति हुई है । हिन्दी में त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है और उसका सर्कुलेशन लगभग 2,000 है; उसके पाठकों में अधिकांश संख्या आंगनवाड़ी महिलाओं की है।

सी आइ टी यू में महिलाएं

35.8 वार्षिक विवरणियों के अनुसार वर्ष 2002 में सी आइ टी यू में महिलाओं की सदस्य संख्या 20 प्रतिशत थी। वर्ष 2002 में कर्नाटक तथा हिमाचल प्रदेश में महिलाएं सी आइ टी यू की कुल सदस्य संख्या का 53 प्रतिशत थीं। उसी वर्ष असम, हरियाणा, केरल, बिहार, महाराष्ट्र तथा त्रिपुरा में उनकी सदस्य संख्या का प्रतिशत 20 तथा 40 के बीच था । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनेक श्रमिक संघों ने वार्षिक विवरणियां भेजते समय यह नहीं लिखा कि उनकी सदस्य संख्या में कामकाजी महिलाओं की संख्या कितनी है । यदि इस गलती को सुधार लिया जाए तो कामकाजी महिलाओं की संख्या और बढ़ जाएगी। कामकाजी महिलाओं में से सुयोग्य कार्यकर्ताओं की पहचान करना और उन्हें पदोन्नति दे कर सम्बन्धित समितियों में शामिल करना जरूरी है।

35.9 सी आइ टी यू की राज्य समितियों में पदाधिकारियों के रूप में महिलाओं की संख्या में कुछ सीमा तक सुधार आया है; भले ही यह संख्या उनकी सदस्य संख्या की दृष्टि से कम है। प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन, बीड़ी वर्कर्स फेडरेशन तथा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन जैसे महासंघों में कामकाजी महिलाओं के प्रतिनिधित्व में थोड़ा सुधार आया है। कामकाजी महिलाओं को प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है ताकि पूरी तरह तैयार होकर प्रभावशाली ढंग से अपने दायित्वों को पूरा कर सकें। सी आइ टी यू की राज्य समितियों को यकीनी बनाना चाहिये कि बैठकों में भाग लेने के लिये जाने तथा आने के मामले में उनकी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी की जाएं।

आंगनवाड़ी फेडरेशन

35.10 हमारी आंगनवाड़ी फेडरेशन के साथ सम्बद्ध यूनियनें 20 राज्यों में हैं । आंगनवाड़ी कर्मचारियों के एक सम्मेलन का आयोजन कश्मीर में किया गया था जिसमें लगभग 2,000 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया और उनकी ओर से एक संगठन समिति का गठन किया गया । इस यूनियन का पंजीकरण कराने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। हाल ही में सी आइ टी यू की ओर से अण्डेमान निकोबार द्वीप समूह में एक यूनियन का गठन किया गया है। तमिलनाडु में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ओर से अलग यूनियन का गठन किया गया है; ये कर्मचारी नून मील इम्पलाईज एसोसिएशन अर्थात् दोपहर के खाने के लिये जारी कार्यक्रम में काम करते हैं, का एक भाग हैं । वे लगातार राज्य सरकारी कर्मचारियों की एसोसिएशन के साथ सम्बद्ध हैं किन्तु इसके साथ ही वे हमारी आंगनवाड़ी फेडरेशन के साथ भी सम्बद्ध हैं । असम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, पांडिचेरि, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में आंगनवाड़ी यूनियनें फेडरेशन के साथ सम्बद्ध हैं; वे आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर नियमित रूप से अभियान चलाती हैं और संघर्ष करती हैं । हाल ही की अवधि में महाराष्ट्र तथा हरियाणा में भी आंगनवाड़ी फेडरेशन की गतिविधियों में सुधार आया है । आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की अखिल भारतीय फेडरेशन के चौथे सम्मेलन का आयोजन सफलतापूर्वक वर्ष 2002 में पुरी में किया गया था । यह सम्मेलन 2001 की सदस्य संख्या के आधार पर हुआ था । वर्ष 2002 में इस फेडरेशन की सदस्य संख्या 1,60,000 थी ।

35.11 फेडरेशन ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाने तथा बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल, 2002 से लागू हो, इसे यकीनी बनाने के लिये चल रहे संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई थी । हमारे संघर्षों का अनुकूल प्रभाव पड़ा है जिसका उपयोग हमारे संगठनों को मजबूत बनाने के लिये किया जाना चाहिये ।

35.12 गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखण्ड तथा उत्तर प्रदेश में सी आइ टी यू की राज्य समितियों को आंगनवाड़ी कर्मचारियों को संगठित करने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

36. बाल मजदूरीः सी आइ टी यू-आइ एल ओ परियोजना

36.1 हमने आइ एल ओ के साथ मिल कर बाल मजदूरी पर दूसरी परियोजना पर काम किया है । इस कार्यक्रम को दस राज्यों-आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल इत्यादि में लागू किया गया; इस परियोजना के अन्तर्गत सात उद्योगों-ईंट के भट्ठों, निर्माण, बीड़ी, हैंडलूम, माचिस तथा पटाखा, बगीचों तथा पत्थर की खदानों को लाया गया था। इस परियोजना का प्रधान उद्देश्य बाल श्रमिकों के लिये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र १६4 एन एफ ई सी १६2 चलाना था । 20 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाए गए और उनमें दो वर्षों में लगभग 1,000 बाल श्रमिकों को शिक्षा दी गई। इन दो वर्षों में 600 से अधिक बाल श्रमिकों को नियमित छात्रों के रूप स्कूलों में भर्ती कराया गया है।

36.2 इस कार्यक्रम को चलाने का प्रमुख उद्देश्य बाल श्रमिकों को अनौपचारिक शिक्षा देने के अतिरिक्त उनके साथ सम्पर्कों को विकसित करना और चुने हुए उद्योगों में उन श्रमिकों को संगठित करना था जो इन बाल श्रमिकों के अविभावक हैं। दो वर्ष का यह कार्यक्रम नवम्बर 2003 में पूरा किया गया। आम तौर पर बाल श्रमिकों के अविभावकों तथा खास तौर पर समाज की ओर से हमारे प्रयासों की सराहनाा की गई है। इस कार्यक्रम से हमें इन उद्योगों के श्रमिकों से अपने सम्पर्क विकसित करने में सहायता मिली है । किन्तु इन सम्पर्कों का उपयोग केवल कुछेक राज्यों में ही संगठन को विकसित करने के लिये किया गया। भोपाल में बीड़ी श्रमिकों की यूनियन तथा राजस्थान में पत्थर खदान मजदूरों की एक यूनियन को पुनर्जीवित किया गया। असम में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों ने बगीचा श्रमिकों के अविभावकों पर अच्छा प्रभाव डाला है। तमिलनाडु में हमारे प्रयासों के फलस्वरूप हमें जिला प्रशासन की ओर से भी मान्यता प्रदान की गई है। हिमाचल प्रदेश में इससे हमें ईंट के भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों के सम्पर्क स्थापित करने में सहायता मिली है। हरियाणा में अनौपचारिक केन्द्र में पढ़ाने वाला एक अध्यापक सी आइ टी यू के पुरा वक्ती

कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगा है । यदि सी आइ टी यू की सम्बन्धित राज्य समितियां समुचित ध्यान देतीं तो इससे भी अच्छे परिणाम निकाले जा सकते थे। आंध्र प्रदेश में सी आइ टी यू ने आइ एल ओ के साथ मिल कर बाल मजदूरी पर एक कार्यक्रम चलाया है; उसकी ओर से न्यूनतम वेतनों के मुद्दे पर एक व्यापक अभियान चलाया गया।

36.3 बाल मजदूरी की समस्या पर हमारी उचित समझदारी का होना बहुत जरूरी है। इसी लिये हमने इस महाधिवेशन मे कमिशन का एक अलग दस्तावेज लाकर इस पर बहस कराने का फैसला किया है ।

37. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

37.1 पिछले महाधिवेशन के बाद की अवधि में सी. आइ. टी. यू. ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन के साथ अपने सम्बन्धों को विकसित करने की दिशा में बहुत लम्बी छलांगें लगाई हैं।

37.2 अपनी गतिविधियों के एक भाग के रूप में इसका उल्लेख ऊपर कर चुके हैं कि भारत में दो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया था; सी आइ टी यू की ओर से इनके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। यह उस विश्वास को प्रतिबिम्बित करता है जो दूसरे देशों के हमारे श्रमिक आंदोलन के साथियों ने हम पर किया है।

37.3 भूमण्डलीयकरण एवं ट्रेड यूनियन अधिकारों पर दक्षिण की पहलकदमी (सिगटुर) का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। यह संगठन दक्षिण के श्रमिक संघों को एकजुट करने के लिये काम करता है ताकि विश्व स्तर पर भूमण्डलीयकरण के हमलों का संयुक्त रूप से प्रतिकार किया जा सके।

37.4 हम समझते हैं कि हमारा आंदोलन अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन का एक अभिन्न अंग है । पूंजी के भूमण्डलीय हमलों के चलते विश्व भर के श्रमिक आंदोलन के लिये अपनी पंक्तियों मे एकता लाना तथा इन हमलों के प्रतिकार की कार्रवाईयों को और तेज करना अनिवार्य हो गया है; इस भूमण्डल के सभी महाद्वीपों में सक्रिय श्रमिक संगठनों जिनके साथ हमारे भाईचारक सम्बन्ध हैं, के सहयोग को हम अत्यंत मूल्यवान मानते हैं। सी आइ टी यू इस समय तीनों अन्तर्राष्ट्रीय महासंघों--डब्ल्यू एफ टी यू, आइ सी एफ टी यू अथवा डब्ल्यू सी एल में से किसी एक के साथ भी सम्बद्ध नहीं है । किन्तु हमने सांगठनिक सम्बद्धताओं से ऊपर उठ कर विश्व भर में सभी भ्रातश संगठनों के साथ अपने सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखे हैं । हमने उनके अनुभवों से सीखने का प्रयास किया है; पूंजीपति वर्ग के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने तथा हमारे देश में श्रमिक आंदोलन को और आगे ले जाने के लिये हमने उनके अनुभवों से अच्छे सबक लिये हैं । इसी अवधारणा को लेकर ही हम अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को और अधिक मजबूत बनाने की ओर पूरी गम्भीरता के साथ ध्यान दे रहे हैं ।

37.5 सी आइ टी यू तथा दूसरे भ्रातश श्रमिक संघों के बीच दौरों के आदान प्रदान, हमारे साथियों की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों तथा कार्य शालाओं में भाग लेने से सम्बन्धित सूचनाओं का विवरण हम यहां नहीं देंगे क्योंकि इसके समाचार नियमित रूप से हमारी पत्रिकाओं में दिये जाते रहे हैं।

37.6 इसलिये हम बड़े गर्व के साथ यहां दर्ज करेंगे कि पूरे दुनिया से श्रमिक संगठनों के निमंत्रण पर सी आइ टी यू के प्रतिनिधिमण्डलों ने यूके, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, ग्रीस, साइप्रस, फिलीपीन्स, सीरिया, लीबिया, इराक, वियतनाम, चीन, जापान, ब्राजील, श्री लंका, नेपाल, दक्षिणी कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यूबा तथा दूसरे अनेक देशों का दौरा किया है।

37.7 सी आइ टी यू के प्रतिनिधिमण्डलों ने रूस, ब्राजील, फ्रांस, दक्षिणी अफरीका तथा मैक्सीको के श्रमिक संगठनों के राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया था। इससे भी बढ़ कर हमें जापान, अमरीका, चीन, नेपाल जैसे अनेक देशों से

आए प्रतिनिधिमण्डलों का स्वागत करने का अवसर भी मिलता रहा है । सी आइ टी यू के प्रतिनिधियों ने पोर्टो अलेगरे, ब्राजील में आयोजित विश्व सामाजिक मंच की बैठक के अतिरिक्त जिनेवा में वर्ष 2002 तथा 2003 में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात् आइ एल ओ के 90वें तथा 91वें सम्मेलनों में भाग लिया था। इन दौरों के फलस्वरूप भ्रातश श्रमिक संगठनों के साथ हमारे सम्पर्कों तथा सम्बन्धों में उल्लेखनीय वशद्धि हुई है; यह तथ्य हमारे 11वें महाधि ावेशन में विदेशी प्रतिनिधियों के भाग लेने से प्रतिबिम्बित होता है । भूमण्डलीयकरण के बढ़ते हमलों की पश्ष्ठभूमि में जहां विश्व भर में संघर्ष प्रबल होते चले जा रहे हैं वहीं सी आइ टी यू के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भी विस्तार हो रहा है। निश्चित रूप से यह एक स्वागत योग्य घटना है।

38. कुछ संगठन के बारे में

38.1 हमारा संगठन लगातार हमारे लिये चिन्ता का प्रमुख विषय रहा है। इसमें कुछ सुधार जरूर हुआ है किन्तु यह सुधार आंशिक ही है और सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। जो भी हो, यह श्रमिक वर्ग पर भूमण्डलीयकरण तथा उदारीकरण के तेज होते हमलों और उसके साथ-साथ साम्प्रदायिकता के हमलों का सामना प्रभावशाली ढंग से कर सका है या कर रहा है।

38.2 यहां पर यह याद करना लाभदायक होगा कि 1990 के दशक के शुरू में ही हम महसूस करने लगे थे कि श्रमिक वर्ग पर बढ़ रहे हमलों का प्रभावशाली ढंग से सामना करने तथा संयुक्त संघर्ष को और अधिक मजबूत बनाने के लिये हमें कहीं अधिक मजबूत सी आइ टी यू की आवश्यकता है । हमने अपने संगठन के सभी स्तरों पर एक लम्बी बहस शुरू की थी जिसकी परिणति एक ठोस दस्तावेज के रूप में हुई थी; यह दस्तावेज अब भुबनेश्वर दस्तावेज के नाम से प्रसिद्ध है; यह दस्तावेज वर्ष 1993 में सी आइ टी यू की कार्य समिति ने पारित किया था । इस दस्तावेज में विस्तार में जाकर हमारे संगठन की कमजोरियों का पता लगाया गया था और संगठन को मजबूत बनाने के लिये हमने अपने लिये कुछ काम निर्धारित किये थे । इस दस्तावेज का व्यापक प्रसार हुआ था और इसकी अन्तर्वस्तु से हमारे सभी साथी अच्छी तरह परिचित हैं।

38.3 सी आइ टी यू के दसवें महाधिवेशन के समय हमने संगठन पर एक विशेष बहस कराई थी; उससे पहले मार्च,2000 में नयी दिल्ली में आयोजित कार्यशाला में हमने संगठन को मजबूत बनाने के लिये जिन कदमों को उठाने का सुझाव दिया था, महाधिवेशन में उन पर विस्तार में विचार किया । दसवें महाधिवेशन ने गहरा विचार विमर्श करने के बाद एक दस्तावेज पारित किया था जिसमें केन्द्र, कुछ राज्यों तथा महासंघों की ओर से तत्काल किये जाने वाले कामों की रूप रेखा तय की गई थी। इसके अतिरिक्त जनवादी कार्य प्रणाली, कामकाजी महिलाओं, शिक्षा, कार्यकर्ताओं के विकास तथा विचारधारात्मक कार्यों का निर्धारण भी किया गया था।

38.4 पिछले महाधिवेशन से बाद की अवधि में हमने इस दिशा में कुछ प्रगति जरूर की है। हम यह दावा करने की स्थिति में हरगिज नहीं हैं कि हम विभिन्न पहलुओं से अपने लिये निर्धारित किये गए कामों को करने की अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा सके हैं। हमने उसके लिये प्रयास जरूर किया है । इसके कुछ सकारात्मक पहलुओं का उल्लेख यहां किया जाता है :

☐ इस समीक्षा अवधि में अनेक राज्यों में संगठन पर राज्य स्तरीय कक्षाएं लगाने का काम किया गया है। विभिन्न राज्यों में आयोजित राज्य स्तरीय कक्षाओं में उन समस्याओं पर लाभदायक बहस हुई थी जिनका सामना उन राज्य समितियों को करना पड़ रहा है । फिर भी बिहार, गुजरात, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन अभी तक नहीं किया गया है ।

☐ सी आइ टी यू सचिव मण्डल की ओर से अप्रैल, 2002 में सिलीगुड़ी में आयोजित सी आइ टी यू जनरल कौंसिल की बैठक में 'संयुक्त संघर्ष तथा श्रमिक आंदोलन की मजबूती' विषय पर एक विस्तृत आलेख प्रस्तुत करके

इसकी समीक्षा करने की दिशा में पहलकदमी की गई थी । सी आइ टी यू सचिव मण्डल तथा दिसम्बर, 2002 में हिसार में आयोजित कार्य समिति की बैठक में और अधिक बहस किये जाने के पश्चात् इस दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया गया है ।

☐ सी आइ टी यू केन्द्र की ओर से हिन्दी भाषी राज्यों के नेतश्त्व के साथ बैठकें करने का अमल जारी रखा गया है । इन बैठकों में तात्कालिक समस्याओं तथा कार्यक्रमों पर विचार किया जाता रहा है । फिर भी सी आइ टी यू को हिन्दी बैल्ट में संगठन, संगठन के प्रसार तथा संगठन की मजबूती जैसी लम्बे समय से चली आ रही जिन बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन पर गम्भीर बहस कराना अभी बाकी है ।

☐ यह सत्य है कि अभी तक हम संगठन का प्रसार करने तथा उसकी सदस्य संख्या को बढ़ा कर 40 लाख करने का अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए हैं । सदस्यता के आंकड़े दर्शाते हैं कि संगठन में ठहराव की स्थिति बनी हुई है। कुछेक राज्यों में तो सदस्य संख्या में गिरावट आ गई है । इस स्थिति का एक और पहलू भी है जिसे हमें आंखों से ओझल नहीं करना चाहिये । उद्योगों में कामबंदी, श्रमिकों की संख्या में कमी लाए जाने, छंटनियों इत्यादि के चलते हमें अपने अनेक आधारों तथा सदस्यों से वंचित होना पड़ा है। हमारी राज्य समितियों तथा यूनियनों ने नये क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास किया है जिसके परिणामस्वरूप संगठन का कुछ प्रसार अवश्य हुआ है । इसके चलते हम संगठन के विकास के सिलसिले को जारी रख सके हैं । किन्तु इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि यह स्थिति हमारे लिये कहीं अधिक अवसर उपलब्ध कराने वाली है; हम संगठन का प्रसार कर सकते हैं और इसके लिये हमें कड़ी मेहनत करनी होगी।

☐ अनेक राज्यों में सी आइ टी यू राज्य समितियों की कार्य प्रणाली में कुछ सुधार देखने को मिला है । राज्य समितियों की बैठकें पहले से अधिक नियमित रूप से होने लगी हैं; अनेक मामलों में उनकी उपस्थिति में भी सुधार आया है और कुछ राज्यों में बैठकों में लिखित रिपोर्ट पेश करने का प्रचलन बढ़ा है । फिर भी इसमें और सुधार लाया जा सकता है।

☐ कुछ राज्यों में राज्य समितियों की ओर से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिये कक्षाओं का आयोजन किया गया है । इसी अवधि में हमारे कुछ औद्योगिक महासंघों की ओर से भी प्रशिक्षण कक्षाएं लगाई गई हैं । फिर भी हमें कहना पड़ेगा कि इस प्रकार के प्रयास सभी राज्यों तथा महासंघों में हमारी समितियों की ओर से नहीं किये जा रहे हैं ।

☐ सी आइ टी यू केन्द्र की ओर से औद्योगिक महासंघों के साथ इस प्रश्न पर बहस की शुरूआत की जा चुकी है । सचिवमण्डल ने कोयला श्रमिकों के अखिल भारतीय महासंघ के साथ पहले ही इस प्रश्न पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया जुलाई, 2003 में शुरू कर दी गई थी।

☐ सी आइ टी यू केन्द्र में भी सामूहिक कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिये कुछ प्रयास किये गए हैं, किन्तु इन प्रयासों को काफी नहीं माना जा सकता । यद्यपि केन्द्र में रह कर काम करने वाले सचिवमण्डल के सदस्य कुछ राज्यों और विशेष रूप हिन्दी भाषी राज्यों की सहायता कर रहे हैं, किन्तु अभी तक सुनियोजित विकास की दिशा में काम करने की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया । केन्द्र को श्रमिक वर्ग के विचारधारात्मक विकास की ओर अधिक ध्यान देना होगा ।

38.5 ये सकारात्मक पहलू हैं किन्तु हमने क्या कुछ किया है और क्या कुछ करना हमारे लिये बाकी है; इन दोनों में एक बहुत बड़ा अन्तर अब भी बना हुआ है । विशेष रूप से बढ़ते चले जा रहे हमलों के दृष्टिगत यह हमारे लिये लगातार चिन्ता का विषय बना हुआ है ।

☐ हम अब भी सी आइ टी यू की सदस्य संख्या को 40 लाख तक ले जाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के

मामले में बहुत पीछे हैं । नये क्षेत्रों तथा नये उद्योगों में हमारा सांगठनिक प्रसार बहुत ही सीमित है। नये सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया को नया स्वरूप प्रदान करना जरूरी हो गया है; सामान्य रूप में पूरा वर्ष नये सदस्यों की भर्ती का काम नहीं होता ।

☐ स्टील, कंस्ट्रक्शन फेडरेशन तथा आंगनवाड़ी श्रमिकों के महासंघ के अपवाद को छोड़ कर हमारे किसी भी महासंघ की ओर से गम्भीरता के साथ उद्योगवार महासंघ के स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा का काम नहीं किया गया। सी आइ टी यू केन्द्र की ओर से भी इस प्रक्रिया को शुरू कराने के लिये कोई पहलकदमी नहीं की गई।

☐ केन्द्र में सामूहिक कार्य प्रणाली को उसके सभी पहलुओं की दशष्टि से विकसित करने के लिये बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है।

☐ यद्यपि कुछ मामलों में कुछ केन्द्रीय पदाधिकारी सम्बन्धित राज्य समितियों की सहायता करते हैं; किन्तु हम 'सम्बन्धित राज्य में प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिये विकास की एक सुगठित योजना' को तैयार नहीं कर सके।

☐ केन्द्र अभी तक ट्रेड यूनियन शिक्षा के लिये सुनियोजित ढंग से कोई कोशिश नहीं कर पाया है । उसने ट्रेड यूनियन शिक्षा के लिये पाठ्य क्रम उपलब्ध कराने का अपना वादा भी पूरा नहीं किया है ।

38.6 हमारे लिये एक और पहलू की विशेष रूप से चर्चा करना आवश्यक है। पिछले महाधिवेशन के बाद देश व्यापी संघर्ष के कार्यक्रमों तथा राज्य स्तरीय आंदोलनों दोनों ही दृष्टियों से सी.आइ.टी.यू. की कारगुजारी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 8 जनवरी, 2003 के देश व्यापी सत्याग्रह तथा 21 मई की हड़ताल के सी आइ टी यू की सक्रिय पहलकदमी के फलस्वरूप अनेक नये क्षेत्रों यहां तक कि कमजोर राज्यों में भी गति और सघनता दोनों ही दृष्टियों से कार्यक्रमों को व्यापक श्रेणियों में ले जाने तथा उसका और अधिक प्रसार करने में सहायता मिली है; सी आइ टी यू ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई थी, इसमें संदेह नहीं और इसका यहां विशेष उल्लेख किया जाना जरूरी है । ये घटनाएं स्थिति के अनुसार सामूहिक रूप में काम करने के प्रति हमारे राज्य स्तरीय नेतश्त्व के बढ़ती संगठनात्मक पहलकदमी को ही प्रतिबिम्बित करती हैं । यही नहीं, अनेक राज्यों में राज्य स्तरीय आंदोलन चलाए गए हैं; ये आंदोलन नये क्षेत्रों में फैले हैं । इन आंदोलनों के फलस्वरूप हमारे सांगठनिक आधार का प्रसार नहीं हुआ; यह दुर्भाग्य की बात है। उदाहरण के लिये पत्थर खदानों तथा ईंट के भट्ठों पर काम करने वाले श्रमिकों के लम्बे संघर्ष हुए हैं; राज्य प्रशासन की ओर से उनका बर्बर दमन किया गया; किन्तु राज्य के उन क्षेत्रों में हमारी सदस्य संख्या बढ़ने की बजाए कम हुई है । दूसरे क्षेत्रों के मामले में भी इस प्रकार की उदाहरणें देखने को मिल जाती हैं । हम समुचित संगठनात्मक दृष्टिकोण अपना कर संघर्ष नहीं चला पाते और न ही हम संघर्षों के द्वारा अपने संगठन को मजबूत बना कर अपने प्रभाव को बढ़ाने में सक्षम हैं; यही हमारी असफलता की जड़ है । इसके साथ ही हमारे भीतर संघर्षों के बाद की स्थिति में संगठन के कामों को पूरा करने के मामले में भी जागरूकता का अभाव भी पाया जाता है । जनवादी कार्य प्रणाली की कमी होना भी काफी हद तक इस प्रकार की गड़बड़ियों का एक कारण हो सकता है । इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिये भुबनेश्वर दस्तावेज में विशेष रूप से दिशा निदेश दिये गए थे । हम उन्हें अमल में उतार नहीं सके; कभी कभार उन्हें याद जरूर कर लेते हैं।

38.7 दूसरे, अधिकांश उद्योगवार महासंघों जो अर्थ व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ सम्बन्ध रखते हैं, ने इस समीक्षा अवधि में संघर्ष के देश व्यापी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें से कुछेक महासंघ सम्बन्धित सेक्टरों की मांगों को लेकर स्वतंत्र रूप से या दूसरे संगठनों के साथ मिल कर संयुक्त रूप से संघर्ष चलाने में सफल रहे हैं। इस सम्बन्ध में आंगनवाड़ी श्रमिकों, इस्पात, कोयला, सड़क परिवहन तथा निर्माण श्रमिकों के महासंघों के उदाहरण दिये जा सकते हैं । यह बात भी हमें समझ लेनी चाहिये कि इनमें से अधिकांश सक्रिय महासंघों में सम्बन्धित क्षेत्र के अखिल भारतीय नेतृत्व का विकास करने के मामले में सांगठनिक प्रयास बहुत कम किये जा रहे हैं । यही नहीं, महासंघ के नेतृत्व तथा सम्बन्धित राज्यों के नेतृत्व में तालमेल का अभाव भी है, उन राज्यों में जहां महासंघों की इकाईयां काम

करती हैं वहां कुछेक मामलों में काम की प्राथमिकता के बारे में आपसी समझ का अभाव लगातार एक समस्या बना हुआ है । इस सम्बन्ध में कुछेक महासंघों में महासंघों, राज्यों तथा केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किये जाने के कारण स्थिति में सुधार जरूर हुआ है ।

38.8 इसके कुछ पहलु सुस्पष्ट हैं । किन्तु न सकारात्मक और न ही लगातार बने रहने वाले दोनों प्रकार के पहलुओं को सर्वांगीण कहा जा सकता है, किन्तु ये निश्चित रूप से उस बड़े भारी अन्तर की ओर संकेत करते हैं जिसे दूर किये जाने की आवश्यकता है ताकि हम सांगठनिक तौर पर और अधिक मजबूत हो सकें ।

38.9 इसमें दोष केन्द्र का ही है; इसमें कोई संदेह नहीं। यदि हम आत्म आलोचना के रूप में इसे स्वीकार करते हैं तो इसलिये मन को तसल्ली देने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर कहेंगे कि राज्य स्तर तथा महासंघ के स्तर पर आवश्यक गम्भीरता का सर्वथा अभाव है।

38.10 हम राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का विश्लेषण चाहे कितना ही अच्छा क्यों न करें और उसके आधार पर अपने लिये कामों का निर्धारण क्यों न कर लें किन्तु जब तक हम पूरे देश में अपने संगठन को मजबूत नहीं बनाएंगे और सी आइ टी यू को एक अपराजेय शक्ति के रूप में बदल नहीं देते तब तक हम उन कामों को प्रभावशाली ढंग से पूरा नहीं कर पाएंगे और यह बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिये।

38.11 संगठन के प्रश्न की ओर पूरी गम्भीरता के साथ ध्यान दिया गया है; यह बात उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट हो जाती है। भुबनेश्वर दस्तावेज को पारित करने के समय और संगठन पर आयोजित कार्यशाला से पहले तथा बाद में अर्थात् हर बार इस प्रश्न पर गम्भीरता के साथ विचार किया गया था। किन्तु दोनों ही मौकों पर जो गतिशीलता आई थी वह धीरे-धीरे खत्म हो गई और उसे बनाए नहीं रखा जा सका। इसके परिणामस्वरूप कुछ स्थानों पर स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ है किन्तु यह बात भी उतनी ही सही है कि इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। हमने जो उपलब्धि क्या हासिल की थीं वे भी खत्म हो गई और हम घूम फिर कर वहीं पहुंच गए जहां से हम चले थे।

38.12 सी आइ टी यू के असमान विकास की स्थिति जस की तस बनी हुई है; आज भी सी आइ टी यू की कुल सदस्य संख्या में से दो तिहाई भाग अकेले पश्चिम बंगाल तथा केरल की सदस्य संख्या का ही है । अनेक राज्यों जिनमें हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी शामिल हैं, में पुलिस दमन, प्रबंधन द्वारा लाए गए भाड़े के गुण्डों के बर्बर हमलों जैसी अनेक कठिनाईयों का सामना करते हुए श्रमिकों की समस्याओं को लेकर लम्बे एवं जुझारू संघर्ष किये गए हैं । लगभग सभी राज्यों में श्रमिक वर्ग की विभिन्न श्रेणियों के बीच हमारा प्रभाव बढ़ा है; इसमें संदेह नहीं । किन्तु हम इसका रूपांतरण अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि तथा संगठन के मजबूती के रूप में नहीं कर सके । हमारी इस कमजोरी का प्रधान कारण यह है कि हम ठीक ढंग से आंदोलन, प्रचार तथा संगठन में तालमेल बिठा नहीं पाते या इन्हें जोड़ नहीं पाते । संघर्षों की उपलब्धियों से लाभ उठा कर संगठन को मजबूत बनाने के मामले में हमारी अक्षमता के अनेक कारणों में से एक श्रमिक संघों तथा महासंघों में जनवादी कार्य प्रणाली का अभाव होना भी है ।

38.13 भुबनेश्वर दस्तावेज में यह व्यवस्था की गई थी कि हमने निर्धारित कामों को कहां तक पूरा किया है; इसकी समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिये; भुबनेश्वर दस्तावेज में भी यह बात कही गई थी । कभी कभार हमने अपने कामों की समीक्षा जरूर की है किन्तु यह एक रुटीन की कार्रवाई ही थी । कामों की रिपोर्टिंग नीचे से होने और फिर ऊपर से किये जाने की व्यवस्था नदारद सी हो गई है । निर्धारित कामों को कहां तक पूरा किया गया है; इसकी विस्तृत रिपोर्ट राज्यों तथा महासंघों की ओर से भेजे जाने की नितांत आवश्यकता है । असम तथा तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों को छोड़ कर अधिकांश राज्य समय पर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजते; उस स्थिति में संघर्ष के विभिन्न आह्वानों पर कहां तक काम किया गया है, केन्द्र इसकी समीक्षा नहीं कर पाता । इन कमजोरियों पर काबू पाना होगा; हमें अपने संघर्षों के अनुभवों से सबक सीखने होंगे; सबक सीखने का काम भी सामूहिक रूप से करना होगा ताकि हम और अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी भावी गतिविधियों की योजना बना सकें ।

38.14 श्रमिक वर्ग पर हमला दिन ब दिन तेज होता चला जा रहा है; स्थिति पहले से कहीं अधिक जटिल बनती चली जा रही है । सरकार श्रमिक वर्ग विरोधी तथा जन विरोधी नीतियों के खिलाफ श्रमिक वर्ग तथा मेहनतकश अवाम की दूसरी श्रेणियों में असंतोष तेजी से बढ़ रहा है; श्रमिक वर्ग की अधिक से अधिक श्रेणियां संघर्षों में कूद रही हैं । इन हालतों में अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिये जरूरी कोशिशें करके ही हम ठीक दिशा में श्रमिक वर्ग का नेतश्त्व कर सकेंगे ।

38.15 भुबनेश्वर दस्तावेज को कहां तक अमल में उतारा गया है और उसमें निर्धारित कामों को हम कहां तक पूरा कर सके हैं; इस स्थिति में इसकी गम्भीर समीक्षा किये जाने की जरूरत है ताकि हम अपने संगठन में सुधार लाने की प्रक्रिया में नयी जान डाल सकें । इस महाधिवेशन के तत्काल पश्चात् नये सचिवमण्डल के लिये एक प्राथमिकता वाले काम के रूप में इसकी समीक्षा करनी होगी, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है।

39. सी आइ टी यू के संविधान में संशोधन

39.1 हमने सी आइ टी यू के संविधान में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में कुछ विशेष सुझावों की सूचना पहले ही दे दी थी।

वर्तमान में, सी आइ टी यू के संविधान में प्रत्येक वर्ष कार्य समिति की कम से कम दो तथा जनरल कौंसिल की एक बैठक करने का प्रावधान है। अनुभव दर्शाता है कि इस कार्यक्रम को पूरा कर पाना या बनाए रखना व्यावहारिक रूप में असम्भव हो चुका है और कभी कभार कार्य समिति की बैठक औपचारिक रूप में जनरल कौंसिल की बैठक शुरू होने से केवल एक घण्टा पहले की जाती है ताकि संविधानिक जरूरत को पूरा किया जा सके । अनेक साथियों ने इस रस्मी कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त किया है । जनरल कौंसिल ने इस पूरे मामले पर विस्तार में विचार किया था और उसने संविधान में एक संशोधन लाने का प्रस्ताव किया है जिसके अन्तर्गत एक वर्ष में जनरल कौंसिल की एक तथा कार्य समिति की एक बैठक करने का सुझाव दिया गया है। फिर भी यह नयी व्यवस्था केवल संविधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये ही की जा रही है, आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक बैठकें बुलाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया ।

39.2 जनरल कौंसिल ने अखिल भारतीय महाधिवेशन में चुने जाने के लिये सी आइ टी यू के सैक्रेटेरिएट, कार्य समिति तथा जनरल कौंसिल के आकार के बारे में भी फैसला किया था जो इस प्रकार होना चाहियेः

☐ पदाधिकारीः	इसका फैसला प्रत्येक महाधिवेशन की ओर से किया जाएगा (जैसाकि वर्तमान में होता है)
☐ कार्य समिति	125+पदाधिकारी
☐ जनरल कौंसिल	300+कार्य समिति

39.3 जनरल कौंसिल ने यह फैसला भी किया है कि प्रत्येक राज्य से इन समितियों के लिये प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण उनकी सदस्य संख्या की शक्ति के अनुपात से किया जाए।

39.4 उन फैसलों को लागू करने के लिये प्रस्तावित संशोधन पेश किये जा रहे हैं। मुझे आशा है कि इन संशोधनों के लिये आपकी स्वीकशति मिल जाएगी।

40. कामरेड बी टी रणदिवे की जन्म शताब्दी

40.1 सी आइ टी यू के संस्थापक अध्यक्ष कामरेड बी टी रणदिवे का जन्म शताब्दी वर्ष 19 दिसम्बर, 2003 को शुरू

हो जाएगा । हमें अपने पूरे संगठन में श्रमिक वर्ग की मूल विचारधारा तथा उसे लागू करने की विधियों पर सघन शैक्षणिक गतिविधियां चला कर और उनमें कामरेड बी टी रणदिवे की शिक्षाओं का उल्लेख करके अपने महान नेता, शिक्षक तथा पथ प्रदर्शक की जन्म शताब्दी उपयुक्त ढंग से मनानी चाहिये।

40.2 कामरेड बीटीआर का जन्म शताब्दी वर्ष एक ऐसे समय में आया है जब श्रमिक आंदोलन को उन जबरदस्त अथवा गुरूतर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो विश्व भर में पूंजीपति वर्ग की ओर से श्रमिक वर्ग की विचारधारा, वर्ग संघर्ष तथा समाजवाद की अवधारणा पर किये जा रहे विचारधारात्मक हमलों के कारण पैदा हुई हैं । इस प्रकार के विचारधारात्मक हमलों का दुष्प्रभाव श्रमिक आंदोलन पर भी पड़ रहा है। यह श्रमिक वर्ग के भीतर आंदोलन के प्रति अनेक प्रकार की हिचकिचाहटों के रूप में प्रतिबिम्बित भी हो रहा है। इस लिये हमारे आंदोलन के लिये विचारधारात्मक शिक्षा का काम निर्णायक महत्व का बन चुका है।

40.3 इस काम को पूरा करने के लिये हमें पूरा वर्ष अपने संगठन के सभी स्तरों पर शिक्षा का अभियान चलाना होगा। हम विभिन्न विचारधारात्मक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांगठनिक मुद्दों जिनसे श्रमिक वर्ग को दो चार होना पड़ रहा है, पर अपने कार्यकताओं के लिये ट्रेड यूनियन कक्षाएं लगाने के अतिरिक्त संगोष्ठियों का आयोजन भी संगठन के विभिन्न स्तरों पर कर सकते हैं । इन कार्यक्रमों की योजना तथा उसका कार्यान्वयन राज्य समितियों तथा केन्द्र दोनों की ओर से किया जा सकता है । कामरेड बीटीआर के जन्म शताब्दी समारोहों के समय सी आइ टी यू से सम्बद्ध सभी श्रमिक संघों की कार्य समितियों के सदस्यों को शिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है; इसके लिये देश भर में श्रमिक आंदोलन के इतिहास, वर्ग संघर्ष तथा समाजवाद की अवधारणा, साम्प्रदायिकता के खतरे, साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण तथा सी आइ टी यू की आंदोलनात्मक एवं संगठनात्मक अवधारणाओं जैसे विषयों पर ट्रेड यूनियन कक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है । कामरेड बीटीआर के जीवन तथा शिक्षाओं पर केन्द्र की ओर से एक पुस्तिका का प्रकाशन किया जाएगा और यह पुस्तिका सम्बन्धित क्षेत्रीय भाषाओं में पूरे देश भर में निकाली जाएगी ।

40.4 कामरेड बीटीआर ने सी आइ टी यू के कंधों पर 'काम के अधिकार' की मांग को लेकर देश के नौजवानों को लामबंद करने की जिम्मेदारी का बोझ डाला था । हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या अत्यंत भयावह होती चली जा रही है; इसके दुष्परिणामस्वरूप हमारे नौजवान देश के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से ही बेदखल होते चले जा रहे हैं । उदारीकरण की नीतियां शुरू होने के बाद तो यह समस्या कई गुणा बढ़ चुकी है, कुल मिला कर हमारी अर्थ व्यवस्था में रोजगार पैदा करने की क्षमताओं एवं सम्भावनाओं में भयानक सीमा तक कमी आ चुकी है और हालत बद से बदतर होते चले जा रहे हैं । रोजगार पाने के चाहवानों तथा रोजगार खो देने वाले श्रमिकों एवं कर्मचारियों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती चली जा रही है, इसे देख कर रौंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सब जन संख्या में वृद्धि की दर में कमी आने तथा श्रमशक्ति की वृद्धि कम होने पर भी हो रहा है । कामरेड बीटीआर ने अपनी अंतिम रचना 'काम का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में' जिसे उन्होंने दुर्गापुर में आयोजित सम्मेलन में पढ़ा था, में बताया था कि विकास के पूंजीवादी मार्ग पर इस प्रकार की भयानक स्थिति का उत्पन्न हो जाना अनिवार्य है; उन्होंने श्रमिक वर्ग तथा विशेष रूप से सी आइ टी यू को आह्वान किया था कि वे बेरोजगारी के खिलाफ तथा 'एक मौलिक अधिकार के रूप में काम का अधिकार' प्राप्त करने के लिये अपने वर्गीय साथियों तथा बेरोजगारों को एक साथ लामबंद करें। कामरेड बीटीआर की जन्म शताब्दी मनाते समय यह काम हमारी गतिविधियों का एक केन्द्रीय बिन्दु होना चाहिये।

41. तीखे संघर्षों की दिशा में आगे बढ़ो

प्रिय साथियो,

41.1 आने वाले समय में भारत का पूंजीपति वर्ग विश्व की इजारेदार पूंजी के आदेश पर श्रमिक वर्ग के ऊपर और अधिक सख्त तथा भयानक हमले करेगा । श्रमिक वर्ग तथा मेहनतकश जनता को देश भर में और भी अधिक भयानक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा । विश्व पूंजी का संकट और गहरा हो जाने के साथ ही विश्व पूंजीवाद संकट का

बोझ श्रमिक वर्ग तथा जन साधारण के कंधों पर डाल देने के लिये और अधिक क्रूर कोशिशें करेगा ।

41.2 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक विकासशील देशों में एकता न होने की स्थिति का लाभ उठा कर विकासशील विश्व में राष्ट्र-राज्य की सम्प्रभुसत्ता में अधिक से अधिक दखल देने का यत्न कर रहे हैं। भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश न केवल बढ़ता चला जा रहा है बल्कि यह दिन प्रतिदिन पूरे विश्व में जोर पकड़ता जा रहा है; इसका दुष्प्रभाव विकासशील देशों की नीतियों पर भी पड़ रहा है। इसलिये वक्त का तकाजा है कि इन प्रतिरोधी आंदोलन को और अधिक बुलंदियों तक ले जाया जाए ताकि इसका शक्तिशाली प्रभाव भूमण्डलीय स्तर पर पड़ सके।

41.3 एन डी ए सरकार भूमण्डलीयकरण, निजीकरण तथा उदारीकरण की नीतियों को पूरे जोर शोर से लागू कर रही है; वह देश के राज तंत्र में साम्प्रदायिक सौहार्द के ताने बाने को ही छिन्न भिन्न करने के काम में लगी हुई है । उसने बड़ी बेशर्मी के साथ देश को अमरीकी साम्राज्यवाद का गुलाम बना डाला है । जुझारू जन संघर्ष चला कर इसका प्रतिकार किया जाना चाहिये।

41.4 भारत में प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस भूमण्डलीयकरण की नीतियों के घोर समर्थक हैं। सत्ताधारी गठबंधन में शामिल अनेक दूसरे दल और उनके साथ-साथ प्रतिपक्ष में भी कुछ दल भूमण्डलीयकरण की समर्थक हैं । इन दलों का श्रमिक वर्ग पर काफी अधिक प्रभाव है । इसके चलते भूमण्डलीयकरण की नीतियेां के खिलाफ संयुक्त संघर्ष चलाने के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती हैं।

41.5 इन परिस्थितियों में देश को बचाने के लिये प्रतिरोधी आंदोलन को कई गुणा अधिक मजबूत बनाना श्रमिक आंदोलन के लिये सर्वोपरि महत्व का काम हो जाता है।

41.6 विश्व पूंजीवाद के हमले के खिलाफ कहीं बड़े संघर्षों के लिये मेहनतकश जनता के कहीं अधिक शक्तिशाली एकता का निर्माण करने के उद्देश्य से सी आइ टी यू की समितियों को सभी स्तरों पर अपनी गतिविधियां दोगुणा अधिक बढ़ा देनी चाहियें। हमारा अनुभव बताता है कि जहां कहीं भी सी आइ टी यू की राज्य समितियों ने तृण मूल स्तर पर एकता के लिये ललक पैदा करने के उद्देश्य से पहलकदमी की है, वहां संयुक्त आंदोलनों को अधिक मजबूती मिली है।

41.7 हमारे उद्योगवार महासंघों को उद्योगवार आंदोलन चलाने के लिये और अधिक पहलकदमियां करनी चाहियें ताकि श्रमिकों की संख्या में कमी लाने, निजीकरण, कारखाने का काम बाहर से ठेके पर करा लेने, औद्योगिक बीमारी, कामबंदी इत्यादि श्रमिकों के अधिकारों पर हमलों को प्रभावशाली ढंग से नाकाम बनाया जा सके । क्योंकि प्रतिरोधी संघर्ष जरूरत से कम चलाए जा रहे हैं इसलिये श्रमिकों की एक श्रेणी में निराशा पाई जा रही है; इसे दूर करने के लिये हमें जरूरी कदम उठाने चाहियें।

41.8 श्रमिक आंदोलन के नेतश्त्व का एक वर्ग संघर्षों के प्रति केवल ढुलमुल रुख ही नहीं अपना रहा बल्कि वह इनका विरोध भी करता है; यह वर्ग श्रमिक आंदोलन में व्यापक एकता बनाए रखने के नाम पर संघर्षों को तेज करने के विचार का भी विरोध करता है। जहां सी आइ टी यू श्रमिक वर्ग तथा श्रमिक आंदोलन की व्यापकतम एकता का समर्थक रहा है वहीं श्रमिक वर्ग के आंदोलन तथा संघर्षों को मजबूत बनाने तथा उन्हें बुलंदियों तक पहुंचाने की उसकी अपनी अवधारणा भी है। श्रमिक आंदोलन के नेतृत्व के एक भाग के ढुलमुल रुख के चलते श्रमिकों की विशाल संख्या में भ्रांतियां पैदा होती हैं और वह झूठे भ्रम एवं गलतफहमियों का शिकार हो जाता है।

41.9 संघर्षों के प्रति ढुलमुल रुख तथा उन्हें तेज किये जाने का विरोध करने की प्रवशति को खत्म करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है और श्रमिक आंदोलन के लिये यह सर्वोपरि महत्व का काम है। श्रमिक वर्ग में शक्तिशाली आंदोलन चला कर ही यह काम किया जा सकता है; संयुक्त आंदोलन को और अधिक तेज एवं मजबूत करना क्यों जरूरी है; यह बात हमें श्रमिकों को समझानी होगी। पूंजीवादी हमलों असल मकसद क्या है; उनका असल स्वरूप क्या

है; इसकी जागरूकता लाने के लिये हमें स्वतंत्र रूप से श्रमिकों के मध्य एक शक्तिशाली विचारधारात्मक प्रचार अभियान चलाना होगा । वर्तमान संघर्षों को और तेज करने तथा संयुक्त संघर्षों को क्षति पहुंचाने वाली शक्तियों को अलग-थलग करने के हमारे प्रयासों में हमारे साथ मिल कर काम करने की इच्छुक सभी शक्तियों को हमें एकजुट करना होगा।

41.10 पूंजीपति वर्ग श्रमिक आंदोलन की पंक्तियों में भीतरघात करने तथा उसमें फूट डालने की कोशिशें सदा करता रहेगा, यह बात हमें हमेशा याद रखनी होगी । श्रमिक आंदोलन कभी भी नयी बुलंदियों को छू नहीं पाए इसके लिये वह ट्रेड यूनियन नेतश्त्व के एक भाग को अपने साथ मिला लेने के लिये भ्रष्ट हथकण्डे अपनाता है । इसलिये हमें श्रमिक आंदोलन में फूट डालने की पूंजीपति वर्ग की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिये स्पष्ट रुख अपनाना चाहिये।

41.11 हमारा यह अनुभव भी रहा है कि यदि हम सुधारवादी नेतृत्व के साथ जुड़े श्रमिकों को संघर्ष की जरूरत का अहसास करा देते हैं तथा यह बात उन्हें अच्छी तरह समझा देते हैं तो वह अर्थात् सुधारवादी नेतृत्व उन श्रमिकों को संघर्षों में भाग लेने से रोक नहीं सकता; इतनी शक्ति उसमें नहीं है। 21 मई की हड़ताल और उससे पहले की राष्ट्रव्यापी कार्रवाईयों की सफलता हमारे इस विचार को स्पष्ट रूप में प्रमाणित करती हैं। हमें इससे उचित सबक सीखने चाहियें।

41.12 सी आइ टी यू की ओर से संघर्ष के पक्ष में शक्तियों का समीकरण बदल देने के लिये सभी स्तरों पर उठाए जा सकने वाले कुछ व्यावहारिक कदमों का सुझाव अपने दस्तावेज 'संयुक्त संघर्ष तथा श्रमिक आंदोलन की मजबूती' में दिया है। दस्तावेज में दिये गए दिशा निदेश को अमल में लाने के लिये हमें प्रभावी एवं जरूरी कदम उठाने चाहियें।

41.13 श्रमिक संघों की आयोजन समिति ने आर्थिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष में केन्द्रीय श्रमिक संगठनों तथा उद्योगवार महासंघों की एकता का निर्माण करने में एकछत्र योगदान दिया था । वास्तव में , आयोजन समिति की ओर से एक दशक तक नव उदारीकरण विरोधी संघर्ष के लिये दिये गए नेतश्त्व के फलस्वरूप ही वे स्थितियां पैदा हुई थीं जिनके चलते इस अवधि में दूसरे श्रमिक संगठन भी भूमण्डलीयकरण विरोधी संघर्षों में शामिल हुए हैं; कम से कम उनमें से कुछेक तो संघर्षों के प्रति संकोच अथवा नर्म रुख का प्रदर्शन नहीं करते। एकता लाने वाले माध्यम के रूप में हमें आयोजन समिति की भूमिका को और अधिक मजबूत बनाना चाहिये ताकि वह हमारे संघर्षों को तेज करने में और अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सके।

41.14 सी आइ टी यू को किसानों तथा खेतिहर श्रमिकों के आंदोलनों के साथ मिल कर सांझे संघर्ष में एकता का निर्माण करने के लिये पहलकदमी करनी चाहिये। हमें नव उदारीकरण के खिलाफ संयुक्त संघर्षों में दूसरे जन संगठनों को शामिल करने एवं उन्हें लामबंद करने तथा राष्ट्रीय जन संगठन मंच को सक्रिय बनाने की कोशिशें करनी चाहियें। भूमण्डलीयकरण विरोधी संघर्ष को देश के ओर छोर में फैलाने तथा उसे वास्तव में ही जन संघर्ष के रूप में तबदील करना होगा ।

41.15 इस वर्ष कटक में आयोजित सी आइ टी यू की जनरल कौंसिल बैठक में हमारे भावी आंदोलन की रूपरेखा अधोलिखित शब्दों में दी गई थी :

'लम्बे संघर्ष की हमारी अवधारणा के सम्बन्ध में हमें पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था को ठप्प कर देने के मामले में सामरिक क्षेत्रों की भूमिका को ध्यान में रखना होगा । प्रमुख क्षेत्रों की पहचान इस रूप में की जा सकती हैः कोयला, तेल और विद्युत सहित ऊर्जा क्षेत्र; बैंकों, बीमा और दूसरे वित्तीय संस्थानों पर आधारित वित्तीय क्षेत्र; परिवहन क्षेत्र जिसमें जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन तथा रेलवे इत्यादि आ जाते हैं; और दूर संचार क्षेत्र जो दूर संचार एवं डाक सेवाओं पर आधारित है । यदि इन क्षेत्रों के श्रमिकों को लम्बे तथा साथ-साथ चलने वाले संघर्षों के लिये लामबंद किया जा सकता है तब उस स्थिति में अर्थ व्यवस्था की प्रमुख गतिविधियों का ठप्प हो जाना अवश्यंभावी बन जाता है और इस प्रकार सरकार को अपनी आत्मघाती नीतियों का त्याग करने के लिये मजबूर किया जा सकता है, यदि अर्थ व्यवस्था

के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के श्रमिक आगे बढ़ कर नेतश्त्वकारी पहलकदमी करें और उनके साथ-साथ अन्य विभिन्न क्षेत्रों विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र, की मेहनतकश जनता का आंदोलन जुड़ जाए तब उस स्थिति में हमारे देश पर लादी गई कोष-बैंक-डब्ल्यू टी ओ नीतियों के खिलाफ लड़ाई के अपेक्षित परिणाम निकाले जा सकते हैं । असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या अपरिमित अथवा अत्यंत विशाल है, सरकार की शत्रुतापूर्ण नीतियों एवं कार्रवाईयों के कारण उन्हें अमानवीय शोषण की चक्की में पिसना पड़ रहा है, हमें इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये श्रमिक वर्ग रणनीति की दृष्टि से सूझबूझ का परिचय देकर, अच्छी तरह तैयारी करके लम्बा और संयुक्त संघर्ष चलाए, यह समय की मांग है।'

41.16 श्रमिकों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिये जाने से सम्बन्धित उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ हाल ही में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था; उस सम्मेलन ने संघर्षों को और तेज करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने इस मामले में अपना प्रत्युत्तर देने में संकोच करते हुए उसमें देरी की थी, यह इस बात का संकेत है कि एन डी ए सरकार श्रमिक आंदोलन की संयुक्त मांग को मानने या सुनने के लिये तैयार नहीं है। इस पश्ष्ठभूमि में देश के ओर छोर में रहने वाले केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी कर्मचारियों ने इस हमले का प्रतिकार करने के लिये हड़ताल की कार्रवाई करने का फैसला किया है; यह एक महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने केन्द्रीय श्रमिक संगठनों से हड़ताल की तिथि निश्चित करने का अनुरोध किया है । यह हड़ताल फरवरी, 2004 के शुरू में होने की सम्भावना है।

41.17 हमें सभी राज्यों तथा सेक्टरो में हड़ताल के लिये अपना अभियान तेज कर देना चाहिये । दूसरे सभी श्रमिक संघों जो संघर्ष की सघन कार्रवाईयों में शामिल होने के लिये आगे आए हैं, के साथ मिल कर संयुक्त कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त हमें हड़ताल के लिये अपना स्वतंत्र अभियान भी चलाना चाहिये; अपने इस अभियान में सांगठनिक सम्बद्धताओं से ऊपर उठ कर श्रमिक वर्ग की सभी श्रेणियों को शामिल किया जाना चाहिये ।

41.18 हमें यह बात भी गांठ बांध लेनी चाहिये कि सरकार की नीतियों के खिलाफ जुझारू संघर्षों को संगठित करने के लिये अथक प्रयास करते समय हमें साम्प्रदायिकता के खिलाफ डट कर लड़ना होगा; सत्ताधारी वर्ग देश की जनता का ध्यान उनकी ज्वलंत समस्याओं से हटा कर दूसरी ओर खींचने तथा लोगों की एकता को कमजोर करने के लिये सभी प्रकार के विभाजक विषाणु फैला रहा है; हमें अपने स्वतंत्र मंच से उसके खिलाफ लगातार अभियान चलाना चाहिये। भाजपा अपनी विनाशकारी नीतियों के कारण लोगों में अलग-थलग पड़ती चली जा रही है; वह किसी भी मूल्य पर सत्ता में बनी रहना चाहती है; इसके लिये वह साम्प्रदायिकता की आक्रमक रणनीति अपना रही है; भाजपा के भौंपुओं की इस रणनीति को देखते हुए इस प्रकार का अभियान चलाना हमारे लिये निर्णायक महत्व का बन जाता है। गुजरात में राज्य द्वारा प्रायोजित साम्प्रदायिक नर संहार, अयोध्या के मामले पर हाल ही में घटी घटनाएं, विश्व हिन्दु परिषद तथा संघ परिवार के दूसरे घटक संगठनों की ओर से उदण्डता के साथ चलाई जा रही नफरत फैलाने की मुहिम, सत्ता की कुर्सी पर विराजमान महानुभावों की इन जघन्य घटनाओं में भागीदारी इत्यादि उन लोगों की शरारती एवं गड़बड़ फैलाने वाली मनोवृति का परिचय देने के लिये काफी हैं जिनके हाथों में इन दिनों केन्द्रीय सरकार की वागडोर है । यदि हमने शक्तियों के समीकरण को ठीक दिशा में मोड़ना है और पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद के हमलों के खिलाफ संघर्ष में श्रमिक वर्ग तथा मेहनतकश जनता को सफलतापूर्वक संगठित करना है तो हमें सत्ता की कुर्सियों में बैठे साम्प्रदायिक तत्वों के घृणित हथकण्डों का मुंह तोड़ जवाब देना होगा।

42. हमारे तात्कालिक कार्य

साथियो,

42.1 हमें चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने तथा श्रमिक वर्ग एवं देश की जनता के हितों की रक्षा करने के लिये अपने तात्कालिक कार्यो का निर्धारण करना होगा । हमें अधोलिखित काम करने के लिये अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाना होगा।

1. भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खतरनाक दुष्परिणामों के बारे में श्रमिक वर्ग में चलाए जा रहे अभियान में मजबूती लाना और विकास के जनवादी रास्ते की ठोस वैकल्पिक नीतियां पेश करना;

2. सांगठनिक सम्बद्धताओं से ऊपर उठ कर कोष/बैंक/विश्व व्यापार संगठन के निदेशों के खिलाफ और पूरे भारत में शक्तिशाली संयुक्त संघर्ष चलाने के लिये सांझे नारों के आधार पर श्रमिक वर्ग में एकता लाने के लिये संघर्ष करना;

3. राष्ट्रीय जन संगठन मंच तथा आयोजन समितियों को मजबूत बनाना और राष्ट्रीय हितों को बचाने के लिये उन्हें संयुक्त जन संघर्षों के एक उपयुक्त मंच के रूप में विकसित करना;

4. उन ताकतों को बेनकाब करना जो श्रमिक आंदोलन के भीतर फूट डालने का काम करती हैं, उनका उद्देश्य पूंजीपति वर्ग की जरूरतों को पूरा करना होता है;

5. भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ संघर्षों के एक मजबूत आधार के रूप में किसान एवं खेतिहर श्रमिकों के आंदोलनों के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित करना;

6. साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ अभियान को और तेज करना जो लोगों का ध्यान उनकी ज्वलंत समस्याओं की ओर से हटा कर संकीर्ण एवं मूलवादी मुद्दों की ओर खींचती हैं तथा इस प्रकार वे भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ कायम की गई जनता की एकता को भंग करती हैं ।

7. विश्व सामाजिक मंच की मुम्बई बैठक को सफल बनाने के लिये गम्भीर प्रयास करते समय पूरे विश्व भर में चल रहे भूमण्डलीयकरण विरोधी आंदोलनों के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित करना;

8. ट्रेड यूनियन एवं जनवादी अधिकारों जिनमें हड़ताल करने का अधिकार भी शामिल है, पर हमलों के खिलाफ देश व्यापी हड़ताल की तैयारियां करना;

9. एक स्वतंत्र जन संगठन के रूप में सी आइ टी यू की जनवादी कार्य प्रणाली को मजबूत बनाना और वर्ष 2004 के अंत तक उसकी सदस्य संख्या को बढ़ा कर चालीस लाख करना;

10. पूरा वर्ष कामरेड बी टी रणदिवे की जन्म शताब्दी मनाना और इस दौरान विचारधारात्मक एवं सांगठनिक प्रश्नों तथा कामरेड बीटीआर की शिक्षाओं पर ट्रेड यूनियन कक्षाओं, संगोष्ठियों तथा व्याख्यानों के माध्यम से सघन शैक्षणिक अभियान चलाना;

11. साम्राज्यवादी हथकण्डों के खिलाफ विश्व व्यापी संघर्षों की राजनीतिक कार्रवाईयों तथा समाज का समाजवादी रूपांतरण करने के लिये चल रहे सार्वभौमिक संघर्षों में श्रमिकों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करना;

42.2 यदि हमने भारत के दसियों लाख मेहनतकश लोगों तथा श्रमिक वर्ग के अत्यंत महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करनी है और युग बदलने की अपनी युगांतरकारी भूमिका का निर्वहन करना है तो ये कार्य हमारे लिये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं । इन कार्यों को पूरा करने के काम में सी आइ टी यू की स्वतंत्र भूमिका तथा गतिविधियां चलाए बिना हम इस दिशा में बहुत आगे बढ़ नहीं सकेंगे।

42.3 सी आइ टी यू की सभी यूनियनें इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये मिल जुल कर काम करें; यही समय की मांग है । अपनी उदासीनता तथा कमजोरियों को दूर करके संगठन को मजबूत बनाएं ताकि हम अपने शानदार कामों पर गर्व कर सकें।

42.4 भारत के श्रमिक वर्ग तथा मेहनतकश लोगों में भूमण्डलीयकरण की नीतियों को परास्त करने की क्षमता है; साम्राज्यवादी ताकते तथा उनकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेना चाहती हैं; इसके लिये वे तरह तरह के हथकण्डे अपना रही हैं; उन्हें सिर उठाने से पहले ही खत्म कर दो ! नाभिकीय शस्त्र हों या सैन्यवाद इनमें से कोई भी पूरी दुनिया को अपने गलबे में नहीं रख सकता । यह दुनिया इसमें रहने वाले लोगों की है और अपने भाग्य का फैसला करने का अधिकार भी उसका अपना है!

☐ भूमण्डलीयकरण की नीतियों को परास्त करने के संघर्ष में मेहनतकश अवाम तथा श्रमिक वर्ग की एकता अमर रहे!

☐ दुनिया को गुलाम बनाने के साम्राज्यवादी हथकण्डे नहीं चलेंगे--नहीं चलेंगे!

☐ *समाजवाद के लिये संघर्ष जिन्दाबाद-जिन्दाबाद!*

☐ *सी आइ टी यू जिन्दाबाद-जिन्दाबाद!*
☐ *दुनिया भर के मजदूरो एक हो-एक हो!*

एम के पन्धे
महासचिव

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र

ग्यारहवां महाधिवेशन

'कामरेड पी. राममूर्ति नगर'

9-13 दिसम्बर, 2003

चेन्नई, तमिलनाडू

कमिशन के दस्तावेज

सम्राज्यवाद, वित्तीय पूंजी, भूमण्डलीयकरण तथा राष्ट्रीय सम्प्रभुसत्ता

इस दस्तावेज का शीर्षक वास्तव में उस पद्धति से अलग है जिसके अन्तर्गत क्रमानुसार निहित तर्कों का तीन चरणों में विवेचन किया जाता है । संक्षेप में, साम्राज्यवाद, भूमण्डलीयकरण तथा राष्ट्रीय सम्प्रभुता पर हमलों को तार्किक ढंग से एक करके दिखाया जा रहा है क्योंकि अलग-अलग श्रेणियों के लिये प्रत्येक विषय जो इस दस्तावेज के इर्द गिर्द घूमते हैं, में ध्यान लगाना सम्भव नहीं है।

वी आइ लेनिन ने साम्राज्वाद का उल्लेख परजीवी प्रक्रिया के रूप में किया था; उन्होंने कहा थाः 'सत्ताधारी श्रेणियों के अधिकार के रूप में साम्राज्यवाद का राष्ट्रीय निर्माण से कुछ लेना देना नहीं है; उसका प्रमुख उद्देश्य पूरे भूमण्डल में सत्ताधारी श्रेणियों की जरूरतों को पूरा करना होता है।' साम्राज्यवाद राष्ट्र की विदेश नीति के सारथी कहे जाने वाले मुट्ठी भर संकल्पित लोगों का प्रयास भर नहीं है। साम्राज्यवाद के ऐतिहासिक विकास को अवश्य समझा जाना चाहिये।

क्लासिकल साम्राज्यवाद

अमरीका तथा दूसरे पूंजीवादी देशों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद साम्राज्यवाद के वर्तमान चरण को इसके विकास के स्वरूप के संदर्भ में देखा जाना चाहिये। 19वीं शताब्दी के दौरान अमरीका तथा युरोपीय देशों में केपिटल गुड्स तथा उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक उत्पादन होने के कारण पूरे विश्व में नये बाजारों की खोज का काम शुरू हुआ था।

युरोपीय महाद्वीप में बाजार की सिकुड़ती सम्भावना ने पूंजीवादी देशों को एशिया, अफरीका तथा लातिनी अमरीका के देशों में अपने पांव पसारते देखा गया था; उन्होंने वहां की स्थानीय राज्य संरचना तथा उनकी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता पर खुद को थोंप दिया था; उन्होंने उन देशों को अपना एकाधिकार मान लेने के लिये मजबूर कर दिया था। दूसरे शब्दों में क्रेता तथा विक्रेता के बाजार पर पूर्ण नियंत्रण, सस्ते में कच्चा माल खरीदना तथा तैयार उत्पादों को महंगे भाव बेचना। क्योंकि उनके अपने घर अर्थात् देश में सीमित अवसर थे, इसके चलते पूंजीपति विदेश जाने तथा उन देशों में जिन्हें इन दिनों तीसरी दुनिया के देशों के रूप में जाना जाता है, जाकर लाभदायक निवेश करने के लिये उन्मुख हुए थे। कम विकसित देशों में पूंजीपतियों को आकर्षित करने वाले चार कारक थेः श्रम लागत का बहुत कम होना, बढ़ते बाजार, कच्चे माल की प्रचुर मात्रा जिसका दोहन नहीं हुआ था और कम प्रतिस्पर्धा।

आधुनिक साम्राज्यवाद,जिसे सबसे बड़े कर्जदार राष्ट्रों के सैनिक ताकतों द्वारा नेतश्त्व दिया जा रहा है, को समझने के

लिए हमें उस स्वरूप की सराहना करनी होगी जिसे साम्राज्वाद ने अपने निर्माण के दौरान प्राप्त किया जब विश्व व्यवस्था में ब्रिटिश एकाधिकार दुकड़े दुकड़े होकर बिखर रहे थे।

आर्थिक पूँजी व साम्राज्यवाद

लेनिन, जिसकी तरफ हमें विश्व पूँजी व साम्राज्यवाद के यंत्र को समझने हेतु बार बार मुड़ना होता है,ने कहा है कि साम्राज्यवाद का सबसे छोटा परिभाषा है पूँजीवाद को एकाधिकार वाली स्थिति या आर्थिक की सबसे उच्च स्तर। मार्क्स ने बार बार कहा कि पूँजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो सरप्लस पूँजी के संग्रहण से प्रेरित है जिसका उद्देश्य विश्व में अपनी सीमा के बाहर विस्तार के अलावा कुछ नहीं है।

पेजअंद डम्रंतवे जैसे अर्थशास्त्री के शब्दों में 'क्लासिक फेज' के शुरूआत से ही साम्राज्यवाद विकसित विश्व के प्रतिर्स्पध ी राष्ट्रों के बीच बँटा रहा है। यह विभाजन व प्रतिस्पर्धा साथ-साथ संयुक्तता भी खुला बन्द प्रतिकिया रहा है,वर्षो के दौरान प्रतिस्पर्धा के युद्ध में बदलने के बन्द होने के बाद से। अब हम उस स्थिति में पहुँच चुके हैं जहाँ दो ध्रुवीय साम्राज्यवादी संघर्ष नहीं होने वाली है। संयुक्त राज्य अमरीका एक शक्तिशाली विश्व शक्ति है जबकि सोवियत यूनियन बिल्कुल बिखर चुकी है तथा आर्थिक संगठनों के निर्देशों को स्वाभाविक रुप से मानने के लिए बाध्य है।

अतः आश्चर्य की बात नहीं हैं कि वैश्वीकरण की प्रकिया जो विश्व भर में आर्थिक पूँजी का सुनियोजित विस्तार है तथा जिसका उद्देश्य विश्व की अर्थ व्यवस्था को अन्तराष्ट्रीय आर्थिक पूँजी के अधीन व सहायक बनाना है, का अन्दर या बाहर से कोई पुरजोर विरोध नहीं हो रहा हैं। साम्राज्यवाद का दूसरा पहलू भी है जिसकों ध्यान में रखना होगा। साम्राज्यवाद का क्लासिक फेज अब नहीं रहा है। साम्राज्यवाद ज्यादा ही उग्र हिंसक रुप ऊभर कर सामने आया है। विकास कुछ विशेष व पंगु करने वाली कमजोरियों को भी समेटे हुए है।

औपनिवेशवाद (क्मबवसवदपेंजपवद) की प्रकिया के शुरुआत में दो मुख्य घटना घटित हुई। संयुक्त राज्य अमरीका युद्योक्लान्त बिट्रेन के स्थान पर साम्राज्यवादी समुह का नेता बन गया। दूसरा,शक्तिशाली सोवियत यूनियन के अस्तित्व ने साम्राज्यवादी खेमे को 'शीत युद्ध सैन्य संधि को अपनाते हुए सशस्त्र -कम्युनिज्म के नाम पर तीसरी दुनिया के ऊपर पूँजीवादी नियंत्रण को कायम व विकसित किया जा सके।

विश्व व्यापार संगठन, गैत आई0 एम0 एफ0 तथा विश्व बैंक

संयुक्त राज्य अमरिका ने उस अवसर का उपयोगक गैत, प्डथ तथा ॅठ जैसे संस्थाओं को लाने के लिए किया। जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना तथा इसे आर्थिक पूँजी के निर्देशों के अधीन बनाना था। नई विश्व व्यवस्था में अगर साम्राज्यवाद के क्लासिक फेज के दिनों के खुले संघर्ष नहीं हो रहे हैं तो यह अन्तः साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा से मुक्त भी नहीं रहा है।

यह ध्यान देने की बात है कि अमरीका साम्राज्यवाद जो आर्थिक पूँजी का पसन्दीदा हथियार था, शीत युद्ध की उत्पत्ति थी। अमरीका अपने सैनिक शक्ति का उपयोग सिर्फ विश्व अर्थ व्यवस्था पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हीं नही बल्कि पूंजीवादी अथव्यवस्था पर भी करने के लिए करना है। इसने अपनी शक्ति का प्रयोग अमरीका स्थिति अन्तराष्ट्रीय निगमों के हित के लिए लैटिन अमेरिका में भी किया। सैन्यकरण अमरीका में पूँजी संग्रहण के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है तथा ''सैन्य- औद्योगिक कम्लैक्स' इसका उदाहरण है। सैन्य उत्पाद तथा इसकी बिकी अमरीका में पूँजीवादी के महल का आधार संरचना है। इनका उपयोग प्रायः आर्थिक स्थिरता को टालने के लिए किया जाता है हालाँकि सफलता ज्यादा नहीं होती। 1970 के बाद से आधुनिक साम्राज्यवाद के शुरुआती दौर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो गैर इरादतन रुप से साम्राज्यवादी विस्तार व पूँजी निर्माण की चक्की के लिए अनाज मुहैया कराया। सम्पूर्ण विश्व के ट्रेड यूनियनों का मानना है कि तीसरी दुनिया के देशों के अधिक सकिय सरकारी क्षेत्र ने उपनिवेशवाद के

बाद के चरण में बाजार को प्रोत्साहित किया तथा माँग को बढ़ा दिया। साथ ही पूँजीवादी विश्व में भी सरकारी क्षेत्र के सशक्तिकरण ने माँग में बढ़ोतरी की।

यह प्रकिया कुछ हद तक तैसी थी जिसे विश्व ने 19वीं शदी में देखा था क्योंकि शक्तिशाली बनाई गई सरकारी क्षेत्र नवीन तकनीकों के विस्तृत किस्मों के साथ मिलकर विकास के दर व श्रम उत्पादकता को बढ़ाया । रोजगार के कम अवसरों के कारण कामगार अधिक वेतन के लिए सामूहित सौदेबाजी हेतु खुद तैयार हुआ।

कल्याणकारी राज्य पर हमला

तीसरी दुनिया के देश जो हतोत्साहित होकर अपने औद्योगिक उत्पादों को पूँजीवादी देशों में खपाने हेतु एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा किया अन्ततः विश्व पूँजी पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए साम्राज्यवादी शक्तियों के एकजुट होने में सहायक सिद्ध हुआ। यह याद रखना जरूरी है कि साम्राज्यवाद के नये अवसर के शुरूआती वर्षो में अपनी हानि को कम करने हेतु इसने माँग प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप जैसा समझौता किया। Mezaros तथा Ellen Meikarins जैसे अर्थशास्त्री कहते है कि कल्याणकारी राज्य अस्तित्व में आया क्योंकि साम्राज्यवादी खेमा के नीचे समाजवादी खेमा आर्थिक राजनैतिक रूप से साँस ले रही थी। यह स्थिति 1980 तक अच्छी तरह जारी रही।

इस अवधि के बाद परिस्थिति बदतर हाने लगी। आर्थिक पूँजी के शक्ति का विकास धीरे-धीरे सरकारी प्रयासों को अपने अधीन कर लिया। कल्याणकारी राज्य चलन में नहीं रहा। शीत युद्ध समाजवादी खेमा अर्थहीन हो गया। पूँजीवादी विश्व में पूँजीवादी प्रभुत्व व निजी क्षेत्र शकितशाली होती गई जिसमें ' ग्लोबल विलेज ' की माँग के लिए पुरानी अर्थव्यवस्था के वकालत करने वाले भी वैश्वीकरण के समर्थक संघों के साथ हाथ मिला लिया जहॉ साम्राज्यवादी को खुली छूट होगी। साम्राज्यवादी किसी अन्य कारकों की तुलना में काल्पनिक प्रकृति के आर्थिक पूँजी को ही महत्व दिया क्योंकि इस तरह का निवेश बहुत बड़े पैमाने पर लाभ देता है।

यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि अर्थिक पूँजी जो आज महत्वपूर्ण है वास्तव में काल्पनिक किस्म का है जिसमें विश्व स्तर पर पोर्तफोलियो निवेश के विध्वंसकारी प्रवशति को रोकने लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है जो रोजगार विहीन विकास को बढ़ावा देता है तथा ज्यादातर सस्ते श्रम, फेलते बाजार तथा लाभकारी कच्चे माल के उपयोग के बाद भी कोई विकास नहीं होता।

पूँजीवादी वैश्वीकरण का प्रभाव

अन्तराष्ट्रीय आर्थिक पूँजी वैश्वीकरण के रूप में सम्पूर्ण विश्व में घूमता है, कभी-कभी परिसम्पति बनाता है लेकिन सिद्धान्ततः परिसम्पति का उपयोग साहसिक पूँजी के गति व आकार को बढ़ाने में करना है जो राष्ट के अर्थव्यवस्था को बदतर बना देता है। अन्तराष्ट्रीय आर्थिक पूँजी बहुराष्ट्रीय निगमों को अपनी दासी की तरह रखना है ताकि आर्थिक व राजनैतिक रूप से वैश्विक नियंत्रण रखा जा सके। सामाजिक व सांस्कृतिक नियंत्रण का प्रयोग इस प्रकिया को विस्तृत व स्थायी नीति बनाने हेतु किया जाता है। (Mezaros) लिखते है कि आशा और रोजगार विहीन सम्पूर्ण विश्व के आर्थिक पूँजीह के दो आधारभूत लक्षण है। दर असल में यह विश्वास किया जाता है कि पुराने तरीके का निवेश पूँजीवाद जारी है बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका को अमरीका द्वारा निर्देशन साम्राज्यवादी ताकतों के राजनैतिक सामरिक व आर्थिक प्रयासों द्वारा नियंत्रित की जाती है।

विशेषकर वाम ट्रेड यूनियन तथा अन्य श्रम संगठनों द्वारा वैश्वीकरण को बड़े पैमाने पर बढ़ते बाजार संरचना सस्ता कच्चा माल तथा सस्ता श्रम पर आर्थिक व राजनैतिक नियंत्रण को पुख्ता सही में साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच ये प्रवृति थी कि राजनैतिक आर्थिक प्रभुत्व की अपनी सत्ता कायम करें। वर्तमान समय में अन्तराष्ट्रीय आर्थिक पूँजी इस प्रवृति को रोकता है। विभिन्न साम्राज्यवादी देशों के शासक वर्ग के सरप्लस पूँजी के अन्तः प्रवेश उनके बीच के संबंध को मजबूत

करता है तथा तीसरी दुनिया की दृढ़ता के खिलाफ एकजुट होने में अपनी अर्न्तकलह को दबाने व छिपाने में मद्द करता है।

राष्ट्रीय संप्रभुत्ता पर हमला

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक पूँजी के प्रकिया के तहत राष्ट्रीय संप्रभुत्ता सबसे ज्यादा विपरीत रूप में प्रभावित होने वाले में से एक है। यह प्रकिया 1980 व 1990 के दौरान कल्याणकारी राज्यों पर हमले से शुरू हुई । बाद में तथा कथित एक धुवीय विश्व अन्य राष्ट्रों की क्षमता ाके नष्ट करने लगी। राष्ट्रों को आर्थिक व सैनिक मंच दिखाकर आर्थिक कियाकलापों जैसे उत्पादकता,वेतन आदि से दूर रहने को विवश कर दिया गया।'

राज्य सरकारों की जन हितकारी भूमिका पूँजी को चलायमान बना देती है तथा माँग उस रूपा में काम करना बन्द कर देता है जो 'ग्लोबल पूँजी के हित के लिए हो। अतः राष्ट्रों द्वारा रोजगार व वेतन को सुरक्षित रखने हेतु की जा रही सभी प्रयासों को रोक दिया जाता है आवश्यक हो तो बल पूर्वक भी। ग्लोबल कैपिटल अवमूल्यन चाहता है कम से कम स्थिरता तो अवश्य ही, क्योंकि किसी भी प्रकार की मूल्य वशद्धि आर्थिक हितों को नुकसान पहुँचायेगा तथा उत्पादक उद्यम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पहुँच से बाहर हो जाएगी।

साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा तीन चीजों पर जोर दिया जाता है। पहला, बेरोजगारी उच्च स्तर का हो; कामगारों को बिल्कुल दयनीय स्थिति में रहने के लिए ढकेल दिया जाये; तीसरा राज्य के किया कलापों को, ग्लोबल कैपिटल के अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता को खुश रखने हेतु रोक दिया जाय। अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी की ताकतें राष्ट्रों को सभी प्रकार के रोजगार निर्माण को बन्द करने तथा सभी विकासोन्मुखी पुर्नवितरण की नीतियों को त्यागने हेतु बाध्य करती है।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक पूँजी द्वारा अपनी मध्यस्थता को राष्ट्रों द्वारा व्यवस्थित करने हेतु इस प्रकार बाध्य किया जाता है जिसे पिछली सदी में भी नहीं सोची जाती थी। वे अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक पूँजी की विश्वास को बनाने हित में मध्यस्थता हेतु, माँग अर्थशास्त्र को रोकन हेतु कामगारों के आन्दोलन में रोड़ा अठकाने हेतु तथा देश के बुर्जुआ को राष्ट्रीय नीति के अन्तर्राष्ट्रीय नीति को मानने हेतु राज्य सरकारों पर दबाव डालते है चाहे वे पिछले सोवियत खेमें के राज्य हो या विकासशील देश हो।श्रम लघु पूँजी तथा उत्पादक पूँजी के स्थान पर पूँजी बड़ी पूँजी तथा काल्पनिक पूँजी को महत्व दिया जाता है।

राष्ट्रों की क्लासिक माँग- प्रोत्साहन नीति को अपनाने की असफलता के कारण अवमूल्यन वाली नीतियों को अर्थिक पूँजी के हित में लागू की जाती है तथा सरकारी व नीजी क्षेत्र में किसी प्रकार के उत्पादक निवेश में बहुत अधिक कटौती की जाती हैं जहाँ विकसित विश्व के देश खुद संकट को समाप्त करने में अक्षम होते हैं वहाँ इस भार को डबलयु टी ओ के माध्यम से विकासशील देशों के कंधों पर दे दी जाती है।

पूँजीवाद की सामन्य संकट जारी रहती है लेकिन इसे साम्राज्यवादी शक्तियों के सैन्य ताकतों के माध्यम से ढक दिया जाता है। इस दौरान मजदूर वर्ग किसान तथा छोटे बुर्जुआ आर्थिक निष्क्रियता के भार के नीचे कराहते रहते हैं जो उन्हें विकसित व विकासशील दोनों दुनिया में प्रभावित करती है।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदश्य में निम्मलिखित चीजें स्पष्ट नजर आ रही है-घटा हुआ रोजगार निम्न कय- शक्ति बढ़ी हुई भूख व स्थिरता की सामान्य स्थिति। ये काल्पनिक निवेश बढ़ी धन अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई तथा जालसाजी व घोटाले के साथ-साथ रहती है। वहाँ आर्थिक संप्रभुत्ता कम होती है राजनैतिक स्वतंत्रता पर अंकुश होता है तथा संसाधनों पर राष्ट्रीय नियंत्रण नहीं होता है।

फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि सब कुछ खत्म हो गया। जैसे ही नव उदार वैश्वीकरण ने जोर पकड़ा समय

बीतने के साथ साम्राज्यवादी देशों तथा तीसरी दुनिया के बीच अर्न्त विरोध तेजी से बढ़ती आँधी पूँजी की शक्तियों व श्रम की शक्तियों के बीच तेजी से बढ़ी है। विश्व भर में आर्थिक पूँजी के लूट के विरुद्ध प्रतिरोध बढ़ा है। डावोस से जिनेवा व जिनेवा से कानकुन तक लूटेरों के बढ़ते हमले के विरोध मे तीव्र प्रतिरोध आम जनता द्वारा किया गया है। जैसे जैसे विरोध बढ़ता है पूँजीवादी देशों के बीच आपसी मतभेद बढ़ता है।

साम्राज्यवाद के नये तरीके

विश्व मे आर्थिक व राजनीतिक परिदश्श्य पर अपनी ढोली पकड़ को मजबूत करने के लिए अमरीका ने नया फ्रंट खोला है। 1950 व 1960 में इसने जैसे गैर-कम्युनिज्म का मुद्दा उठाया या उसी प्रकार यूरोपियन ब्रिटेन स्पेन तथा दूसरे छोटे यूरोपियन तथा एशियाई देशों के शासक वर्ग से साँठ गाँठ को मजबूत करने के लिए इसने आंतकवाद का एक मुद्दा चुना है ताकि विश्व के नव-उदार अर्थव्यवस्था पर सम्पूर्ण नियंत्रण के लिए अपनी योजना को पूरा कर सके।

साथ ही एफ टी ए ए एन ए एफ टी ए तथा 6-8 जैसे नव उदारवाद के छोटे अन्तर्राष्ट्रीय समूहों के माध्यम से डबलयू टी ओ को और मजबूत करना चाहा है। इन संस्थानों के बैठक के दौरान की गई समझौतों को अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के नाम पर तीसरी दुनिया के कन्धों पर लाद दिया जाता है। ऐसे प्रयास से राष्ट्रों की संप्रभुत्ता कम होती है तथा राष्ट्रों को ऐसे कदम उठाने को बाध्य किया जाता है जो अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक पूँजी की कूरता को प्रोत्साहित करे।

दूसरे स्तर पर वैश्वीकरण की ताकतें विकासशील दुनिया के लोगों को जाति, प्रजाति,समूह,धर्म वंश, क्षेत्र के नाम पर विभाजित करती है तथा आम जनता को साम्राज्यवादी लूट के विरोध में एकजुट होने से रोकती है, हमेशा मानवाधिकार, सभ्य समाज तथा प्रजातंत्र के नाम पर तथा संसाधन, तेल के आधार पर राज्यों को पहचान कर। इराक पर हमला इसका सबसे अच्छज्ञ उदाहरण है जो हमें 19वीं सदी में भेज देता है जब ब्रिटेन अफ्रीका में सस्ते मजदूर के तलाश में आजादी से घूम सकता था और कहता था कि अंधेरे महाद्वाप को सभ्यता की रोशनी दे रहा है।

साम्राज्यवाद का सामन्य संकट

साम्राज्यवाद सर्व शक्तिमान सत्ता नहीं है जो अनिश्चित काल के लिए यहा है। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक पूँजी द्वारा घाव पहुँचाने की क्षमता सभी को महसूस होता है जो उसे देखना है। आम जनता के बीच जो दुर्गति व निराशा यह पैदा करता व बढ़ाता है उसने विश्व पैमान पर प्रतिरोधात्मक आन्दोलन उत्पन्न करना शुरू कर दिया है जो कभी-कभी हिंसक व अराजक हो जाता है। बढ़ी हुई ठहराव (Stagnation) जिसे शक्ति विहीन करने वाली गंभीर संकट के समय तेज चोट से रोक दिया जाता है ने मेक्सिको, अर्जेटिना, दक्षिण-पूर्व एशियाई देश तथा रूस में भयावह प्रवृति के गिरावट/मन्दी को जन्म दिया है। विश्व भर में स्टॉक बाजार में गिरावट आई है जो इस तथ्य को दर्शाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक पूँजी की व्यवस्था अपने आप सामान्य विधवंस के कगार पर खड़ा है। संकट से उबरने के लिए तकनीकी बदलाव का सहारा कोई रास्ता नहीं रह गय है।

हाल में साइप्रस के अन्तर-राष्ट्रीय सेमिनार में भिन्न प्रकार के प्रतिरोधात्मक आन्दोलन चलाने का आह्वान किया गया है। इसने यह भी आह्वान किया है कि व्यग्र व अलग-थलग पड़े यूरोप के साम्राज्यवाद विरोधी प्रतिरोध को अराजक भटकाव त्यागकर अपने प्रयास को योजनाबद्ध तरीके से नियमित करते हुए वामपंथी ट्रेड यूनियन तथा किसानों के संगठन के साथ हो जाना चाहिए।

इसने तीसरी दुनिया के प्रतिरोधात्मक आन्दोलन को बड़े पैमाने पर एकजुट होने का आह्वान भी किया है। एशिया-पैसिफिक भूभाग में SIGTUR क्षेत्रीय प्रयास तथा दक्षिण अफ्रीका का CCOSATU का ब्ज्ब दक्षिण कोरिया का KCTU, उत्तरी लैटिन अमेरिका का MST तथा भारत की CITU मजबूत व संगठित यूनियनों की भूमिका मजदूर वर्ग की एकता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के लिए प्रशंसा के पात्र है। सेमिनार न यूरोप एशिया लैटिन अमेरिका तथा अफ्रीका

के कामगारों के लिए नई अन्तर राष्ट्रीयता के देशों में जहाँ तानाशाही सत्ता को आम जनता के दबाव के सामने झुकना पड़ा, नई दुनिया की रोशनी को दिखाना है जो नई सदी में विश्व की जनता का प्रतिक्षा कर रही है।

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र

ग्यारहवां महाधिवेशन

'कामरेड पी. राममूर्ति नगर'

9-13 दिसम्बर, 2003

चेन्नई, तमिलनाडू

कमिशन के दस्तावेज

मजदूरों के अधिकारों पर हमला

उदारीकरण के इस दौर में मजदूरों के अधिकारों पर हमलों ने नया रुप ले लिया है। इसका यह मतलब नहीं कि उदारीकरण के पहले मजदूरों के अधिकारों पर कोई आंच नहीं आती थी। वास्तव में, मजदूर आन्दोलन का समूचा इतिहास,शासक वर्गों द्वारा मेहनतकश जनता पर किये जाने वाले जुल्म के खिलाफ संघर्षों का इतिहास है जिनके दौरान ही मजदूर वर्ग ने संगठित होने का अधिकार,हड़ताल का अधिकार,शिकायतों की सुनवाई या समाधान कें तरीके और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार हासिल किये थे। मजदूर वर्ग के आन्दोलनों की संगठित ताकत और बढ़ते वर्ग संघर्ष को दबाने के लिए पूंजी के हमलावर रुख-इस अर्न्तविरोध से ही हमारे देश में विभिन्न श्रम कानूनों का जन्म हुआ,विशेषकर आजादी के बाद। इस प्रकिया में,द्वितीय विश्व युद्ध में फासीवाद की हार तथा समाजवादी खेमें स्थापित होने का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। मजदूरों की शिकयतों की सुनवाई या समाधान का तंत्र बनाकर ये श्रम कानून ,और बाद में हुए उनके संशोधन शासक वर्गों द्वारा ट्रेड यूनियन आन्दोलन को नियंत्रित करने के प्रयास थे, मगर साथ-साथ ट्रेड यूनियनों व मजदूरों के कुछ अधिकारों को मान्यता भी देते थे। आजादी के बाद से, अलग-अलग दौर में उस समय की सरकारों व नियाजकों ने ट्रेड यूनियन आन्दोलन पर हमले किये। 1948-50 छठे दशक क अन्तिम सालों और आपात काले ऐसे कुछ गौर तलब दौर है जब नियोजकों-प्रशासकों दमनचक्र का मुकाबला करते हुए ट्रेड यूनियन आन्दोलन आगे बढ़ा और अपने अधिकारों को स्थापित या विकसित किया। मजदूर वर्ग के आन्दोलन की समय-समय पर होने वाली इन उपलब्धियों का असर न केवल ट्रेड यूनियन आन्दोलन पर बल्कि समूचे राष्ट्रीय राजनीति हालात पर भी पड़ा।

यह दस्तावेज आजादी के बाद से मजदूरों के अधिकारों के विकास की ब्यौरेवार जानकारी नहीं देगा। यहाँ हम नव-उदारवादी शासन तंत्र और नीतियों के तहत मजदूरों के अधिकारों पर चल रहे हमलों और उनसे जुड़े उन आर्थिक,सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर ही चर्चा करेंगे जो परिस्थिति को विपरीत दिशा में मोड़ने के लिए सकिय हैं।

उदारीकरण के दौर की घटनांए,पहले के दौर से भिन्न जरुर हैं मगर उनसे जुड़ी हुई भी हैं। ऐसा नहीं कि मौजूदा दौर अचानक ही प्रकट हो गया-उनकी जड़े पिछले समय में ही मिल जाएगी। आजादी के बाद से भारत के शासक वर्गों ने विकास के जिस पूंजीवादी रास्ते को अपनाया, उसी के कारण आर्थिक,सामाजिक व राजनीतिक ढाँचे में असंतुलन और अन्ततः संकट पैदा हो गया। इसके साथ साथ सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप में समाजवाद के ढह जाने से अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर संतुलन में हुए बदलाव के कारण भारत तथा अधिकांश विकास शील देशों में हमलावार नव-उदारीकरण नीती व शासन तंत्र उभर कर आए। अतःस्पष्ट है कि पूंजीवादी व्यवस्था ही इस स्थिति की जड़ है। स्थाई इलाज इस व्यवस्था

को बदलने से ही होगा, उसके अन्दर जोड़ तोड़ से नहीं। सामने खडी चुनौतियों को समझने और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने के हमारे सामुहिक प्रयास इस बुनियादी समझ पर आधारित होने चाहिए अन्यथा हम वर्तमान नव-उदारवादी तंत्र से समझौता परस्ती की अन्धी गली में भटक जाएंगे, और अन्ततः स्वयं बेमानी निरर्थक हो जाएंगे।

उदारीकरण के बाद का दौर 1991 में उदारीकरण की नीतियां लागू किये जाने के पीछे, अस्सी के दशक के अन्त में उभरा विदेशी मुद्रा के असंतुलन का संकट बताया जाता है। वास्तव में यह संकट इसलिए आया क्योंकि अस्सी के दशक के शुरू में आत्मनिर्भर, आयात कम करने वाली औद्योगिक नीति को छोड़कर आयात बढ़ाने वाली रणनीती अपना ली गई। विकास के रास्ते व दिशा में यह भारी बदलाव की नीति सभी विकासशील देशों पर अर्न्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने जबरदस्ती थोपी जिसमें साम्राज्यवादी ताकतों का उन्हें पूरा समर्थन था। निर्यात पर अधारित आर्थिक नीति को शासक वर्गो द्वारा अपनाने पर इसलिए जोर दिया गया ताकि वे सरकारी हिस्सेदारी के आधार पर देश की उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने और देशी उद्योगों को सुरक्षित करने वाली नीतियों को पूरी तरह से तिलांजलि दे दें। देश के अन्दरूनी बाजार को विकसित करने की जरूरत अब हाशिए पर धकेल दी गई है सारा ध्यान अमीर देशों के कब्जे वाले अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की ओर लगाया जा रहा है। निर्यात बाजार में अधिक हिस्सा जुटाने की मुर्खतापूर्ण उम्मीद के चलते देश के बाजारों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिये असमय ही खोल दिया गया है। अन्दरूनी निवेश को बढ़ाने के लिए निजी व सार्वजनिक निवेश परस्पर सहयोगी तंत्र को प्रोत्साहन देने वाली रणनीती का स्थान आज विदेशी पूंजी को किसी भी कीमत पर आकर्षित करने के जूनून न ले लिया है।

इस परिस्थिति में, देशी पूंजी को असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए भी, उत्पादन की लागत कम करने के लिए श्रम को निशाना बनाया जा रहा है। और स्वाभाविक है कि श्रम करने वाले मजदूर लागत कम करने की इस मुहीम से त्रस्त होकर प्रतिरोध पर उतर रहे हैं। अतः शासक वर्गो के लिए यह जरूरी होता जा रहा है कि वे मजदूरों व ट्रेड यूनियनों के अधिकारों को सीमित करें ताकि प्रतिरोध को कुचला जा सके। यही पृष्टभूमि है वर्तमान दौर में मजदूरों पर बढ़ते हमलों की।

विभिन्न चरण

1991 के बाद से मजदूरों के अधिकारों पर हमलों को दो अलग-अलग चरणों में देखा जा सकता है जिनमें पहला चरण धीरे धीरे दूसरे में तबदली हुआ। मौजूदा श्रम कानूनों को लागू न करना- यह पहला चरण था। उदारीकरण के पहले भी श्रम कानून लागू करने में कई कठिनाइयाँ रहती थी। मगर इस समस्या का स्वरुप उदारीकरण के दौर में बिलकुल ही बदल गया।

पहले के दौर में श्रम कानूनों को लागू न किए जाने की समस्याएं निष्कियता और भ्रष्टाचार से जुड़ी थी। लागू करने का तंत्र प्रायः नियोजकों से और कई बार शासक दलों के नेताओं के साथ सांठ गांठ करके चलता था। इन हालात में मजदूरों को तो नुकसान होता ही था, कई बार नियोजकों पर भी असर पड़ता था।

श्रम कानूनों का उल्लंघन या अवहेलना

उदारीकरण के बाद से इस परिस्थिति में भारी बदलाव आ गया है। श्रम कानूनों की अवहेलना को नजरअंदाज करने से भी आगे प्रोत्साहित करने की नीति केन्द्र व कुछ राज्य सरकारों द्वारा अपना ली गई है। कई राज्यों में तो निरीक्षण तंत्र को सरकारी निर्देशों द्वारा निरस्त कर दिया गया है। कुछ अन्य राज्यों में आत्तरिक निर्देशों द्वारा निरीक्षण पर पाबंदी लगा दी गई है। उदाहरण के लिए, हरियाणा में श्रम आयुक्त ने श्रम निरीक्षकों को आदेश दे दिया कि बिना संबद्ध अधिकारी की लिखित अनुमति के वे कोई निरीक्षण नहीं करेंगे।

निरीक्षण तंत्र को पंगु बनाने के साथ साथ आर्थिक ढाँचे के कई हिस्सों को विभिन्न राज्यों में श्रम कानून के दायरे

से बाहर किया जा रहा है। ताकि वे उनमें तथाकथित रुप से निवेश को आकर्षित किया जा सके। एक अन्य धोख ६ ाड़ी की चाल जो अनपाई जा रही है वह यह कि बिना किसी जांच पड़ताल के नियोजकों द्वारा श्रम कानूनों के पालन संबंधी बयान या रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाता है। कानून के दायरे के बाहर करने या नियोजकों के स्वयं प्रमाण-पत्र को स्वीकार करने का यह सिलसिला औद्योगिक विवाद अधिनियम के कई प्रावधानों पर लागू हो चुका है, जैसे कामे घंटे और महिलाओं से रात को काम करवाना, संबंधी वेतन भुगतान कामगार मुआवजा ई एस आई मातश्त्व हितलाभ कानूनों में भी यही किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि सरकार खुले आम नियोजकों को श्रम कानूनों की धज्जियां की छूट दे रही है। सूचना प्रौद्योगिकी १६४ इनफोर्मेशन टेक्नालोजी १६२ क्षेत्र के श्रमिक इस षडयंत्र से सबसे बड़े शिकार बन गए हैं।

जिन दो कानूनों की सबसे ज्यादा अवहेलना की जा रही है वे हैं न्यूनतम वेतन कानून और ठेका श्रमिक कानून। राज्यों द्वारा तय समय पर की जाने वाली न्यूनतम वेतन दर पहले ही बहुत कम दी और बढ़ती मंहगाई के चलते बेकार हो जाती थी। मगर यह भी देश के अधिकांश मजदूरों को दिया नहीं जाता। उदाहरण के लिए दिल्ली में कानूनी न्यूनतम वेतन रू02800/प्रतिमाह है मगर हाल के एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली के 60प्रतिशत से ज्यादा मजदूरों को यह नहीं मिलता। तमिलनाडू के कपड़ा उद्योग में कई पुरानी इकाइँया बीमार या बंद हो गई और उनका स्थान स्वचालित,निर्यातोन्मुखी इकाईयों ने ने लेलिया जहॉ कानूनी न्यूनतम वेतन का आधा था उससे भी कम, कुशल कारीगरों को दिया जा रहा है, जिनमें अधिकांश महिलांए हैं। 39वें भारतीय श्रम सम्मेलन १६416-18 अक्टूबर 20031६2 में कर्नाटक राजय सरकार के श्रम सचिव ने माना कि राज्य में व्यापक रुप से मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता, और साथ में यह भी टिपणी की कि मजदूरों ने इस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया है। हरियाणा के गुड़गॉव क्षेत्र में चल रही सूचना /डेटा प्रोसेसिंग इकाइंयों के कम्प्यूटर कुशल कर्मचारियों से रू04000/ मासिक पर किया जाता है। पूरे उत्तर भारत में यही हाल है। अधिकांश मामलों में श्रम विभाग शिकायतों को लेने से ही मना कर देते हैं या फिर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कोई कार्यवाही नहीं करते। कई जगह कर्मचारी /मजदूर शिकयत दर्ज भी नहीं करा पाते क्यों कि कोई यूनियन ही नहीं होती।

जहॉं तक ठेका श्रमिक कानून का सवाल है, खुद भारत सरकार ही इसकी सबसे ज्यादा उल्लंघन करती है। विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्टानों में स्थाई रुप से पूरा साल चलने वाले काम को करने वाले ठेका मजदूरों की संख्या लाखों में है। इस गैर कानूनी नीति के बारे में ट्रेड यूनियनों की शिकायतें सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी है। केन्द्रीय ठेका श्रमिक सलाहकार बोर्ड १६4 सी ए सी एल बी १६2 के पास ऐसी शिकायतों का अम्बार लगा पड़ा है। जहॉ बोर्ड ने कुछ सिफारिशें की भी है,सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। उदाहरण के लिए -जुलाई 1999 में बोर्ड ने एयर इण्डिया,इण्डियन एयर लाइन्स तथा एयरपोर्ट आथरिटी आफ इण्डिया लि0 में काम की कुछ श्रेणियों में लगे ठेका मजदूरों को नियमित करने की सिफारिश की तथा श्रम मंत्रालय ने नवम्बर में इसे लागू करने की गैजेट अधिसूचना भी जारी कर दी। मगर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के स्पष्ट निर्देश पर इन कम्पनियों ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया। उसके बाद,उच्चतम न्यायालय ने इस घोर कानूनी उल्लंघन को सही बताते हुए स्टील आथरिटी आफ इण्डिया मामले में निर्णय दे दिया, जिससे उसी का पहले एअर इण्डिया मामले में दिया निर्णय निरस्त हो गया। यह एक दिलचस्प उदाहरण है इस बात का कि कैसे श्रम कानूनों की अवहेलना व उल्लंघन सत्ता व शासन के शीर्ष स्तरों से ही प्रोत्साहित किए जा रहे हैं।

निजी क्षेत्र में स्थिति और भी बदतर है। स्थाई काम का आउट सोर्सिंग १६4यानि ठेके पर बाहर से कामकरना १६2 तथा स्थाई मजदूरों के छटनी कर देना आम बात हो गई है। उत्तर प्रदेश में नोएडा व गाजियाबाद तथ हरियाणा में गुड़गांव व धारूहेड़ा तथा देश के औद्योगिक कई अन्य हिस्सों में ऐसी दर्जनों मिसालें हैं जहॉ औद्योगिक इकइयों ने अपने सारे मजदूरों को निकाल बाहर करके, पूरा काम ठेके पर दोबारा शुरू कर दिया, कई बार तो पूराने मजदूरों को ही ठेके पर रखा गया। यह व्यवहार विशेष अर्थिक क्षेत्रों १६4 स्पेशल इकॉनोमिक जोन्स १६2 में बड़ा ही प्रचलित है जहॉ टैक्स -छूट की अवधि खत्म होने के बाद नियोजक संस्थान को बंद करके मतदूरों को निकाल देते हैं और फिर अधिकारियों की मदद से उसी स्थान पर नए कर्मचारी लेकर नई कम्पनी शुरू कर देते है।

श्रम कानूनों के व्यापक उल्लंघन के साथ साथ उस क्षेत्र में ट्रेड यूनियन न बनने के लिए भी दमन चक्र की नीति अपनाइ जाती है। ऐसी अनगिनत मिसालें है जहाँ यूनियन बनाने की पहल को कुचलने के लिए नियोजकों ने श्रम विभाग का सक्रिय सहयोग लेकर मजदूरों की भारी छटनीं व उन पर दमन का रास्ता अपनाया। कई ऐसे मामले हैं जहाँ ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए दी गईं फर्जी में हस्ताक्षर करने वाले मजदूरों को,श्रम विभाग में अर्जी दाखिल होते ही निकाल दिया गया। संबद्ध अधिकारियों के पास पंजीकरण की अर्जियां सालों से पड़ी रहती हैं मगर वे कोई कार्यवाही नहीं करते। श्रम कानूनों को लागू कराने वाले तंत्र और नियोजकों के बीच का नापाक रिशता इन उदाहरणों से उजागर हो जाता है जो उदारीकरण के बाद के दौर में निवेशक -मित्र नीतियों के नाम पर राज्य व केन्द्र -स्तर पर पनप रहा है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 1९4 जिनका नाम बदलकर स्पेशल इकानॉमिक जोन कर दिया गया है।९2 में परिस्थिति और भी खराब है। किसी भी श्रम कानून का वहॉ पालन नहीं होता और न ही ट्रेड यूनियन को बनने दिया जाता है। जो के अन्दर जाने पर पाबंदी रहती है। अधिकांश जोनों में वहाँ के प्रशासनिक प्रमुख यानि विकास आयुक्त जो वाणिज्य मत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है उसे श्रमायुक्त के भी अधिकार दे दिए गए हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति श्रम कानूनों के उल्लंघन को प्रोत्साहित करता है उसी को शिकायतों पर कार्यवाही का दायित्व है! सरकार ने फैसला किया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे जोन बनाए जाएंगे जिनमें मजदूरों का खुला शोषण करने में सुविधा रहेगी।

दूसरा चरण

श्रम कानूनों में बदलाव श्रम कानूनों के उल्लंघन व अवहेलना को संस्थागत व स्थाई रुप से स्थापित करने के लिए इन कानूनों को पूरी तरह से बदल देने की पहल जोर शोर से शुरू हो चुकी है यह हमले का दूसरा चरण है। ट्रेड यूनियनों को इस अभियान के बिलकु बहार रखा गया है। दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन करके, पहले से तय सिफारिशें देने केलिए उचित दिशा निर्देश दे दिए गए। इस संबंध मं ट्रेड यूनियनों के ठोस सुझावों को नजर अंदाल कर दिया गया और ट्रेड यूनियनों के बहुमत हिस्से को न तो प्रितिनिधित्व मिला न ही सलाह-मशविरे में हिस्सेदारी।

इस श्रम आयोग ने जैसी अपेक्षा दी वैसी ही सिफारिशें कर दी। उनकी रिपोर्ट आडम्बर का नायाब नमूना है। एक तरफ यह माना गया है कि उदारीकरण के बाद मजदूरों पर वैश्वीकरण की दुःखदायी मार पड़ रही है, मगर दूसरी तरफ उन्हीं नीतियां व कार्यक्रमों की पुरजोर सिफारिश की गई है जिनसे यह परिस्थिति पैदा हुई ।

दूसरे श्रम आयोग की सिफारिशों की व्यौरावार आलोचना सी आइ टी यू के एक प्रकाशन में उपलब्ध है। संक्षेप में इन सिफारिशों का उददेश्य मजदूर वर्ग के प्रायः सारे अधिकार छिनकर उसे निरस्त बनाना और नियोजक वर्ग पर निर्भर बनाना है। कुछ मुख्य सिफारिशें जिनका मजदूरों के अधिकारों पर खतरनाक असर पड़ेगा इस प्रकार हैं:

- बिना किसी पूर्वानुमति के हर प्रकार के संस्थान से मजदूरों को छटनी या ले आफ करने की नियोजकों को बेलगाम छूट।
- 300 तक मजदूर जिस भी संस्थान काम करते हों वहाँ के नियोजकों को बिना पूर्वानुमति के कारखाना बन्दी की पूरी छूट ।
- सिर्फ 21 दिन के नोटिस देकर मजदूरों की सेवा /काम की शर्तों में एक तरफा बदलाव का अधिकार।
- नांन कोर कामों के नाम पर स्थाई स्परुप के कामों के प्रमुख हिस्से को ठेके पर बाहर करवाने (आउट सोर्स) और नियोजक यदि जरूरी समझे तो कोई कामों को भी ठेके पर करवाने का अधिकार।
- जब तक प्रबंधन मान्यता नहीं देता, पंजीकश्त यूनियनों को किसी भी सामुहिक या नीतीगत मामले कार्यवाही या प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं होगा,मान्यता देने का तरीका चेक ऑफ प्रणाली होगी न कि गुप्त मतदान
- हड़ताल के अधिकार को खत्म करने के लिए अनिवार्य रूप से लम्बी चौड़ी प्रकिया व औपचारिकताओं को पूरा करना जैसे हड़ताल के मुददे पर मतदान, उसके बाद समझौता व पंच कार्यवाही आदि
- सरकार द्वारा निर्धारित 'सामाजिक आवश्यकता वाले प्रतिष्ठानों / क्षेत्रों में हड़ताल पर पूर्ण पाबंदी

- 'वर्क टु रूल' तथा ' गो-स्लो को दुराचरण का दर्जा
- श्रम कानूनों के दायरे से सुपरवाईजर (चाहे जो भी वेतन हो) तथा उच्च वेतन वाले मजदूर बाहर,
- 20 या उससे कम मजदूरों वाले प्रतिष्ठानों के लिए अलग कानून मगर आयोग द्वारा सुझाए गए उसके मसौदे में कोई भी अर्थपूर्ण प्रावधान नहीं; इस बिना पर ऐसे मजदूरों को न्यनतम वेतन, मातश्त्व आदि कानूनों के दायरे से बाहर;

आयोग ने श्रम कानूनों में ये नियोजक -परस्त बदलाव लाने की सिफारिश करते हुए अंसगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं को संगठित क्षेत्र के विपरीत उजागर करने का प्रयास किया। अंसगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक छत्र कानून का मसौदा प्रस्तावित किया गया मगर उसमें भी कोई ठोस या अर्थपूर्ण बातें नहीं हैं। केन्द्र से लेकर पंचायत स्तर तक कल्याण बोर्ड गठित करके एक लम्बा चौड़ा ढॉचा बनाने की सिफारिश तो की गई है मगर कल्याण कारी और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को चलाने के लिए कोई ठोस व अनिवार्य वित्तीय प्रावधान नहीं बताए गए। आयोग ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सबसे भीषण समस्याओं जैसे काम की कठिन परिस्थितियां व शर्तें काम मिलने की अनिश्चितता आदि पर गौर करने का कष्ट भी नहीं किया। मगर एक -छत्र कानून बनाने के बहाने इस क्षेत्र के मजदूरों को तमाम बुनियादी कानूनों 1ध्4 जैस न्यूनतम वेतन, मातृत्व1ध्2 हितलाभ पी एफ ई एस आई आदि 1ध्2 से वंचित करने की सिफारिश कर दी। वास्तव में असंगठित क्षेत्र में तहॉ तहॉ मजदूरों ने अपनी यूनियनें बनाई हैं ये सभी कानूनी सुविधांए भी हासिल कर ली हैं।

सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर तेजी से कार्यवाही शुरू कर दी हैं। इसके लिए मंत्रियों का ग्रुप बनाया गया जिसने आयोग की सिफारिशों से भी आगे बढ़ते हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा ठेका श्रमिक अधिनियम में संशोधनों का मसौदा तैयार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, औद्योगिक विवाद कानून में संशोधन करके भर्ती या छटनी की खुली छूट, 90 प्रतिशत प्रतिष्टानों में नियोजकों को कारखाना बंदी का बेलगाम अधिकार, एक तरफा रुप से सेवा शर्तों में बदलाव के प्रावधान, हड़ताल के अधिकार पर शर्तें थोपना आदि मजदूर विरोधी मुददे शामिल कर लिए जाएंगें।

दूसरे श्रम आयोग ने जहॉ ' नांन-कोर काम व जरूरत पड़ने पर 'कोर' काम के लिए ठेका प्रथा की सिफारिश तो कर दी मगर इन दो प्रकार के कामों की परिभाषा ही नहीं दी। मंत्रियों के ग्रुप ने ठेका प्रथा संबंधी कानून को पूरा कर दिया। ' नांन -कोर' कामों की ऐसी व्यापक परिभाषा बनाई गई है कि किसी भी औद्योगिक या सेवा क्षेत्र के प्रतिष्टान के 80 प्रतिशत काम उसमें समा जाएगें। ये काम के प्रकार हैः 1ध्2 यंत्रों मशीनों औ प्लार्टो का रख रखाव, सेवा तथा मरम्मत 2ध्2 भवनों ,सड़कों व पुलों का निर्माण व रख रखवा 3ध्2 बगीचों की देख भाल 4ध्2 क्लबों अतिथि गश्हों, शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान तथा हस्पतालों को चलाना 5ध्2 कच्चे माल व तैयार माल को लोडिंग व अनलोडिंग 6ध्2 झाडू लगाना,सफाई करना, झाड़ना तथा कूड़े तथा कूडे को इकट्ठा करना व फेंकना ।

एक बार इस परिभाषा को कानूनी स्वीकशति मिल जाए तो पहली श्रेणी के अन्तर्गत ही किसी भी प्रमुख उत्पादन प्रतिष्ठान के 80 प्रतिशत मजदूरों को ठेके पर जाना पड़ेगा। इसके अलावा, मंत्रियों के ग्रुप द्वारा तैयार किए गए मसौदे के अनुसार 'नान -कोर' कामों की इस परिभाषा के अलावा भी 1ध्4 कम्पनियां किसी अचानक आई समय बद्ध काम की बढ़ोतरी होने पर ठेका मजदूरों को भर्ती कर सकती हैं''। इस खतरनाक प्रावधान का नतीजा यह होगा कि नियोजक,एक ही छत के नीचे वही काम दो अलग-अलग किस्म के मजदूरों से करवाएगें जिनकी सेवा शर्तें अलग होंगी- एक तरफ स्थाई मजदूर व दूसरी तरफ ठेका मजदूर। इस प्रकार स्थाई मजदूरों के अधिकारों,वेतन और अन्य सुविधाओं पर भारी दबाव पैदा हो जाएगा तथा यदि वहॉ यूनियन है तो उसकी सौदेबाजी की क्षमता पर भी आंच आएगी।

मंत्रियों के ग्रुप द्वारा प्रस्तावित संशोधनों से प्रधान नियेजक ठेका मजदूरों के प्रति हर जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्म हो जाएंगे जबकि ठेकेदारों को भी कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा,चाहे वे छोटे हों या बड़े। मौजूदा कानून के मुताबिक प्रध ाान नियोजक की यह जिम्मेदारी है कि वे कानूनी व्यवहार किया जा रहा है तथा उन्हें न्यूनतम वेतन,समय पर भुगतान सुरक्षा की सुविधाएं तथा अन्य वैधानिक सुविधाएं मिल रही हैं। गैर तलब है कि आज तक ठेका मजदूरों ने जो भी सुविध ाएं संगठित होकर हासिल की 1ध्4 जैसे वेतन का नियमित भुगतान, अन्य वैधानिक सुविधाएं या स्थाई काम में नियमित करवाना1ध्2 वह सब प्रधान नियोजक को न्यायिक घेरे या संगठित संघर्ष के दबाव में लाकर ही सम्भव हुई। संशोधन

कानून में प्रधान नियोजकों को ऐसी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा और ठेकेदार भी किसी नियंत्रण में नहीं होंगे। नतीता यह होगा कि ठेका मजदूर भयंकर शोषण का शिकार बनेंगे।.

ठेका प्रथा को कानूनी बनाने के अलावा, ठेके पर बाहर से काम करवाने की प्रणाली को भी कानूनी स्वीकशति दी जा रही है। याद रहे कि वित्त मंत्री ने 2002 अपने बजट भाषण में नियोजकों को हर प्रकार की आउट सोर्सिंग करने की दावत दी थी। आउट सोर्सिंग करने का मतलब है कि स्थाई कामों को ठेके पर किसी बाहरी एजेन्सी से करवाना । आम तौर पर ठेका प्रथा के अन्दर ही करवाया जाता है और ठेके की शर्तों में कुछ न कुछ प्रावधान मजदूरों की काम की शर्तों के बारे में भी शामिल होते हैं। मगर काम को यदि किसी बाहर एजेन्सी के सुपुर्प कर दिया जाए 1ध्4 चाहे वह काम कही बाहर किया जाए या फिर प्रधान नियोजक के प्रतिष्ठान के अन्दर 1ध्2 तो फिर मजदूरों से संबंधित कोई भी शर्त नहीं रखी जाती और प्रधान नियोजक पर मजदूरों संबंधी कोई जिम्मेदारी लगाना भी मुश्किल हो जाता है। ठेके पर काम की आउट सोर्सिंग की यह प्रणाली उदारीकरण के बाद से निजी व सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में काफी प्रचलित हो गई है। नियोजकों की मंशा यह होती है कि ठेका कानून से बचें हालांकि वास्तव में आउट-सोर्सिंग किए गए काम के मजदूर वास्तव में प्रधान प्रतिष्टान के लिए ही काम कर रहे होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को कोयला उद्योग इस प्रणाली का ज्वलंत उदाहरण है- विभिन्न खानों से कोयले के खनन का काम आउट-सोर्सिंग किए जाने के बाद से माफिया गिरोहों ने यह काम ले लिया है जिसमें उन्हें नियोजकों व प्रशासन दोनों का ही आर्शीवाद प्राप्त है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी औद्योगिक इकाईयों ने अपने स्थाई काम का प्रमुख हिस्सा निजी एजेनसियों को आउट-सोर्सिंग कर दिया। अधिकांश मामलों में मजदूरों को वैधानिक न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता, अन्य सुविध ाएं तो दूर रहीं। श्रम कानूनों को बदलने की वर्तमान मुहीम से आउट-सोर्सिंग की इस भयानक प्रणाली को कानूनी स्वीकशति मिल जाएगी।

पूरे श्रम बल को अस्थाई 1ध्4 कैशुअल 1ध्2 बनाने के प्रयास में कानून बदलने के साथ साथ सरकार कुछ और भी कदम उठा रही है। हाल ही में सरकार ने औद्योगिक रोजगार 1ध्4 स्थाई आदेश 1ध्2 अधिनियम के तहत बनाए जाने वाले नियमों में बदलाव लाने की चाल चली। सरकार द्वारा सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों को भेजे गए प्रस्ताव में कामगारों की एक नई श्रेणी बनाने की सुझाव है जिसका नाम है '' निश्चित अवधि के रोजगार का कामगार'' । सरकार के अनुसार इसकी परिभाषा यह हैः'' ऐसा काम जो अस्थाई हो या काम की अस्थाई बढ़ोतरी को करने वाला कामगार जो निश्चित अवधि के लिए भर्ती किया जाए''। यह नई श्रेणी इसके बावजूद लाई जा रही है कि पहले ही ' प्रोवेशनर' 'बदली' 'अस्थाई' ' कैजुअल ' तथा ' एप्रेन्टिस' जैसी कई श्रेणियाँ मौजूद है। मंशा साफ है- इस परिभाषा का फायदा उठाकर हर प्रकार के स्थाई काम में नियोजक निश्चित अवधि के मजदूरों को भर्ती कर सकें। ऐसे मजदूरों को स्थाई बनने का हक भी नहीं होगा जो 'अस्थाई' 'कैजुअल' या 'बदली' श्रेणी के मजदूरों को कम से कम औपचारिक तौर पर तो प्राप्त है। अन्ततः ऐसा प्रावधान यदि लागू हो गया तो किसी भी प्रतिष्ठान से स्थाई मजदूरों को खत्म ही कर डालेगा।

कुल मिलाकर श्रम कानूनों में नियोजक परस्त बदलाव लाने की सरकारी मुहीम उस तथाकथित दूसरी पीढ़ी के सुधारों का हिस्सा है जो मजदूर वर्ग को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ देना चाहते हैं। इसके दो अलग मगर एक दूसरे से संबंधि त पहलू हैं जिन्हें पूरी तरह से समझना जरूरी है। पहला यह कि काम के स्थान पर मजदूरों को मिलने वाले सभी सुरक्षा प्रावधानों को खत्म करके उनकी नौकरी को अनिश्चित बना देना और इस प्रकार उन्हें असुरक्षित व भयभीत विरोध ा की आवाज उठाने के अधिकार को छीन नेलना और ट्रेड यूनियनों के गठन में कठिन बाधाँए खड़ी कर देना। अन्तिम लक्ष्य यह है कि नवउदारवादी वैश्वीकरण के तहत चल रहे बेलगान शोषण के खिलाफ मजदूरों के संगठित प्रतिरोध की संभावना को ही नष्ट कर देना।

मौजूदा दौर में मजदूरों के अधिकारों पर चल रहे हमले की खासियत यह है कि मेहनत से रोजी रोटी कमाने के हर कदम हर पहलू पर इसका काला साया पड़ रहा है। कानूनी माध्यम से रोजगार के अधिकार न्यायोचित वेतन व काम की शर्तें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार यहाँ तक कि निवृत्ति के बाद मिलने वाली सुविधाँए इन सभी को नष्ट किया जा रहा है। संगठित क्षेत्र के बहुमत कामगारों को बोनस से बंचित होना पड़ा हैं क्योंकि सरकार बोनस कानून में दर्ज

वेतन की ऊपरी सीमा को बदलने को तैयार नहीं हैं। पी एफ ई एस आई तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा/कलयाण एजेनसियों के कुशासन व मजदूर विरोधी प्रावधानों के चलते, मजदूरों का अधिकांश हिस्सा अपने सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को भी खोते जा रहे हैं। साथ ही संगठित होने व यूनियन बनाने, हड़ताल व सामुहिक सौदेबाजी आदि के अधिकार नाना प्रकार से नष्ट किए जा रहे हैं जिनमें प्रत्यक्ष दमन भी शामिल है। इस पृष्ठभूमि में सरकार के साथ द्विपक्षीय व त्रिपक्षीय वार्ता की प्रणाली जो आजादी के बाद कई वर्षों में विकसित हुई थी, खत्म होती जा रही है। उदाहरण के लिए अधिकंश उद्योग-स्तरीय त्रिपक्षी कमेटियों आइ एल ओ कन्वेशनों को लागू करवाने वाली कमेटी आदि की बैठकें पिछले 4-5 साल से नहीं हुई हैं जिसका पूरा दायित्व सरकार पर ही है।

न्यायपालिका की भूमिका

इस संदर्भ में यह भी गौर तलब है कि न्यायपालिका द्वारा मजदूरों व जनता के अधिकारों के प्रति बढ़ती शत्रुतता नजर आ रही है। उदारीकरण के बाद से शीर्ष न्यायलय समेत न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों द्वारा कई जन-विरोधी निर्णय दिए गए हैं। उनके रवैये का यह बदलाव मौजूदा नव- उदारवादी वैश्वीकरण की विचारधारा और मानसिकता के साथ मेल खाता है। 1996 में उच्चतम न्यायालय के उस समय के प्रधान न्यायाधीश ने एक भाषण में कहा था कि,'' उदारीकरण और समाजवाद में आपसी सामंजस्य है क्योंकि न्यायपूर्ण बठवारे के लिए जरुरी है पहले धन संपदा पैदा की जाए''।

एअर इण्डिया मामले में अपने पहले के निर्णय को निरस्त करते हुए, उच्च न्यायालय ने स्टील अथारिटी मामले के निर्णय में स्थाई काम करने वाले ठेका मजदूरों को नियमिम न किया जाना सही ठहराया, जो कि ठेका मजदूर संबंधी कानून मे मूल सिद्धान्तों के ही विपरीत है। एअर इण्डिया मामले के निर्णय में स्थाई काम करने वाले ठेका मजदूरों को नियमित करके स्थाई मजदूर बनाए जाने के अधिकार को माना गया था। इसी निर्णय को आधार को बनाकर राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट हरियाणा विद्युत बोर्ड आदि अनेक प्रतिष्ठानों के ठेका मजदूरों की बड़ी संख्या को नियमित किया गया था। मगर स्टील अथॉरिटी मामले के बाद घड़ी की सूई पीछे धकेल दी गई और गैर-कानूनी व्यवहार कानूनी बन गया।

ऐसा ही एक पीछे ले जाने वाला निर्णय उच्चतम न्यायालय ने हाल के एक मामले में दिया जिसके तहत कई उच्च न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त करते हुए, यह स्थापित हुआ कि नौकरी से निकाल गए मजदूर को पिछले वेतन 1ध 4बैक-वेज1ध2 का अधिकार नहीं है बेशक उसको नौकरी से निकालना गलत साबित हो जाए और उसे बाहर कर दिया जाए।

बाल्को को कौड़ियों के दाम पर बेचने को सही ठहराने वाली निर्णय भी इसी प्रकार का है। इसमें न्यायालय ने एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि'' जब तक कोई अत्यधिक रुप से अवैधानिक मामला न हो, सरकार समीक्षा के दायरे में नहीं आती'' और यह कि,'' ऐसे नीतिगत फैसलों पर प्रश्न उठाने का उचित मंच संसद है न कि न्यायालय ''।

यहाँ उच्च न्यायालय के उस फैसले का भी जिक्र किया जाना चाहिए जिसमें 'जबरदस्ती' बन्ध पर पाबंदी लगाई गई । उसके बाद 6 अगस्त 2003 को तो हड़ताल के अधिकार पर पूरी पाबंदी लगाते हुए उच्चतम न्यायालय ने बड़े ही विद्वेषपूर्ण तरीके से कहा कि,'' अब हड़ताल के अधिकार के सवाल पर आते हैं-चाहे मौलिक, वैधानिक या न्यायोचित/ नैतिक अधिकार की बात हो, हमारा मत है कि सरकारी कर्मचारियों को ऐसा कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है''। इसी कम में कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा हाल में दिया गया निर्णय कि सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक शहर में जूलूस आदि निकालने पर पाबंदी हो, जनता के बुनियादी जनवादी अधिकारों पर एक और हमला है।

हड़ताल के अधिकार के खिलाफ शीर्ष न्यायालय के इस निर्णय में मजदूर विरोधी आग उगलने के अलावा मजदूरों व कर्मचारियों की हड़ताली कार्यवाही के कारण जनता को होने वाली असुविधा पर बड़ी लच्छेदार बातें कही गई हैं। मगर न्यायालय ने इसी निर्णय में बड़े ही आडम्बर पूर्ण तरीके से माना है कि उनका सरोकार उन मुद्दों से नहीं है जिनसे मजबूर होकर मजदूरों को हड़ताल पर जाना पड़ता है। हड़तालों के कारण जनता को होने वाली असुविधा पर चर्चा करते हुए, न्यायालय सिर्फ मजदूरों की हड़ताल पर आग -बबूला हुए। उन्होंने न तो वाहन मालिकों की उस हड़ताल का जिक्र किया जो प्रदूषण फैलने के संबंध में स्वंय न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ की गई थी और न ही वैट के खिलाफ व्यापारी वर्ग की 'हड़ताल' का । मिल मालिकों द्वारा कारखाना बन्दी, तालाबंदी ले आफ आदि की तो बात ही छोड़िए जिससे कहीं ज्यादा का,उत्पादन और सेवाओं का नुकसान होता है और जनता व समाज को कहीं ज्यादा असुविधा झेलनी पड़ती है।

दमनकारी राजसत्ता का हमला

उदारीकरण के बाद के दौर में मजदूरों व ट्रेड यूनियनों पर हमले की खास बात यह है कि पूंजीवादी राजसत्ता के सभी हिस्से इसमें नंगे रुप से शामिल हो गए हैं। नब्बे के दशक के शुरू में हुए उदारीकरण के पहले चरण में राजसत्ता के कार्यपालिका वाले हिस्से (यानि सरकार व अफसरशाही) ने श्रम कानूनों को लागू न करने या उल्लंघन करने की चाल, नियोजकों के साथ सांठ गांठ करके चली। इसका दूसरा पहलू यह भी था कि शासन के विभिन्न स्तरों पर शिकायतों के निदान का तंत्र भी उदासीन व निकम्मा बना दिया गया तथा न्यायपलिका भी निष्क्रिय या कई बार तो शत्रुतता पूर्ण बनती चली गई। और अब, उदारीकरण के दूसरे चरण में, श्रम कानूनों को बदलने की पूरी तैयारी कर ली गई है,ताकि उनकी अवहेलना व उल्लंघन को ही कानूनी जामा पहनाया जा सके। साथ-साथ मज़दूर आन्दोलन को पंगु बनाने की भी पूरी तैयारी है जिससे नव उदारवादी वैश्वीकरण और देशी/विदेशी पूंजी द्वारा श्रम के शोषण का रास्ता पूरी तरह से खोल दिया जाए। कार्यपालिका और विधानपालिका, राजसत्ता के दोनों अंग इस दिशा में मिल जुल कर काम करे रहे हैं। इस संदर्भ में राजसत्ता का तीसरा हिस्सा न्यायपालिका भी उसी प्रकार की प्रतिकिया दिखाने लगी है। उदारीकरण के बाद के दौर में मजदूरों से संबंधित सभी मामलों में शीर्ष न्यायलय के अधिकांश फैसले,उसी नव उदारवादी मानसिकता से ओत पोत नजर आते हैं जो पूंजी व शासक वर्ग के हितों के साथ अन्तविरोध रखने वाले तमाम मजदूरों व आम जनता के मुद्दों के प्रति रहती है। बाल्कों के निजीकरण को सही ठहराने का निर्णय तीन महीने के अन्दर आ गया जबकि कर्मचारियों की पेंशन योजना पर सुनवाई पूरी होने के 2साल बाद भी फैसला नहीं दिया गया है। यह कोई अचम्भे की बात नहीं है इतिहास इस बात का सबूत है कि न्यायपालिका राजसत्ता की ही एक अंग है और वर्गीय शासन को बरकरार रखने के लिए शासक वर्ग के हित में अन्ततः राजसत्ता के सभी लेनिन न 'राज्य और क्रांति ' में लिखा था,'' राज्य वर्गीय शासन का हथियार है, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन का हथियार।''

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उदारीकरण के पहले के सालों में शीर्ष न्यायालय तथा निचली अदालतों द्वारा कई ऐसे फैसले भी दिए गए थे जिन्होंने मजदूरों व आम लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने में काफी मद्द की थी। एअर इण्डिया मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा ठेका मजदूरों को नियमित किये जाने का अधिकार देने का फैसला इसका एक उदाहरण है। उसी दौर में कुछ अच्छी नीयत वाले कानून भी बनाए गए, जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करके अध्याय 5 बी शामिल करना, ठेका मजदूर 1९4 नियमन व पाबन्दी।९2 कानून आदि। कई सीमाओं व कमियों के बावजूद,ये कानून न्याय की जरूरत तो मानते थे। यह सब शायद इसलिए हुआ क्योंकि उस समय के शासन तंत्र को पूँजीवादी रास्तें में कुछ कल्याणकारी तत्व शामिल करने की जरूरत महसूस हुई। भारत सहित विकासशील देशों में पूंजी के हमले की धार को कुछ हद तक कम करने में उस समय मौजूद समाजवादी खेमें की भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भूमिका रही थी। उस दौर में मजदूर वर्ग और आम जनता के बढ़ते संघर्षों से जिन लोकप्रिय व ज्वलंत मांगो को उजागर किया गया उनके प्रति उस समय के शासन व राजसत्ता के अंगों की सकारात्मक प्रतिकिया की कुछ मिसालें ऊपर दिए गए सभी कारकों से तय हुई। मगर यह एक अस्थाई घटना कम था, जैसा कि होना ही था। लेनिन ने राजसत्ता के चरित्र की वयाख्या करते हुए,एंगेल के इस कथन का हवाला दिया था,'' प्रतिनिधित्व पर आधारित आधुनिक राज्य,पूँजी द्वारा वेतन भोगी श्रम के शोषण का हथियार है। अपवाद के रुप में कभी कभी ऐसे दौर आते हैं जब आपसी युद्ध में

लगे वर्गों के बीच संतुलन आ जाता है जिससे राजसत्ता पंच का रुप धारण करके, दोनों से कुछ समय के लिए स्वतंत्र सी हो जाती है।'' उदारीकरण के पहले के दौर में विशेषकर सत्तर व अस्सी के दशकों में राजसत्ता के विभिन्न अंगों ने कुछ मामलों में तथा अलग अलग हदों तक ऐसे ही अपवाद प्रदर्शित किए जिनके कारणों का जिक्र पहले किया गया।

उदारीकरण के बाद दौर (यानि उत्तर -सोवियत दौर) में विश्व युद्ध के बाद विकसित पूँजीवाद से कल्याणकारी नकाब हट गया। विश्व व्यापी मंदी के चलते पूंजीवाद के गहराते संकट में पूंजी की दमनकारी तथाकथित कल्याणकारी राज्य में जो कुछ रियायतें जनता ने ली थी उन सब को राजसत्ता ने धीरे धीरे वापस ले लिया क्योंकि साम्राज्यवादी दबाव में वे ऐसी नव उदारवादी नीतियां चला रहे थे जिनके तहत जनता व सार्वजनिक सेवाओं को मिलने वाली सब्सीडी में कठौती शिक्षा संकेत सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण तथा व्यावसायीकरण तथा जनता से संबंधित हरेक पहलू से सरकारी नियंत्रण हो हटा देना शामिल था। ऐसी नीतियों के विरुद्ध जनता विरोध के कारण कभी कभी शासन तंत्र को पीछे भी हटना पड़ता था मगर कुल मिलाकर उसकी प्रतिकिया जनता के जनवादी हकों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता ही रही। इस पृष्टभूमि में हर ओर से राजसत्ता के हर अंग से सही प्रयास किया जा रहा है कि मजदूर वर्ग पर अंकुश लगाया जाए क्योंकि यही सबसे संगठित सामाजिक ताकत है जिससे उदारीकरण के झंडाबरदारों को सबसे ज्यादा खतरा महसूस होता है। यहाँ गौर करना जरूरी है कि जैसा इतिहास हमें दिखाता है मजदूर वर्ग पर हमला समूचे जनवाद के ढांचे पर आने वाले हमले की शुरूआत है। वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा सरकार ने कई जनवादी संस्थाओं व मंचों को दरकिनार कर दिया है जो कि खतरनाक लक्षण है। इस संदर्भ में देखें तो जनता की असुविधा का तर्क जिस प्रकार से हड़ताल के अधिकार जैसे बुनियादी अधिकार के खिलाफ दिया जा रहा है,वह एक खतरनाक सोच को दर्शाता है जिसको आगे बढ़ाकर जनता के एक हिस्से को दूसरे के खिलाफ खड़ा करके किसी भी जनवादी अधिकार को कुचला जा सकता है। इस असहिष्णुता और जनता के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के खिलाफ लड़वाने की भद्दी मिसाल हाल में तमिलनाडू के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले में झलकती है। इसमें कहा गा है कि जायज मांगों के लिए भी,'' हड़ताल अनुचित है---- ऐसे समाज में जहां भारी बेरोजगारी हो और सरकारी विभागों या सर्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरी पाने के लिए योग्य लोग बेसब्री से इन्तजार कर रहे हों,वहां किसी भी न्यायपूर्ण आधार पर हड़तालों को जायज नहीं माना जा सकता। ''उसी न्यायालय ने उन मुद्दों की तह में जाने से इनकार कर दिया जिनकी वजह से कर्मचारी हड़ताल पर जाने पर मजबूर हुए थे और इसी न्यायालय ने बाल्को मामले में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया क्योंकि उनके अनुसार ''सरकार की आर्थिक नीति न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है।''

भविष्य के कार्यभार

हड़ताले के अधिकार समेत अपने समस्त अधिकारों को बचाने के लिए मजदूर व्रर्ग को इन अधिकारों को पुरजोर और एकजुट तरीके से बुलन्द करना होगा। जनवादी आन्दोलन को भी इस खतरे का सही मूल्यांकन करे राजसत्ता के हमलावार कुशासन के खिलाफ प्रतिरोधकी एकजुट आवाज उठानी होगा। साथ ही मजदूर वर्ग के अधिकारों के बचाव के संघर्ष को नव-उदारवादी वैश्वीकरण और उसके विदेशी आकाओं के खिलाफ संघप्र के साथ जीवन्त रुप से जोड़ना जरूरी है। ट्रेड यूनियन तथा जनवादी आन्दोलन के भीतर दिखाई दे रहे उन रूझानों के खिलाफ भी संगठनात्मक तथा वैचारिक स्तरों पर मजबूत संघर्ष करना जरूरी है जो नव उदारवादी नीतियों के बारे में ढुलमुल हैं या इस गलतफहमी में हैं कि रोजगार बचाने या निवेश बढ़ाने के लिए 'आउट सोर्सिंग ' या आयात के उदारीकरण या निजीकरण के प्रति नरम रवैया अपनाना बेहतर होगा।

मजदूर आन्दोलन को जनता के अन्यन्य तबकों को वैश्वीकरण के विरुद्ध संघर्ष में लामबन्द करने के लिए सकिय पहल करनी जरूरी है क्योंकि समूची जनता के अधिकारों व रोजगार पर चल रहे हमलों का मूल स्रोत नव-उदारीकरण वैश्वीकरण ही है।

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र

ग्यारहवां महाधिवेशन

'कामरेड पी. राममूर्ति नगर'

9–13 दिसम्बर, 2003

चेन्नई, तमिलनाडू

कमिशन के दस्तावेज

बेरोजगारीः ट्रेड यूनियन परिप्रेक्ष्य

उदारीकरण, भूमण्डलीयकरण तथा नीजीकरण की कोष–बैंक निदेशित आर्थिक नीतियों का गम्भीरण परिणाम दुष्परिणाम लगातार विकराल रूप धारण करती चली जा रही बेराजगारी की समस्या है। रोजगार हीनता तथा बेराजगारी की समस्या असाधारण रूप में तेज गति से बिगड़ रही है और नये आयामों को छू रही है। इस अत्यंत गहरे घटनाकम के लिये अनेक कारक योगदान दे रहे है। पूरे विश्व में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का लगातार संकट ग्रस्त रहना और साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण की सत्ता के अन्तर्गत तथा कथित बाजार अर्थव्यवस्था के हमले इसके दो प्रमुख कारकों में शामिल हैं।

बेराजगारी की समस्या के खिलाफ एक शक्तिशाली संयुक्त जनवादी आंदोलन को विकसित करने के लिये श्रमिक संघों द्वारा की जा रही पहलकदमी ने वर्तमान स्थिति में अत्याधिक महत्व प्राप्त कर लिया है;इस पर किसी प्रकार का कोई प्रश्नचिन्ह लगाया नहीं जा सकता। बी टी रणदिवे ने एक दशक से भी अधिक समय पूर्व यह जानकारी करने का आह्ववान किया था। उन्होंने कहा था, '' श्रमिक संघों को चाहिये कि वे बढ़ती बेराजगारी को रोकने के उददेश्य से सरकार पर दबाव डालने के लिये रोजगार प्राप्त लोगों तथा बेरोजगारों के संयुक्त सम्मेलनों का अयोजन करें, इसके लिये पहलकदमी करें-- वे सरकार की आर्थिक नीतियों में बुनियादी तबदीलियों लाने के उददेश्य से अग्रणी भूमिका निभाएं और बेराजगारी रोकने के लिये कार्रवाईयां करें।'' 'काम के अधिकार' की मांग के महत्व तथा उसकी सार्थकता को दर्शाते हुए उन्होंने कहा था कि मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा था, 'काम का अधिकार वास्तव में सभी जनवादी अधिकारों की बुनियादी है, इस अधिकार के बिना अनेक जनवादी अधिकार मात्र औपचारिक एवं दिखावटी अधिकार बन कर रह जाएंगे।

बेराजगारी की समस्या पर आइ एल ओ का रुख

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन लगातार बेराजगारी की बद से बदतर होती चली जा रही स्थिति की ओर ध्यान खींचता रहा है। विश्व रोजगार रिपोर्ट 2001 में रेखांकित किया गया है,'' विश्व की एक तिहाई श्रम शक्ति बेरोजगार है अथवा अर्थ रोजगार प्राप्त है। ' रोजगार हीन विकास' की विचलित कर देने वाली घटना पर टिप्पणी करते हुए रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ' केवल विकास से ही 50 करोड़ से अधिक नये रोजगारों का सृजन नहीं किया जा सकता जिनकी 2010 तक जरूरत है श्रम शक्ति की पंक्तियों में नये दाखिल होने वाले लोगों को खपाया जा सके और बेराजगारी के वर्तमान स्तर को आधा किया जा सके।' बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से निपटने की हंगामी जरूरत पर बल देते हुए आइ एल ओ की रिपोर्ट में कहा गया है हक ' इसके लिये श्रम बाजार के बुनियादी मुद्दों जिनमें मानव पूँजी में निवेश करना,

पक्षपात दूर करना तथा रोजागर को आर्थिक नीति का और अधिक केन्द्रीय लक्ष्य बनाना भी शामिल है, की ओर कहीं अधिक ध्यान देने, की आवश्यकता है।

जिनेवा में, जून 2003 में,सम्पन्न आइ एल ओ सम्मेलन में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में आइ एल ओ के महानिदेशक बेराजगारी तथा गरीबी के प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त करते समय बहुत मुखर थे। उन्होंने कहा था; ' शांति एवं सामाजिक न्याय के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? फिलेडेलफिया घोषणा पत्र जिसे 1944 में आइ एल ओ की ओर से जारी किया गया था और जो उसके संविधान के साथ संलग्न है, इसका उत्तर स्पष्ट शब्दों में देता है- गरीबी।'

घोषणा पत्र में कहा गया है: '' गरीबी चाहे कहीं भी हो किन्तु वह सभी जगह खुशहालों के लिये खतरा पैदा करती है।'' हमारे समय में तनावों तथा विवादों में जो बढ़ोतरी हुइ है वह इस कटु वास्तविकता को पहले से कही अधिक जग जाहिर करती है तथा यह बात पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन गई है।

महानिदेशक ने रोजगार सश्जन की तत्काल आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था; हम केवल यही बस अच्छी तरह से जानते है कि कामकाजी विश्व के पास ही गरीबी दूर करने की कुँजी है; वही सदा के लिये गरीबी दूर करने के लिये ठोस कार्रवाई कर सकता है और इस दिशा में प्रगति कर सकता है। लोग अपने काम के माध्यम से ही जीवन की बेहतर गुणवत्ता के विक्ल्पों को अधिक व्यापक बना सकते हैं। काम के द्वारा ही सम्पत्ति का सश्जन, वितरण गरीमापूर्ण ढंग से दरिद्रता दूर करने की विधियों की तलाश कर सकते हैं।''

बेराजगारी में बेहतहाशा वश्द्धि होने पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए आइ एल ओ ने विचार व्यक्त किया है,'' आर्थिक प्रगति की गति मंद होने के दुष्परिणामस्वरुप विश्व की रोजगार स्थिति बद से बदतर हो गई है। आर्थिक बहाली की अनिश्चित सम्भावनाओं के चलते वर्ष 2003 में रोजगार के सम्यानों में बदलाव आने की कोई सम्भावना नहीं है।'' आइ एल ओ द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार विश्व भर में वर्ष 2002 के अंत तक 18 करोड़ लोग बेराजगार थे। साम्राज्वादी भूमण्डलीयकरण के इस युग में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या दुनिया भर में कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है, इसका पता इस तथ्य को देखने से चल जाता है कि 'वर्ष 2002 के अंत तक उन श्रमिकों की संख्या एक बा फिर 55 करोड़ अर्थात 1998 के रिकार्ड स्तर तक पहुँच गई है जो खुद के लिये और अपने परिवारों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिये प्रतिदिन एक अमरीकी डालर से अधिक कमा नहीं पाते। 1ध्4 कामकाजी दुनिया-3/2003ध्2

विश्व व्यापी बेराजगारी

पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाओं के चालू संकट के गहराते चले जाने के कारण बेरोजगारी की स्थिति बद से बदतर होती है; यह तथ्य बार-बार सिद्ध हो चुका है। अब सभी पूँजीवादी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में जबरदस्त ठहराव आ चुका है इसलिये बेरोजगारी की भयानक समस्या ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। आइ एल ओ द्वारा जारी किये गए आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक देशों में बेरोजगारी में तीखी वश्द्धि हुई है और विश्व व्यापी आर्थिक ठहराव के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की दर वर्ष 2000-2002 के बीच 6.9 प्रतिशत तक पहुंच चुकी थी। उत्तरी अमरीका में बेरोजगारी की दर 4.8 प्रतिशत से बढ़ कर 5.6 प्रतिशत हो चुकी है। युरोपीय संघ में बेरोजगारी की दर वर्ष 2002 में बढ़ कर 7.6 प्रतिशत हो गई थी। लातिनी अमरीका के लगभग सभी देशों में तथा कैरेबियन देशों में बेरोजंगारी की दर में तीखी वश्द्धि होते देखी गई जो 2001 तथा 2002 के बीच 10 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में वर्ष 2001 में बेरोजगारी बढ़ कर 6.8 प्रतिशत हो गई, पूर्वी एशिया में 4.0 प्रतिशत तथा दक्षिणी एशिया में 3.4 प्रतिशत हो गई थी। मध्य पूर्व तथा उत्तरी अमरीका में बेरोजगारी की दर वर्ष 2002 में सर्वाधिक अर्थात् 18 प्रतिशत थी। सब-सहारा अफरीका में 14.4 प्रतिशत तथा संक्रमणशील 1ध्4 ट्रांजिशन 1ध्2 अर्थ व्यवस्थाओं में बेरोजगारी की दर 13.5 प्रतिशत थी। (कामकाजी दुनिया 3/2003 तथा आइ.एल.ओ.-रोजगार के रुझान-2003)।

अमरीकी साम्राज्यवादी जो दूसरों को उपदेश देते हैं तथा दुनिया का दरोगा' बने फिर रहे हैं, की अपनी धरती में बेरोजगारी के आंकड़े 1950 के दशक से ही नयी ऊँचाईयों को छू चुके थे । वाशिंगटन के एक स्तम्भ लेखक के शब्दों में 'दिसम्बर 2002 में अमरीका के पेरोल अर्थात्नियमित रूप में वेतन लेने वाले कर्मचारियों की संख्या कम होकर 1,01,000 रह गई थी और बेरोजगारी की दर 6 प्रतिशत पर ठहर चुकी थी। 1950 के दशक के आइजनहावर के शासन काल के समय से ही रोजगार हीनता की यह स्थिति वर्ष दर वर्ष बनी रही है।' देश में वर्ष 2000 तथा 2001 के मध्य 16 लाख रोजगारों की क्षति देखी गई; 1957-58 के बीच भी रोजगार में ऐसी गिरावट देखी गई थी।' अमरीका में, वर्ष 2002 में रोजगारों की मासिक कटौतियों का अनुपात लगभग 1,40,000 था जबकि 1990-91 में रोजगारों की मासिक कटौतियों का अनुपात 26,000 था।

व्हाइट हाउस के अधिकारी आर्थिक बहाली की मनोहारी धुनों पर भले ही थिरक रहे हों पर वास्तवकि स्थिति कुछ और कहानी कहती है। वाशिंगठन पोस्ट के मई 2002 के अंक जेरी इसाक ने लिखा था, 'व्हाइट हाउस के अधिकारियों, मीडिया के विद्वान वक्ताओं तथा विश्लेषकों की ओर से भले ही आर्थिक बहाली की आधिकारिक घोषणाएं जोर शोर से की जाती रही हों; वे अपने दावे बार-बार दोहराते रहे हों और निःसंदेह निवेशकों फिर से स्टाक मार्किट में दाखिल हो जाने के लिये समझाने में सफल रहे हों किन्तु वास्तविकता तो यह है कि इस बात के संकेत अधिकाधिक मिलने लगे हैं कि अमरीका की अर्थव्यवस्था में एक बार फिर पूरी तेजी के साथ गिरावट आने लगेगी और उसे 'रोजगार विहीन बहाली' अथवा 'दोहरे 1ध्4 डबल डिप1ध्2 मंदे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा ।

समाचार पत्रों की ओर से अगस्त 2003 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी; उसके अनुसार अमरीकी कम्पनियों ने 93,000 रोजगारों पर कुल्हाड़ी चला दी है। वाल स्ट्रीट जनरल ने भी तो पहले जोर शोर से यह भविष्यवाणी की थी कि अमरीका में नये रोजगारों के सृजन को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा, उसकी हवा भी निकल गई है। इसके विपरीत, 'कारोबारी घरानों ने पिछले पांच महीनों में अपने यहां रोजगारों में सबसे अधिक कटौती की है; यह कटौती सात महीनों तक बेरोकटोक चली और इसने 5,95,000 रोजगारों की बली ले ली।' 1ध्4 फायनांशल एक्सप्रेस 09.09.03 1ध्2

बुश प्रशासन के अधिकारियों ने अपने ही ढंग से इन रोजगार विहीन आंकड़ों की ओर ध्यान दिया है; उसने खुले दिल से इन बड़े कारोबारी घरानों को करों के भुगतान में और ब्रेक दे डाली ताकि वे 'अर्थ व्यवस्था में स्फूर्ति' ला सकें । इससे केवल यही तथ्य रेखांकित होता है कि व्हाइट हाउस के पास इस बद से बदतर होती चली जा रही स्थिति जिसके चलते दसियों लाख लोगों के रोजगारों पर बुश प्रभाव पड़ रहा है, को सुधारने का कोई इलाज नहीं । वास्तव में आंतकवाद के खिलाफ तथाकथित युद्ध का केवल एक ही उद्देश्य है- 'लोगों का ध्यान देश में बिगड़ी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से हटाना।'

आर्थिक सुधारों के युग में बेरोजगारी

देश में बेरोजगारी की स्थिति को भयावह बनाने में अनेक कारक अपना योगदान दे रहे हैं; हमरी अर्थव्यवस्था का तेजी से रूपांतरण किया जा रहा है; मैन्युफेक्चरिंग के स्थान पर उसके किवाड़ लाभ के भूखे विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों के लिये खोले जा रहे हैं; हमारा बाजार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का गुलाम बन कर रह गया है; ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिये भारी निवेश नहीं हो रहा जिसके चलते रोजगार के नये अवसर भी सुलभ नही हो पा रहे हैं । उद्योगों की बीमारी, कामबंदी और अच्छी स्थिति में चल रहे औद्योगिक उपक्रमों के विलीनीकरण/अधिग्रहण के फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों की छंटनी की जा रही है; ग्रामीण क्षेत्रों में पहले की भांति गरीबी बढ़ रही है जिसके कारण भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है।

वर्तमान युग में जारी विनाशकारी आर्थिक सुधारों ने देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ाने में बहुत भारी योगदान दिया है; यह एक स्थापित सत्य है। उद्देश्यपकर अध्ययनों से पता चला है कि 1992-94 से लेकर 1999-2000 तक सुध ारों की अवधि में देश में बेरोजगारों की संख्या चौंका देने वाली सीमा तक बढ़ चुकी है। बेरोजगारों की संख्या में हुई

इस वश्द्धि ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले रखा है; देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र इसकी विनाशकारी लीला से प्रभावित हुए हैं। उदारीकरण की अवधि में बेरोजगारी से सम्बन्धित आंकड़े देश में बेरोजगारी की बढ़ोतरी तथा उसकी भयानक स्थिति को दर्शाते हैं।

यद्यपि सरकारी अभिकरणों की ओर से प्रकाशित इन आंकड़ों के पीछे कई प्रकार की मंशाएं काम करती हैं; बेरोजगारी की अनुमान बहुत ही कम लगया जाता है फिर भी क्योंकि हमारे पास बेरोजगारों की असल स्थिति का पता लगाने के लिये कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है । यदि हमें इन्हीं आधे अधूरे आंकड़ों पर निर्भर करना पड़ रहा है तो उसका यही कारण है । भारत में चालू दैनिक आधार 1ध्4 सी डी एस1ध्2 पर वर्ष 1983 में बेरोजगारों की संख्या 2,16,10,000 थी जो 1993-94 में कम होकर 1,95,80,000 रह गई। नयी आर्थिक नीतियों के विनाशकारी दुष्परिणामों के चलते ये आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं और वर्ष 1999-2000 में ये 2,64,40,000 तक पहुँच गए । इसमें शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों की संख्या कितनी है; उसे अलग करके देखें तो पता चल जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों की संख्या पहले 1,61,80,000 थी, 1993-94 में कम होकर 1,43,10,000 रह गई और 1999-2000 में बढ़कर 1,93,10,000 हो गई शहरी बेरोजगारी का भाग 1983 में 54 लाख था जो 1993-94 में बढ़कर 59,40,000 हो गया और 1999-2000 में और बढ़कर 71लाख 20 हजार तक पहुँच गया ।

बेरोजगारी की राष्ट्रीय वश्द्धि दर 1983 से 1993-94 की अवधि में थोड़ी मंद गति से बढ़ी थी किन्तु 1993-94 से लेकर 1999-2000 के बीच यह बढ़ कर 4.55 प्रतिशत हो गई; इसके लिये जन विरोधी नयी आर्थिक नीतियां ही जिम्मेदार हैं । एक बार फिर ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगारी के आंकड़े चौंका देने वाली सीमा तक पहुँच गए । वर्ष 1993-94 से 1999-2000 के बीच ग्रामीण बेरोजगारी की वश्द्धि दर 5.13 प्रतिशत थी । दूसरी ओर 1983 से 1993-94 की अवधि में शहरी बेरोजगारी का प्रतिशत 0.85 था और 1993-94 से लेकर 1999-2000 के बीच की अवधि में यह बढ़ कर 3.76 प्रतिशत हो गया था। 1ध्4 द इंडियन जनरल आफ लेबर इकनामिक्स, जनवरी -मार्च,20031ध्2

दसवीं पंच वर्षीय योजना तथा रोजगार की सम्भावनाएं

दसवीं पंच वर्षीय योजना में रोजगार की सम्भावनाओं के अनुसार वर्ष 2001-02 में बेरोजगार लोगों की अनुमानित संख्या लगभग 3,48,50,000 थी 1ध्4 सी डी एम के आधार पर परिभाषित 1ध्2कृकृ'.दसवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि में बेरोजगारों की संख्या में और कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका अनुमान भी उसमें दिया गया है; उसके अनुसार उस समय बेरोजगारों की संख्या 3,52,90,000 हो जाएगी।' योजना के दस्तावेज कहा गया है, 'रोजगारों की सम्भावित मांग 7,01,40,000 से अधिक होगी; इससे निपटने के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की समस्या से हमें जूझना होगा। योजना के दस्तावेज में यह भी रेखांकित किया गया है , 'दसवीं पंच वर्षीय योजना के अंत तक बेरोजगारी की दर में कम से कम एक प्रतिशत की वश्द्धि हो सकती है।' 1ध्4दसवीं पंच वर्षीय योजना का दस्तावेजः पश्ष्ट 144-145 1ध्2

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि दसवीं पंच वर्षीय योजना को बनाते समय सरकार ने मोंटेक सिंह आहलूवालिया की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। आहलूवालिया समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी और अभी एक वर्ष भी नहीं बीता था कि सरकार ने एक और विशेष दल 1ध्4 समिति1ध्2 का गठन कर दिया गया; दसवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि में प्रति वर्ष एक करोड़ रोजगार सुलभ कराने का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिये सिफारिशें देने का काम उस समिति को सौंपा गया; इस समिति के अध्यक्ष योजना आयोग के सदस्य डाक्टर एस पी गुप्त थे । आहलूवालिया तथा एस पी गुप्त द्वारा जो सिफारिशें की गई थीं, उनमें जमीन -आसमान का अन्तर है।

आहलूवालिया की अध्यक्षता वाली समिति ने श्रम कानूनों में विनाशकारी तबदीलियां लाने की सिफारिश की थी; इन तबदीलियों में सेवा योजकों 1ध्4 मालिकों 1ध्2 को 'हायर एण्ड फायर' का मनमाना अधिकार देने की सिफारिश भी

शामिल थी लेकिन एस पी गुप्त की अध्यक्षता वाले विशेश कामकाजी दल (अथवा समिति) का कहना था कि इस प्रकार का कदम उठाने से रोजगार पर विषम दुष्प्रभाव पड़ेगा; उसने सिफारिश की कि श्रम कानूनों को बदलने के मामले में सरकार अपनी गति धीमी रखे। संगठित क्षेत्र में रोजगार विहीन विकास चल रहा है और इसके फलस्वरूप रोजगार के अवसर सुलभ कराने के लिये देश को कृषि, छोटे उद्योगों तथा अंसगठित क्षेत्र पर निर्भर करना पड़ रहा है; यह एक वास्तविकता है किन्तु इस कटु वास्तविकता की ओर से आंखें मूंद कर आहलूवालिया समिति ने कृषि क्षेत्र के किवाड़ कार्पोरेट दैवों के लिये खोल देने और छोटे एवं लघु उद्योग में उत्पादन के लिये आरक्षित उत्पादों पर लगे आरक्षण को समाप्त करने की सिफारिश की थी। यह अनुभव करते हुए कि इस दृष्टिकोण को अपनाने से इन क्षेत्रों में भी रोजगाहीनता की स्थिति बन जाएगी, एस पी गुप्त समिति की आहलूवालिया समिति के साथ मत भिन्नता थी; उसने विचार व्यक्त किया था कि कृषि क्षेत्र में रोजगार की भारी सम्भावनाएं हैं और अगले पांच वर्षों में असंगठित क्षेत्र अधिक से अधिक रोजगार उललब्ध कराएगा। जहां आहलूवालिया ने इस बात से इन्कार किया था कि सरकार को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये विशेष कदम उटाने चाहिये वहीं एस पी गुप्त ने रोजगार के विशेष कार्यक्रमों के लिये सरकार की विशेष भूमिका के पक्ष में अपने तर्क दिये थे।

तथापि, सरकार ने दसवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि में प्रत्येक वर्ष एक करोड़ या दूसरे शब्दों में योजना की पूरी अवधि में पांच करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य अपने सामने रखा। किन्तु इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये बनाए गए विशेष कामकाजी दल 1९4टास्क ग्रुप 1९2 ने निष्कर्ष निकाला कि 'अपरिवर्तित ढांचों के साथ प्रति वर्ष जी डी पी की 8 प्रतिशत विकास दर बनाए रखने और उत्पादन में बढ़ी हुई पूंजी की सघनता के जारी रहने विशेष रूप से संगठित क्षेत्र में के फलस्वरूप एक वर्ष में केवल लगभग साठ लाख के अनुपात से रोजगार सुलभ कराए जा सकेंगे जो प्रति वर्ष एक करोड़ रोजगार सुलभ कराने के लक्ष्य से बहुत कम हैं।''

एन डी ए सरकार वर्तमान में जिन नीतियों का पालन कर रही है उसके फलस्वरूप दसवीं पंच वर्षीय योजना में प्रति वर्ष 8 पतिशत विकास दर प्राप्त करने का घोषित लक्ष्य निर्रथक प्रतीत होता है। इस स्थिति में प्रति वर्ष 60 लाख रोजगार सुलभ कराना भी लगभग असम्भव है। एक अनुमान के अनुसार 1994-2000 की अवधि में प्रति वर्ष केवल लगभग तीस हजार रोजगार सुलभ कराए जा सके हैं। 1९4 बिजनस लाइन 15-04-03 1९2

नये रोजगार सुलभ कराने की सम्भावनाओं में पर्याप्त वशद्धि हो इसके लिये आर्थिक नीति की सत्ता की दिशा को बदल दिये जाने की आवश्यकता है। विशेष दल के शब्दों में या बात हम इस प्रकार कहेंगे,'' समिति का विचार है कि उत्पादन तथा रोजगार दोनों क्षेत्रों में जीवनक्षम तथा समतापूर्ण ढंग से देश के विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये निकट भविष्य में पिछली आर्थिक नीतियों में अनेक बड़ी तबदीनियां करने तथा रोजगारन्मुखी अभिनव कार्यकम चलाने की आवश्यकता होगी।'' विशेष दल अथवा समिति ने यह विचार भी वयक्त किया था,'' यदि नब्बे के दशक के अनुभवों से 'लाभ' उठाया गया दूसरे शब्दों में उन्हें भविष्य में भी दोहराया गया तब भारत को बेरोजगारी में बेतहाशा वशद्धि की स्थिति को झेलना पड़ेगा; उसके साथ ही रोजगारों की मांग तथा रोजगार अवसरों की सुलभता में अन्तर पहले की भांति गहरा होता चला जाएगा।''

दूसरे शब्दों में दल अथवा समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि सरकार की नीतियों का रूख बदला जाए तथा ये नीतियां श्रम सघनता को बढ़ाने वाली तथा पूँजी की बचत करने वाली प्रौद्योगिकी वाली होनी चाहिये। किन्तु हमें यह समझने में भूल नहीं करनी चाहिये कि सब कुछ बाजार की शक्तियों के भरोसे छोड़ कर यह काम किया ही नहीं जा सकता। इसके लिये उदारीकरण तथा साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण की नीतियों को बदलने की आवश्यकता है। विशेष रूप से छोटी एवं मंझौली इकाईयों और उनके साथ ही असंगठित क्षेत्र का उल्लेख करते हुए विशेष दल अथवा समिति ने सिफ़ारिश की है,'' श्रमिकों की सघनता वाले उद्योगों के पक्ष में पूँजी का नये सिरे से आवंटन करने के लिये उपयुक्त कार्यकमों तथा नीतियों का निर्धारण इस ढंग से किया जाना चाहिये कि उससे प्रगति एवं विकास को बढ़ावा मिले। इस क्षेत्र के लिये एक समान नियम लागू हो, इसे भी सुनिश्चित बनाना होगा।'' उद्योगों के बड़े क्षेत्र की तुलना में इस क्षेत्र को संरक्षण 1९4पक्षपात की सीमा तक1९2 एवं सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है जिसे बाजार के प्रभू सुनिश्चित

नहीं बना सकते।

यही नहीं, हमें इस तथ्य से भी सबक सीखना होगा कि नयी आर्थिक नीति की सत्ता के अन्तर्गत थाकथित उच्चतर आर्थिक विकास नये रोजगार सुलभ कराने में बुरी तरह नाकाम रहा है। इसलिये इस बात में कोई शक अब नहीं कि बेरोजगारी में कमी लाने के लिये उच्चतर विकास कर लेना ही काफी नहीं है। क्योंकि उच्चतर आर्थिक विकास कर लेने मात्र से ही आर्थिक दारीकरण की सत्ता के अन्तर्गत ारत में बेरोजगारी की मस्या से निपटा हीं जा सकता इसलिये रोजगार को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा और अधिक जोरदार ढंग से हस्तक्षेप किये जाने की जरूरत है।''
(एस के भौमिक 2003)

रोजगार लोचनीयता

रोजगार की लोचनीयता में भारी कमी आई है । यह एक और विचलित कर देने वाली घटना है । इस मामले में चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा गया है कि 'वर्ष 1983-88 अर्थ व्यवस्था की रोजगार लोचनीयता 1ध्4 वह सीमा अतिरिक्त उत्पादन अतिरिक्त रोजगार पैदा करता है 1ध्2 में कमी आई है; लगता है इस मामले में कोई चौकसी नहीं बरती गई; यह लोचनीयता 0.68 से कम होकर वर्ष 1993-2000 के मध्य केवल 0.16 प्रतिशत रह गईकृकृकृ। सबसे तेज गिरावट कशषि के क्षेत्र में आई है जहां इसी अवधि में रोजगार की लोचनीयता 0.87 से कम होकर 0.01 प्रतिशत रह गई ।' इसकी ठोस उदाहरण हम इस प्रकार देते हैं 'कशषि उत्पादन में 5 प्रतिशत की वशद्धि का परिणाम अस्सी के दशक में 4.39 प्रतिशत की रोजगार वशद्धि के रूप में निकल सकता था, वह वर्तमान में केवल मात्र 0.05 प्रतिशत की रोजगार वशद्धि के रूप में निकलेगा ।' (बिजनस स्टेंडर्ड, 07.08.03)

रोजगार परिप्रेक्ष्य पर दसवीं पंच वर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार, 'उत्पादन वशद्धि की रोजगार सघनता की गिरावट का वर्णन पूंजी की संघनता में वशद्धि अथवा श्रमिकों की उत्पादकता में वशद्धि के रूप में किया जा सकता हैकृकृकृश्रमिकों को कार्य मुक्त कर दिया जाता है और पूंजी श्रम का विकल्प बन जाती है;' इसे श्रम सघनता वाले क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकीयों की ओर ध्यान देने की समर नीतियां कहा जाता है ।

रोजगार की लोचनीयता में इस प्रकार की कमी क्यों आती है ? इसके कारणों का पता लगाना कठिन नहीं है। पूंजी की सघनता वाली अत्यंत आधुनिक प्रौद्योगिकी उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ.ाने में निश्चित रूप से योगदान देती है किन्तु वह उसके साथ ही साथ रोजगार लोचनीयता की हत्या भी कर देती है । एक आर्थिक स्तम्भ लेखक ने विचार व्यक्त किया है, 'भारतीय उद्योग में अधिकांश प्रौद्योगिकीय परिवर्तन श्रम उत्पादकता में सुधार लाने के लिये किये गए और इसलिये उनके फलस्वरूप प्रति इकाई उत्पादन के लिये श्रम की आवश्यकता कम हो गई है ।'

इस सम्बन्ध में आइ एल ओ के विचारों का उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि 'विकासशील देशों में निवेश तथा व्यापार की रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमताओं को पैदा करने के लिये एक बुनियादी शर्त मैन्युफैक्चर्स तथा आधुनिक सेवाओं में उसका बदलाव है, दूसरे शब्दों में प्राथमिक उत्पादों के निर्यात पर निर्भरता से बहुत दूर चले जाना ।'

यह तर्क देना कि यदि सेवायोजकों को 'हायर एण्ड फायर' अर्थात् वे जब चाहे श्रमिकों को काम पर रखें और जब चाहे दूध में से मक्खी की भांति निकाल कर बाहर फेंक दें, का अधिकार दे देने से संगठित क्षेत्र को रोजगार के प्रति अधिक मित्रवत बनाया जा सकता है और इस क्षेत्र में रोजगार सुलभता की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है; सरासर गलत है। इसका उल्लेख करते हुए विशेष समिति ने रेखांकित किया था, 'इस क्षेत्र विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में पहले से ही श्रमिकों की भरमार है, यह एक तथ्य है । उसका तात्कालिक प्रभाव श्रमिकों को काम पर रखने की अपेक्षा उन्हें काम से अधिक निकाले जाने के रूप में पड़ेगा ।'

परेशान करने वाला घटनाचक्र

हमारे देश में 60 प्रतिशत रोजगार अकेला कशषि क्षेत्र उपलब्ध कराता है, यह एक तथ्य है; किन्तु किसी भी देश के लिये यह एक अच्छी और स्वस्थ्यकर स्थिति नहीं है । अब आर्थिक सर्वेक्षण 2002-03 के अनुसार 'वर्ष 1994-2000 में रोजगार की वशद्धि दर में गिरावट इसलिये आई थी क्योंकि उस समय अधिकतर कशषि के क्षेत्र में उपलब्ध रोजगारों के मामले में लगभग ठहराव की स्थिति बन गई थी । इसके परिणामस्वरूप रोजगार की कुल उपलब्ध ाता में कशषि के भाग में काफी गिरावट आ गई थी; 1993-94 में उसका भाग 60 प्रतिशत था जो कम होकर 1999-2000 में 57 प्रतिशत रह गया।' परेशान करने वाला एक और पहलु भी है कि 'लगभग 75 प्रतिशत बेरोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और इन बेरोजगार लोगों में से 60 प्रतिशत पढ. लिखे हैं ।' 1६4 इकनामिक टाइम्सः 23. 01.03 1६2

यह श्रमिकों के कारोबार पर निर्भर करता है जिन्हें तीन अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा जा सकता हैः- (क) प्राथमिक क्षेत्र जो अधिकतर कशषि पर आधारित होता है, (ख) माध्यमिक क्षेत्र, यह उद्योगों और उत्पादन केन्द्रों पर आधारित होता है, (ग) तीसरा क्षेत्र जिसमें व्यापार, सरकारी सेवाएं तथा असंगठित रोजगार । भारत क्योंकि मूल रूप से कशषि आधारित अर्थ व्यवस्था है, इसलिये प्राथमिक क्षेत्र की ओर रोजगार अवसर सुलभ कराने वाले क्षेत्र के रूप में बड.ी आशाओं के साथ देखा जाता है । बात केवल आशा और वास्तविकता की नहीं है, जो भी हो यह कोई आदर्श स्थिति नहीं है।

देश के कृषि क्षेत्र में व्यापक स्तर पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दाखिले और इससे भी बढ़कर डब्ल्यू टी ओ सत्ता के अन्तर्गत मात्रात्मक प्रतिबन्धों की समाप्ति के चलते कशषि के क्षेत्र में रोजगार की सम्भावनाओं पर बहुत बुरा असर पड.ा है । जबरदस्त मशीनीकरण होने जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी शामिल है, के फलस्वरूप भूमि तथा सिंचाई के प्रबन्धन में भी तबदीलियां आ जाएंगी । इसलिये कशषि के क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता में जबरदस्त गिरावट आना लाजमी है। एक बार फिर कहेंगे कि उद्योगों का छोटा एवं लघु क्षेत्र जहां पूंजी का निवेश कहीं कम होता है पूंजी की सघनता वाली बड.ी औद्योगिक इकाईयों की अपेक्षा अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। भारतीय सांख्यकीय सेवा की ओर से कराए गए एक अध्ययन के अनुसार 100 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी के आकार वाली औद्योगिक इकाई जिसके पास औद्योगिक क्षेत्र की कुल पूंजी में से 61.76 प्रतिशत शेयर हैं, में प्रति इकाई रोजगार के आनुपातिक आकार में लगभग 36 प्रतिशत रोजगार में गिरावट आई है। अब सरकार क्योंकि छोटे एवं लघु क्षेत्र के घोर विरोध की नीति का पालन कर रही है इसलिये छोटे एवं लघु उद्योगों के क्षेत्र में औद्योगिक बीमारी महामारी का रूप ले चुकी है। इसके दुष्परिणामस्वरूप न केवल रोजगार उपलब्ध कराने वाले एक प्रमुख स्रोत की हत्या हो गई है बल्कि दसियों हजारों श्रमिक अपने रोजगारों से वंचित हो गए हैं।

रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में सार्व्रजनिक क्षेत्र हमारे देश में प्रमुख भूमिका निभाता रहा है, यह एक सुस्थापित तथ्य है । तथापि, उत्तरोत्तर बनने वाली सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के घोर विरोध तथा निजीकरण की नीति का पालन करती रही हैं इसके चलते स्थिति में बदलाव आ ग़या है । पुनर्गठन के नाम पर औद्योगिक उपक्रमों तथा वाणिज्यक गतिविधियों का भंग करना व तोड़ते और जोड़ते रहना उनके प्रबन्धों का रोजमर्रा का शुगल बन चुका है; ये प्रबन्ध ान सार्वजनिक क्षेत्र के हों अथवा निजी क्षेत्र के, उनका शुगल एक जैसा ही है । इस भयानक कुचक्र में श्रमिकों की विशाल संख्या अतिरिक्त अथवा फालतू हो जाती है और उनकी बेरहमी के साथ छंठनी कर दी जाती है । उत्तरोत्तर बनने वाली सरकारों की ओर से श्रमिकों कों पुनर्प्रशिक्षण देने और उनकी पुनर्नियुक्ति करने के लिये अनेक कार्यक्रमों की घोषणाएं समय समय पर की जाती रही हैं किन्तु ये सभी घोषणाएं अब तक केवल ढकोसला ही सिद्ध हुई हैं ।

सार्व्रजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में रोजगारों की भयंकर क्षति हुई है; इसके फलस्वरूप देश में बेरोजगारी की स्थिति व्यापक स्तर पर बद से बदतर हो चुकी है । सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में वर्ष 1991-92 में कुल श्रम शक्ति 21 लाख 80 हजार थी जो मार्च, 2003 तक कम होकर 17 लाख 40 हजार रह गई थी । दूसरे शब्दों में सत्ताध ारी वर्गों ने जब से देश को विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मकड.जाल में फंसाया है तब से सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के 4 लाख 40 हजार श्रमिकों की छंटनी की जा चुकी है ।

इस मामले में निजी क्षेत्र की स्थिति कुछ बेहतर कही जा सकती है । आधुनिकीकरण, विलीनीकरण तथा औद्योगिक इकाईयों की कामबंदी/स्थान की बदली के चलते हुई छंटनियों और श्रम शक्ति का आकार कम करने के लिये की गई कार्रवाईयों ने लाखों रोजगारों की हत्या कर डाली है । इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल इत्यादि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां अत्यंत व्यापक स्तर पर श्रमिकों की छंटनी की जा चुकी है ।

औद्योगिक बीमारी बेरोजगारी की स्थिति को बद से बदतर बनाने में अपना योगदान दे रही है । बीमार इकाईयेां के श्रमिकों की भारी संख्या में छंटनी की जा रही है । जहां तक बीमार औद्योगिक इकाईयों तथा श्रमिकों की छंटनी का सम्बन्ध है, अब तक '1451 इकाईयों को बीमार घोषित किया जा चुका है, 343 इकाईयों ने अपने किवाड़ बंद कर लिये हैं और इनसे प्रभावित होने वाले श्रमिकों की संख्या 6,40.379 हो चुकी है (बिजनस लाईनः 14.06.03)।

नौजवानों में बेरोजगारी की समस्या

नौजवानों में बेरोजगारी की समस्या पूरी दुनिया में बढ़ रही है; यह भयानक रूप ग्रहण करती चली जा रही है; स्थिति खतरनाक हो गई है और इस समस्या ने संयुक्त राष्ट्र तथा आइ एल ओ सहित विश्व के प्रमुख संस्थानों का ध्यान अपनी ओर आकशष्ट किया है । यही वह अवधारणा थी जिसने आइ एल ओ को अपने जिनेवा स्थित मुख्यालय में 16 जुलाई, 2001 को एक महत्वपूर्ण कार्रवाई अथवा विचार विमर्श करने के लिये प्रेरित किया था । संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख महासचिव कोफी अन्नान ने विश्व ब्रैक के अध्यक्ष ज़ेम्स डी. वोल्फेन्शन तथा आइ एल ओ के महानिदेशक जुआन सोमाविया के साथ मिल कर 12 गणमान्य व्यक्तियों पर आधारित एक उच्च स्तरीय समिति के साथ मुलाकात की थी।

नौजवानों में बेरोजगारी की दर बालग व्यक्तियों की बेरोजगारी की दर से दो-तीन गुणा अधिक है। कुछ देशों में नौजवानों में बेरोजगारी चौंका देने वाली सीमा तक बढ़ चुकी है । कुछ समय पहले इस सम्बन्ध में 98 देशों में एक अध्ययन कराया गया था । उस अध्ययन से पता चला कि 51 देशों में नौजवानों की बेरोजगारी की दर 15 प्रतिशत थी। आइ एल ओ के अपने आंकड़ों के अनुसार युरोपीय देशों में यह दर 30 प्रतिशत थी जबकि कुछ विकासशील देशों में नौजवानों की बेरोजगारी की दर 40 तथा 50 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। (वर्ल्ड आफ वर्कः 8/2001)

आइ एल ओ द्वारा किये गए आंकलन के अनुसार 'विश्व भर में बेरोजगारों की कुल संख्या में नौजवानों का भाग 40 प्रतिशत से अधिक है । वर्ष 2001 में बेरोजगारों की संख्या 6 करोड़ 60 लाख थी-- वर्ष 1965 के पश्चात् उसमें एक करोड़ की वृद्धि हुई है।' किन्तु जून 2003 में आइ एल ओ के सत्र में पेश की गई महानिदेशक की रिपोर्ट में बताया गया, 'आइ एल ओ ने अनुमान लगाया है कि लगभग 7 करोड़ 40 लाख नौजवान महिलाएं और पुरुष विश्व भर में बेरोजगार हैं, भूमण्डलीय स्तर पर उनकी संख्या बेरोजगारों की कुल संख्या 18 करोड़ का 41 प्रतिशत बनती है। इसके अतिरिक्त वे लोग भी हैं जो अत्यंत अल्प वेतनों पर अधिक घण्टे काम पर लगाते हैं।'

विश्व भर में इतनी भारी संख्या में नौजवानों का बेरोजगार होना जैसा कि महानिदेशक की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है, 'दरिद्रता का एक ऐसा कुचक्र चलता है जो अनेक पीढ़ियां बीत जाने पर भी पीछा नहीं छोड़ता और यह अपराधों, हिंसा, मादक पदार्थों के दुरुपयोग तथा राजनीतिक चरमपंथ के उभार के ऊंचे स्तरों के साथ जुड़ा हुआ है । कुछेक देशों में नौजवानों के पास केवल एक ही धंधा होता है जिसमें लग कर वे अपनी आजीविका कमा सकते हैं-यह धंधा सामाजिक टकरावों में लगे हथियारबंद गिरोहों में शामिल हो जाना ।'

नौजवानों में बेरोजगारी की समस्या के विस्फोटक पहलु को आर्थिक और सामाजिक दशष्टिकोण से भी समझा जाना चाहिये । एक पढ़े लिखे नौजवान की बेरोजगारी कामकाजी दुनिया से उसका 'बहिष्कार' होती है, वह उसमें भाग लेने से वंचित रह जाता है; देश के निर्माण की गतिविधियों में उसकी कोई भूमिका नहीं होती । नौजवान लोग स्वभाव की दशष्टि से भी तुनक मिजाज तथा मानसिक रूप में टच्ची किस्म के होते हैं; कोई भी बात जल्दी ही दिल को लगा बैठते

हैं। नौजवान लोगों को उचित रूप में व्यस्त बनाब रखना और वे सामाजिक प्रगति के कार्यों में दिलचस्पी लेते रहें, यह एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है और पूरी दुनिया इस प्रकार की चुनौतियों का सामना इन दिनों कर रही है (हिग्गिन्स, 1997)। रिपोर्ट इस ओर भी हमारा ध्यान आकशष्ट करती है कि नौजवानों में बेरोजगारी के खतरे कितने अधिक व्यापक हैं, उसमें जोर देकर कहा गया है कि रोजगार हीनता की स्थिति नौजवानों को गलत कामों अर्थात् अपराधों की दुनियां में धकेल सकती है, वे मादक पदार्थों के धंधे में लग जाते हैं, समाज के प्रति उनमें एक प्रकार से अलगाव की भावना पैदा हो जाती है; यह स्थिति आगे चल कर सामाजिक टकरावों और अशांति को जन्म देती है ।

गरिमापूर्ण रोजगारों में गिरावट

जब हम अलग-अलग दशष्टिकोणों से इस समस्या पर विचार करते हैं तब हमें लगेगा कि रोजगार की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आती चली जा रही है; यह एक बहुत परेशान कर देने वाला पहलु है । रोजगार का आकस्मीकरण 1ध्4 अचानक काम मिल जाना और उसकी कोई समय सीमा नहीं होना, तेजी से बढ़ता चला जा रहा है । यह बढ़ता चला जा रहा आकस्मीकरण या दूसरे शब्दों में रोजगार का क्षण भंगुर बन जाना, रोजगार के परिदशष्य गहरी चिंता का विषय बना रहा है । संगठित क्षेत्र में स्थायी रोजगार की कटौती होने के प्रमुख कारणों में से इस बढ.ते आकस्मीकरण की विभीषिका ही है। सेवायोजकों अथवा मालिकों के सर्वव्यापी सामाजिक एवं आर्थिक उत्पीड.न व शोषण की सबसे अधि ाक पीड़ा इन्हीं अस्थाई श्रमिकों को झेलनी पड.ती है । श्रमिकों की इस श्रेणी को ट्रेड यूनियन अधिकार प्राप्त नहीं होते और न ही उनके लिये रोजगार की कोई सुरक्षा होती है । रोजगार कब मिलेगा और कब उनसे छिन जाएगा, इसका पता तो खुद उन्हें भी नहीं होता । इसलिये अस्थायीकरण/आकस्मीकरण विरोधी संघर्ष अभिन्न रूप से बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है; दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता ।

भारत जैसे विकासशील देशों में जहां लोगों की एक बहुत बड.ी संख्या गरीबी की रेखा के नीचे रह रही हो, श्रम शक्ति काम के बिना नहीं रह सकती क्योंकि भूख दैत्य लगातार उसे सताता रहता है और वे अर्थात् श्रमिक मजबूर होकर कोई भी काम करने के लिये तैयार हो जाते हैं; काम के बदले उन्हें कितना कम मेहनताना मिलता है, यह बात सोचने की स्थिति में भी वे नहीं होते । दूसरे शब्दों में एक गरीब व्यक्ति अपने घर में निद्वला बैठ ही नहीं सकता, उसे बेरोजगारी रास ही नहीं आती। जो लोग रोजगार में लगे होते हैं उनमें भी एक तिहाई गरीब होते हैं, हम इसे एक विडम्बना ही कहेंगें। पूरी जनसंख्या में गरीब लोगों का न्यूनाधिक यही अनुपात है। गरीब परिवार के साथ सम्बन्ध रखने वाले एक बेरोजगार को जो बहुत अधिक पढ़ा लिखा होता है और जिसमें कारोबारी योग्यताएं भी कम नहीं होती, मजबूर होकर ऐसा रोजगार स्वीकार करना पड़ता है जो उसकी योग्यता के स्तर से कहीं कमतर होता है । वह भले ही रोजगार में हो पर उसकी हालत एक समृद्ध परिवार के बेरोजगार व्यक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक बदतर होती है । इसलिये हमारे लिये यह बात समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे देश में बेरोजगारी की स्थिति कितनी अधिक भयानक है और यह किन 'बुलंदियों' को छू रही है । घोर दरिद्रता तथा रोजगार-बेरोजगारी-अर्धरोजगारी के बीच के सम्बन्धों को समझना तथा उसे रेखांकित करना भी जरूरी है।

रोजगार पर लगे लोगों का सर्वेक्षण करते समय रोजगार की गुणवत्ता पर विचार करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे विकासशील देशों में रोजगार की गुणवता को क्षति पहुंचा कर रोजगार का अनुमान बढ़ा चढ़ा कर लगाया जाता है और अर्ध रोजगार की भयावहता को कम करके देखा जाता है। एस.पी. गुप्त समिति की रिपोर्ट के प्राक्कथन में भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने रेखांकित किया है, 'टास्क फोर्स' (आहलूवालिया समिति) ने शायद अर्ध रोजगारी के पिछले बैकलाग के अम्बार को नहीं देखा जो उतना ही खतरनाक एवं विनाशकारी हो सकता है जितना खुली बेरोजगारी।'

बाहर से काम कराने की प्रक्रिया

पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली दिन प्रतिदिन गहरे संकट की दलदल में धंसती चली जा रही है; उसकी अपनी व्यवस्था ही उसे नष्ट करती चली जा रही है। उसके बाजारों में ठहराव अथवा निश्चलता की स्थिति बनी हुई है और निश्चलता के

इस बावरोले ने कारोबारी जगत के दैवों यहां तक कि जी-8 देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। संकट का बोझ अपने कंधों से उतार कर वे श्रमिक वर्ग के कंधों पर डाल रहे हैं और इसके लिये वे एक के बाद दूसरा श्रमिक विरोध ी घिनावना हथकण्डा अपना रहे हैं । उनका लाभ कहीं कम न हो जाए इससे बचने के लिये वे पूंजीवाद समर्थक सत्ताध ारी वर्गों से भारी भरकम रियायतें-सुविधाएं लेते चले जा रहे हैं। रोजगार का अस्थायीकरण ही नहीं बल्कि आकस्मीकरण कर देना उनकी बर्बर कार्यशैली का एक अंग है । दूसरे शब्दों में यह अब एक भूमण्डलीय घिनावनी कार्यशैली बन चुकी है। इसके लिये ये लोग पुराना घिसापिटा पूंजीवादी राग यदाकदा अलापा करते हैं। यह राग है-'उत्पादकता' को बढ़ाना, 'लागत मूल्य प्रभावी होने चाहियें' और बाजार में 'प्रतिस्पर्धी' बने रहना इत्यादि। असलियत क्या है ? यह राग सुना कर वे श्रमिकों के कंधों पर काम का और अधिक भारी बोझ डाल देते हैं। उन्हें बहुत ही कम पैसे देते हैं, नौकरी की सुरक्षा की बात ही नहीं करते और सामाजिक सुरक्षा की तो बात ही मत कीजिये।

कारोबारी जगत में बाहर से काम कराने की प्रक्रिया अर्थात् बी पी ओ का आरम्भ 1990 के दशक में हुआ था। पहले छोटे मोटे काम ही बाहर से कराए जाते थे जैसे डाटा एंटरी, मैडिकल ट्रांसक्रिप्शन और छोटे काल सेंटर्स के काम इत्यादि; अब इस मामले में जबरदस्त परिवर्तन आ चुका है। वर्तमान में इंजीनियरिंग, वित्तीय शोध, पेरोल तथा लेखा सेवाएं, बीमा सम्बन्धी दावे, आर एण्ड डी आप्रेशन्स के लिये तकनीकी सहायता, चिप डिजाइन, टैली मार्किटिंग और यहां तक कि साफटवेयर सेवाएं जैसी सूचना प्रौद्योगिकी की अत्यंत परिष्कृत सेवाएं भी बाहर से कराई जाने लगी हैं ।' बी पी ओ का वर्गीकरण 'आधुनिक उद्योग' की एक शाखा के रूप में किया जाने लगा है। यह अपेक्षा की जाती है कि यह अगले पांच वर्षों तक 140 अरब अमरीकी डालर वाला उद्योग बन जाएगा। वर्तमान में 500 बड़े अमरीकी उद्यमों जो उस समय भी थे, में से एक चौथाई निगम अपना काम बाहर से करा रहे हैं। अमरीकी समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार 'पिछले दो वर्षों में बाहर से काम कराए जाने के कारण लगभग 25 लाख रोजगारों की क्षति हो चुकी है । उनके अपने अनुमान के अनुसार इनमें से 5,60,000 रोजगार अत्यंत कुशल व्हाइट-कालर रोजगार हैं । फोरेस्टर रिसर्च इंक ने कहा है कि अगले 15 वर्षों में 'लगभग 33 लाख व्हाइट-कालर रोजगार अथवा काम बाहर से कराए जाने लगेंगे और 136 अरब अमरीकी डालर के वेतनों की राशि बाहर से काम कराने पर खर्च होने लगेगी।' (ई एफ 15.07.03)

बी पी ओ वास्तव में ही श्रमिक वर्ग पर दुष्प्रभाव डाल रही है, उस देश में भी जहां का काम बाहर से कराया जाता है और उस देश में भी जहां पर दूसरे देश का काम कराया जाता है। यह रोजगार तथा पारिश्रमिक दोनों पर दुष्प्रभाव डाल रही है।

बी पी ओ श्रमिक वर्ग के शोषण एवं उत्पीड.न का हथकण्डा बन चुका है। प्रबन्धन को सलाह देने वाली फर्म इंडिक्टिस द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार ' अमरीकी कम्पनियां भारत से काम करा कर प्रति वर्ष अरबों डालर बचा लेती हैं । अमरीका के बैंकिंग उद्योग ने ही अकेले पिछले चार सालों में अपना काम बाहर अथवा भारत से करा कर 8 अरब डालर से अधिक राशि की बचत की है । बाहर से काम कराने वाली अर्थ व्यवस्थाओं में सबसे अधिक लाभ में रहने वालों में अमरीका की बहुराष्ट्रीय कम्पनियां ही हैं । उदाहरण के लिये अकेली जी ई ने बाहर अर्थात् दूसरे देशों के 18,000 कर्मचारियों से काम लेकर प्रति वर्ष 35 करोड. डालर से अधिक राशि की बचत की है । 1ध्4 बिजनस लाइन 19. 4. 03 1ध्2 अमरीका तथा भारत में दिये जा रहे वेतनों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि ' भारत में इंजीनियर लगभग 5,000 से लेकर 10,000 अमरीकी डालर कमाते हैं, उसकी तुलना में अमरीका में वे कम से कम 50,000 अमरीकी डालर कमा लेते हैं ।' (एफ इ 15.07.03)

बेरोजगारी की भयानक समस्या का सामना करने के लिये अमरीका के श्रमिक वर्ग तथा श्रमिक आंदोलन ने बी पी ओ के खिलाफ संघर्ष में अपने बाजू लहराने शुरू कर दिये हैं । वे उन कम्पनियों का काफिया टाइट कर रहे हैं जो सीध ो ठेके देकर अपना काम विदेशी श्रमिकों से कराती हैं। श्रमिकों की ओर से न्यूयार्क में एक कम्पनी वाल्डरोफ-आस्टोरिया के के आगे प्रदर्शन किया गया, उस समय वहां आऊट सोर्सिंग कान्फ्रेंस चल रही थी; यह जुलाई 03 के पहले सप्ताह की बात है । सिएटल में शहर के चैम्बर आफ कामर्स के सामने जहां स्थानीय अधिकारी बाहर से काम कराने वाली

एग बरतानवी कम्पनी के साथ बैठक कर रहे थे, एक रैली का आयोजन किया गया था । प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में तख्तियां उठाई हुई थीं जिनमें लिखा था : 'हम जातिवादी नहीं हैं, हम विदेशियों से घृणा अथवा द्वेष नहीं करते, हम कट्टरपंथी भी नहीं हैं; हम विस्थापित अमरीकी श्रमिक हैं ।' 'हमारे महान देश में विदेशियों का उपयोग गुलामों एवं मजदूरों के रूप में किया जा रहा है । यह हमारे लिये लज्जा का विषय है, इससे हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिल रही है ।' (बिजनस स्टैंडर्ड 16.6.03) इन्हीं विरोध प्रदर्शनों से प्रभावित होकर न्यू जर्सी, वाशिंगटन, मेरिलैंड, कोनेक्टिकट तथा मिसूरी जैसे अमरीकी राज्यों से सम्बन्ध रखने वाले सीनेटर्स ये विधेयक लाने के लिये प्रेरित हुए थे जिनमें उन्होंने मांग की थी कि बाहर से काम कराने के मामले में राज्य सरकारों पर पाबन्दी लगाई जाए।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भ्रम

सरकार इन दिनों जोरशोर के साथ प्रचार कर रही है कि देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह अधिक से अधिक होने के फलस्वरूप देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी और उसे आशा है कि उसके चलते देश में रोजगारों के नये अवसर खुद ब खुद पैदा होने लगेंगे; यह प्रचार खोखला है; झूठा है; इसमें कोई संदेह नहीं। विकासशील देशों के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है; उनके द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारी भरकम रियायतें एवं छूटें दी जा रही हैं; आइ एल ओ ने इसकी तीखी निंदा की है। विकासशील देश पिछले दो दशकों से साम्राज्यवादियों के इशारों पर नाच रहे हैं, वे उनके हाथों में खेलने लगे हैं और उन्होंने बड़े नाटकीय ढंग से अपने बाजारों में विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दाखले पर लगे सभी प्रविबन्ध समाप्त कर दिये हैं; सम्बन्धित देश यह सब अपनी आत्म निर्भरता और देश की आर्थिक सम्प्रभुता के मूल्य पर कर रहे हैं; उन्होंने इन विदेशी कम्पनियों को कर अवकाश, आयात शुल्कों से छूट तथा प्रत्यक्ष सब्सिडियों जैसे प्रोत्साहन दिये हैं; इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आइ एल ओ के महानिदेशक ने कहा है, 'वर्ष 1998 के पश्चात् 103 देशों ने विदेशी निगमों को करों में छूटें दी हैं । यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अत्यंत चलायमान विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिये जारी प्रोत्साहनों की यह जंग कहीं उत्पादन कार्यों को बड़ी आसानी से उन देशों में तबदील न कर दे जो इस दौड़ में बहुत नीचे गिर सकते हैं और वित्तीय प्रतिस्पर्धा एवं पर्यावरण अथवा श्रम सम्बन्धी मानकों के मामले में पहले से ही बदनाम हैं और बहुत नीचे गिर सकते हैं ।' महानिदेशक ने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा, 'उनके यहां राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी को कम करने की नीतियों को लागू करने के लिये उपलब्ध संसाधनों की पहले से ही कमी चली आ रही थी । विदेशी निवेशकों को जो रियायतें दी गई थीं उनके कारण उनके संसाधनों में और अधिक अर्थात् उल्लेखनीय सीमा तक कमी आ गई है।'

प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी –बहुराष्ट्रीय निगम –सम्बन्धित देश में न अधिक विदेशी पूंजी लेकर आए हैं और न ही उन्होंने वहां रोजगारों के अवसर उपलब्ध कराए हैं । इसके विपरीत बहुराष्ट्रीय निगमों ने स्वदेशी पूंजी को चूसा है और रोजगारों की हत्या की है । विकासशील देशों को अपनी प्रौद्योगिकी तथा दूसरी तकनीकी जानकारियां उपलब्ध कराना तो दूर की बात है, उनसे इसकी आशा ही कैसे की जा सकती है ? विकासशील देशों की अर्थ व्यवस्था में निवेश करने तथा रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका पर कराए जा चुके अनेक अध्ययनों के आधार पर कहा गया है, 'लाभों तथा रायल्टियों के वार्षिक निर्यात की तुलना में पूंजी का आयात कहीं कम था; उसके बाद जो निवेश किया गया वह उसी पूंजी में से था जो स्थानीय पूंजी बाजार में से ली गई थी और लाभों के रूप में कमाई गई राशि का ही नए सिरे से निवेश किया गयाकृकृकृबेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिये कोई कोशिश नहीं की गई। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने स्वयं स्वीकार किया है कि साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण बेरोजगारी को बढ़ा रहा है। कोष द्वारा कराए गए अध्ययन 1ध्4 स्लाटर एण्ड स्वागल – 1997 1ध्2 में रेखांकित किया गया है, 'भूमण्डलीयकरण उच्चतर बेरोजगारी रूपी सिक्के का ही दूसरा नाम है।'

इसलिये प्रत्यक्ष पूंजी निवेश शुद्ध रूप में रोजगारों का हत्यारा है, यह तथ्य प्रमाणित हो चुका है । वास्तव में होने वाले प्रत्यक्ष पूंजी निवेश का 75 प्रतिशत धन विलीनीकरणों तथा अधिग्रहणों के माध्यम से आता है, इसका प्रमुख कारण यही है । हमारे देश मे वर्ष्र 1993–94 के पश्चात् विलीनीकरणों तथा अधिग्रहणों 1ध्4 एम एण्ड ए 1ध्2 के लगभग

300 मामले हो चुके हैं । जहां एम एण्ड ए का पिशाच गया वहां उसने बड़े धड़ल्ले के साथ श्रमिकों की छंटनियों के काम को पूरा किया और इसे विभागों की कामबंदी, अल्टरा माडर्न टैक्नीक लाने, उत्पादन की विभिन्न गतिविधियों को एक साथ जोड़ने जैसी कार्रवाईयों के खाते में डाल दिया गया; इसके अतिरिक्त अत्यंत कुशल श्रमिकों को बहुत कम संख्या में भर्ती करके उसके बदले में पहले से काम पर लगे श्रमिकों की भारी संख्या की छंटनी जैसा काम भी किया गया; यह एक कटु वास्तविकता है।

बुनियादी प्रश्न

बेरोजगारी की समस्या मूल रूप से पूंजीवादी समाज की देन है, यह उसके कारण ही पैदा होती है । इसलिये इस समस्या का कोई स्थाई समाधान नहीं हो सकता जब तक इस समाज व्यवस्था को ही बदला नहीं जाता । पूंजीवाद के बुनियादी दुष्परिणामों में से एक दुष्परिणाम, पूंजीवादी संचय के नियम का दुष्परिणाम बढ़ती ही चली जा रही बेरोजगारी है । विश्व भर में कोई भी पूंजीवादी देश इस समस्या से बच नहीं सकता ।' (कामरेड बी टी रणदिवे)

बेरोजगारी के मूल कारणों को दूर करने के लिये अपने अभियान, प्रचार और आंदोलन के साथ-साथ हमें उन लोगों को राहत दिलाने और इसके लिये अंतरिम उपाय कराने के लिये सांगठनिक स्तर पर पहलकदमियां करनी चाहियें जो रोजगार के अभाव में भीषण आर्थिक मुसीबतें झेल रहे हैं । जिन लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता उन्हें तत्काल प्रभाव से बेरोजगारी राहत मिले, इसके लिये कानून बनाने की मांग को पूरा कराने के उद्देश्य से जनमत तैयार करना चाहिये । काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया जाए, इस मांग को लोकप्रिय बनाने के लिये हमें सभी आवश्यक कदम उठाने चाहियें ।

हम पहले ही तीन अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख कर चुके हैं : (1) देश में बेरोजगारों की 60 प्रतिशत संख्या का सम्बन्ध कृषि क्षेत्र से है, (2) आर्थिक ठहराव की स्थिति होने के कारण यह संख्या कम होकर लगभग 57 प्रतिशत रह गई है और (3) लगभग 75 प्रतिशत बेरोजगार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। यह स्थिति आमूल भूमि सुधारों की हमारी मांग को मजबूत बनाती है। सफल भूमि सुधार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, इसके फलस्वरूप रोजगार के और अधिक अवसर सुलभ कराए जा सकेंगे, लोगों की क्रय अथवा खरीदारी करने के शक्ति बढ़ सकती है और इस प्रकार बाजार की निश्चलता अथवा ठहराव और उससे जुड़ी अनेक दूसरी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है ।

वर्तमान संदर्भ में बेरोजगारी की समस्या केवल मात्र बेरोजगार नौजवान और छात्रों की ही समस्या नहीं रही जैसा कि और विशेष रूप से वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय क्रांति का युग शुरू होने से पहले तथा पूंजीवादी अर्थ व्यवस्थाओं के वर्तमान चरण का संकट गहरा होने और साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियां शुरू होने पर इस समस्या को देखा और समझा जाता था। वर्तमान में कामबंदियों, तालाबंदियों, जबरी छुट्टियों अर्थात् ले-आफ, पुनर्गठन, विलीनीकरण एवं अधिग्रहणों, औद्योगिक इकाईयों एवं सरकारी विभागों में श्रम शक्ति का आकार घटाने जैसी कार्रवाईयां करके लाखों श्रमिकों को काम से निकाला जा रहा है और ये लाखों श्रमिक रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं । बेरोजगारों की बढ़ती या दूसरे शब्दों में बढ़ाई जा रही संख्या बेरोजगारी की समस्या को और अधिक भयानक बनाने में अपना योगदान दे रही है।

श्रमिक संघों की पहलकदमी

बेरोजगारी की समस्या को एक प्राथमिक कार्य के रूप में हाथ में लेना हमारे श्रमिक आंदोलन के लिये एक बहुत ही जरूरी तथा महत्वपूर्ण कार्य है । कामरेड बी. टी. रणदिवे ने वर्षों पूर्व लिखा था, 'सार्वजनिक क्षेत्र को भंग करने और अंधाधुंध निजीकरण करने और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारत के बाजारों में दाखिल होने के लिये उत्साहित किये जाने की नीतियों एवं कार्रवाईयों का पूरी शक्ति के साथ विरोध किया जाना चाहिये और यह रोजगार की स्थिति के

लिये एक भयानक खतरा है। इन घटनाओं ने श्रमिक आंदोलन के लिये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी है, यदि हम बरसरे रोजगार लोगों के रोजगार को बचाना चाहते हैं तो हमें इस चुनौती को स्वीकार करना ही होगा।' वर्तमान स्थिति उससे कहीं अधिक खराब और चौंका देने वाली है जब कामरेड बी टी आर ने उपरोक्त पंक्तियां लिखी थीं। जब हालत इस कदर बिगड. चुके हों तो श्रमिक आंदोलन को उचित पहलकदमी करनी ही होगी, उसे बेरोजगारी में तेज गति से हो रही वृद्धि को रोकने के लिये अपनी पूरी शक्ति के साथ लगातार एक संयुक्त जनवादी आंदोलन चलाना होगा।

एक ऐसे समय में जब बेरोजगारी की समस्या सामाजिक विस्फोट होने कागार पर पहुंच चुकी हो और उसने हमारे देश में समाज की सभी श्रेणियों को अपनी चपेट में ले लिया हो, वे रोजगार पर लगे लोग हों या बेरोजगार, शहरों में रहने वाले हों या ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुष हों अथवा महिलाएं, श्रमिक, किसान, छात्र तथा नौजवान-श्रमिक वर्ग को चाहिये कि वह इसे गम्भीरता से ले और 'रोजगार विहीन विकास' की कोष-बैक द्वारा प्रस्तावित नीति के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी संयुक्त जन आंदोलन चलाने की दिशा में पहलकदमी करे। इस प्रकार की पहलकदमी किये जाने के फलस्वरूप ही श्रमिक वर्ग तथा जनवादी आंदोलन में एक जीवंत सम्पर्क स्थापित हो सकेगा। श्रमिक संघों पर आरोप लगाया जाता है कि वे अर्थवाद का शिकार हो गए हैं, यदि हमारी ओर से इस प्रकार की पहलकदमी की जाती है तो इस आरोप को पूरी शक्ति के साथ झुठलाया जा सकेगा।

बेरोजगारी लोगों की जिस श्रेणी पर अपना सबसे अधिक दुष्प्रभाव डालती है, उसमें राष्ट्रीय घटनाओं को प्रभावित करने की जबरदस्त क्षमताएं हैं, दूसरे शब्दों में यह उसे प्रभावित करने वाला एकमात्र मुद्दा है, श्रमिक आंदोलन को यह बात समझनी ही होगी। यहीं पर बस नहीं, यह समस्या देश की जनसंख्या के एक विशाल बहुमत पर अपना विनाशकारी दुष्प्रभाव डालती है। इसलिये बेरोजगारी की समस्या एक ऐसा बिंदु है जिसे आधार बना कर हम प्रगतिशील, जनवादी तथा दलित लोगों की सभी श्रेणियों को एकजुट कर सकते हैं।

क्योंकि इस बुराई की जड़ पूंजीवाद है और साम्राज्वादी भूमण्डलीयकरण का उसका वर्तमान चरण इस समस्या को बद से बदतर बनाने वाला एक प्रमुख कारक है इसलिये श्रमिक वर्ग द्वारा की गई पहलकदमी से चलाया गया एक सफल जन आंदोलन ही पूंजीवादी समाज व्यवस्था को जोरदार चुनौती दे सकता है; वही इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिये आगे आ सकता है । इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन प्रमुख महासचिव बुतरस घाली के वक्तव्य का उल्लेख करना उचित होगा, 'यदि आप बेरोजगारी, सामाजिक सौहार्द के समाप्त होने और भूमण्डलीय समस्याओं का कोई समाधान ढूंढ नहीं सकते तो आप निश्चित रूप से नयी-नयी क्रांतियां होते देखेंगे और विश्व व्यवस्था भयानक सीमा तक बिगड़ जाएगी ।'

सी आइ टी यू ने दूसरे औद्योगिक महासंघों के सहयोग से अप्रैल, 1990 में दुर्गापुर में 'काम के अधिकार' पर एक सम्मेलन का आयोजन किया था, उस सम्मेलन ने देश में सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन के भीतर एक जबरदस्त उत्साह एवं जोश का संचार किया था। दुर्गापुर सम्मेलन की सफलता ने दूसरे केन्द्रीय श्रमिक संगठनों का ध्यान भी इस ओर खींचा था। वास्तव में उसके पश्चात् नयी दिल्ली में एक और सम्मेलन का आयोजन किया गया था; उस सम्मेलन में दूसरे केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने भी भाग लिया था। तथापि हम विभिन्न कारणों के चलते इस पहलकदमी को और आगे नहीं बढ़ा पाए थे। फिर भी बेरोजगारी की समस्या आज जितनी विस्फोटक हो चुकी है और इसके कारण स्थिति इतना भयानक रूप ले चुकी है कि श्रमिक संघों के लिये इस मामले में नये सिरे से पहलकदमी करना आवश्यक हो गया है।

दुर्गापुर सम्मेलन में तीन दिन की बहस के पश्चात् जो दस्तावेज पारित किया गया था उसमें बेरोजगारी की समस्या का बड़े विस्तार में विश्लेषण एवं उल्लेख किया गया था और पता लगाया गया था कि कौन से कारक इस समस्या को विकराल बनाते हैं। उस सम्मेलन में जो निष्कर्ष निकाले गए थे उनमें से अधिकांश आज की परिस्थितियों में भी प्रासंगिक हैं। इसलिये दुर्गापुर सम्मेलन का दस्तावेज आगामी पहलकदमी के लिये जिसकी कल्पना की जा रही है, तत्काल रूप में एक आधार उपलब्ध करा सकता है।

सी आइ टी यू के 11वें महाधिवेशन में बेरोजगारी की समस्या पर कमिशन का दस्तावेज लाया जा रहा है। हमें और अधिक विस्तार में जाकर इस विकट समस्या पर विचार करना चाहिये। इसके लिये साथियों की समझदारी तथा अनुभवों को आधार बना कर यदि हम वस्तुपरक वास्तविकता पर अपना ध्यान केन्द्रित करें तो अच्छा रहेगा । इसके लिये कुछ प्रमुख बिंदुओं का पता लगाया गया है। बहस की प्रक्रिया इन्हीं बिंदुओं के आधार पर चलाई जानी चाहिये।

1. बेरोजगारी विरोधी अभियान के विभिन्न चरणों को चलाने के लिये हमारे संगठन के विभिन्न स्तरों अर्थात् इकाई, जिला, अंचल, राज्य तथा राष्ट्रीय, पर उठाए जाने वाले व्यावहारिक कदम ।
2. हमारी पहलकदमी कैसी होगी और उसका स्वरूप क्या होगा इसका निश्चय करने के बाद हमें वर्गीय एवं जन संगठनों के साथ मिल कर संयुक्त पहलकदमियां करनी होंगी ।
3. इसके लिये हमें विशेष रूप से स्वयं पहलकदमी करनी होगी और हमारा अंतिम लक्ष्य सभी प्रमुख केन्द्रीय श्रमिक संगठनों को इस अभियान में शामिल करना होगा और आगे चल कर हमारी यही पहलकदमी दूसरे जन संगठनों को भी बेरोजगारी के विशेष मुद्दे पर इस संयुक्त आंदोलन में खींच लाने के लिये एक प्रेरक शक्ति का काम करेगी ।
4. इस आंदोलन एवं प्रचार अभियान को तश्णमूल स्तर पर ले जाने और धीरे-धीरे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है; इसकी चरम परिणति लोगों के एक जबरदस्त राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में हो ।

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र

ग्यारहवां महाधिवेशन

'कामरेड पी. राममूर्ति नगर'

9-13 दिसम्बर, 2003

चेन्नई, तमिलनाडू

कमिशन के दस्तावेज

असली सामाजिक सुरक्षा के लिए संघर्ष तेज करो!

20वीं सदी में अनेक देशों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अलग-अलग रुप विकसित हुए। इनमें मजदूरों व आम जनता के विभिन्न तबकों को अलग-अलग स्तरों की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। 21वीं सदी में आकर इन योजनाओं को खत्म करने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अनेक देशों की सरकारों पर इन योजनाओं को रद्द करने या इनमें भारी कटौती करने का दबाव पड़ रहा है। तर्क यह है कि बहुत मंहगी पड़ती हैं, आर्थिक प्रगति बाधक है और प्रतिस्पध र्ा की क्षमता व रोजगार को घटाती है। दूसरी ओर, उदारीकरण व वैश्वीकरण के कारण मजदूरों की बढ़ती संख्या घातक हमलों का शिकार होती जा रही है। औद्योगिक पुर्नगठन के नाम पर मजदूरों की संख्या में बड़े पैमान पर कटौती की जा रही है। अधिक से अधिक मजदूरों को गैर-स्थाई तथा असुरिक्षत रोजगार में ढकेला जा रहा है। अतः सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को मजबूत करने और सुधारने की जरुरत बढ़ती जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा क्या है?

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1ध4आई.एल.ओ.1ध2 की विभिन्न घोषणाओं, कन्वेशनों तथा सिफारिशों में सामाजिक सुरक्षा की परिकल्पना दर्ज है। 1944 के फिलाडेल्फिया घोषणा पत्र में आई.एल.आ. ने दुनिया भर के देशों में ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया जिनमें उन सभी लोगों को, सामाजिक सुरक्षा उपायों के जरिए मूल आमदनी मिल सके, जिन्हें सर्वांगीण मेडिकल सुविधाओं तथा सुरक्षा की जरुरत है। आई.एल.ओ. के कन्वेंशन संख्या 102 में सामाजिक सुरक्षा के न्यूनतम् मानक दिए गए हैं। ये इस प्रकार हैंः 1ध411ध2 मेडिकल देख-भाल 1ध421ध2 बिमारी हित-लाभ 1ध431ध2 बेराजगारी हित-लाभ 1ध441ध2 वश्द्धावस्था हित-लाभ 1ध451ध2 रोजगार के दौरान हताहत होने पर हित-लाभ 1ध461ध2 परिवार हित-लाभ 1ध471ध2 मातश्त्व हित-लाभ 1ध481ध2 पंगु होने पर हित-लाभ तथा 1ध491ध 2 मश्तकों के जीवित परिजनों को हित-लाभ । सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में आई.एल.ओ. कन्वेंशन संख्या 44,103,121,128 तथा 130 में भी प्रावधान दिए गए हैं।

भारत सरकार ने इनमें से किसी भी कन्वेंशन को आज तक अनुमोदित नहीं किया है। कामगारों के मुआवजे से संबंधि त चार अन्य कन्वेंशन हैं 1ध4संख्या 18, 19, 42 तथा 1811ध2 जिसे भारत सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। इन कन्वेंशनों में दर्ज सामाजिक सुरक्षा की परिकल्पना की उत्पत्ति और विकास औद्योगिक रुप से उन्नत पूंजीवादी देशों में हुआ था। पहले सोवियत संघ और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों में मजदूरों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का भी इस पर असर पड़ा था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आई.एल.ओ. द्वारा जिस सामाजिक सुरक्षा की पैरवी की जाती है, वह भारत समेत तमाम विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहाँ काम करने वालों का विशाल बहुमत नियमित वेतन की आमदनी नहीं पाता और यहाँ गरीबी की कहीं गहरी पैठ है। सामाजिक सुरक्षा के बारे में चलने वाले इस विवाद की गहराई में न जाते हुए, यहाँ यह कहा जा सकता है कि

भारत जैसे विकासशील देशों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा की परिकल्पना के लिए एक ज्यादा बड़े पैमाने की जरूरत है जिनमें निम्नलिखित पहलू भी शामिल हों:

1ध411ध2 सरकार टैक्स उपायों या बजट के खर्चे द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से पोषित सामाजिक सहायता जो अभाव ग्रस्त तबकों की ओर लक्षित हो।

1ध421ध2 गरीबी कम करने, रोजगार बढ़ाने और आमदनी सुनिश्चित करने के उपाय। इसके लिए गरीबों की आमदनी, सम्पत्ति और रोजगार को सुधारने की चहुमुखी नीति की आवश्यकता है। इससे सामाजिक यहायता पर पूरी तरह से निर्भर जनता की संख्या भी कम होगी।

1ध431ध2 निजी बीमा यानि आज की आमदनी का एक हिस्सा कल की जरूरतों व खतरों से निबटने के लिए अलग करके बचाना। यह सिर्फ वही कर सकते हैं जो रोजगार में आमदनी पर रहे हों और उसमें से बचत करने की क्षमता हो। यहाँ क्रॉस-सब्सिंडी 1ध4यानि एक तबके की बचत से दूसरे तबके को लाभ पहुँचाने।ध2 की बात नहीं हो रही है। 41ध2 सामाजिक बीमा, जैसे ऊपर 1ध431ध2 में मगर क्रॉस-सब्सिडी के साथ। ई.एस.आई. तथा पेंशन योजनाएँ इसी प्रकार काम करती है।

'अधिक और बेहतर सामाजिक सुरक्षा' :

आई एल ओ 1999 में जेनेवा मे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में आई.एल. ओ. के महामंत्री ने अपनी रिपोर्ट में कहा-''इन घटनाओं के चलते सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने व सुधारने की जरूरत है न कि कम करने की। ऐसी दुनिया में जहाँ सामाजिक बेदखली बढ़ती जा रही है, सामाजिक सुरक्षा के समर्थन में तर्क उतने ही जायज हैं जितने पहले। आर्थिक संकट के असर को कम करने की जरूरत निश्चित तौर पर उतनी ही है; एशियाई वित्तीय संकट, आर्थिक कटौती से पैदा होने वाले सामाजिक विनाश का एक उदाहरण है। शहरीकृत होते सामाजों पर इसका खास असर पड़ता है, जहाँ सामाजिक सुरक्षा के पारम्परिक तरीके खत्म हो गए हैं, क्योंकि गांवों से शहर की ओर पलायन और शहरीकरण ने विस्तृत परिवारों, बिरादरी और समुदायों पर आधारित समर्थन के अनौपचारिक नेटवर्कों को धीरे-धीरे खत्म कर दिया है।'' रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया: ''चाहे वे कहीं के भी रहने वाले हो, सभी को सामाजिक सुरक्षा और आमदनी की निश्चितता के एक न्यूनतम् स्तर की जरूरत होती है जो उस समाज की क्षमता और विकास के स्तर से तय होती है। यह अपने आप नहीं हो जाता। अनुभव यह दिखाता है कि आर्थिक और जनतांत्रिक विकास पर ही निर्भर रहना अपर्याप्त है। सामाजिक संवाद के माध्यम से हर देश को एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित करनी जरूरी है जो वहाँ की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करे, विशेषतः महिलाओं और अनौपचारिक अर्थतंत्र में काम करने वाले लोगो की।'' उसी रिपोर्ट में पोप जॉन पाल द्वितीय के इस कथन को भी शामिल किया गया है ''यह तय करना आवश्यक है कि, दुनिया भर में सबके भले और आर्थिक व सामाजिक हकों के प्रयोग को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? मुक्त बाजार अपने आप यह नहीं कर सकता क्योंकि ऐसी कई इन्सानी जरूरतें है जिनका बाजार में कोई स्थान नहीं है।''

यह इन्सानी जरूरतें सभी सामाजिक भागीदारों के बाजारी ताकतों की निर्मम क्रूरता के खिलाफ अथक प्रयासों से ही पूरी हो सकती है ताकि गरीबी पर रोक लगे, आमदनी के स्तर बरकरार रखे जाऐं और मेडिकल सुविधाओं व सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

भारत में सामाजिक सुरक्षा की परिस्थिति

कई दशकों से प्रसूति लाभ, ई.पी.एफ., ई.एस.आई. आदि कानून भारत में लागू होने के बावजूद यहाँ की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था में तर्क संगत नीति का अभाव है तथा सोच के स्तर पर शून्यता है।

श्रम बाजार के सुधार के संदर्भ में कई बार 'सामाजिक सुरक्षा कवच' की चर्चा होती है। मगर भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नजरिया नहीं अपनाया है ।

नौवीं पंच-वर्षीय योजना (1997-2002) के लिये बने श्रम नीति सम्बन्धी वर्किंग ग्रुप ने सिफारिश की थी कि सामाजिक

सुरक्षा 1६4न्यूनतम्1६2 मानक सम्बन्धी आइ.एल.ओ. कन्वेंशन संख्या 102 1६41952 1६2 का अध्ययन करके इस पंच-वर्षीय योजना में उसे अनुमोदिव करने के प्रयास किये जाने चाहिये। मगर, राज्य सभा में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने कहाः ''समय पर सरकार ने आई.एल.ओ. कन्वेंशन 102 के अनुमोदन के प्रश्न का अध्यन किया। वर्तमान में भारत में बेरोजगारी के संबंध में कोई सर्वागीण सामाजिक सुरक्षा नहीं है। मगर आई.एल. ओ. कन्वेंशन 102 दिए गए अन्य सामाजिक सुरक्षा उपाय, देश में मौजूद विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निहित हैं, विशेषकर ई.एस. आई. योजना। मगर इस योजना का दायरा उतना विस्तश्त नहीं है, जितना कि उक्त कन्वेंशन में सुझाया गया है। विकास की मौजूदा सीढ़ी पर देश के संसाधनों की परिस्थिति इस कन्वेंशन को तुरंत अनुमोदित करने में सहायक नहीं है। 1६ 4अन-स्टार्ड प्रश्न संख्या 1308 1६2 9वीं पंच-वर्षीय योजना के नीति पत्र में योजना आयोग ने सिफारिश की थी कि, ''संगठित व असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। एकीकश्त तथा सर्वागीण सामाजिक सुरक्षा योजना को बनाने के लिए सभी वर्तमान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समेटते हुए एक कानून बनाया जाएगा।'' इस कथन का हवाला देते हुए,राज्य सभा में यह प्रश्न उठाया गया कि सरकार ने उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? 26 जुलाई 2001 को तत्कालीन श्रम मंत्री श्री सत्यनारायण जटिया ने सदन के पटल पर रखे हुए अपने उत्तर में कहाः ''सामाजिक सुरक्षा पर एकीकश्त व सर्वागीण योजना बनाए जाने के बारे में 9वीं पंच-वर्षीय योजना के नीति पत्र की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जाँच पड़ताल करने के लिए श्री एस.के. वध ावन की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा पर एक टास्क फोर्स गठित किया गया। मई 2000 में इस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट दे दी। चूँकि टास्क फोर्स की सिफारिशों को मानने से भारी वित्तीय परिणाम होते, अतः गहन अध्ययन के लिए टास्क फोर्स की इस रिपोर्ट को दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग को प्रेषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें जब सरकार को प्राप्त होंगी उसके बाद ही आगे की कार्यवाही जी जाएगी।''

सामाजिक सुरक्षा पर बने टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में यह अलोचनात्मक टिप्पणी दी थीः ''हालांकि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम योजना कई वर्षों से लागू हैं मगर देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में कई कमजोरियां बरकरार है। इनमें से कुछ हैं; किसी सोची समझी योजना या नीति का अभाव, उद्योगों की श्रेणी, वेतन सीमा और रोजगार सीमा को तय कर देने और दायरे में लाने के लिए समान शर्तें न होने के कारण इन योजनाओं के सीमित दायरे, स्वरोजगार करने वालों तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों जिन्हें सामाजिक सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है, को इन योजनाओं के दायरे में न लाना .....''

रोजगार पैदा करना

यहाँ, यह जोर देना जरूरी है कि ''नौकरी या काम होना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है''। मगर यह रेखांकित करना पड़ेगा कि वैश्वीकरण की नीतियां देश को बिलकुल विपरीत दिशा में धकेल रही है, जिसके कारण आर्थिक ढांचे में रोजगार की संभावनाएं तेजी से घटती जा रही है। 'सरकार की आर्थिक नीतियों के परिणामों' का सार देते हुए दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग को इस सच्चाई को मानना पड़ा कि उदारीकरण के बाद के दौर में जितनी नई नौकरियाँ एक 'सीमित क्षेत्र ' में पैदा हुई हैं उससे कहीं ज्यादा कुल मिलाकर खत्म हुई है।

सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में नए रोजगार पैदा करने के मुद्दे में रोजगार/ नौकरियों के स्वरूप को भी ध्यान में जरूरी है क्योंकि हमारे जैसे गरीब देश में जहाँ आम जनता के लिए ''सामाजिक सुरक्षा जाल'' है ही नही, जिन्दा रहने के लिए हर व्यक्ति किसी भी प्रकार का काम करने को मजबूर हो जाता है। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में, योजना आयोग द्वारा गठित रोजगार अवसरों पर टास्क फोर्स ने भी स्पष्ट शब्दों में पिछले एक दशक में रोजगार की तेजी से गिरती गुणवत्ता को पहचाना है। मगर इस गम्भीर सच्चाई के बावजूद रोजगार संबन्धों को और भी कमजोर बनाने की परिस्थिति पैदा की जा रही है जिससे बुनियादी सामाजिक सुरक्षा की स्थिति बद्तर होती जा रही है।

हमारे देश में, जहाँ कुल काम करने वालों का सिर्फ 7; हिस्सा ही औपचारिक आर्थिक ढ़ांचे में है, प्रयास तो यह होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों को औपचारिक ढ़ांचे में लाया जाए। मगर, वैश्वीकरण तो इसके

विपरीत, औपचारिक क्षेत्र के मजदूरों को हटाने की ओर काम कर रहा है।

इस संबध में, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 1ध्4जून 2002 1ध्2 के 'अनौपचारिक आर्थिक ढ़ांचे' के बारे में निकाले गए निष्कर्ष सार्थक होगें:

''सभी सरकारों को ऐसे मैक्रो-इकोनामिक, सामाजिक, कानूनी तथा राजनैतिक ढ़ांचे को तैयार करना चाहिए जिससे लम्बे समय तक चलने वाले, सम्मानजनक रोजगार व व्यवसाय के अवसर बड़े पैमाने पर पैदा करने में मदद मिले। सरकारों को एक गतिशील रवैया अपनाकर आर्थिक व सामाजिक विकास की नीतियों का केन्द्र बिन्दू सम्मानजनक रोजगार को बनाना चाहिए तथा सुचारू रूप से काम करने वाले श्रम बाजार व श्रम बाजार के संसाधनों को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें जानकारी प्रणाली व कर्जा देने वाली संस्थाऐं भी शामिल हों। काम की मात्रा और गुणवत्ता, दोनों को बढ़ाने के लिए लोगों पर पूँजी निवेश करना जरूरी है, विशेषकर जरूरतमन्द लोगों पर। उनकी शिक्षा, कुशलता बढ़ानें कलए प्रशिक्षण, जिन्दगी भर सीखने के अवसर, स्वास्थय व सुरक्षा - इन सब पर निवेश और साथ ही उनकी उद्यमी पहल को बढ़ावा देना जरूरी है। नीतियों व कार्यक्रमों का ध्यान, हाशिए पर धकेले गए मजदूरों व आर्थिक ईकाईयों को आर्थिक व सामाजिक मुख्य धारा में लाने पर होना चाहिए, ताकि उनकी कमजोर व बेदखली की परिस्थिति को बदला जा सके। इसका अर्थ यह है कि अनौपचारिक आर्थिक तंत्र की ओर लक्षित कार्यक्रम 1ध्4जैसे शिक्षा, प्रशिक्षण, सुक्ष्म वित्त आदि1ध्2 को इस तरह बनाया व लागू किया जाना चाहिए , जिससे अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों या आर्थिक ईकाईयों को मुख्य धारा में लाया जा सके, यानि तमाम कानूनी व संस्थागत दायरे में वे भी शामिल हो जाऐं। इन नीतियों व कार्यक्रमों को कारगर समर्थन देने के लिए सांख्यिकी व अन्य शोध कार्यक्रम भी तैयार किए जाने चाहिए।''

साधनों की कमी?

दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी तरफ से इस विषय पर एक अध्ययन ग्रुप बना दिया जिसने एक भारी-भरकम रिपोर्ट बना दी। मगर न तो अध्ययन ग्रुप ने और ना ही आयोग ने अपनी रिपोर्टों में 'भारी वित्तीय परिणामों' के मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए इस पर कोई ठोस राय दी। इस कारण, इन सिफारिशों का भी अन्त बिना किसी ठोस कार्यवाही हुए ही हो जाएगा।

अध्ययन ग्रुप ने सबसे ज्वलंत पहलू को जरूर दर्शाया है। उनकी रिपोर्ट में नोट किया गया है कि विकसित देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का 40; तक सुरक्षा जाल पर खर्च करते हैं। मगर भारत में सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक खर्चा सिर्फ 1.8; है जबकि श्रीलंका में यह 4.7; तथा चीन में 3.8; है। इससे, स्वाभाविक तौर पर आयोग को इस निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाया जाए। मगर ऐसा नहीं होना था। चूंकि आयोग को दिए गए दिशा-निर्देशों में 'श्रम सुरक्षा के न्यूनतम् स्तर' को ही मांगा गया था अध्ययन ग्रुप ने भी अपनी सिफारिशों को समझ-बूझकर कम रखा ''क्योंकि उनके अनुसार देश सामाजिक सुरक्षा के किसी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का खर्चा उठाने की स्थिति में नहीं हैं।'' आयोग की रिपोर्ट ने भी यही राग दोहराया है।

इस संदर्भ में यह दुखः की बात है कि आयोग ने अपनी सिफारिशों में छोटे उद्यमों 1ध्420 से कम कर्मचारी वाले1ध्2 में सामाजिक सुरक्षा के लिए नियोक्ता व कर्मचारियों के अलावा राज्य सरकारों के 2; अंशदान की सिफारिश तो कर दी है। मगर केन्द्र सरकार के योगदान के बारे में कुछ नहीं कहा।
ई.एस.आई. निगम के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए, 23 फरवरी 2002 को प्रधानमंत्री ने कहा कि, ''असंगठित क्षेत्र के लाखों, संभवतः करोड़ों मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा कवच के दायरे में लाना, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है।'' मगर साथ ही, यह भी जोर दिया कि ''अपने बजटीय साधनों पर अधिक बोझ डाले बगैर करना होगा क्योंकि ये साधन हैं ही नहीं'' उन्होंने एक बुनियादी सच्चाई बताने नाम पर कहा कि ''सामाजिक सुरक्षा का मतलब सिर्फ सरकार से पोषित और संचालित सुरक्षा योजनाऐं ही नहीं हो सकता।''
सामाजिक सुरक्षा कवच का मुद्दा भारतीय श्रम सम्मेलन के 38वें सत्र (28-29 सितम्बर 2002) में भी चर्चा के लिए

उठा। सत्र के एजेण्डा पेपर में इस मुद्दे को दर्ज करते हुए ही यह चेतावनी भी लिख दी गयी कि इसमें न्यूनतम् सरकारी भागीदारी वाली स्वावलम्बी तथा स्व-पोषित व्यवस्था विकसित करनी जरूरी है।

क्या यह सच है कि सरकार के पास वित्तीय साधन नहीं है। पिछले तीन बजटों में बड़े उद्योगपतियों व कारपोरेट क्षेत्र को रु० 13,500 करोड़ की सीधी रियायतें दी गयी हैं, अप्रत्यक्ष रियायतें अलग। भारत के टैक्स व सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात दुनियाँ में सबसे कम है। सुधार के दौर में यह अनुपात बढ़ने के बजाय और भी कम हो गया है। टैक्सों की वसूली की बात बजट में की जाती है, वास्तव में वैसा दूर-दूर तक नहीं होता। 31.3.1998 को आयकर, निगमकर, कस्टम डयूटी तथा केन्द्रीय उत्पाद कर की कुल बकाया रकम रु० 47,788 करोड़ थी जो 31.3.1999 तक बढ़कर रु०52,617 करोड़ हो गयी और 31.3.2000 में और भी बढ़कर रु० 62,392 करोड़ पर पहुँच गयी। सभी मदों को मिलाकर टैक्सों की कुल बकाया रकम मार्च 2001 में रु०1,52,897 करोड़ तक पहुँच चुकी थी। इसमें औद्योगिक घरानों का सबसे बड़ा हिस्सा है। सरकार इसको वसूल करने के लिए सख्त कदम उठाने से इन्कार करती रहती है। अमीरों पर टैक्स लगाकर साधन जुटाने के लिए सरकार तके राजनैतिक इच्छाशक्ति नहीं है। अतः साधनों की कमी का बहाना बेबुनियाद है।

जून 2002 में जिनेवा में हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 1ध्4भारत सरकार जिसका हिस्सा थी।1ध्2 ने अनौपचारिक क्षेत्र पर यह नोट किया किः
''सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने ताकि उसमें अनौपचारिक क्षेत्र के वे समूह भी शामिल हों जो अब तक बाहर है।, की प्रमुख जिम्मेदारी सरकारों को ही लेनी पड़ेगी। सूक्ष्म बीमा तथा अन्य समुदाय - आधारित योजनाऐं महत्वपूर्ण तो है मगर उनका विकास ऐसे किया जाना चाहिए कि वे राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार में मेल खाती हों। एकी.त राष्ट्रीय सूमाजिक सुरक्षा की रणनीति के संदर्भ में ही योजनाओं के दायरे को बढ़ाने की नीतियों की पहल की जानी चाहिए।''

सुरक्षा का नया नुस्खा

भारत में वृद्धावस्था में आमदनी की सुरक्षा के सवाल पर, विश्व बैंक ने अप्रेल 2001 में उपदेश देने वाली एक रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक था ''भारत-वृद्धावस्था में आमदनी सुरक्षा की चुनौती''। रिपोट में इस चुनौती के बारे में यह मूल्याकंन दर्ज किया गयाः ''दुनियाँ भर के वश्द्धों का आठवाँ हिस्सा भारत में रहता है। इनका विशाल बहुमत किसी भी औपचारिक पेंशन व्यवस्था के दायरे में नहीं आता। वे अपनी कमाई या बच्चों के समर्थन पर निर्भर है। अनौपचारिक व्यवस्था ना ही पूरी तरह से ठीक है और उन पर बोझ भी बढ़ता जा रहा है। जैसे-जैसे जन संख्या की उम्र बढ़ती जा रही है, वृद्धावस्था में आमदनी सुरक्षा देने की चुनोती भी कठिन होती जा रही है।''

विश्व बैंक की रिपोर्ट ने वृद्धावस्था सामाजिक व आमदनी सुरक्षा 1ध्4ओएसिस1ध्2 रिपोर्ट के 'सुधार के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव' और 2001 के बजट में घोषित 'नागरिक सेवा पेंशन के बड़े सुधार' को नोट किया इनका स्वागत करते हुए, रिपोर्ट इन्हें ''भारत में पेंशन की समस्या को हल करने की इच्छा दर्शाने वाले कदम'' बताया।

इससे पहले विश्व बैंक ने वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा देने के लिए कोई स्तम्भ वाली प्रणाली की रूपरेखा सुझायी थी। इसके तीन मुख्य घटक हैः
1. सामाजिक बीमा के लिए एक अनिवार्य, सार्वजनिक रूप से प्रबंधित, टैक्सों द्वारा पोषित स्तम्भ;
2. वृद्धावस्था की की बचत के लिए एक अनिवार्य, निजी रूप से प्रबंधित, पूरी तरह से पोषित स्तम्भ;
3. ऐसे लोगों के लिए जो वश्द्धावस्था में ज्यादा सुरक्षा चाहते हों, एक स्वैच्छिक स्तम्भ;

मगर, भारत से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट में, विश्व बैंक ने पेंशन क्षेत्र में सुधारों को गति देने तक सीमित रखा। उसका सरोकार सिर्फ निम्नलिखत से थाः
(क) वित्त नीति, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की अपोषित पेंशन योजना में सरकारी बजट का 'चिन्ताजनक' हिस्सा डूब

रहा था;
(ख) भारतीय उद्यमों को दीर्घकालीन बचत की राशि जमा करके उपलब्ध करवाने में संस्थागत निवेशक के रूप में पेंशन फण्डों की महत्वपूर्ण भूमिका; और
(ग) बीमा क्षेत्र का निजीकरण व उदारीकरण जिसके लिए पेंशन नीति में समानान्तर सुधार जरूरी है।
इन मुद्दों की दिशा में 'सुधार' कार्यक्रम बनाने के लिए निर्देश, निम्नलिखित तीन रिपोर्टों में दिए गए:
1. प्रोजेक्ट ओऐसिस (विशेषज्ञ समिति) रिपोर्ट, दिसम्बर 1999;
2. बीमा नियमन व विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) की 'असंगठित क्षेत्र में पेशन सुधारों' पर रिपोर्ट (अक्टूबर 2001)
3. नई पेंशन व्यवस्था पर भारत सरकार का उच्चस्तरीय ग्रुप 1ध्4भट्टाचार्या1ध्2 की रिपोर्ट (फरवरी 2002)

विश्व बैंक ने पहली दो रिपोर्टों की तारीफ कर ही दी थी और तीसरी रिपोर्ट 2001 की बजट घोषणा का स्वाभाविक परिणाम थी।

इन तीनों रिपोर्टों ओर उसके बाद इन पर भारत सरकार द्वारा की गयी कार्य वाही में एक सोची-समझी मगर महत्वपूर्ण कमी है - विश्व बैंक द्वारा सुझाए गए पहले स्तम्भ, यानि एक अनिवार्य, सार्वजनिक रूप से प्रबंधित, टैक्स द्वारा पोषित स्तम्भ, के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। भारत में यह मौजूद ही नहीं है।

भारत के कुल श्रम बल का 90; किसी भी मौजूदा सार्वजनिक पेंशन योजनाओं के दायरे में नहीं आता। विश्व बैंक की रिपोर्ट भी यह मानती है कि इनमें से अधिकांश लोग ''उस मायने में कभी सेवानिवश्त्त नहीं होगें जैसा कि इस शब्द का अर्थ है; वे जब तक शारीरिक रूप से संभव हो काम करते रहेगें। लाजमी है कि उम्र के साथ उत्पादन करने और कमाने की क्षमता घटती जाएगी; बचत या बच्चों की आमदनी के समर्थन के अभाव में उपभोग भी कम होता जाएगा। जीवन स्तर में तेज गिरावट, जो कईयों के लिए तो कंगाली होगी, को रोकना ही भारत में वश्द्धावस्था में आमदनी की सुरक्षा की मुख्य चुनौती है।''

विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत के बारे में यह तथ्य भी नोट किया गया कि, ''भारत में सबसे कम आमदनी की श्रेणी में ऐसे कई परिवार हें जिनके लिए वश्द्धावस्था के लिए बचत करना असंभव है 1ध्4और वे शायद वश्द्धावस्था तक जिन्दा ही नहीं रह पाऐगें1ध्2। जो कुछ साधन उपलब्ध हैं वे रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च हो जाते हैं। थोड़ी बेहतर आमदनी वालों के बीच भी ऐसी बचत योजनाओं की माँग कम होने की संभावना है जिनमें कई दशकों तक बचत की यार्त होती हैकृकृ भारत के सबसे गरीब लोगों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे दीर्घकालीन बचत योजनाओं में शामिल होगें, ओर न ही वे ऐसा करते हैं।''

मगर इसके बावजूद, यह रिपोर्ट आजादी के बाद से चल रही औपचारिक क्षेत्र की योजनाओं को खत्म करने की चाल को सही ठहराती है और (आई.आर.डी.ए.) द्वारा लाए जा रहे निजी पेंशन क्षेत्र के सुधारों तथा नए नियमन ढ़ाँचे को हरी झण्डी दिखाते हुए तर्क देती है कि इससे ''ई.पी.एफ. संगठन की तथा अन्य योजनाओं को काम करने का पुरी तरह से नया वातावरण उपलब्ध होगा''

इन पेंशन क्षेत्र सुधारों का मकसद, बीमा क्षेत्र को खोलने के इस दौर में, निजी पेंशन योजनाओं को चाले करवाना है। इन 'सुधारों' के तीन मुख्य पहलू हैं:
1. 'निर्धारित हित-लाभ (बेनीफिट)' की बजाए 'निर्धारित अंशदान' पर आधारित प्रणाली;
2. सामाजिक सहायता की योजनाओं की बजाए व्यक्तिगत और सामाजिक बीमा योजनाऐं
3. सामाजिक सुरक्षा की संचित राशि को कर्जा बाजार 1ध्4सरकारी व अन्य सिक्यूरिटी1ध्2 से हटाकर शेयर बाजार में लगाना।

इन नुस्खों को 'सामाजिक सुरक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत की उपयुक्त मिली-जुली हिस्सेदारी को तय करने'

का जामा पहनाया जा रहा है। यह अत्यन्त खतरनाक कदम होगा क्योंकि निजी क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा में सिर्फ इसीलिए भागीदार बनना चाह रहा है ताकि उसे पेंशन की विशाल संचित राशि मिल जाए जिसे शेयर बाजार में लगाया जा सके।

नीतियों में यह प्रस्तावित बदलाव, देश के असंगठित श्रम बल की दयनीय हालत और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा के अभाव पर घड़ियाली आँसू बहाने के साथ-साथ लागू करना देश की जनता के साथ एक क्रूर मजाक है।

सामाजिक सुरक्षा पर दुनियाँ भर में हमला

यह सब सिर्फ हमारे देश में ही नहीं हो रहा। साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के तहत पूरी दुनियाँ में सामाजिक सुरक्षा की जड़ें खोदी जा रही हैं। एक सोची-समझी नीति के तहत राज्य अपनी कल्याणकारी भूमिका से पीछे हट रहा है और कमजोर व पीड़ित तबकों को बाजारी ताकतों के हवाले कर रहा है। दुनियाँ भर में पे-एज-यू-गो के आधार पर चलने वाली योजनाओं को निजी कम्पनियों द्वारा संखलित बीमा योलनाओं में तब्दील किया जा रहा है जिनमें कर्मचारियों व मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा कवच खरीदना पड़ेगा।

यहाँ, वाशिंगटन में स्थित सेन्टर फॉर इकोनामिक एण्ड पॉलिसी रिसर्च के सह-निदेशक डीन बेकर से हुए एक साक्षात्कार के अंशों पर नजर डालना उपयोगी होगा। यह साक्षात्कार 'इन्टरनेशनल मॉनीटर' नामक पत्रिका में ''सुरक्षा को कमजोर बनाना - सामाजिक सुरक्षा के निजीकरण के खिलाफ एक चेतावनी'' शीर्षक से छपा था। बेकर के अनुसारः निजीकरण का मतलब है कि किसी केन्द्रीय व्यवस्था या कोष द्वारा सुनिश्चित, निर्धारित हित-लाभ मिलने के बजाय, व्यक्तिगत खाते होगें जिन्हे निजी तौर पर चलाया जाएगा। ऐसा अलग-अलग तरीके से किया जा सकता है। यह सरकार द्वारा संचालित किसी केन्द्रीय व्यवस्था से किया जा सकता है या फिर लोग स्वयं बैंकों, दलालों या वित्तीय एद्योग के पास जाकर कर सकते हैं।

''मुख्य बात यह है कि आपको उन व्यक्तिगत खातों से मिलने वाली रकम पर निर्भर रहना पड़ेगा। आपको, आज की तरह, कोई निश्चित लाभ नहीं मिल मिलेगा। यह इस पर निर्भर होगा कि आपके निवेश से कितना लाभ हुआ है या जिस समय आप सेवानिवश्त हुए उस समय कितना लाभांश मिल रहा है।''

बेकर ने उन गुटों को भी चिन्हित किया किया जो निजीकरण के सबसे दबंग समर्थक हैं। इनमें सबसे आगे तो वे दक्षिणपंथी विचारक है जो सामाजिक सुरक्षा या सरकारी सामाजिक कार्यक्रमों से घ्रणा करते हैं। बेकर के अनुसार 'वित्तीय उद्योग' भी निजीकरण का प्रबल समर्थक है क्योंकि ''उन्हें मालुम है कि इस पैसे पर यदि उनका कब्जा हो गया तो वे अपार धन कमा सकते हैं। अमरीकी सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के खाते 401 के1ध्4एस1ध्2 तथा ऐसे अन्य खातों में जमा राशि का 105; वित्तीय उद्योग द्वारा फीस तथा कमिशन के रूप में लिया जाता है। यदि वे सामाजिक सुरक्षा के एक हिस्से को भी अपने कब्जे में कर लें ताकि 10-15 साल में लगभग डेढ़ से दो हजार करोड़ डालरों के व्यक्तिगत, निजी खाते उनके पास हो तो उस पर सिर्फ कमिशन ही 30 करोड़ डालर बैठेगा।'' उन्होंने उच्च आय प्रोफेशनलों का भी जिक्र किया है जो सोचते है कि ''यदि सामाजिक सुरक्षा टैक्सों के जरिए इकट्ठा किया गया पैसा उनके हाथ लग जाय तो उसे सट्टा बाजार में लगाकर वे सही मायने में अमीर बन जाएगें।''

बेकर ने अमरीका में शेयर बाजार के गुब्बारे का फूटना भी नोट किया1ध्4नासडाक ढह जाना या एनरॉन का दिवालिया होना1ध्2 और कहा,'' इन घटनाओं ने निश्चित तौर उनकी गति धीमी कर दी। अर्थशास्त्र में पी एच डी या उससे भी बड़ी डिग्री लिये लोग ,कांग्रेस 1ध्4संसद1ध्2 सदस्यों के सहायक और अखबरों के लेखक शेयर बाजार के बारे में बेतुकी चीजें मानने लग गये थे। उन्हें सच में यह लगता था कि हर साल 20;की दर से लाभांश मिलता रहेगा। अब जब उन्हें धूल चाटनी पड़ी है तो वे समझ रहे है कि बाजार ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकता है। अब जोश कुछ ठंडा पड़ा है। निश्चित तौर पर अब निजीकरण इस समय एजेण्डा पर नहीं है।''

अन्य देशों में सामाजिक सुरक्षा के निजीकरण का अनुभव पूछे जाने पर बेकर ने उसे 'खराब से लेकर विनाशकारी तक' बताया। उन्होने चिली 1ध्4जहाँ अस्सी के दशक में निजीकरण करके एक मॉडल पेश किया गया1ध्2, ब्रिटेन, अर्जेन्टीना, मैक्सीको तथा कजाकिस्तान का जिक्र किया तथा ब्रिटेन के अनुभव का रंगीन ब्यौरा दियाः '' अमरीका के लिए ब्रिटेन अच्छा उदाहरण है। वहाँ के बीमा बेचने वालों ने धोखा-धड़ी की चालें चलकर ऐसी-ऐसी पॉलिसी बेची जिन पर कभी भरपाई नहीं हो सकती थी। पता चला कि ऐसा कोई लोग है जिन्होने भले विश्वास के साथ अपना पैसा लगा दिया, बीमा कम्पनियाँ अपने वायदों से मुकर गयी और अन्त में सरकार को भरपाई करनी पड़ी। सरकार को सैकड़ों करोड़ डालर का चूना लगा।'' अन्त में उन्होने कहा कि, ''जहाँ भी सामाजिक सुरक्षा का निजीकरण हुआ है सब जगी समस्या पैदा हुई।''

बेकर ने सामाजिक सुरक्षा के निजीकरण के एक और भक्त - विश्व बैंक - को भी आड़े हाथों लिया। उनके अनुसारः '' विकासशील देशों में निजीकरण का बड़ा हिमायती विश्व बैंक ही रहा है। अपनी व्यवस्थाओं का देश कैसे निजीकरण करे इस पर वे गोष्ठियाँ करते हैं। पूरे लातिन अमरीका, केन्द्रीय व पूर्वी यूरोप की संक्रमण कालीन अर्थतंत्र में उन्होने निजीकरण को भारी बढ़ावा दिया है। यहाँ उन्होने बहुत ही घातक भूमिका अदा की है।''

अमरीका का यह चित्र, भारत के लिए एक चेतावनी है। मगर हमारे नीति-निर्धारक किसी भी बुद्धिमानी की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यदि सामाजिक सुरक्षा का निजीकरण अमरीका में नहीं चल पाया 1ध्4जहाँ आवादी का 50; हिस्सा औपचारिक पेंशन योजना के दायरे में है और जहाँ पूँजी बाजार भली-भाँति स्थापित है1ध्2 तो फिर भारत में ऐसे विनाशकारी कदम को उठाना तो आत्महत्या का रास्ता होगा। ऐसी रिपोर्ट मौजूद है 1ध्4जिन्हे अधि.त स्रोतों ने भी सही माना1ध्2 कि भारत का पूँजी बाजार उन 'उड़न छू कम्पनियों' के बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता जो जनता से शेयर पूँजी इकट्ठा करके गायब हो जाती है। पिछले साल इकोनोमिक टाइम्स ने लिखा था कि, ''90 के दशक के अन्त से शेयर या ग्रोथ म्यूचुअल फण्डों ने उचित लाभांश नहीं दिए हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फण्डस् इन इण्डिया के आंकड़ों के मुताबिक अप्रेल, 99 से सितम्बर, 02 के बीच साढ़े तीन साल के अन्तराल में समस्त शेयर फण्ड़ों की धनराशि में रु० 6200 करोड़ का डेप्रीसिएसन 1ध्4गिरावट1ध्2 आयी है।'' म्यूचुअल फण्ड़ संस्थानों के अगुवा यू.टी.आई. की असफलता की दास्तान आज भी उन वरिष्ठ नागरिकों व अन्य लोगों की पीड़ा का स्रोत बनी हुई है जिन्होने अपनी बचत को बेहतर लाभ के लिए शेयर आधारित निवेश में लगाया था।

अतः देश के ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन ने भारत सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि ई.पी.एफ. कोष के 10; हिस्से को 1ध्4शुरू में1ध्2 शेयर बाजार में लगाया जाए। यह मात्र ई.पी.एफ. के केन्द्रीय न्यास बोर्ड में पारित हो गया। बोर्ड ने प्रोजेक्ट ओऐसिस पर कुख्यात दवे कमैटी की रिपोर्ट को भी सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया। मगर उन्हीं प्रस्तावों को अब आई.आर.डी.ए. के माध्यम से दुबारा लाया जा रहा है। अतः यह जरूरी है कि मौजूदा, असंतोषजनक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को खत्म करने के खतरनाक षड़यंत्र को नाकाम करने के साथ-साथ, सरकार पर दवाव बढ़ाया जाए कि देश के सभी मेहनतकशों को असली सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करायी जाए।

यहाँ यह भी नोट करना चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा का निजीकरण करके खोखला बनाने के विश्व बैंक के नुस्खा का पूरी दुनियाँ में प्रतिरोध हो रहा है। हाल ही में, सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं में कटौती किए जाने के खिलाफ फ्रांस में जबरदस्त संघर्ष हुआ। लातिनी अमरीका में भी सामाजिक सुरक्षा के निजीकरण की असफलता के बाद शक्तिशाली आन्दोलन इन नीतियों को पलटने की तथा सामाजिक सुरक्षा के उचित उपाय विस्तृत करने की माँग कर रहे हैं। हाल में इटली में भी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं में कटौती के खिलाफ हड़ताली कार्यवाही हुई। भारत में, तमलिनाडू के सरकारी कर्मचारियों व शिक्षकों की हाल की हड़ताल पेंशन सुविधाओं में भारी कटौती के खिलाफ ही थी।

भारत में चल रहे हमले

भारत में भी मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को खत्म करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं जबकि जरूरत इस

बात की है कि सुरक्षा कवच उन विशाल तबकों पहुँचाया जाए जो वर्तमान योजनाओं के दायरे से बाहर है। उपर हमने देखा कि वित्तीय नीति के दशष्टिकोण से भारत सरकार पेंशन क्षेत्र के सुधार किस दिशा में ले जा रही है। उदारीकरण के वर्षों में मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में आयी भारी गिरावट व बदहाली की और भी हमें गौर करना चाहिए। ई.पी.एफ., ई.एस.आई. तथा पेंशन योजनाओं से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर नीचे प्रकाश डाला गया है।

ई.पी.एफ. की सदस्यता छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों से पता चलता है:

ई.पी.एफ. से बाहर निकलने वाले सदस्यों की संख्या

वर्ष	अनएक्जेम्पटेड प्रतिष्ठान	एक्जेम्पटेड प्रतिष्ठान	कुल
1995-96	11,13,883	1,10,685	12,24,568
1996-97	11,79,311	2,97,002	14,76,313
1997-98	10,15,212	3,31,955	13,47,167
1998-99	15,16,037	5,20,517	20,36,554
1999-00	16,02,110	2,23,741	18,25,851
2000-01	14,26,663	2,20,645	16,47,308
2001-02	15,23,155	5,05,711	20,28,866
कुल	93,76,371	22,10,256	1,15,86,227

1999-01 में हालांकि कुठ कमी आयी मगर 2001-02 में संख्या बढ़कर 1998-99 के स्तर तक पहुँच गयी। जहाँ एक तरफ 1995 के बाद से एक करोड़ से ज्यादा सदस्य योजना के बाहर हो गए, 31 मार्च 2002 मक पेंशन योजना का लाभ लेने वाले सदस्यों की संख्या मात्र 9,33,561 थी जिसमें बच्चों की पेंशन शामिल नहीं हैं क्योंकि वह पति या पत्नि की पेंशन के साथ-साथ ही देय होती है। 1ध्4स्त्रोतः ई.पी.एफ.ओ.की वार्षिक रिपोर्ट।ध्2 कानून के तहत नियोक्ताओं द्वारा अपना अंशदान न दिए जाने के कारण कुल बकाया राशि भी साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। 2001-02 वर्ष के अन्त में कुल बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

एक्जेम्पटेड सैक्टर : रू0 953.04 करोड़
अनएक्जेम्पटेड सैक्टर : रू0 383.20 करोड़
कुल : रू0 573.18 करोड़

इसमें अनएक्जेम्पटेड सैक्टर का 71.23;; तथा एक्जेम्पटेड सैक्टर का 92.48;; हिस्सा वसूला ही नहीं जा सकता ऐसा मान लिया गया है।

ई.पी.एफ.ओ. प्रशासन द्वारा की गई जाँच में यह सनसनीखेज तथ्य सामने आया है कि कुल भागीदार प्रतिष्ठानों का 42.12% हिस्सा वास्तव में ऐसे हैं जिसके एक भी सदस्य की भी कोई बकाया राशि खाते में नहीं है। यह भी पता चला है कि ई.पी.एफ. की कुल सदस्यता का 32.44% हिस्सा ऐसा है जिसने पिछले तीन सालों में एक बार भी अंशदान नहीं दिया जबकि 14.84% सदस्यों का कोई अस्तित्व ही नहीं है (और न ही कभी कोई अंशदान प्राप्त हुआ है)।

1989-90 से ई.पी.एफ. में 12% की दर से ब्याज मिलता था तगर 2000-01 से अब 9.5% पर है (9.5% से 8% की कटौती एक वर्ष के लिए इस वर्ष टाल दी गयी)।

ब्याज दरों में गिरावट का हवाला देकर, ई.पी.एफ.ओ. पेंशन योजना (1995) के अर्न्तगत दिए जाने वाले हित-लाभों में कटौती करने के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। ई.पी.एफ. योजना (1952) में सुधार लाने के लिए संशोधन करने की सिफारिशों पर भारत सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। पेंशन योजना 1995, के तहत आखिरी बार मूल्य-निध ारिण 31 मार्च 2000 को हुआ था। विगत चार बार हुए ऐसे मूल्य-निर्धारणों के फलस्वरूप कुल मिलाकर पेंशन की

राशि में सिर्फ 4% का रिलीफ मिल पाया था। तीन मूल्य-निर्धारण लम्बित चल रहे हैं।

ई.एस.आई. निगम में मजदूरों के प्रतिनिधियों ने लगातार कई मुद्दे उठाए जैसे वी.आर.एस. लेने वालों को स्वास्थय संबन्धी सुविधाऐं उपलब्ध कराना। मगर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली।

स्वैच्छिक रूप से कानून का पालन करने को प्रोत्साहन देने की धोखे भरी चाल के बहाने, कानूनों को लागू करवाने का काम ठप्प पड़ गया है जिससे ई.एस.आई. तथा ई.पी.एफ. दोनों ही प्रष्ठिानों के प्रशासन को गंभीर नुकसान उठाना पड़ा है।

भारतीय श्रम सममेलन के निष्कर्ष

2002 तथा 2003 में भारतीय श्रम सम्मेलन के क्रमशः 38वें तथा 39वें सत्रों में असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा चर्चा में आया। 38वें सत्र में निम्नलिखित निष्कर्ष निकलेः
''मजदूरों के हर तबके तक पहुँचने वाली राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा नीति को आवश्यक रूप से तैयार करना; प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, तथा सभी सामाजिक भागीदारों के उचित प्रतिनिधित्व वाला 'राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्राधिकरण' स्थापित करना; जब तक संतोषजनक सामाजिक सुरक्षा कवच स्थापित नहीं हो जाता, सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के कदमों के लिए सार्वजनिक खर्च में सकल घरेलू उत्पाद का 1 से 2; बढ़ोत्तरी; सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न श्रम कानूनों को इकट्ठा करके एकी.त व सर्वागीण कानून बनाना; सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार, नियोक्ता तथा मजदूर/कर्मचारी तीनों का अंशदान; कल्याणकारी राज्यों में मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा की देखभाल करने का पूरा दायित्व सरकार को लेना जरूरी; मजदूरों के सभी सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी जरूरतों को पूरा किया जाए जैसे, स्वास्थय, बेरोजगारी भत्ता, वश्द्धावस्था हित-लाभ, दुर्घटना मुआवजा, कुशलता का विकास, सुरक्षा आदि; आई.एल.ओ. के कन्वैन्शनों व सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी मानकों को शीघ्र अनुमोदित करना।''

सम्मेलन द्वारा सर्वसम्मति से पारित इन निष्कर्षों के बावजूद, भारत सरकार ने श्रम सम्मेलन के 39वें सत्र में शीघ्र कार्यवाही की रूपरेखा रखना तो दूर उन्ही मुद्दों को दुबारा ख्र्ख के लिए पेश कर दिया। एजेण्डा के दस्तावेजों में सामाजिक सुरक्षा पर राष्ट्रीय नीति बनाने तथा प्राधिकरण स्थापित करने की जरूरत को दुहराया गया, बिना किसी भी प्रकार का ठोस कदम लिए हुए। सामाजिक सुरक्षा पर एकछत्र कानून बनाने की दिशा में भी भारत सरकार ने कोई ठोस सुझाव सामने नहीं रखा है।

सामाजिक सुरक्षा से राज्यों को पूरी तरह से पीछे हटा लेने की दश्ष्टि से, सरकार ने मौजूदा योजनाओं का निजीकरण करने की पहल कर दी है। ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई. योजनाओं से मिलने वाली सुविधाओं को विभाजित करने का काम शुरू हो गया है।

दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने यहाँ तक सुझाव दे डाला कि कामगार मुआवजा कानून के नियोक्ता की जिम्मेदारी वाले आधार को बदलकर सामाजिक बीमा के आधार में बदल देना चाहिए। आयोग ने यह भी सुझाया है कि ग्रेच्युटी भुगजान कानून को ई.पी.एफ. कानून के साथ मिला दिया जाए तथा फिर इसे भी सामाजिक बीमा योजना में बदल दिया जाए। हमें इन हमलों का डटकर मुकाबला करना होगा जो मौजूदा सीमित सामाजिक सुरक्षा को भी खत्म कर दकना चाहते है।

भविष्य का रास्ता

इस समय, सबसे बड़ी जरूरत ऐसी सर्वागीण सामाजिक सुरक्षा नीति की है जो सामाजिक सुरक्षा के हर आयाम को समेटे तथा संगठित या असंगठित, शहरी या ग्रामीण, पुरुष या स्त्री, सभी मेहनतकशों को सार्थक सामाजिक सुरक्षा प्रदान

करे। ट्रेड यूनियन आन्दोलन को इस माँग के लिए मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए।

- इस दिशा में पहला कदम, भारत सरकार द्वारा आई.एल.ओ. के सभी सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कन्वेन्शनों का अनुमोदन होगा।
- इसके बाद, त्रिपक्षीय वार्ता की असली भावना में, गंभीर वार्ता होनी चाहिए जिससे सब के लिए वास्तविक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की योजना तैयार हो।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रशासन तमाम अफसरशाही रुकावटों से मुक्त होना चाहिए, पूरी तरह से इसका जपवादीकरण होना चाहिए जिसमें नीति बनाने से लेकर मजदूरों तक पहुँचाने की व्यवस्था तक हर स्तर पर ट्रेड़ यूनियनों को शामित किया जाना चाहिए।
- ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन को सबके लिए वास्तविक सामाजिक सुरक्षा हासिल करने के लिए एक सशक्त संघर्ष छेड़ना चाहिए।

आइए, इस दिशा में आगे बढ़े।

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र

ग्यारहवां महाधिवेशन

'कामरेड पी. राममूर्ति नगर'

9-13 दिसम्बर, 2003

चेन्नई, तमिलनाडू

कमिशन के दस्तावेज

असंगठित क्षेत्र

प्रस्तावना

1 हमने वर्ष 1994 में पटना में आयोजित सी आइ टी यू के आठवें महाधिवेशन के पश्चात् अंसगठित क्षेत्र के कुछ पहलुओं पर विचार किया था। तब से ही व्यापक गतिविधियों वाला भारत का यह अनौपचारिक क्षेत्र (असंगठित क्षेत्र) भूमण्डलीयकरण तथा आर्थिक उदारीकरण के बढ़ते चले जा रहे खतरों की चुनौतियों का सामना कर रहा है। हम इस दस्तावेज के माध्यम से संक्षेप में उन दो प्रमुख घटनाओं पर विचार करेंगे जो इस अवधि में घटी हैं। एक घटना है-आयातों के मामले में मात्रात्मक प्रतिबंधों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना। दूसरी घटना है- असंगठित क्षेत्र पर विधेयक लाया जाना। तात्कालिक चुनौतियों वाले इन दोनों मुद्दों पर विचार करने से पहले हम अनैपचारिक क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर एक दशष्टि डालेंगे। आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंधों को लगातार हटाया जाना और निजी भागीदारी को बढ़ावा देना रोजमर्रा की बात बन गई है। आर्थिक उदारीकरण की इस प्रकिया का जोरदार पहलू आर्थिक गतिविधियों में राज्य की भूमिका में निरंतर बदलाव आना है। राज्य की भूमिका में असाधारण बदलाव आ चुका है। पहले उसकी भूमिका उत्पादक, नियामक तथा बढ़ावा देने वाली थी। वर्तमान में अर्थव्यवस्था का मार्ग दर्शन राज्य की शक्तियों की बजाए बाजार की शक्तियां अधिक कर रही हैं।

2 पूँजीवादी विकास की समर नीतियां पहले अधिकतर बड़े स्तर पर स्थापित और आधुनिक उद्योगों की ओर उन्मुख होती थीं- सीधे शब्दों में उसे औपचारिक अथवा संगठित क्षेत्र कहा जाता था। अनौपचारिक अथवा असंगठित क्षेत्र को पूरी गम्भीरता से नहीं लिया जाता था। अनौपचारिक क्षेत्र उद्योगों की छोटी एवं लघु इकाईयों की एक बड़ी संख्या, कुटीर उद्योग, परम्परागत तथा सहायक 164 आंसिलरी 162 इकाईयों इत्यादि पर आधारित था; वह अपने पैत्रिक क्षेत्र के कंधों पर सवार होकर अपने अस्तित्व को बनाए रख सका था। पूँजीवादी व्यवस्था का संकट गहरा होने के साथ-साथ अब पूँजीवादी योजनाबंदी तथा शोषण की विधि भी बदल रही है; यह साम्राज्यवादी बुर्जआजी की जरूरतों के अनुसार बदल रही है और वह भी पूँजीवादी व्यवस्था को बचाए रखने के लिये। उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीयकरण का दौर शुरू हो जाने पर उत्पादन के केन्द्रो में जबरदस्त तब्दीलियां आ रही हैं; वे अब विदेशी बहुराष्ट्रीय भूमण्डलीय अर्थ व्यवस्था के अनुरूप स्वयं को ढालते चले जा रहे हैं। अनौपचारिक क्षेत्र जिसकी पहले अनदेखी की जाती थी और जो संगठित क्षेत्र के कंधों पर सवार होकर ही अपने अस्तित्व को कायम रख सका था, उसकी तो बात ही जाने दीजिये; अब उसकी पैत्रिक संस्था (दूसरे शब्दों में संगठित क्षेत्र) का अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ चुका है।

3 संगठित क्षेत्र सार्वजनिक तथा निजी दोनों, को सिकोड़ा जा रहा है; उसे तोड़ा जा रहा है और उसके उत्पादों को मैंन्युफैक्चरिंग के लिये अनौपचारिक क्षेत्र में भेजा जा रहा है 164 दूसरे शब्दों में उसके उत्पादन कार्यो को कम किया

जा रहा है और ये काम उससे छीन कर अनौपचारिक क्षेत्र से कराए जा रहे हैं1ध्2 । इसके लाभ ये हैं-उन्हें उत्पादन के लिये कम मजदूरों की जरूरत होती है; कामकाजी पूँजी की जरूरत भी कम होती है; सस्ती मजदूरी मिलती है; श्रम कानूनों का कोई झंझट उन्हें नहीं होता; सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से भी उनका पीछा छूट जाता है; उन्हें सुरक्षा तथा कारोबारी स्वस्थ्य के लिये जरूरी कदम उठाने नहीं पड़ते; इसके फलस्वरूप बड़े कारोबारी घराने मोटा लाभ कमाते हैं, इसमें संदेह नहीं।

भारत का अनौपचारिक क्षेत्र

4 अनौपचारिक क्षेत्र की अवधारण अब वह नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। यदि कशषि, औपचारिक, प्राथमिक मैन्युफेक्चरिंग तथा सेवा क्षेत्रों को पूरी अर्थव्यवस्था में से निकाल दिया जाय तो शेष क्या बचा रहता है? अर्थशास्त्र के व्यापक दशष्टिकोण से उसका बहुत अधिक अर्थ नहीं रहता । जो बचा रहता है, उसमें भी एकरूपता देखने को नहीं मिलेगी; उसके लक्षण, उसकी प्रकशति भी एक समान नहीं है; भानुमति के इस पिटारे में बहुत ही अलग-अलग किसम की गतिविधियां 1ध्4 उत्पादन की 1ध्2 चलती हैं; बीड़ी, हैंन्डलूम, पावर लूम, ईंट के भट्ठे, खनन, पटाखे माचिस, टैनरी चर्म उद्योग जैसी छोटी एवं लघु इकाईयों, छोटी रसायनिक इकाईयों, वस्त्र, काजू, कॉयर, कालीन, चूड़ियां बनाने वाली इकाईयों, हीरा तराशने वाली इकाईयों जैसी विविध प्रकार के काम धंधे इसी असंगठित क्षेत्र में चलते हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र बहुत व्यापक है। इस अनौपचारिक अथवा असंगठित क्षेत्र में वे श्रमिक भी लगे होते हैं जिन्हें कभी-कभार काम मिलता है, उनके श्रमिक ठेकेदारों के अधीन काम करते हैं, कई स्वः रोजगार पर लगे होते हैं और अनेक गश्ह अधारित उद्योग धंधों में लगे होते हैं। पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग 1ध्4 1967 1ध्2 के अनुसार इन उद्योगों या दूसरे शब्दों में काम धंधों की सूची अंतहीन है।

5 भारत में मजदूरों की एक बहुत विशाल संख्या अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती है। यह संख्या बढ़ती चली जा रही है; 1991 में शुरू हुई उदारीकरण की प्रक्रिया ने इसकी गति को और तेज कर दिया है। श्रम मंत्रालय द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार वर्तमान में 93 प्रतिशत के लगभग श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में है और केवल लगभग 7 प्रतिशत संगठित क्षेत्र में है।

6 अनैपचारिक क्षेत्र हमारी अर्थ व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यही क्षेत्र हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिये उपयोगी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है। यह क्षेत्र अकुशल, अर्ध कुशल तथा यहां तक कि कुशल श्रमिकों की एक बड़ी संख्या को रोजगार उपलब्ध कराता है। निर्यातों में भी इस क्षेत्र का भाग अत्याधिक महत्वपूर्ण है।

7 वर्ष 1994-95 में छोटी एवं लघु इकाईयों की संख्या 25.71 लाख थी जो वर्ष 1998-99 में बढ़कर 31.21 लाख हो गई। इस अवधि में इसका रोजगार 14.65 मिलियन से बढ़कर 17.15 मिलियन हो गया है। वस्तुओं का उत्पादन 2,93,990 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,27,515 करोड़ रुपये जबकि निर्यात 49,481 करोड़ रुपये तक पहुँच गए हैं।

साम्राज्यवादी देशों का लक्ष्य

8 बाजार की तलाश में भटक रहे साम्राज्यवादी देश तथा भारत में उनके बड़े कारोबारी सहयोगी अनौपचारिक क्षेत्र पर निशाने साध रहे हैं; इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं।

9 1956 का औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव भले ही हमारी समस्याओं को दूर करने वाला राम बाण नहीं था पर फिर भी उसमें आत्म निर्भरता, सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण तथा छोटी एवं लघु इकाईयों के क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया था। छोटे तथा लघु क्षेत्र के मामले में कुटीर एवं परम्परागत उद्योगों सम्बन्धी प्रस्ताव 1956 में लाया गया था; इस प्रस्ताव में कहा गया था कि ये इकाईयां व्यापक स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराती हैं और राष्ट्रीय आय के अधि

क समतापूर्ण वितरण की विधि अथवा तरीका सुझाती हैं। क्योंकि ये इकाईयां बड़े औद्योगिक घरानों के साथ होड़ नहीं ले सकती इसलिये प्रस्ताव में उन उत्पादों अथवा वस्तुओं को आरक्षित करने के लिये सुझाव दिया गया था जिनका उत्पादन केवल इसी क्षेत्र में हो और उसमें बड़े घरानों की घुसपैठ न हो । वर्षों से किन्तु विशेष रूप से 1991 तक विभिन्न उद्योगों में उत्पादों की एक बड़ी संख्या (836) को छोटे तथा लघु क्षेत्रों में उत्पादों के लिये आरक्षित रखा गया था।

10 उद्योगों के छोटे तथा लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिये उत्पादों का आरक्षण करने से पहले सरकार की नीति कशषि सहित सम्पूर्ण अनौपचारिक क्षेत्र को बचाने के लिये की थी ताकि बहुराष्ट्रीय निगमों का उसमें अतिक्रमण न हो। इसलिये आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों की नीति लागू की गई थी। नब्बे के दशक तक प्रत्येक वर्ष घोषित आयात नीति के माध्यम से लगभग 10,000 उत्पादों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को जारी रखा गया था। आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के अतिरिक्त सीमा शुल्क भी लगाए गए थे।

11 तथापि, 1991 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में भूमण्डलीयकश्त अर्थ व्यवस्था के नाम पर इस प्रकिया को उलट दिया गया था । वर्ष 1997 में मात्रात्मक प्रतिबंधों के अन्तर्गत आरक्षित उत्पादों की संख्या कम होकर लगभग 4433 रह गई थी और 1999 में यह संख्या और कम होकर केवल 1429 रह गई। उस समय भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के दबाव में आकर और अमरीका के साथ द्विपक्षीय समझौता करके अप्रैल 2000 में 715 उत्पादों से मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त कर दिये थे ओर अप्रैल 2001 में बाकी बचे 7143 उत्पादों से भी मात्रात्मक प्रतिबंध ा उठा लिये गए। इस समय किसी भी उत्पाद के आयात पर कोई प्रतिबंधन नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने आयातों पर लगे सीमा शुल्क को भी कम कर दिया। अथवा उसे पूर्णतया मुक्त कर दिया।

12 उद्योगों के छोटे लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिये उत्पादों के आरक्षण के मामले में 1991 में घोषित आर्थिक एवं औद्योगिक नीति के तत्काल पश्चात सरकार ने उद्योगों के छोटे क्षेत्र के लिये निवेश की सीमा को 35 लाख रूपये से बढ़ाकर 60 लाख रूपये कर दिया और लघु क्षेत्र की इकाईयों में निवेश की सीमा 2 लाख रूपये से बढ़ाकर 5 लाख रूपये कर दी। उसके बाद तो हद ही हो गई। आबिद हुसैन समिति ने अनौपचारिक क्षेत्र के लिये मौत का फरमान ही जारी कर दिया। आरक्षण नीति को पूरी तरह अलविदा कह दिया गया और छोटी तथा लघु इकाईयों में 500 उत्पादों के लिये निवेश की सीमा बढ़ाकर क्रमवार 3 करोड़े रूपये बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा भारत के इजारेदार घरानों को इस क्षेत्र में अतिक्रमण करने के लिये खुला छोड़ दिया गया; वे " अपनी वाणिज्य समझ " के अनुसार जब चाहें इस क्षेत्र में अतिक्रमण कर सकते हैं।

13 विकसित पूँजीवादी देश विश्व व्यापर संगठन के तथाकथित 'मुक्त व्यापार नियमों' के अन्तर्गत भारत दूसरे विकासशील देशों के भी के बढ़ रहे बाजारों पर कब्जा करने की स्थिति में हैं। वे 'व्यापर सम्बन्धी रुकावटों' (टेड बैरियर्स) को कम करके या दूसरे शब्दों में भाड़ा दरों (सीमा शुल्क) में कमी लाकर और उसके साथ गैर-भाड़ा दरों की रुकावटों (मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति एवं उत्पादन के लिये उत्पादों के आरक्षण को समाप्त करके) को दूर करे बड़ी आसानी से यह काम कर सकते हैं।

14 जिन सैकड़ों -हजारों उत्पादों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों तथा आरक्षण को समाप्त किया गया है, उन सब के नाम गिनाना यहां सम्भव नहीं है। उन सभी उत्पादों के मामले में हमारा देश न केवल आत्म निर्भर है बल्कि निर्यातों के लिये अतिरिक्त उत्पादन करने की क्षमताएं भी उसमें विद्यमान हैं। किन्तु अपने उत्पादों का निर्यात करने के लिये उनके बाजार को हासिल करने की सामर्थ्य हमारे भीतर नहीं हैं; इसका कारण है- उनकी संरक्षणवादी नीति और उनकी ओर से डब्लयू टी ओ समणैते के डम्पिंग-विरोधी प्रावधानों का अपने हित में उपयोग करना। हमारा पूरे का पूरा अनौपचारिक क्षेत्र जिसमें कशषि भी शामिल है, आयातों के इस मुक्त प्रवाह के चलते खतरे में पड़ चुका है और हमारा देश आयातों की इस बाढ़ का सामना करने की स्थिति में नहीं है। काम बंदियों तथा बेरोजगारी अब तक एक सामान्य बात बन चकी है।

15 इस स्थिति का सामना करने और सम्पूर्ण अनौपचारिक क्षेत्र को बचाने के लिये हमें अपने संघर्षों में तेजी लानी होगी; हमें मांग करनी होगी कि मात्रात्मक प्रतिबंध लागू किये जाएं और छोटे एवं लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिये उत्पादों को फिर से आरक्षित किये जाए।

असंगठित क्षेत्र पर विधेयक

16 यह रेखांकित करना रुचिकर होगा कि सरकार श्रम कानूनों में संशोधन करने के लिये असंगठित क्षेत्र पर एक विध ेयक लेकर आई थी । उसकी यह कार्रवाई जहां आर्थिक सुधारों के अनुकूल थी वहीं श्रमिक वर्ग के हितों के लिये घातक भी थी।

17 द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के पास दो विचारणीय विषय थे-1ध्4क1ध्2 संगठित क्षेत्र में श्रमिकों से सम्बन्धित कानूनों को युक्ति युक्त बनाने के लिये सुझाव देना और 1ध्4ख1ध्2 असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम स्तर तक संरक्षण मिल सके, इसे सुनिश्चित बनाने के लिये छाता कानून बनाने का सुझाव देना ।

18 आयोग के विचारार्थ विषय देखने में भले ही हानिकारक नहीं लगते हों और भोले भाले मजदूरों को यह प्रभाव देते हैं कि आखिरकार सरकार श्रमिक वर्ग के हित में जरूर कुछ न कुछ करने जा रही है । विशेष रूप से उस समय जब वह भारत में लगभग 93 प्रतिशत श्रम शक्ति जो असंगठित क्षेत्र में काम करती है, की भलाई करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय कानून बनाना चाहती हो । बहरहाल सच्चाई कुछ और कहानी कहती है । यह सब श्रमिकों को बचाने के लिये नहीं किया जा रहा है बल्कि उन्हें शिकंजे में कसने के लिये किया जा रहा है । एक ऐसे शिकंजे में जो बाजार अर्थ व्यवस्था दूसरे शब्दों में इजारेदारों देशी तथा विदेशी दोनों, की जरूरतों को पूरा करने वाला होगा । अब यह कोरी कपोल कल्पना अथवा सिद्धांत का विषय नहीं रहा; यह व्यवहार में हमारे कटु अनुभवों का एक हिस्सा बन चुका है, ये अनुभव हमें पिछले एक दशक से हो रहे हैं । किस प्रकार बड.ी बेरहमी से संगठित क्षेत्र के उद्योगों का सत्यानाश किया गया और लाखों की संख्या में सुरक्षित रोजगारों को क्षति पहुंचाई गई, यह एक कटु वास्तविकता है । इसका परिणाम यह निकला कि असंगठित क्षेत्र का विकास बड. ही भद्दे ढंग से हुआ; भारत के मजदूर वर्ग में गरीबी अधि क से अधिक अपने पांव पसारती चली गई है क्योंकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली सम्पूर्ण श्रम शक्ति को गरीबी की रेखा से नीचे वाले वेतन मिल रहे हैं।

19 इसलिये यह आशा करना हास्यास्पद होगा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये बनाया जाने वाला तथा कथित छाता कानून लाभ के भूखे भेडि.यों अर्थात् इजारेदारों से उनकी थोड.ी बहुत रक्षा करेगा जिनके लिये इस क्षेत्र के किवाड. खोल दिये गए हैं ताकि वे घुसपैठ करके 1991 की औद्योगिक नीति के प्रस्ताव के फलस्वरूप हुए लाभों को हड.प लें। कहा जाता है कि मगरमच्छ के आंसू कभी सूखते नहीं । असंगठित क्षेत्र के मामले में द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट इस कथन को सत्य सिद्ध करती है। यह रिपोर्ट तैयार करते समय इसके विद्वान लेखकों ने खून पसीना एक करके मेहनत करने वाले इन श्रमिकों की दशा का इतना गहरा और दिल दहला देने वाला वर्णन किया है कि एक श्रमिक खुद अपनी खस्ता हालत का बखान इतने जोरदार तरीके से नहीं कर पाए। उसके लिये कोई श्रम कानून नहीं, सामाजिक सुरक्षा नहीं, न्यूनतम वेतन मिलना तो शायद उसके नसीब में ही नहीं हो, उसकी नौकरी की कोई सुरक्षा या गारंटी नहीं हो, वह जब चाहे काम से निकाल दिया जाए और जब चाहे काम पर रख लिया जाए या दूसरे शब्दों में वह पूरी तरह हालात का मारा हो, गरीबी की दलदल में सिर से पांव तक फंसा हो, उसके पास रहने के लिये घर नाम की कोई जगह न हो, उसका कोई पारिवारिक जीवन न हो, सुरक्षा का अभाव ही अभाव हो, अनेक प्रकार की बीमारियों से पीडि.त हो, वह अपनी सेहत के साथ खिलवाड. करने के मजबूर हो-इस शोचनीय स्थिति में रहने वाले श्रमिक के लिये यदि आयोग के विद्वान लेखक टसुए बहाते हैं तो इसे उनका पाखण्ड ही कहा जाएगा । यह बात भी कम रुचिकर नहीं है कि आयोग ने अनेक अध्ययन दलों का गठन किया था । उनमें से एक दल असंगठित क्षेत्र के लिये छाता कानून अर्थात् उनकी सुरक्षा करने वाला, के बारे में अध्ययन करने के लिये बनाया गया था । उस अध्ययन दल ने उसकी

भलाई के लिये अनेक सुझाव दिये थे जिन्हें आयोग ने स्वीकार करने की जरूरत ही महसूस नहीं की। अध्ययन दल ने इस क्षेत्र का प्रस्तुतिकरण गरीबी के चित्र के रूप में किया था। उसने सुझाव दिया था कि इस क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को 1957 के पंद्रहवें श्रम सम्मेलन द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार जरूरतों पर आधारित न्यूनतम वेतन दिये जाएं, रेप्टाकोस ब्रेट मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी कुछ इसी प्रकार का फैसला सुनाया था। किन्तु आयोग ने अपनी रिपोर्ट का जो प्रारूप तैयार किया था उसमें इस सिफारिश को नामंजूर कर दिया गया।

20 28-29 सितम्बर, 2002 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन में बहस के समय श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया था कि असंगठित क्षेत्र के प्रश्न पर विचार करने के लिये शीघ्र ही एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 7-8 नवम्बर, 2002 को किया गया। एक पृथक दल ने छाता कानून पर विचार किया। इस दल की अध्यक्षता डी0 बंदोपाध्याय ने की थी जो अध्ययन दल के भी अध्यक्ष थे। सी आइ टी यू का प्रतिनिधित्व कामरेड पी के गांगुली ने किया था। इस दल ने एक दिन से अधिक समय बहस करने के लिये लगाया, उसके पश्चात् वह सर्वसम्मति से अधोलिखित निष्कर्षों पर पहुंचा था :-

21 क. पंद्रहवें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों और रेप्टाकोस ब्रेट मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए फैसले के आधार पर न्यूनतम वेतनों के भुगतान के लिये कानून में प्रावधान अवश्य किये जाएं। इसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर दिये जाने वाले न्यूनतम वेतन होने चाहियें। न्यूनतम वेतन के मामले में 'फलोर' का उल्लेख उसमें नहीं किया जाना चाहिये।

ख. विशेष रूप से स्वास्थ्य, प्रसूति लाभ, अशक्तता और वश्द्धावस्था के लाभ अवश्य दिये जाने चाहियें । वर्तमान में जारी ई एस आइ योजना तथा भविष्य निधि का दायरा बढ.ा कर उसे पूरे असंगठित क्षेत्र के लिये लागू किया जाना चाहिये।

ग. असंगठित क्षेत्र तथा खेतिहर श्रमिकों दोनों के लिये इस कानून में केवल कल्याणकारी भावना ही न हो अपितु यह कानून उनके रोजगार को नियमित बनाए, रोजगार से होने वाली न्यूनतम आय की गारंटी का प्रावधान उसमें होना चाहिये, वह हायर एण्ड फायर से सर्वथा मुक्त हो और रोजगार सम्बन्धी अनुच्छेदों की रक्षा की गई हो।

घ. योजनाओं को बनाने और उन्हें लागू करते समय श्रमिकों की भागीदारी को जरूर यकीनी बनाया जाए।

ड. सभी निकायों में सेवा योजकों तथा श्रमिक संघों का प्रतिनिधित्व संख्या की दशष्टि से एक समान होना चाहिये । गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों, शिक्षा शास्त्रियों तथा दूसरे चाहवान लोगों के समूहों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये।

च. खेतिहर श्रमिकों के लिये अलग से एक केन्द्रीय कानून बनाया जाना चाहिये। असंगठित क्षेत्र की अन्य सभी श्रेणियों को भी असंगठित क्षेत्र से सम्बन्धित छाता कानून के दायरे में लाया जाए जिनमें उद्योगों के छोटे तथा लघु क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक, गश्ह आधारित उद्योग धंधों में लगे श्रमिक, स्व रोजगारों पर लगे श्रमिक, घरेलू नौकर इत्यादि शामिल हैं। उद्योगों के छोटे और लघु क्षेत्रों के लिये अलग से कोई कानून नहीं होना चाहिये।

22 यहां यह बता देना जरूरी है कि न्यूनतम वेतनों का निर्धारण करने के लिये 15वें आइ एल सी के नियमों के सम्बन्ध में अध्ययन दल की सिफारिशों को रद्द करते समय आयोग ने जानबूझ कर 'फलोर लेवल मिनिमम वेज' का हो हल्ला मचाया था । वह इस मामले को उलझाना चाहता था; और चाहता था कि न्यूनतम वेतन के निर्धारण की कसौटी ही नहीं हो, इसलिये वह इस मामले को टाल देना चाहता था । सरकार इस मामले को फिर से हाथ में लेने के लिये तत्पर है, वह असल में न्यूनतम वेतनों के क्षेत्र में यथा स्थिति को बनाए रखना चाहती है, इसके लिये वह कितने जोरशोर से बातें करती है इसे जाने दीजिये । दूसरे वह खेतिहर श्रमिकों को भी इस छाता कानून के दायरे में ले आई है, उसने ऐसा करके उनके लिये अलग से केन्द्रीय कानून बनाने से इन्कार कर दिया है।

23 यह भी बता देना जरूरी है कि सितम्बर में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन में छोटे एवं लघु क्षेत्रों की समस्याओं पर विचार करने के लिये अलग से एक समिति बनाई गई थी। सेवा योजकों ने मांग की थी कि छोटे एवं लघु क्षेत्रों को सभी श्रम कानूनों से मुक्त करने के लिये अलग से कानून बनाया जाए। किन्तु आइ एल सी ने सर्वसम्मति से इस को ठुकरा दिया था। इस पर भी भारत सरकार ने सेवायोजकों की मांग को मान कर एक और कानून बनाने की कार्रवाई की है।

24 यही नहीं, सरकार की ओर से जारी किये गए विधेयक के प्रारूप में श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसार निकायों में प्रतिनिधित्व के लिये गैर सरकारी संगठनों तथा श्रमिक संघों को एक साथ जोड़ा गया है; सेवा योजकों के प्रतिनिधियों की संख्या उनकी संख्या के बराबर होगी।

25 राष्ट्रीय सगोष्टी में भाग लेने वाले दल ने इन सभी को रद्द कर दिया था और सर्वसम्मति से अपने निष्कर्ष निकाले जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

26 यह देखा जा सकता है कि विधेयक के प्रारूप में जैसा कि श्रम आयोग ने सिफारिश की थी, न्यूनतम वेतन के मामले को पहले की तरह निरर्थक बनाए रखा गया है। उसने हायर एण्ड फायर, रोजगारों की सुरक्षा,रोजगार आय की गारंटी और यहां तक कि सामाजिक सुरक्षा जिसकी मांग श्रमिकों ने की थी, जैसे प्रश्नों पर विचार ही नहीं किया। उसने केवल मात्र त्रिपक्षीय निकायों के गठन तथा दूसरे शब्दों मुद्दों पर विस्तार में चर्चा की है। यह केवल यही दर्शाना चाहता था कि छाता (सुरक्षा प्रदान करने वाला) कानून उनका कल्याण करेगा। वास्तव में, वह उन्हें थोड़े बहुत लाभ भी देना नहीं चाहता और न ह ीवह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बढ़ते कष्टों, दुःख तकलीफों को दूर करना चाहता है जो सुधारों की वर्तमान में चल रही प्रकिया के चलते बढ़त चले जा रहे है।

27 असंगटित क्षेत्र के श्रमिक झूटे छाता कानून के माध्यम से श्रम कानूनों में थोक के भाव किये जा रहे संशोधनों के द्रष्प्रभावों की मार से बचे नहीं रह सकते। सी आइ टी यू तथा दूसरे सभी श्रमिक संगठनों को मिल कर इस नकली एवं झूठे कानून का विरोध करना होगा।

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र

ग्यारहवां महाधिवेशन

'कामरेड पी. राममूर्ति नगर'

9-13 दिसम्बर, 2003

चेन्नई, तमिलनाडू

कमिशन के दस्तावेज

बाल मजदूरी पर कमिशन का दस्तावेज़

सी आइ टी यू बाल मजदूरी के मुद्दे पर पिछले दशक में कई वर्षों तक काम करता रहा है । इस समस्या पर अपनी समझदारी को ध्यान में रखते हुए उसने आइ एल ओ की सहायता से दो परियोजनाओं पर काम किया है । इस समस्या के अनेक पहलू हैं; इनमें वे कारण भी शामिल हैं जिनके चलते कुछ बच्चे काम ढूंढने के चक्कर में श्रम बाजार में ध क्के खाने के लिये मजबूर होते हैं जबकि उन्हीं की आयु के अधिकांश बच्चे पढ़ने के लिये स्कूल जाते हैं; खेलते-कूदते हैं। हमने अनेक राज्यों में बाल मजदूरी पर इन परियोजनाओं को लागू करने के लिये अनेक कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों इत्यादि का आयोजन भी किया था; उनमें वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति के संदर्भ में इस समस्या के समाधान तथा उसमें श्रमिक संघों की भूमिका जैसे प्रश्नों पर विचार किया गया था।

सरकार, आइ एल ओ, अनेक गैर सरकारी संगठन, श्रमिक संघ तथा दूसरे संगठन पिछले दशक में बाल मजदूरी पर अनेक परियोजनाओं पर काम करते रहे हैं । उनमें से कुछेक का उद्देश्य इस मामले में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं तथा जन साधारण में जागरूकता लाना था जबकि कुछ दूसरे संगठनों ने बाल मजदूरों के लिये गैर औपचारिक शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिये काम किया; उनका उद्देश्य था इन बाल मजदूरों के माता-पिता को उन्हें पढ़ने के लिये स्कूल भेजने की प्रेरणा देना तथा इस प्रकार बच्चों को मजदूरी से दूर रखना। यद्यपि अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों ने इस काम के लिये करोड़ों रुपये खर्च कर डाले हैं इस पर भी यह समस्या जस की तस बनी हुई है और देश में मजदूरी करने के लिये मजबूर बच्चों की संख्या में कोई सार्थक कमी नहीं आई। समाज तथा श्रमिक आंदोलन पर बाल मजदूरी के दुष्प्रभावों को देखते हुए हमारे लिये यह जरूरी हो जाता है कि हम बाल मजदूरी की समस्या पर विस्तार में विचार करें और इसे अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों का एक भाग बनाने की विधियों को पता लगाएं। क्योंकि बाल मजदूरी की व्याप्ति असंगठित क्षेत्र में होती है; उदारीकरण की नयी आर्थिक नीतियों का हमला होने के कारण यह बहुत अधिक बढ़ चुकी है और सी आइ टी यू के झण्डे तले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित किये जाने की जरूरत है, इसलिये भी हमारे लिये यह काम महत्वपूर्ण हो जाता है।

बाल मजदूरी का होना नयी घटना अथवा संवृति नहीं है और न ही यह विशेष रूप अकेले विकासशील देशों की समस्या है। अमरीका, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कैनेडा इत्यादि उन्नत पूंजीवादी देशों में भी यह समस्या पाई जा रही है। आइ एल ओ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारी संख्या में अश्वेत बच्चे अमरीका में 'मिठाई की दुकानों' में काम करते हैं।

प्राचीन काल से ही बच्चे घरेलू तथा बाहरी दोनों प्रकार के काम करते चले आ रहे हैं। प्रारम्भिक साम्यवादी समाज में जब पूरे का पूरा मानव समूह अपने अस्तित्व को बनाएं रखने के लिये सांझा संघर्ष करता था, उसके सभी सदस्यों-

महिलाएं, पुरुष, बच्चे तथा वश्द्ध- को अपनी अपनी शक्ति तथा क्षमता के अनुसार उन संघर्षों में भाग लेना पड़ता था। जो भी भोजन इकट्ठा किया जाता उसे सभी में बराबर बांट दिया जाता। उस समाज में किसी का शोषण नहीं होता था और न ही कुछ मुट्ठी भर लोग मेहनत के फल को हड़प कर लेते थे। आगे चल कर मानव समाज विभिन्न वर्गों में बंट गया। वर्गों में विभाजित समाज के बनने के बाद ही मुट्ठी भर लोगों की ओर से बहुसंख्य मेहनतकश अवाम का शोषण किया जाने लगा था ताकि वे उस दौलत को हड़प सकें जिसे मेहनतकश अवाम ने खून पसीना एक करके अर्जित किया था। शोषित जनों के बच्चों को भी अपने माता पिता के साथ काम करना पड़ता था जबकि सत्ताधारी श्रेणियों के बच्चों को औपचारिक ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजा जाता था। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होने तथा वेतनों पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ यह शोषण और अधिक तेज हो गया । महिलाओं तथा बच्चों को भारी संख्या में श्रम बाजार में लाया गया। उन्हें दिन में 12-14 घण्टों तक काम करना पड़ता था, उनकी कामकाजी स्थितियां घोर अमानवीय होती थीं। एंगेल्स ने उनकी शोचनीय कामकाजी स्थितियों का वर्णन अपनी एक सुप्रसिद्ध रचना में किया है जो इंग्लैंड में अठारहवीं शताब्दी में श्रमिक वर्ग की स्थिति पर लिखी गई थी।

भारत में बाल मजदूरी

घर के कामकाज अथवा पारिवारिक व्यापार अथवा कारोबार में माता-पिता का हाथ बठाने वाले किसी भी बच्चे को बाल मजदूर माना नहीं जा सकता। बाल मजदूरी को उस मजदूरी के रूप में पारिभाषित किया जा सकता है जो एक बच्चे द्वारा की गई हो, जो उसे उसके मौलिक एवं दूसरे अधिकारों से वंचित करके उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बुरा असर डालती हो।

भारत के संविधान के अन्तर्गत बच्चों कुछ विशेष अधिकार दिये गए हैं। संविधान की धारा 24 के अनुसार 'चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने अथवा खदान में काम पर रखा नहीं जा सकता और न ही किसी खतरनाक एवं अस्वस्थ्यकर रोजगार में उसे लगाया जा सकता है।'

धारा 39 उन कुछ विशेष नीति सिद्धांतों का निर्धारण करती है जिनका पालन करना राज्य के लिये आवश्यक है--उनमें कहा गया है, 'श्रमिकों, पुरुषों तथा महिलाओं और छोटी आयु के बच्चों के स्वस्थ्य तथा शक्ति का गलत उपयोग नहीं किया जाए और नागरिकों को आर्थिक जरूरतों के कारण उन रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु अथवा शक्ति के अनुकूल नहीं है', और 'कि बच्चों को स्वस्थ्यजनक ढंग से और स्वतंत्रता एवं गरिमापूर्ण स्थितियों में विकास करने के लिये जरूरी सुविधाएं एवं अवसर उपलब्ध कराए जाएं और कि बचपन तथा युवा अवस्था को शोषण से बचाया जाए और नैतिक एवं भौतिक (दूसरे शब्दों में शारीरिक) एकाकीपन अथवा अकेलेपन से उनकी रक्षा की जाए।'

धारा 45 के अन्तर्गत 'बच्चों के निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये और उसमें कहा गया है कि 'राज्य को इस संविधान के लागू होने के दस वर्षों की अवधि में सभी बच्चों को उस समय तक जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिये।'

सरकार ने बाल मजदूरी पर एक समिति (गुरूपदस्वामी समिति) का गठन किया था। समिति ने दिसम्बर 1979 में सरकार से अपनी सिफारिशें की थीं। भारत सरकार ने वर्ष 1987 में बाल मजदूरी पर एक राष्ट्रीय नीति भी लागू की थी।

सरकार की ओर से वर्ष 1986 में 'बाल मजदूरी (प्रतिबंधन एवं नियमन) अधिनियम बनाया था। इस अधिनियम के अनुसार चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कुछ विशेष 'कारोबारों एवं काम की प्रणालियों' में काम पर रखने पर प्रतिबंध लगाया गया था और जिन कारोबारों में बच्चों को काम पर रखने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था उनमें बच्चों की कामकाजी स्थितियों को नियमित बनाया गया था। जुलाई 2000 तक इस अधिनियम के अनुसार 13 कारोबारों अथवा व्यवसायों तथा 57 प्रकार की प्रसंस्करण की इकाईयों में बच्चों को काम पर रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया

था।

इस अधिनियम में अनेक कमियां हैं । यह अधिनियम स्पष्ट रूप से शब्द 'खतरनाक अथवा अस्वस्थ्यकर' को परिभाषित नहीं करता । खतरनाक अथवा अस्वस्थ्यकर समझे जाने वाले कामों तथा काम की प्रणालियों को परिभाषित करने का काम तकनीकी सलाहकार समिति के लिये छोड़ दिया गया । इन दिनों जबकि उद्योगों में प्रौद्योगिकी का विकास तेज गति से हो रहा है, वह गतिविधि जो आज खतरनाक नहीं समझी जाती कल को खतरनाक बन सकती है । इसके अतिरिक्त घोर 'खतरनाक' कारोबार की परिभाषा में केनल शारीरिक खतरे को लिया गया है, उन मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा भावनात्मक खतरों को इसमें शामिल नहीं किया गया जिनका सामना बाल श्रमिकों को करना पड़ता है या करना पड़ सकता है । सत्य तो यह है कि एक बच्चे से उसका बचपन ही छीन लिया जाता है और उसके ऊपर जबरदस्ती जवानी लाद दी जाती है; इसका दुष्प्रभाव उसके मन पर पड़ता है; वह मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक समस्याओं से पीड़ित रहने लगता है । जिन दूसरे कारोबारों तथा काम की प्रणालियों में बच्चों को काम पर रखने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया उनके मामले में भी वर्तमान अधिनियम में यह नहीं बताया गया कि उनमें बच्चों को काम पर रखे जाने के लिये कम से कम आयु क्या होनी चाहिये । और तो और इस अधिनियम को उपयुक्त ढंग से लागू भी नहीं किया गया ।

उच्चतम न्यायालय ने बाल मजदूरी पर अंकुश लगाने के लिये वर्ष 1996 में कुछ विशेष दिशा निदेश दिये थे जैसे बाल मजदूरी (प्रतिबंधन एवं नियमन) अधिनियम के प्रावधानों की धज्जियां उड़ा कर बच्चों को काम पर रखने वाले सेवा योजकों से क्षतिपूर्ति की वसूली करके 'बाल मजदूर पुनर्वास-बनाम-कल्याण कोष' बनाया जाए और उसके स्थान पर परिवार के किसी बालग सदस्य को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए इत्यादि।

बाल मजदूरी के अभिशाप को समाप्त करने के लिये जाहिरा तौर पर की गई इन सभी कोशिशों के बावजूद यह समस्या व्यापक स्तर पर बनी हुई है । खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है, यह एक वास्तविकता है । इस सम्बन्ध में विभिन्न अभिकरणों की ओर से कराए गए सर्वेक्षणों में बाल श्रमिकों की संख्या के अनुमान लगाए गए हैं। आइ एल ओ के अनुसार वर्ष 1996 में देश में काम करने वाले बाल श्रमिकों की कुल संख्या 2 करोड़ 31 लाख 70 हजार थी । हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट के अनुसार 2003 में देश में बाल मजदूरों की संख्या 2 करोड़ थी। कुछ लोगों का विचार है कि स्कूल जाने की आयु वाले सभी बच्चों के बारे में जो स्कूल नहीं जा पाते या जा नहीं सकते, यह मान लिया जाना चाहिये कि वे कोई न कोई काम करते हैं। भारत सरकार के पूर्व श्रम सचिव डाक्टर लक्ष्मीधर मिश्र का अनुमान है कि भारत में स्कूल जाने की आयु वाले बाल श्रमिकों की संख्या 13 करोड़ 50 लाख है; ये बच्चे किसी न किसी कारण से पढ़ने के लिये स्कूल नहीं जा पाते; उन्हें औपचारिक अथवा अनौपचारिक किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं मिलती। बाल श्रमिकों की संख्या भले ही कितनी भी क्यों न हो किन्तु यह तथ्य अपने स्थान पर बना हुआ है कि विश्व भर में बाल श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या भारत में ही है। इस मामले में उसका 'विशेष स्थान' है। अधिकांश बाल श्रमिकों का जमावड़ा असंगठित क्षेत्र लगा हुआ है। भारत में लगभग 90 प्रतिशत बाल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं; अधिकांश बाल श्रमिक खेतीबाड़ी तथा उससे जुड़े काम धंधों में लगे हुए हैं। बीड़ी, ईंट के भट्ठे, खनन, माचिस तथा पटाखे बनाने वाली इकाईयां, निर्माण, होटल एवं रेस्तरां, आटो मोबाइल वर्कशाप्स, कालीन बनाने वाली इकाईयां, तांबे के बर्तन, चूड़ियां, गुब्बारे, रेशम के कीड़ों की देखभाल, घरेलू नौकर, गश्ह आधारित अनेक काम धंधे जैसे पतंग बनाना जैसे अनेक दूसरे क्षेत्रों में बाल मजदूरों की संख्या लज्जाजनक सीमा तक व्याप्त है।

भूमण्डलीयकरण तथा बाल मजदूरी

यद्यपि बाल मजदूरी पिछली कई शताब्दियों से पाई जा रही है किन्तु केवल बीसवीं शताब्दी में ही यह भूमण्डलीय चिंता का विषय बनने लगी है । आइ एल ओ की ओर से 1919 में बाल मजदूरी पर पहली कन्वेंशनें पारित की गई थीं। वर्ष 1973 में कन्वेंशन संख्या 138 पारित की गई जिसके अन्तर्गत 1973 में विभिन्न प्रकार के रोजगारों के कम से कम आयु का निर्धारण किया गया; 1999 में कन्वेंशन संख्या 182 पारित की गई जिसके अन्तर्गत खतरनाक कामों के लिये बाल श्रमिकों की भर्ती करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अमरीका तथा भारत उन अनेक देशों में शामिल

हैं जिन्होंने अभी तक इन दोनों कन्वेंशनों की पुष्टि नहीं की है।

पिछले दशक में बाल मजदूरी के प्रश्न पर लोगों की दिलचस्पी बहुत अधिक बढ़ गई है; संयोगवश इसी दशक में भूमण्डलीयकरण तथा उदारीकरण की नीतियों की शुरूआत हुई थी; यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है; लोगों की दिलचस्पी का प्रकटीकरण अनेक ढंगों से हुआ है या हो रहा है। अनेक विकसित देशों की सरकारें बाल मजदूरी पर चल रही परियोजनाओं के लिये धन देने लगी हैं। जर्मन सरकार ने 1992 में बाल मजदूरी पर आइ एल ओ की प्रौद्योगिकीय सहयोग परियोजना के लिये धन देना शुरू किया था, उसके फलस्वरूप आइ पी ई सी का गठन हुआ। आज लगभग एक दर्जन देश आइ पी ई सी के लिये धन दे रहे हैं।

विकासशील देशों में भी बाल मजदूरी की समस्या की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। उन्नत पूंजीवादी देश गैर सरकारी संगठनों तथा सरकारों द्वारा बाल मजदूरी पर चलाई जा रही परियोजनाओं के लिये भारी धन दे रहे हैं और वह भी भूमण्डलीयकरण के युग में, यह केवल मात्र संयोग नहीं हो सकता। विकसित देश समझते हैं कि विकासशील देशों में बाल मजदूरों से काम करा कर सस्ते में उत्पाद तैयार कराए जाते हैं और इसके बल पर वे विश्व बाजार में उनके उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। अमरीका तथा जमर्नी ने भारत से उन उत्पादों जिन्हें बाल श्रमिकों द्वारा तैयार किया जाता है, के आयात पर प्रतिबंध लगाने सम्बन्धी कानून पारित कर दिये हैं। यदि विकसित देशों में कालीन का निर्यात किया जाना है तो उन पर एक लेबल चस्पा करना होगा जिस पर प्रमाणित किया गया होगा–इन कालीनों को बनाने के लिये बाल श्रमिकों से काम नहीं लिया गया। एस टी ई पी एक लेबल का नाम है; इसे स्विटजरलैंड में कालीन उद्योग के सदस्यों की ओर से शुरू किया गया था। इसके अन्तर्गत 1998 से भारत में कालीन निर्माण के काम का निरीक्षण किया जाने लगा । एस टी ई पी ने एक स्वतंत्र अभिकरण की सेवाएं प्राप्त करके बुनकरों की खड्डियों का निरीक्षण करने का काम उसे सौंप दिया था। यदि इन खड्डियों में कोई बाल श्रमिक काम करता पाया गया तो अभिकरण की ओर से उसकी सूचना निर्यातक को दे दी गई। यदि निर्यातक इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं करता तो उसका पंजीकरण रद्द करके उसका नाम निर्यातकों अथवा प्रदायकों की सूची में से निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार जर्मनी में रिटेलर्स एवं आयातकों की एक संस्था केयर एण्ड फेयर है। यदि कालीन बनाने के काम में बाल श्रमिकों को शामिल होते देखा जाता है तो उस स्थिति में उस प्रदायक अथवा सप्लायर को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। यह लज्जा का विषय है कि हमारी सरकार इंस्पेक्टर राज समाप्त करने के नाम पर निरीक्षणों के जरिये श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा रही है वहीं दूसरी ओर विदेशी अभिकरणों को खुली छुट दे दी गई है कि वे जब चाहें हमारे देश में किसी भी कामकाजी स्थल का निरीक्षण करने के लिये पहुंच जाएं और वह भी अपने आकाओं को संतुष्ट करने के लिये । अपने अपने उत्पादों को बेचने के मामले में इसे हम असमान प्रतिस्पधार्ा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे ?

विकासशील देशों में काम करने वाले बाल श्रमिकों के मामले में विकसित विश्व जिस ढंग से अपनी चिन्ता को व्यक्त करता है, उसका एक और रूप भी है; इसका प्रकटीकरण 'सामाजिक अनुच्छेद' का प्रयोग करके किया जाता है। विकसित देश 'मानवाधिकारों' तथा 'बच्चों के अधिकारों' के नाम पर विकासशील देशों से आयात किये जाने वाले सामान पर नान टैरिफ बैरियर खडे कर देना चाहता है। विकसित देशों के उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिये ही 'सामाजिक अनुच्छेद' की दुहाई दी जा रही है; यह स्पष्ट ही है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें विकासशील देशों से सस्ते में आयात किये गए सामान के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी।

यद्यपि बाल श्रमिकों से सस्ते में काम कराना, उनका शोषण करना और लाभ के भूखे मालिकों की भूख को शांत करने के लिये इन बाल श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित कर देने जैसी हरकतों का किसी भी स्थिति में समर्थन नहीं किया जा सकता और न ही इसे उचित करार दिया जा सकता है फिर भी 'सामाजिक अनुच्छेद' के नाम पर बाल मजदूरी तथा उनके श्रम अधिकारों को व्यापार के साथ जोड़ देना बाल मजदूरी की समस्या का उत्तर नहीं है । वास्तव में, सामाजिक अनुच्छेद का उपयोग विकसित देशों में सेवायोजकों के हितों को बढ़ावा देने के लिये किया जाता है । यहां पर यह रेखांकित करना भी जरूरी होगा कि विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इन दिनों अपना उत्पादन कार्य

विकासशील देशों में कराने लगीं हैं, इसे आऊट सोर्सिंग कहा जाता है, यह काम ठेकेदारों तथा छोटे ठेकेदारों की एक लम्बी चौड़ी श्रृंखला के माध्यम से कराया जाता है और इस चक्कर में सभी श्रम कानूनों को बड़ी बेरहमी से पावों तले रौंद दिया जाता है; काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम वेतन तक नहीं दिये जाते और न ही कामकाजी स्थलों में मजदूरों के स्वस्थ्य एवं सुरक्षा के प्रबन्धों का ध्यान रखा जाता है । यह भी पता चला है कि कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमारे देश में काम करती हैं और धड़ल्ले के साथ बाल श्रमिकों को उपयोग करती हैं। विकसित देशों की ओर से विकासशील देशों में बाल मजदूरी के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके पीछे परोपकार करने की कोई भावना काम नहीं कर रही, यह सोचना भी गलत होगा । वे लोग इस लिये भी यह काम नहीं कर रहे कि उनके यहां अर्थात् विकासशील देशों में ट्रेड यूनियन अधिकारों का उपयुक्त ध्यान नहीं रखा जाता। श्रमिक की स्थितियों में सुधार लाने के लिये श्रमिक संघों को अपने संघर्षों में तेजी लानी होगी, विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिये जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जो आम तौर पर बाल श्रमिकों के अविभावक होते हैं। बाल श्रमिकों को कामकाजी स्थलों में से निकाल कर पढ़ने के लिये स्कूल भेजने का यही एकमात्र ढंग है।

बाल मजदूरी के कारण

बच्चों को काम क्यों भेजा जाता है; आखिर वह कौन-सी मजबूरी है जिसके रहते उनके माता-पिता उन्हें काम पर भेज देते हैं? इसके कारण एक नहीं अनेक हैं, किन्तु सबसे बड़ा कारण गरीबी ही है; यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। असंगठित क्षेत्र में ही सबसे अधिक बाल श्रमिकों से काम लिया जाता है, इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। बाल श्रमिकों के अविभावक अधिकतर असंगठित क्षेत्र में ही काम करते हैं; उन्हें न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलते; उन्हें रोजगार की सुरक्षा तथा समाज कल्याण का कोई भी लाभ नहीं दिया जाता । जब से उदारीकरण की नयी आर्थिक नीतियां शुरू हुई हैं तब से संगठित क्षेत्र सिकुडता चला जा रहा है और असंगठित क्षेत्र फैल रहा है। हमारे देश में कुल श्रम शक्ति का लगभग 93% भाग अकेले असंगठित क्षेत्र में काम करता है। बेरोजगारी तथा अर्ध रोजगारी बढ़ती चली जा रही है। रोजगार वृद्धि की दर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, कम हो चुकी है इसका उल्लेख द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट में भी किया गया है। यदि बच्चों की अधिक से अधिक संख्या काम की तलाश में दर-दर भटकने लगी है और वह भी अत्यंत मामूली वेतन पर तो इसका कारण कुछ और नहीं अपितु रोजगार में कमी आना है।

शिक्षा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक ढांचागत सुविधाओं का अभाव भी बाल मजदूरी होने का एक महत्वपूर्ण कारण है । भारत को स्वतंत्र हुए 57 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो चुका है फिर भी देश में बहुत बड़ी संख्या में गांवों में स्कूलों के लिये उपयुक्त भवनों का निर्माण नहीं किया जा सका; दो से लेकर चार कक्षाओं की भीड़ केवल एक कमरे में जुटा दी जाती है; एक ही अध्यापक से तीन-चार कक्षाओं को एक साथ पढ़ाने के लिये कह दिया जाता है। क्योंकि सरकार ने शिक्षा के खर्च में भारी कटौती कर दी है, इसी लिये यह स्थिति उत्पन्न हुई है । पढ़ने वाले बच्चों की भीड़ बढ़ने पर भी शिक्षकों के अनेक पद खाली पड़े हैं। नियमित रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त करने की बजाए अनेक राज्य सरकारें शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय तथाकथित स्वयं सेवकों को उन स्कूलों में भर्ती कर रही है; उन्हें पढ़ाने की विधियों का कोई ज्ञान नहीं होता और न ही उन्होंने कोई ट्रेनिंग ली होती है, उन्हें केवल एकमुश्त वेतन दे दिया जाता है। इस प्रकार के स्कूलों का पूरा वातावरण ही खराब होता है, वह विद्यार्थियों को आकर्षित नहीं करता, उनमें शिक्षा के लिये उत्साह का संचार नहीं करता; वे स्कूल में रहने की अपेक्षा स्कूल छोड़ कर चले जाने को ही अधिमान देते हैं। बच्चे खाली इधर उधर भटकते रहें या अवारा बन जाएं इसलिये उनके अविभावकों की प्राथमिकता भी उन्हें काम पर भेजने की होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों और उनके साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी जाति सम्बन्धों तथा बाल मजदूरी के बीच एक स्पष्ट सम्बन्ध है। देश की गरीब जनता में एक बहुत बड़ा भाग दलितों तथा आदिवासियों का है। लगभग 60% दलित और 68% आदिवासी खेतिहर श्रमिक हैं, वे गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में 73.45% दलित आकस्मिक (जिन्हें कभी कभार और वह भी अकस्मात काम मिलता है) श्रमिक होते हैं और 76% आदिवासी आकस्मिक श्रमिक गरीब होते हैं। ये श्रेणियां अब भी घोर अपमानजनक और सामाजिक रूप में बहिष्कार जैसी स्थितियों को झेलने के लिये मजबूर हैं। इसके कारण भी दलित

एवं आदिवासी श्रेणियों के बच्चों को बहुत बड़ी संख्या में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ कर स्कूल छोड़ देने के लिये मजबूर होना पड़ता है। देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले दलित एवं आदिवासी बच्चों का प्रतिशत लगभग 40-47 था जबकि दूसरी श्रेणियों में यह 28% था। शहरी क्षेत्रों में दलित एवं आदिवासी बच्चों का यह लगभग 23% था जबकि दूसरी श्रेणियों के मामले में यह 13% था। दरिद्रता, सामाजिक उत्पीड़न जो आज भी चल रहा है और इन श्रेणियों के बच्चों के लिये सहायता के अभाव के फलस्वरूप दलितों और आदिवासियों के बीच में से बाल श्रमिक बहुत भारी संख्या में बनते हैं। प्रायः देखा गया है कि दूसरी श्रेणियों की तुलना में दलितों तथा आदिवासियों में बाल श्रमिकों की संख्या का स्तर दो-तीन गुणा अधिक होता है। देश में बाल श्रमिकों की कुल संख्या का लगभग 40% भाग दलित तथा आदिवासी बच्चों का है जो देश में बच्चों की जनसंख्या में उनके भाग से अधिक है।

पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसके कारण अनपढ़ अविभावकों को अपने बच्चे पढ़ने के लिये स्कूलों में भेजने का हौंसला ही नहीं होता। इसकी अपेक्षा वे सोचते हैं कि बच्चों को परिवार के परम्परागत रोजगार का प्रशिक्षण देना ही ठीक रहेगा । इससे वे कम से कम अपनी रोटी कमाने के योग्य तो हो ही जाएंगे।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों में एक बहुत बड़ी संख्या कामकाजी महिलाओं की होती है; उन्हें कामकाजी स्थलों में शिशु पलना गृह जैसी सुविधाएं नहीं मिलतीं। इसका परिणाम यह होता है कि परिवार के बड़े बच्चों को घर पर ही छोड़ दिया जाता है ताकि वे उस समय अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल कर सकें जब उनकी माताएं काम पर गई होती हैं । प्रायः देखा जाता है कि पुरुष सदस्य अपने वेतन के पूरे पैसे घर में नहीं देते और इसके चलते परिवार की जरूरतें पूरी नहीं होतीं। क्योंकि परिवार की जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है इसलिये उन्हें अतिरिक्त धन जुटाने के लिये काम करना पड़ता है ताकि वे परिवार के बढ़ते खर्चों को पूरा कर सकें। परिवार के खर्चे पूरे करने के लिये उन्हें (कामकाजी महिलाओं को) अपने बच्चों को भी काम पर भेजना पड़ता है। यह भी देखा गया है कि कुछेक राज्यों में जहां दहेज की कुप्रथा जोरों पर है, वहां बालिकाओं को अपना दहेज जुटाने के लिये भी काम करना पड़ता है। वे थोड़े से पैसों के लिये काम करने लगती हैं। उपभोक्तावाद की विभीषिका ने भी दहेज की प्रथा को बद से बदतर बना डाला है। प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में महिलाओं के अश्लील चित्रों का प्रदर्शन किया जाता है, यह इसी का कुफल ही है। भूमण्डलीयकरण की नीतियां शुरू होने के पश्चात् तो इस प्रकार के विज्ञापनों का चलन पूंजीवादी समाज में कुछ अधिक हो गया है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक गरीबी की दलदल में बुरी तरह धंसे होते हैं। परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिये उन्हें अपने मालिकों से कर्ज लेना पड़ता है; कभी कभार तो वे कर्ज के बदले अपने बच्चों तक को मालिकों के पास गिरवी रख देते हैं; आगे चल कर यही बच्चे बंधुआ मजदूर बन जाते हैं । युवा बच्चियों को तो कई बार खाड़ी देशों के शेखों के पास बेच दिया जाता है । ये शेख उन्हें घरेलू नौकरानियां बना कर अपने साथ ले जाते हैं।

दुष्परिणामः

बड़े बच्चों को पढ़ने के लिये स्कूल भेजने की बजाए काम पर भेज देना एक क्रूर एवं अमानुषिक कार्रवाई है, इसमें संदेह नहीं। किन्तु प्रश्न केवल अपनी भावी पीढ़ियों के प्रति समाज की अमानुषिकता और क्रूरता का ही नहीं है। इस समस्या के और भी कई आयाम हैं।

सामान्य रूप में पूरे समाज पर और विशेष रूप से लोगों में बाल मजदूरी की इस कुप्रथा के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता नहीं होने के कारण इस समस्या की गम्भीरता को समझा नहीं जा रहा; इसके चलते भविष्य में राष्ट्र को किन खतरों से दो चार होना पड़ेगा, इसकी अनुभूति नही के बराबर है । बाल मजदूरी का तात्कालिक एवं स्पष्ट दुष्प्रभाव बच्चे के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक जीवन पर पड़ते देखा जा सकता है; उसे समय से सयाना अथवा बालग बन जाना पड़ता है और वह अपना बचपन जी ही नहीं पाता । एक बालग के रूप में भी उसका विकास ठीक ढंग से

नहीं हो पाता। इसके फलस्वरूप भावी पीढ़ी की इस एक बड़ी संख्या के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

बच्चों की उंगलियां क्योंकि बहुत नाजुक होती हैं इसलिये कालीन बुनने का सबसे अच्छा काम बच्चे करते हैं, यह एक धारणा है । इसका परिणाम यह होता है कि कुछेक कामों की पहचान 'बच्चों के कामों' के रूप में की जाने लगी है। इन बच्चों को सामान्य से अधिक घण्टों तक काम करना पड़ता है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस पर भी क्योंकि परिवार में उनकी स्थिति बच्चों वाली ही होती है इसलिये उन्हें काम के बदले बहुत कम वेतन दिया जाता है और उनके काम के मूल्य को बहुत कम आंका जाता है। इसका दुष्प्रभाव बालग श्रमिकों के वेतनों पर भी पड़ता है। बच्चे अबोध ा होते हैं और आज्ञाकारी होते हैं इसलिये वे यूनियन नहीं बना सकते। मालिक लोग इसका भरपूर लाभ उठाते हैं, वे जम कर बाल मजदूरी का प्रयोग करते हैं और इसके दुष्परिणामस्वरूप ये बच्चे घोर शोषण की चक्की में पिसते रहते हैं। मालिक लोगों को बाल मजदूरी के रूप में मजदूरी का एक सस्ता स्रोत मिल जाता है और यह स्रोत उनके नियंत्रण में भी रहता है । वी वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार श्रम विभाग के कुछ अधि ाकारियों ने उन्हें बताया था कि 'मालिक लोग तीन साल के बच्चे को भी रोजगार में रखते समय स्वयं को अपराधी महसूस नहीं करते, वे नहीं समझते कि ऐसा करके वे कोई गलत काम कर रहे हैं; यह बात नहीं कि उन्हें कानून की कोई जानकारी नहीं होती, वे कानून के जानकार होते हैं । क्योंकि बाल श्रमिकों को दस से बीस गुणा तक कम वेतनों का भुगतान किया जाता है इसलिये भी श्रमिकों को प्रतिदिन करोड़ों रुपये की क्षति झेलनी पड़ती है। यह पूरी की पूरी रकम मालिकों की जेब में चली जाती है और वे दिन प्रतिदिन अमीर बनते चले जाते हैं जबकि मजदूरों के परिवार गरीब होते चले जाते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में वे अपने वेतन खो देते हैं । उनकी भूमि तथा उनका दूसरा सामान भी उनका नहीं रहता । वे प्रवासी श्रमिक बनने के लिये मजबूर हो जाते हैं; दूसरे शब्दों में वे इन्हीं कतिपय कारणों के चलते अपना घर बार छोड़ कर रोजी रोटी की तलाश में दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं या आम तौर वे बंधुआ मजदूरों के रूप में काम करने लग जाते हैं । बाल मजदूरी बालग श्रमिकों में बेरोजगारी को और अधिक बढ़ा देती है; उनके वेतनों में गिरावट आ जाती है और गरीबी के साथ उनका सम्बन्ध गहरा होता चला जाता है; वे निरंतर गरीबी की दलदल में धंसे रहते हैं।

वे बच्चे जो बहुत छोटी आयु में काम करना शुरू कर देते हैं और अकुशल श्रमिकों वाला काम करने लगते हैं, वे बालग श्रमिक के रूप में अपनी मेधा का विकास कर ही नहीं सकते और कुशल श्रमिक बन नहीं पाते। देश के भावी नागरिकों का इतना बड़ा भाग उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता एवं प्रौद्योगिकीय प्रशिक्षण प्राप्त किये बिना ही काम करना शुरू कर देता है, उसे भयानक कठिनाईयां झेलनी पड़ती हैं, वे छोटी आयु में ही बीमार रहने लगते हैं और काम करने योग्य आयु के हो जाने से पहले ही इस दुनिया को विदा कह कर चले जाते हैं। यह देश के मानव संसाधनों की भारी क्षति है।

बाल श्रमिकों की स्थितियां

मालिक लोग आम तौर पर बाल श्रमिकों का बड़ी बेरहमी से शोषण करते हैं। सात से लेकर नौ वर्ष के बच्चों को भी अत्यंत खतरनाक कामकाजी हालतों में भी दस-दस घण्टों तक मुशक्कत करनी पड़ती है। तांबे के बर्तन, माचिस की तीलियां तथा पटाखे बनाने, कालीन बुनने, बीड़ी, निर्माण, हीरे तथा कीमती पत्थर काटने एवं पालिश करने, पत्थर की खदानों, ईंट के भट्ठों, स्लेट-पेंसिल बनाने, गुब्बारे बनाने, रेशम के कीड़े पालने जैसे उद्योगों में एवं काम धंधों में काम करते समय उन्हें खतरनाक मशीनों, रसायनों, अतिशय गर्म वातावरण इत्यादि में काम करना पड़ता है और इसके लिये उन्हें सुरक्षा के जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराए नहीं जाते।

उनके वेतन बहुत कम होते हैं । कभी कभार मालिक लोग प्रशिक्षण देने के नाम पर उन्हें वेतन ही नहीं देते, उन पर दया करके थोड़ा बहुत रुखा सूखा खाना उन्हें दे देते हैं; कुछ लोग तो यह कश्पा भी नहीं करते । वी वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने इस सम्बन्ध में एक अध्ययन कराया था उसमें पाया गया था कि बाल श्रमिकों की मासिक आय शून्य से 300 रुपये तक होती है । यह भी देखा गया है कि शिवाकाशी में माचिस एवं पटाखा उद्योग में मालिक लोग आम तौर पर ठेकेदारों के माध्यम से काम करा लेते हैं और ये ठेकेदार उनके अविभावकों को बहुत कम पारिश्रमिक एडवांस

के रूप में देते हैं। पत्थर खदान, कालीन, ईंट के भट्टे जैसे अनेक दूसरे उद्योगों में भी काम करने वाले बच्चों को बंधुआ बना कर रखा जाता है।

उन्हें डाक्टरी इलाज की सुविधा नहीं दी जाती और न ही उनके लिये दूसरे कल्याणकारी कदम उठाए जाते हैं; यदि खुदा न खास्ता काम करने वाली जगह पर ही उनका हादसा हो जाता है तो उन्हें उसके लिये क्षतिपूर्ति अथवा डाक्टरी सहायता नहीं दी जाती; इसकी बजाए उन्हें कोसा जाता है और काम से ही हटा दिया जाता है । क्योंकि वे गरीब होते हैं और उस पर भी उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है; पौष्टिक खाना मिलना उनके नसीब में ही नहीं होता इसलिये वे यदा कदा कुपोषण के शिकार हो जाते हैं । विश्व स्वस्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार बाल श्रमिक स्वस्थ्य सम्बन्धी अनेक खतरों का सामना करते हैं; इसलिये वे आम तौर पर हड्डियों में घाव होने अथवा खराबी आ जाने, नजर कमजोर हो जाने तथा अंग टेढ़े मेढ़े हो जाने जैसे रोगों से पीड़ित रहने लगते हैं; इसके अतिरिक्त उन्हें अनेकानेक मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है । इन बच्चों को यदा कदा शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं भी दी जाती हैं, उनका गलत उपयोग किया जाता है; बालिकाओं का यौन शोषण किया जाता है, विशेष रूप से घरों में काम करने वाली बालिकाएं कामुक हमलों का शिकार बनती रहती हैं। उनका घोर शोषण किया जाता है।

हमारा दृष्टिकोण

बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाने के लिये कानून बना कर अथवा सद्इच्छाएं व्यक्त करके अथवा उन गरीब अविभावकों को कोस कर जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाए काम करने के लिये भेजते हैं, इस समस्या की जड़ को रातों रात धरती से उखाड़ा नहीं जा सकता। बच्चों को पढ़ने के लिये स्कूल भेजने की जरूरत है काम पर नहीं, यह जागरूकता लाने के लिये लाखों करोड़ों रुपये खर्च किये जा चुके हैं; मानों बच्चे ही पढ़ने के लिये स्कूल जाने की बजाए काम पर जाना अधिक पसंद करते हों या फिर गरीबी के मारे माता-पिता चाहते ही नहीं कि उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं। बेचारा गरीब आदमी गरीब क्यों है, यह तो उसे ही कोसना हुआ न! संविधान का 93वां संशोधन बच्चों को शिक्षित करने का दायित्व अविभावकों के कंधों पर डालता है, वह छह वर्ष तक बच्चे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी से राज्य को मुक्त करता है ।

बच्चों में पढ़ने के लिये बहुत रुचि होती है और उनके माता पिता की इच्छा भी उतनी ही प्रबल होती है कि उनके बच्चे शिक्षित हों; यह आग दोनों ओर बराबर जल रही है; हम काफी समय से इस समस्या पर काम कर रहे हैं; कम से कम हमारा अपना अनुभव तो यही कहता है । बाल मजदूरी की समस्या के अनेक कारक हैं; उनमें सब से अधिक महत्वपूर्ण अधिक से अधिक लाभ कमाते चले जाने का मालिकों का लोभ है और वे इसके लिये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं; दूसरा सबसे बड़ा कारण श्रमिकों की गरीबी है, गरीब होने के कारण ही वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिये स्कूल भेजने की बजाए काम पर भेजने पर मजबूर होते हैं। अविभावकों में निरक्षरता, बेरोजगारी, उपयुक्त शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव, दलितों तथा आदिवासियों का सामाजिक उत्पीड़न, यौन विषमताएं इत्यादि कुछ दूसरे कारक भी इस समस्या के लिये जिम्मेदार हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिये बहु आयामी कार्यनीति बनाने की आवश्यकता है जिसमें बालगों के रोजगार, न्यूनतम वेतनों के साथ रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के लाभ, कामकाजी स्थितियों में सुधार विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में, संगठन बनाने तथा सामूहिक सौदेबाजी करने के अधिकार, शिक्षा व्यवस्था की मजबूती, यौन असमानताओं की समाप्ति को सुनिश्चित बनाना आवश्यक है। ये सभी मुद्दे वास्तव में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ जुड़े हुए हैं।

नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार की ओर से 1991में लागू की गई उदारीकरण की नयी नीतियों ने इस समस्या को बद से बदतर बनाया है; उसके बाद केन्द्र में बनी सभी सरकारों तथा पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा की वाम मोर्चा सरकारों को छोड़ कर दूसरी अनेक राज्य सरकारों ने इन नीतियों को पूरी शक्ति के साथ लागू करने के मामले में कोई कोर कसर शेष नहीं छोड़ी । जब तक ये नीतियां जारी रहेंगी तब तक यह समस्या और भी अधिक बद से बदतर बनती चली जाएगी । इस गम्भीर समस्या का समाधान करने की पहली शर्त यही है कि उदारीकरण तथा भूमण्डलीयकरण की

नीतियों को बदल दिया जाए । इन जन विरोधी तथा श्रमिक विरोधी नीतियों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, इन्हें परास्त किया जाए इसके लिये श्रमिक वर्ग तथा श्रमिक आंदोलन को अपना संघर्ष और तेज करना होगा।

बाल मजदूरी के प्रधान कारण दरिद्रता और बेरोजगारी हैं जिन्हें शोषणकारी पूंजीवादी समाज व्यवस्था में दूर नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार पूंजीवाद के ढांचे के भीतर रहते हुए बाल मजदूरी का भी खात्मा नहीं किया जा सकता। श्रमिक वर्ग विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों तथा सामान्य रूप से मेहनतकश अवाम को पूंजीवाद की जन्मजात शोषणकारी प्रकृति से जागरूक बनाना होगा और इस समाज को बदल डालने के लिये उन्हें लामबन्द करना होगा। भूमि सुधारों को सख्ती के साथ लागू करके ग्रमीण क्षेत्रों की गरीबी को दूर किया जा सकता है और ग्रामीण के लिये दौलत अथवा परिसम्पत्तियां (भूमि इत्यादि) जुटाई जा सकती हैं। ऐसा करके ही हमारे देश के विशाल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सुलभ कराए जा सकेंगे; इन क्षेत्रों में देश की लगभग 70% जनता रहती है। इसके साथ ही औद्योगिक सामान अथवा उत्पादों के लिये मांग पैदा की जा सकेगी और उसके फलस्वरूप शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर सुलभ कराए जा सकेंगे। बाल मजदूरी की समस्या का एकमात्र समाधान यही है कि उनके अविभावकों के लिये गरिमापूर्ण रोजगार उपलब्ध कराया जाए और उनकी जीवन स्थितियों में सुधार लाया जाए।

जहां बाल मजदूरी के उन्मूलन के रास्ते पर चलने के लिये ये दीर्घावधि की कार्यनीतियां हो सकती हैं वहीं श्रमिक संगठनों को भी अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में इस समस्या के समाधान की दिशा में अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहियें। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में जागरूकता बढ़ाने तथा उनकी कामकाजी एवं जीवन स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से उन्हें संगठित करने के प्रयास किये जाने चाहियें। श्रमिक संघ जहां कहीं भी सम्भव हो सके बाल मजदूरों को अनौपचारिक शिक्षा दिलाने के लिये पहलकदमी कर सकते हैं। आई.एल.ओ. की सहायता से चल रही बाल मजदूरी परियोजना पर काम करते समय हमने महसूस किया है कि बाल मजदूरों के लिये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने के फलस्वरूप हमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ सम्पर्क करने तथा उन्हें संगठित करने के अवसर बहुत अधिक मिले हैं।

स्मरण रहे, हैदराबाद में आयोजित सी आइ टी यू के दसवें महाधिवेशन की ओर से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में पारित कमिशन के दस्तावेज में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित करने के काम में पेश आने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इसके लिये अलग-अलग कार्यनीतियां अपनाने की सिफारिश की गई थी । यह भी कहा गया था कि उनके रिहायशी क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान कराने की कोशिशें भी की जानी चाहियें । न्यूनतम वेतन लागू करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, कामकाजी स्थितियों में सुधार लाने इत्यादि मुद्दों पर उन्हें संगठित करने के काम की शुरूआत बाल मजदूरी की समस्या के प्रति उनमें जागरूकता लाकर की जा सकती है । जहां बाल श्रमिक कामकाजी स्थलों पर भीषण समस्याएं झेलते हैं और सेवायोजक उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं वहां हमारे लिये दखल देना जरूरी हो जाता है। इस प्रकार की गतिविधियों के फलस्वरूप उनके साथ स्थापित किये गए निकट सम्पर्कों तथा प्रभाव का सदुपयोग करते हुए हमें न केवल असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित करना चाहिये अपितु उन्हें शिक्षित भी करना चाहिये; उन्हें समझाना चाहिये कि उनकी गरीबी तथा खस्ता हालत के लिये जिम्मेदार असल कारण क्या हैं जिनके चलते वे अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिये मजबूर होते हैं।

हमें बाल मजदूरों के साथ सम्बन्ध रखने वाले अधोलिखित मुद्दों पर जनमत तैयार करना चाहियेः

1. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा के लाभों को लागू कराना।
2. भूमि सुधारों को लागू कराना।
3. खेतिहर श्रमिकों के लिये सर्वसमावेशी कानून बनाना; क्योंकि लगभग 90% बाल मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।
4. कामकाजी महिलाओं के लिये समान काम के लिये समान पारिश्रमिक।

5. समेकित बाल विकास योजनाओं तथा उनके स्कूल पूर्व बाल विकास केन्द्रों को मजबूत बनाना ताकि युवा मस्तिष्क में शिक्षा के प्रति दिलचस्पी एवं अनुराग पैदा किया जा सके।
6. माध्यमिक स्कूल स्तर तक अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना और उसके साथ दोपहर के समय पाठशालाओं में खाने का प्रावधान किया जाए; गरीब बच्चों को शिक्षा सामग्री तथा वर्दियां निशुल्क दी जाएं। गरीब बच्चों के लिये अस्पताल की सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएं।
7. रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली नीतियां लागू की जाएं।
8. भूमण्डलीयकरण तथा उदारीकरण की नीतियों को बदला जाएं।
9. बाल मजदूरों से सम्बन्धित आइ एल ओ की कन्वेंशनों की पुष्टि की जाए और बाल मजदूरी पर उच्चतम न्यायालय की ओर से 1996 में दिये गए फैसले पर कठोरता के साथ अमल किया जाए।

सी आइ टी यू को भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों, गृह आधारित उद्योग धंधों में लगे श्रमिकों तथा कामकाजी महिलाओं को संगठित करने, उनकी जीवन तथा कामकाजी स्थितियों में सुधार लाने के कामों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये । यह भी जरूरी है कि उनकी जागरूकता को बढ़ाया जाए ताकि शोषण की समाप्ति के संघर्षों में उनकी भागीदारी तथा शोषणकारी पूंजीवादी समाज को बदल डालना यकीनी बनाया जाए ।

अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति (सीटू)

की

7 वीं कान्फ्रेंस

11-12 अक्टूबर, 2003
सुशीला गोपालन नगर, मुंबई

महासचिव की रिपोर्ट

प्रिय कामरेडो,

हम ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू (सी आई टी यू) की 7वीं कान्फ्रेंस सीटू की 11वीं कान्फ्रेंस से पहले कर रहे हैं जो 9-13 दिसंबर, 2003 को चेन्नई में होने जा रही है। इस कान्फ्रेंस के दस्तावेज सीटू की 11वीं कान्फ्रेंस में अनुमोदन के लिए रखे जाएंगे। मैं अखिल भारतीय कमकाजी महिला समन्वय समिति (सीटू) की ओर से इस कान्फ्रेंस में भाग ले रहे सभी डेलीगेटों का हार्दिक स्वागत करती हूं और सीटू की महाराष्ट्र राज्य कमेटी को कान्फ्रेंस की मेजबानी करने और शानदार इंतजाम करने के लिए धन्यवाद देती हूँ।

श्रद्धांजलि

हम ट्रेड यूनियनों तथा देश के जनवादी आंदोलन के उन सभी नेताओं को सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं जिनका हमारी पिछली कान्फ्रेंस के बाद निधन हो गया है। का० नीरेन घोष, सीटू सचिव तथा पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी अध्यक्ष का इस अवधि में निधन हो गया। उन्होंने राज्य में ट्रेड यूनियन आंदोलन को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी और ट्रेड यूनियन नेता का० नंदुरी प्रसाद रॉव का 29 नवंबर 2001 को निधन हो गया। वे सीटू की दसवीं कांफ्रेंस तक सीटू के उपाध्यक्ष रहे जब उन्होंने वृद्धों अवस्था के कारण पदमुक्त होने का आग्रह किया। वे उन नेताओं में से थे जिन्होंने सामंती उत्पीड़न के खिलाफ प्रसिद्ध तेलंगाना किसान सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया था। वे आंध्र प्रदेश सीटू राज्य कमेटी के संस्थापक महासचिव थे और उन्होंने सीटू को राज्य में मजदूरों के अग्रणी संघर्षशील संगठन में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कामकाजी महिला कैडरों को विकसित करने और सीटू के नेतृत्वकारी निकायों में उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने में बड़ी पहल की। का० सुशीला गोपालन, सीटू उपाध्यक्ष और ए आई सी सी

डब्ल्यू-डब्ल्यू की संस्थापक सदस्य का 19 दिसंबर 2001 को निधन हो गया। वे अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की अध्यक्ष भी थीं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, खास तौर से केरल में जटाजूट मजदूरों को संगठित करने में उन्होंने भूमिका निभाई। उन्होंने एक सांसद के रूप में और केरल की वाम जनतांत्रिक मोर्चा सरकार में उद्योग और समाज कल्याण मंत्री के रूप में असंगठित क्षेत्र में महिलाओं आंगनवाड़ी कर्मचारियों की स्थिति सुधारने की कोशिश की।

का० सूर्यनारायण राव, सीटू उपाध्यक्ष का संक्षिप्त बीमारी के बाद 1 जुलाई 2002 को निधन हो गया। वे कर्नाटक सीटू राज्य कमेटी के अध्यक्ष भी थे और मजदूर वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ने वाले अग्रणी योद्धा थे।

हम इन सभी नेताओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने मेहनतकश जनता को शोषण से मुक्त करने के लिए और सभी तरह के शोषण से मुक्त समाज की स्थापना के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम उनके अधूरे काम को आगे बढ़ाने की शपथ लेते हैं।

हम मजदूर वर्ग और जनता के उन दूसरे नेताओं और कैडरों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने उत्पीड़ित जनता के अधिकारों का समर्थन करते हुए संघर्षों में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति

कामरेडो,

हम यह कान्फ्रेंस ऐसे समय कर रहे हैं जब दुनियाभर के लोगों को यह अधिक से अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि मानवता की बुनियादी जरूरतें—भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य—इस पूंजीवादी समाज में सुनिश्चित नहीं की जा सकतीं। यही नहीं, अधिक से अधिक लोगों ने यह विश्वास करना शुरू कर दिया है कि एक और दुनिया, शोषण से मुक्त दुनिया, संभव है। वर्ल्ड सोशल फोरम अपने 'एक और दुनिया संभव है' के नारे के साथ दुनिया भर में जनता के विशाल हिस्सों तथा मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं तथा समाज के सामाजिक रूप से उत्पीड़ित तबकों का प्रतिनिधित्व कर रहे संगठनों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। जनवरी 2004 में वर्ल्ड सोशल फोरम हमारे देश में, इसी मुंबई शहर में होने जा रहा है।

इस अवधि में मजदूर वर्ग तथा मेहनतकश जनता पर हमले कई गुना बढ़ गए हैं। विश्व बैंक तथा आई एम एफ निदेशित नव उदारवादी वैश्वीकरण की नीतियों ने अमीर और गरीब देशों के बीच अंतर को, तथा देशों के भीतर अमीर और गरीबों के बीच की खाई को और बढ़ा दिया है। अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब और गरीब हुए हैं। पूरी दुनिया में यहां तक कि विकसित पूंजीवादी देशों में भी बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है, ढांचागत पुनर्गठन के नाम पर लाखों रोजगारों में कटौती की गई है। यहां तक कि विश्व बैंक को भी स्वीकार करना पड़ा है कि इसका वैश्वीकरण का मॉडल भी गरीबी कम करने में विफल रहा है।

11 सितंबर 2001 को न्यू यॉक और वाशिंगटन में आतंकवादी हमलों के बाद अमरीका ने 'आतंकवाद के खिलाफ' युद्ध की घोषणा की और अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और उस देश को बर्बाद कर दिया जो पहले ही तालीबान शासन में तबाह

हो चुका था। हालांकि वह बिन लादेन को आज तक नहीं पकड़ सका इसने मध्य एशिया में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया। अमरीका ने फिर इराक पर 'सामूहिक विनाश के हथियार' रखने और अमरीका के लिए खतरा होने का आरोप लगाते हुए इस पर हमला कर दिया। शस्त्र निरीक्षकों को लगभग एक साल की छानबीन के बाद भी ऐसे कोई हथियार वहां नहीं मिले। इसके बावजूद तथा पूरी दुनिया के विरोध के बावजूद जिसमें हमारा देश भी शामिल था, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बिना युद्ध का विरोध करने के लिए विशाल प्रदर्शन किए, अमरीका और ब्रिटेन ने इराक पर हमला किया। उन्होंने फ्रांस, जर्मनी आदि विकसित देशों समेत अन्य देशों के विरोध की भी अनदेखी की। युद्ध में हजारों बेगुनाह लोग, जिनमें औरतें और बच्चे भी बड़ी संख्या में थे, मारे गए। अब, सी आइ ए भी स्वीकार करती है कि इराक में सामूहिक विनाश के हथियारों का पाया जाना संभव नहीं हो सकता। किंतु मुख्य उद्देश्य इराक के विशाल तेल भंडारों पर नियंत्रण करना था जिसे अमरीका ने इस युद्ध से हासिल कर लिया। बुश द्वारा युद्ध के अंत की घोषणा के लगभग पांच महीने बाद भी अमरीका उस देश में कानून-व्यवस्था स्थापित करने में कठिनाई महसूस कर रहा है। वहां युद्ध के दौरान जितने सैनिक मारे गए थे उससे कहीं अधिक सैनिक, युद्ध के बाद मारे गए हैं। अब वह संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य देशों को शामिल करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है ताकि इराक में कानून और व्यवस्था कायम की जा सके। उनके अपने देशों में भी बुश और ब्लेयर के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है।

11 सितंबर के हमलों के बाद अमरीका ने इरान, सीरिया, लीबिया और उत्तरी कोरिया को 'दुष्ट राज्यों' की सूची में रखा और दंभ के साथ घोषणा की कि वह इन देशों पर हमला करने के लिए स्वतंत्र है, यहां तक कि नाभिकीय अस्त्रों का इस्तेमाल भी कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति दस्तावेज में अमरीका ने कहा है, कि जिन देशों और जनता को यह 'सभ्यता का दुश्मन' मानता है उसे उनके खिलाफ पुलिसिंग करने, उन्हें दंड देने और भारी ताकत के साथ उन्हें खत्म कर देने का अधिकार है। इससे अमरीका के दंभ का पता चलता है।

इजराइल, अमरीका के प्रत्यक्ष समर्थन से फिलिस्तीनी भूमि पर, संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों के बावजूद, कब्जा बनाए हुए है। एरियल शेरॉन की सरकार ने फिलिस्तीनी नेता यासेर आराफत को घर के अंदर नजरबंद कर रखा है और उनके घर पर हमला किया है। यह निर्दोष फिलिस्तीनियों का कत्ल जारी रखे हुए है और कब्जे वाले क्षेत्रों में घरों पर बुलडोजर चलता है। इसके उपप्रधानमंत्री ने यासेर आराफत को कत्ल करने की बात कही है। जहां इजराइल विश्व में अलग-थलग पड़ा हुआ है, अमरीका इसकी रक्षा करना जारी रखे हुए है और इसने इजराइल की निंदा करने वाले सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर हाल ही में वीटो कर दिया। भाजपा नेतृत्व की सरकार ने इस कसाई शेरॉन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और आतंकवाद से लड़ने के लिए अमरीका, इजराइल और भारत का गठजोड़ बनाने की बात कर रही है।

यह आर एस एस, जो भाजपा का फासीवादी मूल संगठन है, की लाइन के अनुकूल है जो विश्व में सबसे बड़े आतंकवादी—अमरीका और इजराइल—के साथ गठजोड़ करना चाहता है।

राष्ट्रीय स्थिति

भाजपा नेतृत्व की एन डी ए सरकार जनता के, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों के खिलाफ असंतोष का उपयोग करके सत्ता में आई। इन नीतियों को कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था और केंद्र की बाद की सरकारों ने इनको

जारी रखा। किंतु यह सरकार भी उन्हीं नीतियों को जोर-शोर से जारी रखे हुए है। राज्य सरकारें भी, केवल पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की वाम मोर्चा सरकारों को छोड़कर, विश्व बैंक द्वारा निर्देशित नीतियों को लागू करने में एक दूसरे से प्रतियोगिता में लगी हैं।

लाभ कमाने वाले और अच्छी आर्थिक स्थिति वाले सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण किया जा रहा है। लाखों छोटे और मझौले उद्योग बंद हो गए हैं। बेरोजगारी और अर्धबेरोजगारी अभूतपूर्व स्तरों पर पहुंच गई है। पहले से ही बड़ा असंगठित क्षेत्र और भी फैल रहा है। केजुअल, ठेका, पार्टटाइम या गृह आधारित रोजगार बढ़ रहे हैं जबकि नियमित रोजगार घटते जा रहे हैं। महिलाएं, जिन्हें अपने घर के बाहर कुछ रोजगार ढूंढने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, उन्हें असंगठित क्षेत्र में केवल केजुअल, ठेका , पार्ट टाईम या गृह आधारित काम मिलता है जहां स्थितियां बेहद शोषणभरी हैं।

कृषि संकट ग्रस्त है। लगभग सभी राज्यों में सैकड़ों किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। खेतमजदूरों को काम नहीं मिलता। देश के अनेक भागों में गरीबों में भूख से मौत होने, बच्चों के बेचे जाने आदि की खबरें मिल रही हैं। हमारी पिछली कान्फ्रेंस के बाद की अवधि में मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता की काम और जीवन की स्थितियों पर हमले बढ़े हैं।

भाजपा नीत एन डी ए सरकार ने जनवितरण प्रणाली को खत्म कर दिया है। उन परिवारों को भी जिनके पास एक साइकिल, ब्लैक एंड व्हाइट टी वी या दो लड़के हैं उन्हें पी डी एस से अलग किया जा गया है। तेल, सब्जियों, दालों आदि आवश्यक वस्तुओं के दामों में भारी वृद्धि हुई है। अनाज की प्रति व्यक्ति खपत कम हुई है। महिलाओं, जिन पर परिवार को खिलाने की जिम्मेदारी है, पर बोझ कई गुना बढ़ गया है। महिलाओं को सस्ते भोजन, ईंधन, चारा आदि की तलाश में अधिक समय लगाना पड़ता है। महिलाओं का भुगतान रहित काम बढ़ गया है। काम का बढ़ा हुआ बोझ, उपयुक्त भोजन की कमी, और चिकित्सा सुविधा तक पहुंच की कमी के कारण असंगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

असमान विकास, औद्योगीकरण की कमी तथा देश के कुछ हिस्सों जैसे कश्मीर, उत्तर पूर्व आदि की केंद्र की, एक के बाद एक सरकारों द्वारा उपेक्षा के कारण इन क्षेत्रों में अलगाववादी और आतंकवादी संगठनों के फैलने में मदद मिली है। भाजपा नीत सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के कारण नौजवानों में पैदा होने वाले असंतोष ने इन ताकतों को और बल प्रदान किया है। गुजरात में राज्य प्रायोजित नरसंहार ने समस्या को और भी गंभीर रूप प्रदान किया है। इसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों जैसे असम, कश्मीर, त्रिपुरा और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में आतंकवादी हमले निरंतर जारी हैं। जनसंगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता, खास तौर से वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ता, आंतकवादियों द्वारा मारे गए हैं।

दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग

दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सेवायोजकों की मांगों को स्वीकार कर लिया है और मजदूरों के हितों की पूरी तरह अनदेखी की है। इसकी सिफारिशें मालिकों को स्वतंत्रता प्रदान करेंगी कि वे अपनी इच्छानुसार मजदूरों को 'हायर एंड फायर' कर सकें। मालिक इस बात के लिए स्वत्रंत होंगे कि वे हजारों मजदूरों को सड़कों पर फेंक कर बिना किसी रोकटोक के अपने प्रतिष्ठान को बंद कर सकते हैं। श्रम आयोग ने कोर-रोजगारों को छोड़कर सभी में ठेका मजदूरों को लगाने की इजाजत दी है और कुछ स्थितियों में कोर-रोजगारों में भी ठेका मजदूरों को लगाने की इजाजत दी है। हड़ताल के अधिकार और यहां तक कि ट्रेड

यूनियनों को पंजीकृत कराने के अधिकार में कटौती की गई है।

आयोग ने मालिकों की, कामकाजी महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम की इजाजत देने की मांग को स्वीकार कर लिया है। इसने सिफारिश की है कि यदि प्रबंधन परिवहन, सुरक्षा और शिफ्ट के पहले और बाद में आराम के संतोषजनक इंतजाम कर सकता है तो कामकाजी महिलाओं के लिए रात की शिफ्ट में काम करने पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। किंतु हमारा अनुभव है कि अधिकांश प्रबंधन रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए कोई परिवहन प्रदान नहीं करते। कुछ ई पी जेड्स में सुरक्षा का कोई ध्यान किए बगैर महिलाओं को विषम समय पर नजदीक के बस स्टॉप पर छोड़ दिया जाता है जहां उन्हें कोई भी बस प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। इसके अलावा, परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से महिलाओं के लिए दिन में आराम करना संभव नहीं है। अलग अलग केस के आधार पर मुद्दे की जांच करते हुए कुछ चुने हुए उद्योगों में रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत देना आवश्यक हो सकता है, किन्तु महिलाओं के लिए रात की शिफ्ट में काम करने की खुली इजाजत देने से मालिकों को महिलाओं के शोषण को और तेज करने में मदद मिलेगी।

श्रम आयोग की एक और सिफारिश, जो ट्रेड यूनियन एकता के लिए खतरा उत्पन्न करती है, वह कामकाजी महिलाओं के लिए सदस्यता आधारित संगठनों (एम बी ओज़) को प्रोत्साहित करना है और उन्हें प्राथमिकता का व्यवहार प्रदान करना है। यह एक तथ्य है कि आज अधिकतर महिलाएं ट्रेड यूनियनों के दायरे से बाहर हैं और उन्हें संगठित करने की तुरंत जरूरत है। किन्तु कामकाजी महिलाओं के लिए अलग ट्रेड यूनियनें की समस्या का हल नहीं है। कामकाजी महिलाओं को मुख्य धारा के ट्रेड यूनियन आंदोलन के हिस्से के रूप में संगठित किया जाना चाहिए और उन्हें मजदूर वर्ग में अपने भाइयों के साथ सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए। आज कई प्रतिष्ठानों में मालिक महिला मजदूरों का उपयोग वेतन कम करने और ट्रेड यूनियन आंदोलन को कमजोर करने के लिए करते हैं। महिलाओं के लिए एम बी ओज़ ट्रेड यूनियन आंदोलन को लिंग आधार पर विभाजित करके पुरुष और स्त्री दोनों ही मजदूरों का शोषण बढ़ाने में मालिकों की मदद करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

साम्राज्यवादी वैश्वीकरण की प्रक्रिया की मजदूर विरोधी विषय वस्तु तमिलनाडु सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के फैसले में दिखाई देती है। इस प्रतिगामी फैसले ने बड़ी संख्या में मजदूरों और जनता के उस विश्वास को धक्का पहुंचाया है जो उन्हें देश की न्याय प्रणाली में था। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले कुछ अवसरों पर एक भिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संदर्भ में प्रगतिशील और मजदूर समर्थक फैसले दिए हैं। किन्तु पिछले कुछ सालों में फैसले अधिकांशत: सरकार की नव उदारवादी नीतियों के अनुकूल रहे हैं।

एक अलग फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने एअर इंडिया की एअर होस्टेसों को अपने पुरुष साथियों की तरह 58 वर्ष की उम्र तक फ्लाई करने की इजाजत देने वाले बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को उलटा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'मनोहर आकृति, ढंग और शारीरिक फिटनेस की दोनों ही लिंगों के चालक दल के सदस्यों के लिए जरूरत है।' इसने यह भी कहा कि एक हवाई जहाज में सेवा के लिए चालक दल के महिला और पुरुष दोनों ही सदस्यों के लिए चुस्त, चौकन्ने और फुरतीले होने की उम्मीद की जाती है। किंतु इसने यह स्पष्ट नहीं किया कि 50 की उम्र पर महिलाएं पुरुषों से कैसे कम चुस्त, चौकन्नी और फुरतीली हो जाती हैं। यह फैसला न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि यह फैसला महिलाओं को उस लाभ से भी वंचित करता है जिसे उनके पुरुष साथी प्राप्त करते रहते हैं। अदालत ने यह भी टिप्पणी की है कि 50 की उम्र में महिलाएं

अपने परिवारों के साथ, दबाव और तनाव से दूर रहना पसंद करेंगी, यह मानते हुए कि महिलाएं दबाव (स्ट्रैस) सहने की कम क्षमता रखती हैं जोकि सही नहीं है। इस फैसले का एक और खतरा है कि यह दूसरे प्रबंधनों को भी महिलाओं को पुरुषों से पहले सेवानिवृत करने के लिए उकसाएगा। ठेका मजदूरों के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ठेका मजदूरों को, जिनमें महिलाओं की बड़ी संख्या है, अधिकार देने के अपने फैसले को उलट दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ राज्य सरकारों द्वारा पंचायत चुनावों में दो बच्चों से अधिक वालों को चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानूनों के पारित किए जाने को भी उचित ठहराया है। इसके परिणामस्वरूप दो बच्चों से अधिक वाली कई चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों को पहले ही अपने पदों से हटा दिया है। यह आम तौर पर यह एक मान्य तथ्य है कि बच्चों की संख्या आम तौर पर कई कारकों से जुड़ी हुई है जैसे कि शिशु मृत्यु, गरीबी, निरक्षरता, चिकित्सा सुविधा तक पहुंच, गर्भनिरोधक आदि। इनके अलावा, हमारे समाज में जहां पुत्र प्राथमिकता व्यापक है, महिलाओं के कितने बच्चे होने चाहिएं यह उनकी पसंद पर निर्भर नहीं है। जब तक इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता जोर जबर्दस्ती परिवार नियोजन लागू करने के इच्छित परिणाम नहीं निकलते।

साम्प्रदायिकता का खतरा

केंद्र में भाजपा नीत सरकार ने आर एस एस कार्यकर्ताओं को मुख्य पदों पर नियुक्त करके देश में जनतांत्रिक संस्थाओं का सांप्रदायीकरण करना जारी रखा है। अमरीका में 11 सितंबर के हमलों, गोधरा की घटना, संसद और अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादी हमलों आदि का उपयोग समाज को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने के लिए किया जाता है ताकि चुनावी लाभ उठाया जा सके। गोधरा में सावरमती एक्स्प्रेस को जलाने की घ्रणित घटना के बाद भाजपा गुजरात में राज्य प्रायोजित सांप्रदायिक नरसंहार द्वारा पैदा किए गए सांप्रदायिक विभाजन का लाभ उठाकर सत्ता में आई। इससे उत्साहित होकर यह उसी प्रयोग को सारे देश में दुहराना चाहती है। इस साल पांच विधान सभाओं के चुनाव और अगले साल लोक सभा चुनावों को देखते हुए इसने फिर अयोध्या मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। जैसे-जैसे अधिक से अधिक लोगों का भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों से मोहभंग हो रहा है और वे संघर्षों में उतर रहे हैं, आर एस एस और इसके दूसरे संगठनों जैसे विहिप और बजरंग दल को सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के लिए आगे कर दिया जाता है। सांप्रदायिक ताकतें जनता की आम धार्मिक और परंपरागत रीतिरिवाजों का उपयोग दूसरे धर्मों के खिलाफ सांप्रदायिक घृणा फैलाने के लिए करते हैं। विहिप, बजरंग दल और दूसरे आर एस एस संगठन महिलाओं को खासतौर पर अपना लक्ष्य बनाते हैं जिनमें कामकाजी महिलाएं भी शामिल हैं और उन्हें भजन, व्रत, आरती तथा अन्य धार्मिक उत्सवों और परंपराओं के नाम पर गोलबंद करते हैं जोकि हमारे देश में अनेक हिंदू महिलाओं के जीवन के हिस्से हैं। यह नोट करने वाली बात है कि एक तरह की सांप्रदायिकता दूसरे तरह की सांप्रदायिकता की मदद करती है, और दोनों ही हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हैं। यह दुखद है कि कई औद्योगिक केंद्रों में मजदूर वर्ग सांप्रदायिक ताकतों की साजिशों का शिकार हुआ है।

सांप्रदायिकता, चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक दोनों ही तरह की सांप्रदायिकता महिलाओं को घर-परिवार तक सीमित कर देने की कोशिश करती है और कामकाजी महिलाओं पर अनेक पाबंदियां लगाती है। तत्ववादी सभी धर्मों में महिलाओं को उत्पीड़ित करने की कोशिश करते हैं। मजदूर वर्ग पर हो रहे आए दिन हमलों को देखते हुए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी तरह की सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए मजदूर वर्ग की एकता को बनाए रखा जाए। हमें कामकाजी महिलाओं को सांप्रदायिकता के खतरों के बारे में शिक्षित करने के सभी प्रयत्न करने चाहिएं।

उभरते संघर्ष

यह नोट करना उत्साहवर्धक है कि नई सहस्त्राब्दी के शुरू के कुछ वर्षों में नव उदारीकृत वैश्वीकरण की साम्राज्यवाद निदेशित नीतियों के खिलाफ पूरी दुनिया में मजदूर वर्ग के संघर्षों की लहर उभर कर आई है। पहली बार तीन अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केंद्रों—डब्ल्यू एफ टी यू,आई सी एफ टी यू और डब्ल्यू सी एल—ने वैश्वीकरण के खिलाफ 9 नवंबर 2001 को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस मनाने के लिए विश्व में अपने से संबद्ध सभी यूनियनों का संयुक्त रूप से आह्वान किया। इसे हमारे देश समेत कई देशों में बड़ी लामबंदी के साथ मनाया गया। हमारे देश में कामकाजी महिलाओं ने इन प्रतिरोधों में बड़ी संख्या में भाग लिया। शक्तिशाली और जुझारू प्रदर्शन और हड़ताल कार्रवाइयों की एक लहर कई देशों में आई जिनमें विकसित देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन और अमरीका भी शामिल हैं। लाखों म्युनिसीपल कर्मचारियों, रेल तथा हवाई यातायात कर्मचारियों तथा दूसरे मजदूरों ने अपने पेंशन तथा अन्य लाभों में कटौतियों के खिलाफ काम बंद किया है।

कामकाजी महिलाओं की संघर्षों में अधिक भागीदारी

हमारे देश में भी अधिक से अधिक मजदूर संघर्षों में उत्तर रहे हैं—केवल अपनी आर्थिक मांगों को लेकर ही नहीं बल्कि सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ भी। इस अवधि में कोयला मजदूरों, बैंक व बीमा कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों, राज्य सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य तबकों ने बड़े संघर्ष शुरू किए हैं जिनमें हड़ताल भी शामिल है। इन संघर्षों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली कामकाजी महिलाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। आंगनवाड़ी कर्मचारी, बीड़ी मजदूर, असंगठित क्षेत्र के अन्य उद्योगों में कार्यरत कामकाजी महिलाएं अपनी स्थिति सुधारने के लिए जुझारू संघर्ष-चला रही हैं। ई पी जेड्स में, जहां पर यूनियन बनाने की इजाजत भी नहीं है, कामकाजी महिलाएं प्रबंधन द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ हड़ताल में शामिल हुईं। बैंकों, बीमा, राज्य व केंद्र सरकारी विभागों की मध्यवर्गीय महिलाएं, अध्यापक आदि जो पहले नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरने से झिझकती थीं, बड़ी संख्या में प्रदर्शनों और रैलियों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। देशभर में हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारी संघर्षों में भाग लेते हुए पुलिस लाठी चार्ज और गिरफ्तारी तथा अधिकारियों के उत्पीड़न का सामना करती हैं।

हमें इसी पृष्ठभूमि में ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू के काम की समीक्षा करनी पड़ेगी और इसकी जांच करनी पड़ेगी कि हम सीटू द्वारा दिए गए काम को कहां तक कर पाए हैं। कामकाजी महिलाओं के बीच अपने काम से सही सबक लेते हुए हमें अपने काम को इस प्रकार ढालना चाहिए ताकि हम आगे की चुनौतियों का सामना कर सकें और देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन में कामकाजी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को आगे बढ़ा सकें।

कामकाजी महिलाओं की स्थिति

केंद्र की भाजपा नीत सरकार द्वारा अपनाई जा रही उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों ने महिलाओं पर भारी बोझ डाला है।

बेरोजगारी और अर्ध-बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। चूंकि गरीब, खासतौर से महिलाएं बेरोजगारी सहन नहीं कर सकतीं उन्हें शर्मिंदगी की हद तक बहुत ही कम वेतन के लिए काम करने पर बाध्य होना पड़ता है। हालांकि वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के समर्थक यह दावा करते हैं कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और 'श्रम का

स्त्रीकरण' होगा, हमारे देश में श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी की दर, शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में कम हुई है। जबकि संगठित क्षेत्र में महिला रोजगार 1987-88 में 15.2 प्रतिशत था, 1998 में घट कर यह 11.4 प्रतिशत रह गया है।

1999-2000 में देश में कुल 397.3 मिलियन श्रमशक्ति में से महिलाओं की संख्या 123.9 मिलियन थी। इन में से 105.7 मिलियन महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में और 18.2 मिलियन शहरी क्षेत्र में काम करती हैं। 96 प्रतिशत महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं जहां रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है, न सामाजिक सुरक्षा या दूसरे लाभ हैं और वेतन बहुत ही कम है।

कृषि में महिलाएं

महिला मजदूरों की विशाल संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है। लगभग 84 प्रतिशत महिलाएं खेती में कार्यरत हैं, उनमें से अधिकांश खेतमजदूर हैं। महिलाएं बीज बोने में 76 प्रतिशत, रोपाई में 90 प्रतिशत, परंपरागत खाद्य संसाधित करने में 100 प्रतिशत और डेरी में 69 प्रतिशत काम करती हैं। भाजपा नीत एन डी ए सरकार द्वारा अपनाई जा रही विश्व बैंक और डब्ल्यू टी ओ निर्देशित नीतियां हमारी कृषि को बर्बाद कर रही हैं। सब्सीडियों को हटाए जाने, निवेश पर यूजर चार्ज लगाए जाने आदि के कारण कृषि में निवेश की लागत बढ़ गई है। दूसरी ओर हमारे किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी दाम नहीं मिलते। जबकि विकसित देश विकासशील देशों को सब्सीडियां हटाने के लिए बाध्य कर रहे हैं वे अपने देशों के किसानों को भारी सब्सीडियां दे रहे हैं। निर्यात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिए जाने के कारण हमारे कृषि उत्पादों को सस्ते आयातों से सख्त प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 56 साल बाद भी अधिकांश कृषि मानसून पर निर्भर है। पिछले कुछ सालों में देश के बड़े भागों में भयंकर सूखे और साथ ही इन किसान विरोधी नीतियों ने मिलकर गरीब और मझोले किसानों के बड़े हिस्सों को भारी कर्ज में डाल दिया है और दिवालिया बना दिया है। देश भर में हजारों किसानों जिनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि जैसे राज्यों के किसान शामिल हैं, ने आत्म हत्याएं की हैं। अपने पतियों/बेटों को खोने के सदमे के अलावा इन परिवारों में महिलाओं को परिवार की देख रेख की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है।

खेतमजदूरों की कुल संख्या में महिलाओं का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है। 1991 के 31.18 प्रतिशत से बढ़कर 36.15 प्रतिशत हो गया है। कुछ राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में महिलाएं खेत मजदूरों का आधे से अधिक हिस्सा है। कारण यह है कि काम अनिश्चित प्रकृति का है और महिलाएं बहुत कम वेतन के लिए भी काम करने के लिए तैयार होती हैं। कई स्थानों पर महिलाओं को प्रति दिन के लिए 15-20 रु० मिलता है और कुछ जगहों पर उनकी मजदूरी 8-10 रु० प्रति दिन तक होती है। खाद्य फसलों से व्यावसायिक फसलों में परिवर्तन होने के कारण और खेती के कामों में जैसे कि खेत जोतने, बोने, घास-पात हटाने, गहाई आदि में मशीनों के उपयोग के कारण खेत मजदूरों के लिए कार्य दिवसों में भारी गिरावट आई है। खेत मजदूरों को यहां तक कि वर्ष में 60 दिन का काम भी नहीं मिल रहा है। महिला खेतमजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चूंकि परिवार के पुरुष सदस्य दूसरी जगह चले जाते हैं तो महिलाओं को परिवार की देखभाल का पूरा बोझ उठाना पड़ता है। महिला प्रमुखों वाले परिवारों की संख्या बढ़ी है। महिलाएं जो काम की तलाश में दूसरे स्थानों पर जाती हैं उन्हें यौन उत्पीड़न समेत शोषण झेलना पड़ता है।

महिलाएं बड़ी संख्या में बीड़ी, बागानों, टैक्सटाइल, हैंडलूम, परंपरागत उद्योगों जैसे काजू संसाधित करना, जटाजूट और

फिशरीज, हैंडलूम, गार्मेंट, इलेक्ट्रानिक्स, खाद्य संसाधित करने में कार्य करती हैं। ये सभी उद्योग सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

बीड़ी मजदूर पूरे सप्ताह काम नहीं पाते; काम की मात्रा भी घटी है। कई स्थानों पर बीड़ी और सिगार कानून तथा बीड़ी मजदूर कल्याण कोष कानून का उचित पालन नहीं किया जाता। अधिकांश बीड़ी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। कुछ स्थितियों में मालिक मजदूर संबंधों को छिपा दिया जाता है और ऐसे दिखाया जाता है जैसे बीड़ी पत्तियों और तंबाकू की बिक्री तथा बिड़ियों की खरीद हो।

एन श्याम, एम के हाउस अझीक्कोडे थू रोड, अझीक्कोडे 29 वर्षीय है। वह एक बीड़ी फैक्ट्री में काम करती है। दो साल पहले वह 1000-1200 रु० प्रति माह कमाती थी। उसे 1,000 बीड़ी बनाने के लिए 50 रु० मिलते थे और 25 रु० डी ए मिलता था। अब उसे सप्ताह में केवल चार दिन काम मिलता है और वह केवल 550-555 रु० प्रति माह कमाती है। एक हजार बीड़ी बनाने का रेट घट कर 37 रु० हो गया है। वह अब लंच छोड़ देने के लिए बाध्य है। अब उन्हें रविवार को साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलती, जैसे पहले मिलती थी। जब कोई परिवार में बीमार पड़ जाता है तो उसे इलाज कराने में कठिनाई महसूस होती है। उसे उधार लेना पड़ता है। उसे सामाजिक दायित्वों जैसे शादी और दूसरे कामों में जाने की बात छोड़ देनी पड़ती है। त्यौहार नहीं मनाए जाते। बच्चों के लिए भोजन और शिक्षा के खर्च निकालना बहुत कठिन होता है।

केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में कई चाय बागान बंद हो गए हैं या त्याग दिए गए हैं सैकड़ों बागान मजदूर भूख के कारण और चिकित्सा की कमी की वजह से मर गये हैं या उन्होंने आत्महत्या कर ली है। मालिक, जिनमें बड़ी निगमें जैसे टाटा और बिड़ला भी शामिल हैं, उद्योग में संकट के नाम पर मजदूरों को उनके लाभों से वंचित करते हैं जोकि बागान श्रमिक कानून के तहत उन्हें हासिल हैं।

संगठित फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी के व्यापक प्रयोग के कारण बड़ी संख्या में महिला मजदूरों को जाना पड़ा है। फूड प्रोसेसिंग में असंगठित क्षेत्र में, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं, वे स्वरोजगार के रूप में काम करते हैं या छोटी इकाइयों में, यह क्षेत्र उपेक्षित हो रहा है।

विदेशी ट्रॉलरों को हमारे समुद्र के किनारों पर मछली पकड़ने की इजाजत दी जाती है। जिसके परिणामस्वरूप मछली संसाधन खत्म हो जाते हैं और हजारों मछुआरे जो अपनी छोटी नावों का इस्तेमाल करते हैं मछली प्राप्त नहीं कर पाते। जो महिलाएं बाजार में मछली बेचती हैं वे भी बेरोजगार हो रही हैं।

हैंडलूम उद्योग संकटग्रस्त है। दामों में अंतर्राष्ट्रीय उतार-चढ़ावों के कारण धागे के दाम प्रभावित होते हैं। निजीकरण के कारण बिजली की दरें काफी बढ़ गई हैं। प्रतिकूल कोटा प्रणाली के कारण निर्यात बाजार सिंकुड गया है। गरीब बुनकरों को पर्याप्त ऋण नहीं मिलता। इस सब के कारण हैंडलूम मजदूरों में भारी बेरोजगारी हुई है, जिनमें महिला मजदूर भी शामिल हैं। देश के अनेक भागों से महिलाओं व पुरुषों दोनों द्वारा आत्महत्याओं की खबरें आ रही हैं।

शहरी संगठित क्षेत्र में महिला मजदूर

शहरी क्षेत्रों में, केवल उच्च शिक्षा प्राप्त और तकनीकी योग्यता वाली महिलाओं के लिए नियमित रोजगार में कुछ वृद्धि हुई

है। अधिकतर उन्हें ठेके के आधार पर बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के काम पर लगाया जाता है।

1999 में 48 लाख से थोड़ी अधिक महिलाएं संगठित क्षेत्र में कार्यरत थीं। किंतु उनमें से अधिकांश अकुशल और अल्पभुगतान वाले रोजगारों में हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े दिखाते हैं कि कुल महिला मजदूरों में केजुअल मजदूरों का अनुपात 1990-91 के 41 प्रतिशत से 1993-94 में 45.3 प्रतिशत हो गया है। उसी अवधि में नियमित मजदूरों का अनुपात 4.5 प्रतिशत से घटकर 3.4 प्रतिशत हो गया। महिलाएं अधिकतर इन्हीं रोजगारों संकेंद्रित है जिन्हें घरेलू जिम्मेदारियों के विस्तार के रूप में देखा जाता है, जैसे कि नर्स, अध्यापिका, आंगनवाड़ी कर्मचारी, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, म्युनिसीपल और पंचायत कार्यकर्ता आदि।

संगठित क्षेत्र में कुल महिला श्रम शक्ति में से 58 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में है और 42 प्रतिशत निजी क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र में महिला रोजगार में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है। वी आर एस या डाउन साइजिंग के तहत महिलाओं की सबसे पहले छंटनी की जाती है। जिसे सरकार विश्व बैंक के निर्देश पर कर रही है। कोल इंडिया में वी आर एस को 9000 महिला मजदूरों को, जो लोडिंग-अलोडिंग के काम में लगी हैं, नौकरी से निकालने के लिए लागू किया गया है। कई सार्वजनिक बैंकों में महिलाओं को वी आर एस लेने के लिए बाध्य किया जाता है अन्यथा उनको दूर के स्थान पर ट्रांस्फर कर दिया जाएगा। कुछ केसों में तो पुरुष साथी तथा यूनियन नेता भी महिलाओं पर वी आर एस के लिए दबाव डालते हैं। समाज में यह एक गलत धारणा की अभिव्यक्ति है कि महिला की आमदनी पुरुष की आमदनी की पूरक है। यह भी एक तथ्य है कि कुछ महिलाएं एक उम्र के बाद और बच्चे की शिक्षा आदि की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद वी आर एस लेना पसंद करती हैं। बैंक जमाओं पर ब्याज दर कम हो जाने और आजीविका और बच्चों की शिक्षा का खर्च बढ़ जाने से महिलाएं अपना पहले वाला जीवन स्तर बनाए रखने में कठिनाई महसूस करती हैं। यह भी पाया गया है कि कुछ महिलाएं जिन्होंने वी आर एस ले लिया है और घर तक सीमित रह गई हैं वे भावनात्मक परेशानी का सामना कर रही हैं।

निर्यात प्रोत्साहन के नाम पर सरकार ने देश में विशेष आर्थिक जोन बनाए हैं। मौजूदा निर्यात संसाधक क्षेत्रों को एस ई जेड्स

53 वर्षीय कुमुद एस कामथ बंग्लोर में रहती हैं। वे एक बैंक में क्लर्क थीं। उन्होंने प्रबंधन के उत्पीड़न के कारण वी आर एस ले लिया। उन्होंने महसूस किया कि काम का वितरण और विभागों में परिवर्तन पक्षपाती ढंग से किया जा रहा है और समयनिष्ठता के नियम उस पर लागू किए जा रहे थे और उसे ट्रांस्फर करने की धमकी भी दी गई थी जबकि प्रबंधन पुरुष कर्मचारियों के साथ ढीला बरतता था जब वे लेट हो जाते थे। उसने वित्तीय प्रोत्साहन को आकर्षक पाया। उसे 12 लाख रुपये मिले। उसने एक लाख रुपये डाकखाने में निवेश किए और 7 लाख रुपये एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में निवेश किए और दो लाख रुपये अपने बेटे की शिक्षा पर खर्च किया। उसे 7, 300 रु० ब्याज और 2, 300 रु० किराये से मिलता है। वी आर एस लेने से पहले उसकी मासिक आमदनी 13,500 रु० थी। उनके पति अब भी उसी बैंक में क्लर्क हैं। किंतु वे उनके समर्थन पर भरोसा नहीं कर सकतीं। उनके पहले पुत्र ने एम बी ए पूरा कर लिया है किन्तु अभी तक कोई नौकरी हासिल नहीं कर सका। उनका दूसरा बेटा + 2 में है।
बढ़ते मूल्यों और ब्याज दर में लगातार हो रही कमी के कारण वे मासिक खर्च पूरा करने में कठिनाई महसूस करती हैं और अपने दूसरे बेटे की पढ़ाई और दोनों बेटों के लिए रोजगार के बारे में चिंतित हैं। वे स्वास्थ्य खर्च के बारे में चिंतित हैं और परेशानी मजसूस करती हैं कि अब चिकित्सा खर्चों का भुगतान नहीं होगा। उन्हें अब ब्याज मुक्त एडवांस भी नहीं मिलता जो उन्हें रोजगार में रहते हुए मिल जाया करता था।

में बदल दिया गया है। इन ई पी जेड्स/एस ई जेड्स की इकाइयों में 18 और 25 वर्ष के बीच की हजारों महिलाओं को लगाया गया है। हालांकि देश के सभी श्रम कानून इन क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं, वास्तव में विकास आयुक्त, जिन्हें श्रम आयुक्तों के अधिकार दिए गए हैं, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने की बजाय निवेशकों की मांगों को संतुष्ट करने में अधिक रुचि रखते हैं। इन एस ई जेड्स/ ई पी जेड्स को विदेशी क्षेत्र माना जाता है; ट्रैक्स की काफी छूट और अन्य छूटें निवेशकों को दी जाती हैं जो देश के कानूनों का बेरोकटोक उल्लंघन करते हैं। सुरक्षा गार्डों और मालिकों द्वारा ई पी जेड्स/ एस ई जेड्स में आतंक का वातावरण बनाकर रखा जाता है। मजदूरों को यूनियन नहीं बनाने दी जाती है। वास्तव में उन्हें एक दूसरे से बात तक नहीं करने दी जाती। बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के मजदूरों से ओवर टाइम पर काम करवाया जाता है। महिला मजदूरों को बिना किसी परिवहन या आराम की सुविधा प्रदान किए रात की शिफ्ट में काम कराया जाता है। उन्हें भारी उत्पीड़न जिसमें यौन उत्पीड़न भी शामिल है, झेलना पड़ता है।

सरकार ने कल्याण खर्च में कटौती करने के हिस्से के तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च में कटौती की है और इन सेवाओं में निजी भागीदारी को बढ़ा रही है। निजी कन्वेंट और स्कूल जो बड़ी संख्या में कुकरमते की तरह उग आए हैं, अध्यापकों को बहुत कम वेतन देते हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। शिक्षित बेरोजगार युवकों और युवतियों को रोजगार के अवसरों से वंचित रखते हुए और छात्रों को उचित शिक्षा से वंचित करते हुए सरकारी स्कूलों में हजारों शिक्षकों के पदों को खाली रखा जाता है।

यह स्थिति स्वास्थ्य क्षेत्र में भी है। खबर है कि 29 राज्यों ने 2003-2004 के बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार कल्याण के लिए जो तीन साल पहले के उनके बजटों में था उससे 3 प्रतिशत कम निर्धारित किया है। परिवार कल्याण के लिए निर्धारित अधिकांश धन परिवार नियोजन के खाते में जाता है। निजी और नैगमिक अस्पतालों को नाममात्र के खर्च पर प्रमुख जगहों पर भूमि, मशीनरी के आयात पर टैक्स की रियायत/छूटे आदि प्रदान की जाती है। हजारों युवतियों को प्रशिक्षण के नाम पर मामूली वेतन देकर इन अस्पतालों में नर्सों के रूप में काम पर रखा जाता है जबकि मरीजों से ये बहुत अधिक रकम चार्ज करते हैं।

सरकार स्वयं लाखों आंगनवाड़ी मजदूरों व सहायिकाओं, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, शिक्षा स्वयं सेवियों आदि को रखती है और यह कहकर कि वे 'सामाजिक कार्यकर्ता' हैं उन्हें न्यूनतम वेतन या अन्य लाभों से वंचित रखती है।

गृह आधारित मजदूर

नवउदारीकरण की अवधि में गृह आधारित मजदूरों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। लभगभग 70 प्रतिशत गृह आधारित मजदूर महिलाएं हैं। उन्हें मजदूरों के रूप में भी मान्यता नहीं दी जाती। कोई सीधा मालिक-मजदूर रिश्ता नहीं है क्योंकि उन्हें ठेकेदार/एजेंट/ बीच के व्यक्ति, आदि द्वारा काम दिया जाता है और उनके रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है, न ही कोई सामाजिक सुरक्षा है और वे निरंतर काम खो बैठने के डर में रहते हैं। उस स्थिति में वे तथा उनके परिवार भूख से मरेंगे। भारत सरकार ने गृह आधारित मजदूरों पर आई एल ओ कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की है हालांकि इसने आई एल ओ कान्फ्रेंस में इसके पक्ष में मतदान किया था।

सेवायोजक, जिनमें राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय बड़ी निगमें भी शामिल हैं गृह आधारित मजदूरों के लिए काम की आउटसोसिंग

30 वर्षीय कुप्पाम्मा बंगलोर में रहती हैं। वे पिछली 15 साल से अगरबत्ती बना रही हैं। वे ब्रांड के मालिक को नहीं जानतीं किंतु उन्हें अपनी पड़ौसिन 'लक्ष्मी' से काम मिलता है। उन्हें 1000 अगरबत्ती बनाने के लिए 11 रु० मिलते हैं। पिछले 4-5 सालों से मजदूरी उतनी ही है। पांच घंटे प्रति दिन काम करके वे 2,000 अगरबत्ती बनाती हैं और उन्हें 22 रु० प्रति दिन मिलता है। उन्हें सप्ताह में 4-5 दिनों के लिए ही काम मिलता है। उन्हें कोई और लाभ नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 सालों में उन्हें नियमित रूप से काम नहीं मिल रहा और काम की क्वालिटी भी कम हुई है। इसके परिणामस्वरूप उनकी आमदनी भी कम हुई है। अगरबत्ती बनाते समय जिस तरह उन्हें बैठना और हाथ चलाने पड़ते हैं उससे उनकी कमर, पेट और हाथों में दर्द रहता है। वे किसी यूनियन की सदस्य नहीं हैं। वे निश्चित रूप से नहीं कह सकतीं कि वे यूनियन में शामिल होना चाहती हैं।

कर रहे हैं। यहां तक कि रेफ्रीजरेटर और एयर कंडीशनर जैसे उत्पादों विनिर्माण से जुड़े काम को भी गृह आधारित मजदूरों में दिया जा रहा है।

त्रिपुर का निटवीयर उद्योग, उत्पादन के फैक्ट्री से गृह आधारित मजदूरों में शिफ्ट किए जाने का एक उदाहरण है। 1970 तक उत्पादन मिलों में किया जाता था जहां महिलाओं को रोजगार में नहीं रखा जाता था। 1980 के दशक की शुरुआत में काम को हिस्सों में बांटा जाना शुरू हो गया। महिलाएं परिवार के पुरुष सदस्यों के साथ, कटिंग, फोल्डिंग और व्यवस्थित करने में उनकी मदद के लिए काम करने लगीं। इसमें से कुछ काम घर में किया जाता था। पुरुष मजदूर इसे घर ले आते थे और महिलाएं अधिकांशत: भुगतान रहित काम को करती थीं। 1985 के बाद जबकि निर्यात कई गुना बढ़ गए हैं, उप ठेके की प्रक्रिया स्थपित हो गई हैं और अब महिलाएं श्रमशक्ति का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा हैं। उन्हें बहुत कम भुगतान किया जाता है और उनके लिए रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है।

कामकाजी महिलाओं की मुख्य समस्याएं

समान वेतन कानून के शोर-शराबे के साथ पारित किए जाने के 28 वर्ष से भी अधिक के समय के बाद भी यह लागू नहीं हुआ है, खास तौर से असंगठित क्षेत्र में। महिला खेतमजदूरों, निर्माण मजदूरों, बीड़ी मजदूरों, दुकान कर्मचारियों आदि को उनके पुरुष साथियों से कम वेतन दिया जाता है। रोजगारों को पुरुष ओर महिला रोजगारों में बांट दिया गया है। तथाकथित 'महिला रोजगारों' के लिए कम वेतन निर्धारित किया जाता है, हालांकि वे कमरतोड़ और कठोर मेहनत वाले हैं। आंध्र प्रदेश में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि गन्ने के खेतों में महिलाओं से काम कराया जाता है जोकि पुरुषों द्वारा किया जाता था और उन्हें पुरुषों की तुलना में 30 से 50 प्रतिशत कम मजदूरी दी जाती है। एक एकड़ में गन्ना बोने के लिए 8 पुरुष लगाए गए और उन्हें प्रति दिन 300 रुपये भुगतान किया गया। अब, उसी काम के लिए 10 महिलाओं को लगाया जा रहा है और उन्हें 200 रुपये प्रति दिन अदा किए जा रहे हैं। एक महिला को एक पुरुष से 17.50 रुपये प्रति दिन कम दिया जाता है, जबकि मालिक को एक दिन में प्रति एकड़ 100 रुपयें की बचत होती है।

कामकाजी महिलाओं को अक्सर प्रशिक्षण और प्रमोशन के अवसरों से वंचित रखा जाता है। उतनी ही योग्यता, सेवा और गुण, जितने पुरुषों में हैं, होने के बावजूद उन्हें अक्सर प्रमोशनो से वंचित रखा जाता है। महिलाएं अधिकतर निचले रोजगारों में पायी जाती हैं, कम ही महिलाएं प्रबंधकीय पदों पर होती हैं या कोई नहीं होती। यहां तक कि आज एयर इंडिया में काम

करने वाली 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को सेवानिवृत कर दिया जाता है, जबकि उनके पुरुष साथियों को 58 वर्ष तक उड़ान भरने की इजाजत दी जाती है।

असंगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाओं को मातृत्व लाभ नहीं मिलते। भारत सरकार ने यहां तक कि मातृत्व लाभ पर आई एल ओ कन्वेंशन की भी पुष्टि नहीं की है। हालांकि दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने असंगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं की भारी प्रशंसा की है, लेकिन अंत में इसने सिफारिश की कि असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के लिए अंशदायी मातृत्व बीमा होना चाहिए। इसमें सरकारी अंशदान का कोई जिक्र नहीं था।

अनेक अध्ययनों ने संकेत किया है कि संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को अपने कामकाजी जीवन में किसी न किसी समय अपने सुपरवाइजरों, साथियों या काम की जगह पर ग्राहकों की ओर से यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। पतनशील संस्कृति का मुक्त आयात, मीडिया में महिलाओं का यौन वस्तुओं के रूप में भद्दा प्रदर्शन, तथा महिलाओं के शरीर का बढ़ता वस्तुकरण आदि के कारण महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न भी शामिल है।

यौन उत्पीड़न पर सर्वोच्च न्यायालय के छः वर्ष से भी पहले के फैसले के बावजूद सरकार को इस मुद्दे पर अभी कानून बनाना बाकी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप बहुत कम प्रतिष्ठानों में जिनमें सार्वजनिक प्रतिष्ठान भी शामिल हैं, शिकायत कमेटियां बनाई जाती हैं। यहां तक कि जो बनाई गई हैं उन्हें भी ठीक से चलने नहीं दिया जाता। उनकी सिफारिशों की अक्सर अनदेखी की जाती है। महानगरों में 85 प्रतिशत से भी अधिक कामकाजी महिलाएं, अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की बात तो दूर हैं, यौन उत्पीड़न और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से परिचित नहीं हैं।

पिछली कान्फ्रेंस की गतिविधियां

आम तौर पर कामकाजी महिलाओं के बीच सीटू की गतिविधियां लगभग सभी राज्यों में बढ़ी हैं। सीटू के अभियानों और संघर्षों में अधिक महिलाएं भाग लेती हैं। सीटू राज्य कमेटी की यह आम मान्यता है कि सीटू की गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका को सुधारने की आवश्यकता है। सीटू में महिलाओं की सदस्यता अखिल भारतीय स्तर पर बढ़कर लगभग 20 प्रतिशत तक पहुंच गई है। कुछ चंद राज्यों में सीटू में महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है, जबकि कुछ अन्य में 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के बीच है। कई सीटू राज्य कमेटियों में अब एक या अधिक महिला पदाधिकारी हैं। ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू तथा कुछ राज्य समन्वय समितियों की गतिविधियों में कुछ सुधार हुआ है। किंतु कमजोरियां अभी बनी हुई हैं और उन्हें दूर करने की जरूरत है ताकि कामकाजी महिलाओं के बीच काम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी गुंजाइश का उपयोग हो सके।

यह नोट करना खुशी की बात है कि कामकाजी महिला मोर्चे पर सीटू और ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू के लगातार के लगातार प्रयत्नों के फलस्वरूप यह बात सामने आई हैं कि कुछ बिरादराना संगठन अपनी यूनियनों की गतिविधियों में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयत्न कर रहे हैं।

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन और भारतीय बैंक कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी अखिल भारतीय कान्फ्रेंस के अवसर पर विशेष महिला सत्र/कन्वेंशनें आयोजित की हैं और अखिल भारतीय स्तर पर महिला उप समितियों

का गठन किया है। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी एसोसिएशन कुछ सालों से ब्रांच और डिवीजन स्तरों पर नियमित रूप से महिला कर्मचारियों की कन्वेंशनें आयोजित कर रही है। कुछ जोनों में जोनल कन्वेंशन भी आयोजित की जाती हैं। ब्रांच, डिवीजनल और कुछ जोन स्तरीय महिला उप समितियों का गठन भी किया गया है। इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप अधिक से अधिक महिला कर्मचारी यूनियन की गतिविधियों में जिम्मेदारी लेने के लिए सामने आ रही हैं। कुछ जोनों में महिलाएं डिवीजन और जोन स्तर पर महत्वपूर्ण पदाधिकारी चुनी जाती हैं।

ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू केंद्र

इस समय केंद्र से तीन कामरेड सीटू हैडक्वार्टर में काम कर रही हैं। सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू के काम के अतिरिक्त ये कामरेड उद्योगों में कुछ फेडरेशनों में जिम्मेदारी निभा रही हैं, जहां बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं कार्यरत हैं जैसे आंगनवाड़ी फेडरेशन, बीड़ी फेडरेशन, प्लांटेशन फेडरेशन, फिशरमैन एंड फिशरीज वर्कर्स फेडरेशन तथा ई पी जेड समन्वय समिति। इन फेडरेशनों में कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। किन्तु इन कामरेडों के काम में सुधार की गुंजाइश है।

ए अई सी सी डब्ल्यू की मीटिंगों में सदस्यों की उपस्थिति में केवल थोड़ा सा सुधार हुआ है। औसत उपस्थिति केवल 50 प्रतिशत से कुछ ही ऊपर होती है। गंभीर चिंता का विषय यह है कि कुछ राज्य सी सी डब्ल्यू डब्ल्यूज़ की संयोजक मीटिंगों में नियमित रूप से भाग नहीं लेतीं जिससे ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू के निर्णयों को लागू करने में दिक्कतें आती हैं। कुछ साथियों को अखिल भारतीय और राज्य स्तरों पर सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू की मीटिंगों में जाने के लिए यात्रा खर्च वहन करने में आर्थिक दिक्कतें आती हैं और ये दिक्कतें जारी हैं, हालांकि आम तौर पर इस समस्या का समाधान अब सीटू की राज्य कमेटियां कर रही हैं। यदि हम ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू के कामकाज में सुधार के लिए गंभीर हैं तो हमें इन कमजोरियों को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। **यह किया जा सकता है यदि सीटू राज्य कमेटियां कामरेडों को नामांकित करें जो मीटिंगों में भाग लेने की स्थिति में हों और सुनिश्चित करें कि उनके यात्रा खर्च दिए जाएं।**

ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू की छठी कान्फ्रेंस की सिफारिशों को सीटू की 10वीं कान्फ्रेंस के सामने रखा गया था, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया। ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू केंद्र ने कामकाजी महिलाओं के बीच हमारे काम से संबंधित 10वीं कान्फ्रेंस के निर्णयों का लागू करना सुनिश्चित करने के प्रयत्न किए हैं। हालांकि निर्णयों को लागू करने में कुछ सुधार हुआ है फिर भी कई राज्य सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू तथा सीटू राज्य कमेटियां कामकाजी महिलाओं के बीच काम को लागू करने के काम को आवश्यक गंभीरता से नहीं लेतीं।

इस कमजोरी पर काबू पाने के लिए केंद्र ने सीटू राज्य नेतृत्व और सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू के राज्य संयोजकों के साथ 5 दिसंबर 2002 को दिल्ली में मीटिंग करने की पहल की। 17 राज्यों से 37 कामरेडों ने इस मीटिंग में भाग लिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ बड़े राज्यों से सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू के राज्य संयोजकों और सीटू राज्य कमेटी नेतृतव ने इस महत्वपूर्ण मीटिंग में भाग नहीं लिया। एम के पंधे, सीटू जनरल सेक्रेट्री, कनाई बनर्जी और डब्ल्यू आर वरद राजन, दोनों सीटू सचिव, ने इस मीटिंग में भाग लिया।

चर्चा एक नोट के आधार पर हुई जिसमें सीटू द्वारा कामकाजी महिलाओं के बीच काम के बारे में लिए गए निर्णयों को कुछ

राज्य कमेटियों द्वारा लागू करने में विफलता के कारणों की पहचान करने की कोशिश की गई। मीटिंग का विचार था कि राज्य कमेटियों ने कामकाजी महिलाओं के बीच काम को गंभीरता से नहीं लिया और इन पर उचित ध्यान नहीं दिया। मीटिंग में यह भी नोट किया गया कि महिलाओं की समस्याओं के प्रति सामंती नजरिया और समन्वय समितियों तथा महिला उप समितियों की भूमिका और कामकाज के बारे में उचित समझ की कमी पुरुष और महिला, दोनों कैडरों में विभिन्न स्तरों पर जारी है। इस कमजोरी पर काबू पाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि ऐसी मीटिंगों का आयोजन सभी राज्य कमेटियों द्वारा किया जाना चाहिए और कामकाजी महिलाओं के लिए अलग ट्रेड यूनियन कक्षाएं लगाई जानी चाहिएं। आंध्र प्रदेश और केरल सीटू राज्य कमेटियों ने ऐसी मीटिंगें आयोजित करने की कोशिश की हैं, हालांकि कम उपस्थिति के कारण उचित निर्णय नहीं लिए जा सके। **कामकाजी महिलाओं की राज्य कमेटी को यह सुनिश्चित करने की पहल करनी चाहिए कि ऐसी मीटिंगें जल्दी से जल्दी हों। चर्चाएं प्रत्येक राज्य की ठोस स्थिति के आधार पर होनी चाहिएं।**

ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू केंद्र 2001 से विमल रणदिवे स्मृति व्याख्यान आयोजित कराता रहा है। पहला विमल रणदिवे स्मृति व्याख्यान 'असंगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव' विषय पर प्रमुख अर्थशास्त्री जयती घोष द्वारा दिया गया। दूसरा व्याख्यान तत्कालीन ए आई आई ई ए महासचिव एन एम सुंदरम ने 'श्रम कानून सुधार और कामकाजी महिलाओं पर उनके प्रभाव' पर आयोजित किया गया। तीसरा व्याख्यान 2003 में 'वैश्वीकरण, युद्ध और कामकाजी महिलाएं' पर प्रसिद्ध पत्रकार नलनी तनेजा ने दिया।

सीटू की 10वीं कान्फ्रेंस के लिए कामकाजी महिलाओं को 15 प्रतिशत का कोटा दिया गया था। किंतु सीटू की 10वीं कान्फ्रेंस में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी केवल 10.8 प्रतिशत थी। हालांकि कई राज्यों ने कोटा के अनुरूप महिला डेलीगेटों को चुना था, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मजबूत राज्यों से महिला डेलीगेट कोटा से काफी कम थीं। सीटू में महिलाओं की सदस्यता में वृद्धि को देखते हुए कटक में 24-27 जुलाई 2003 को हुई सीटू की जनरल काउंसिल की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि चेन्नई में होने वाली सीटू की 11वीं कान्फ्रेंस में 15 प्रतिशत महिला सदस्यता के साथ सभी राज्यों में 20 प्रतिशत महिला डेलीगेट होनी चाहिएं और दूसरे राज्यों में कम से कम 15 प्रतिशत डेलीगेट होनी चाहिएं। राज्य समन्वय समितियों को प्रयत्न करने चाहिएं कि इसके पालन को सुनिश्चित किया जाए।

राज्य में गतिविधियां

केंद्र में प्राप्त सूचना के अनुसार पिछली कान्फ्रेंस के बाद राज्य समन्वय समितियों की गतिविधियों में कुछ सुधार हुआ है। किंतु कार्यप्रणाली में जो एक प्रमुख कमजोरी बनी हुई है वह यह है कि कई राज्य सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू, खास तौर से बड़े राज्य, अपनी कार्रवाइयों की रिपोर्ट नहीं भेजते। फिर भी जो भी सूचना हमारे पास है उसके आधार पर विभिन्न राज्यों के अनुभवों का विश्लेषण करना और अपनी कार्यप्रणाली को और अधिक सुधारने के लिए कदम उठाना आवश्यक है।

कई राज्यों में पिछली सीटू कान्फ्रेंस से पहले राज्य कन्वेंशनों का आयोजन किया गया था और राज्य समन्वय समितियों का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिल नाडु, त्रिपुरा, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल में सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू का गठन किया गया। किन्तु इनमें से कुछ ही नियमित रूप से काम कर रही हैं। लगभग 9 राज्य सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू कुछ हद तक काम कर रही हैं और ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू और सीटू के निर्णयों को लागू कर रही हैं। कुछ राज्यों में सीटू से संबद्ध यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

मीटिंगों में भाग नहीं लेते। कुछ राज्यों जैसे तमिल नाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जिला समन्वय समितियों का गठन किया गया है। तमिल नाडु में राज्य के 34 जिलों में से 30 में जिला समन्वय समितियों का गठन किया गया है। त्रिपुरा में सब डिवीजनल स्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया गया है। किंतु निचले स्तरों पर अधिकांश समन्वय समितियों की कार्यप्रणाली में काफी सुधार की जरूरत है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ राज्यों में ज्यादा कामकाजी महिलाओं वाले उद्योगों में कुछ यूनियनों में महिला उप समितियों का गठन किया गया है। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम स्टाफ और मजदूर फेडरेशन ने राज्य स्तर पर और कई जिलों में महिला उपसमितियों का गठन किया है और उन्हें सक्रिय बनाने के गंभीर प्रयत्न कर रहा है। मेडीकल एंड हैल्थ एम्प्लॉईज यूनियन में भी महिला उप समितियों का गठन किया गया है। पश्चिम बंगाल में बीड़ी और बागान यूनियनों में महिला उपसमितियों का गठन किया गया है।

तमिल नाडु सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू ने इस काम को गंभीरता से लिया है और कई उद्योगों में कई यूनियनों में महिला उप समितियों का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय महिला उप समितियां बिजली बोर्ड, जल-मल बोर्ड, निर्माण मजदूर फेडरेशन आदि में सीटू से संबद्ध यूनियनों में काम कर रही हैं। निर्माण फेडरेशन और माचिस मजदूर यूनियनों, बीड़ी मजदूरों, टेलरिंग मजदूर, पापड़ बनाने वालों, खदान मजदूरों, फिशरीज मजदूरों, हैंडलूम मजदूरों और विभिन्न जिलों के साल्ट पैन वकर्स में जिला स्तरीय उप समितियों का गठन किया गया है।

पिछली कान्फ्रेंस ने आह्वान किया था कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने में सीटू से संबद्ध यूनियनों को शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। सीटू की 10वीं कान्फ्रेंस ने इस निर्णय का अनुमोदन कर दिया। तद्नुरूप ही, सीटू यूनियनों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की पहल करने का आग्रह किया जा रहा है। पिछले दो सालों में इस पहल को हाथ में लेने वाली यूनियनों की संख्या बढ़ी है। तमिल नाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आदि में कार्यस्थल पर ग्रुप मीटिंगों, कन्वेंशनों, कामकाजी महिलाओं की मांगों के साथ बैज पहनना, सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए 8 मार्च मनाया गया। इन कार्यक्रमों में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। पुरुष मजदूरों को भी इन गतिविधियों में भी शामिल किया जाता है।

कामकाजी महिलाओं की चार मुख्य समस्याओं पर पिछली कान्फ्रेंस में जिस अभियान का हमने निर्णय किया था वह तमिल नाडु को छोड़कर सफलता पूर्वक तरीके से नहीं चलाया जा सका। तमिल नाडु से राज्य सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू ने गंभीरतापूर्वक अभियान चलाया। किंतु कामकाजी महिलाओं की समस्याओं, खास तौर से यौन उत्पीड़न को लेकर कई राज्यों में अभियान चलाए गए। कई राज्यों जैसे तमिल नाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि में सर्वेक्षण करना, पर्चा बांटना, प्रैस सम्मेलन करना, ग्रुप मीटिंगों, राउंड टेबल मीटिंगों, कन्वेंशनों आदि का आयोजन किया गया। तमिल नाडु सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू द्वारा किए गए आह्वान के अनुरूप चेन्नई में कामकाजी महिलाओं की मांगों को लेकर विभिन्न उद्योगों से 700 से भी अधिक कामकाजी महिलाओं ने जुलूस में भाग लिया। तमिल नाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में समन्वय समितियों ने यौन उत्पीड़न के केसों में हस्तक्षेप किया है।

आम तौर पर राज्य सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू ने सीटू के अभियानों और संघर्षों, जिनमें हड़ताल भी शामिल है, में बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाओं को लामबंद किया है। सरकार की नीतियों के विरोध में, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर 8

जनवरी 2003 को बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाओं ने गिरफ्तारी दी। 26 फरवरी 2003 के 'संसद मार्च' में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी प्रभावशाली थी। आंगनवाड़ी कर्मचारियों, बीड़ी मजदूरों, खदान मजदूरों, बागान मजदूरों तथा ईंट-भट्टा मजदूरों आदि समेत लाखों महिला मजदूरों ने 21 मई 2003 की आम हड़ताल में भाग लिया। राज्य सी सी डब्लयू डब्ल्यू ने सभी गतिविधियों में कामकाजी महिलाओं को लामबंद करने के प्रयत्न किए।

केरल और तमिल नाडु सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू ने अपने राज्य में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के अवसर पर सक्रिय भूमिका निभाई। राज्य/जिला सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू की सदस्यों समेत अनेक महिला कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और 10-14 दिन के लिए जेल में रखा गया। तमिल नाडु में आंगनवाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन की कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया और जेल में रखा गया।

मोटे तौर पर यह स्पष्ट था कि जबकि कुछ राज्य समन्वय समितियों की गतिविधियों में सुधार हुआ है, कई दूसरे राज्यों में सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू की कार्यप्रणाली में सुधार की तत्काल जरूरत है। कामकाजी महिलाओं की चेतना को ऊपर उठाने के लिए और अधिक कोशिशों की जरूरत है। गृह आधारित मजदूरों को संगठित करने पर ध्यान केंद्रित करने और असंगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं को संगठित करने के लिए हमारे प्रयत्नों को तेज करने की भी जरूरत है। इस कान्फ्रेंस में एक विशेष दस्तावेज प्रस्तुत किया जा रहा है, जो पारित होने के बाद गृह आधारित मजदूरों के बीच हमारे काम का आधार होगा।

असंगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं को संगठित करना

असंगठित क्षेत्र में अधिकांश महिलाएं ट्रेड यूनियन आंदोलन के दायरे से अब भी बाहर हैं—उन क्षेत्रों में भी जहां सीटू की मजबूत उपस्थिति है। हालांकि असंगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं की स्थिति पर वैश्वीकरण की नीतियों के ठोस प्रभाव का अध्ययन करने की कोशिश की गई हैं, ये सफल नहीं थीं। शुरुआत के लिए ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू ने दक्षिण राज्यों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिल नाडु में हैंडलूम, निर्माण, और फिशरीज़ में महिलाओं पर अध्ययन करने का निर्णय लिया। इन क्षेत्रों में महिलाओं की समस्याओं को समझने और संपर्क विकसित करने में राज्य सी सी डब्ल्यू डब्ल्यूज़ की मदद करने के लिहाज से ऐसा किया गया ताकि उन्हें उनकी विशेष मांगों पर संगठित करने के प्रयत्न किए जा सकें। एक पश्नावली तैयार की गई और इन राज्यों को भेजी गई। किन्तु अध्ययन अभी पूरा किया जाना बाकी है।

राज्य सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू को उन उद्योगों की पहचान करनी होगी जहां महिलाएं बड़ी संख्या में काम करती हैं, उनकी समस्याओं का अध्ययन करना पड़ेगा, ठोस मांगों को सूत्रबद्ध करना पड़ेगा और उन्हें संगठित करने हेतु रणनीति बनानी होगी। इस ओर आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु और केरल आदि में कुछ प्रयत्न किए गए। घरेलू मजदूरों, पापड़ मजदूरों, मछली बेचने वालों, दर्जियों और खाद्य संसाधित करने में लगी महिलाओं, आदि को संगठित किया गया है। विशाखापटनम में सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू ने कॉफी बागानों में मजदूरों को, जो अधिकतर महिलाएं हैं, संगठित करने में सक्रिय भागीदारी की है।

किन्तु इन प्रयत्नों को सभी राज्यों में और पहचाने गए क्षेत्रों में कई गुना बढ़ाने की जरूरत है। महिला कार्यालय कर्मचारियों, जोकि शिक्षित हैं और संगठन करने की क्षमता रखती हैं, को असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को संगठित करने के लिए पहल करनी चाहिए।

पत्रिकाएं

वोइस ऑफ वर्किंग वूमैन को जनवरी 2002 से मासिक कर दिया गया है। पत्रिका की विषय सामग्री और साज-सज्जा को भी सुधारने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि इसे पाठकों के लिए और भी आकर्षक और सूचनाप्रद बनाया जा सके। पत्रिका की, सूचनाप्रद होने और यूनियन कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी होने की आम तौर पर प्रशंसा की जा रही है। केंद्र कान्फ्रेंसों, जनरल काउंसिल और अन्य मीटिंगों के अवसर को पत्रिका बेचने के लिए उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। हैदराबाद में एशियन सोशल फोरम के समय लगभग 1000 पत्रिकाएं बिकीं।

किन्तु पत्रिका के वार्षिक ग्राहकों की संख्या पिछली कान्फ्रेंस से लगभग स्थिर रही है। यह 3,700 पर पहुंच गई थी किंतु अब घट कर 3,234 रह गई है। राज्य सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी ग्राहक अपनी सब्स्क्रिप्शन का नवीनीकरण कराएं ताकि उनकी सब्स्क्रिप्शन बनी रहे। हालांकि ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू की सभी मीटिंगों में इस विषय पर नियमित रूप से चर्चा होती है और सर्वसम्मति से कोटा लिए जाते हैं, राज्य सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू ने सब्स्क्रिप्शन को बढ़ाने के लिए जोरदार अभियान चलाने के निर्णय को लागू करने के गंभीर प्रयत्न नहीं किए हैं। हमें बीमा, बैंकों, राज्य और केंद्र सरकार की इकाइयों आदि में अंग्रेजी पढ़ने वाली महिलाओं के बीच जो हमारे संपर्क हैं उनका उपयोग सब्स्क्रिप्शन बनाने के अभियान के निर्णय को लागू करने के सच्चे प्रयत्न करने पड़ेंगे। हम परिशिष्ट में दिए गए कोटाओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं यदि राज्य सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू उचित योजना बनाएं और गंभीर प्रयत्न करें।

हिंदी 'पत्रिका' जिसे एक न्यूज लैटर के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कामकाजी महिलाओं के लिए निकाला गया था अब एक त्रैमासिक बुलेटिन के रूप में निकाली जा रही है। सर्कुलेशन लगभग 2000 है और लगभग सभी ग्राहक हिंदी राज्यों से आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं। 'पत्रिका' को हिंदी भाषी राज्यों में कामकाजी महिलाओं के दूसरे तबकों तक ले जाने की जरूरत है। यदि हिंदी भाषी राज्यों के साथी गंभीरतापूर्वक प्रयत्न करें तो सर्कुलेशन को 5000 से ऊपर तक बढ़ाया जा सकता है।

सीटू में महिलाएं

जैसा कि पहले नोट किया गया है सीटू में कामकाजी महिलाओं की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है और विभिन्न स्तरों पर सीटू कमेटियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व तथा विभिन्न औद्योगिक फेडरेशनों की कमेटियों में उपस्थिति में भी वृद्धि हुई है। सीटू में महिलाओं की सदस्यता जो 1998 में 15.91 प्रतिशत थी, 2001 में बढ़कर 19.08 प्रतिशत हो गई। 2000 में यह 20.68 प्रतिशत थी। महिलाएं 2001 में कर्नाटक में सीटू सदस्यता की 55 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश में 48.65 प्रतिशत थीं। उसी साल आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा और केरल में यह संख्या 20 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के बीच थी। यह नोट करने की बात है कि वार्षिक रिटर्न फाइल करते हुए अनेक यूनियनें महिला सदस्यों की संख्या अंकित नहीं करतीं। यदि इसे सुधारा जाए तो महिला सदस्यों की संख्या वास्तव में इससे अधिक होगी। राज्य सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वार्षिक रिटर्न फाइल करते हुए महिला सदस्यता का ठीक से जिक्र किया जाए।

लगभग सीटू की सभी राज्य कमेटियों और कई जिला कमेटियों में इस समय महिला सदस्य हैं और कई में कम से कम एक पदाधिकारी है, हालांकि यह सीटू में महिला सदस्यों के अनुरूप पर्याप्त नहीं है। बीड़ी मजदूर फेडरेशन, बागान मजदूर फेडरेशन, और निर्माण मजदूर फेडरेशन आदि की कार्य समितियों में महिला सदस्यों की संख्या भी बढ़ी है। सीटू राज्य

कमेटियों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ये महिलाएं नियमित रूप से मीटिंगों में भाग लें और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छी तरह निभाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए।

तमिलनाडु का अनुभव दिखाता है कि यदि सीटू राज्य कमेटी द्वारा नियमित मार्गदर्शन किया जाए तो न केवल सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा बल्कि बड़ी संख्या में महिला कैडरों का विकास होगा। राज्य में शिक्षित महिला कार्यालय कर्मचारियों की बड़ी संख्या सीटू की रोजमर्रा की गतिविधियों से नजदीकी से जुड़ी है और उनमें से अनेक सीटू राज्य कमेटियों की सदस्य और पदाधिकारी चुनी जाती हैं।

कामकाजी महिलाओं के बीच हमारे काम के महत्व के बारे में जानकारी पैदा करने के लिए 'कामकाजी महिलाएं और वर्गीय दृष्टिकोण' को विषय के रूप में सीटू की आम ट्रेड यूनियन कक्षाओं में रखना आवश्यक है। कामकाजी महिला कार्यकर्ताओं के लिए अलग ट्रेड यूनियन कक्षाएं भी लगाना आवश्यक है।

कामकाजी महिलाओं के बीच हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि कामकाजी महिलाओं की सभी राज्य समन्वय समितियां देश में कामकाजी महिलाओं की निम्नलिखित मांगों पर व्यापक अभियान चलाएं।

कामकाजी महिलाओं की मांगें

1. **वैश्वीकरण और उदारीकरण की मजदूर विरोधी/महिला विरोधी नीतियों को बदलो।**
2. **श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी सुधारों को बंद करो।**
3. **किसी भी रूप में महिलाओं की छंटनी पर रोक लगाओं। महिलाओं के लिए, एक नीतिगत विषय के रूप में, अधिक रोजगार अवसर पैदा करो।**
4. **बेरोजगारी लाभ उन सभी को दिया जाए जिनकी छंटनी की गई है और जिनके नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं।**
5. **आठ घंटे के काम को ई पी जेड्स तथा असंगठित क्षेत्र समेत सभी कामकाजी महिलाओं के लिए सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।**
6. **काम के लिए समान वेतन और समान अवसर।**
7. **सार्वजनिक और निजी, दोनों ही क्षेत्रों में प्रशिक्षण, प्रमोशन, तैनाती (डेप्लॉयमेंट) और सेवानिवृति में कोई भेदभाव न किया जाए।**
8. **असंगठित क्षेत्र और कृषि कामकाजी महिलाओं समेत सभी कामकाजी महिलाओं को मातृत्व लाभ दिए जाएं। इनमें गर्भपात को भी शामिल किया जाए।**

9. **15वें आई एल सी की सिफारिशों के अनुरूप राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निश्चित किया जाए और उसे सख्ती से लागू किया जाए।**

10. **यौन उत्पीड़न पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सभी प्रतिष्ठानों में सख्ती के साथ लागू किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देषों के अनुरूप शिकायत समितियां बनाई जाएं। काम की जगह यौन उत्पीड़न के खिलाफ तुरंत कानून बनाया जाए।**

11. **गृह आधारित मजदूरों पर आई एल ओ की कन्वेंशन की पुष्टि करो और गृह आधारित मजदूरों के लिए कानून बनाओ।**

12. **काम की जगह क्रेच प्रदान किए जाएं। कामकाजी महिलाओं को अपने बच्चों को दूध पिलाने का समय दिया जाए।**

13. **रात के काम के लिए कोई खुली छूट नहीं दी जाए।**

काम

हमने अपनी पिछली कान्फ्रेंस में नोट किया था कि जैसे-जैसे पूंजीवादी प्रणाली का संकट बढ़ता है, शासक वर्ग शोषण तेज करके बोझ को मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता पर लादने की कोशिश करेंगे। वे मजदूरों व जनता के जनतांत्रिक अधिकारों पर हमला करने से झिझकेंगे नहीं। राज्य की सभी शाखाओं—कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पुलिस—का उपयोग उनके हमलों के किसी भी विरोध को दबाने के लिए किया जाएगा। यही हमने इस अवधि में देखा है। हमें सीटू के झंडे तले कामकाजी महिलाओं के सभी हिस्सों को संगठित करने, प्रशिक्षित और शिक्षित करने के प्रयत्नों को तेज करना पड़ेगा ताकि उनकी चेतना को ऊपर उठाया जा सके और उनकी आजीविका पर हमलों को कारगर ढंग से रोकने के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। हमें उनको महसूस कराना चाहिए कि मजदूर वर्ग के हिस्से के तौर पर कामकाजी महिलाओं का शोषण तब तक जारी रहेगा जब तक पूंजीवादी समाज रहेगा। कामकाजी महिलाओं के शोषण के अंत का आधार केवल समाजवादी समाज में ही स्थापित किया जा सकता है जहां एक इंसान का दूसरे इंसान द्वारा शोषण नहीं किया जाएगा। हमें इस जानकारी को कामकाजी महिलाओं के बीच पैदा करना चाहिए।

इसको दृष्टि में रखते हुए अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समित सभी राज्य कामकाजी महिला समन्वय समितियों का आह्वान करना चाहती है कि वे निम्नलिखित कार्यों को तत्परता और गंभीरता से हाथ में लें:

1. **राज्य सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू के साथ सीटू के राज्य नेतृत्व की मीटिंगें की जाएं जैसी कि दिल्ली में हुई 5 दिसंबर 2002 की मीटिंग में सिफारिश की गई थी।**

2. **कामकाजी महिलाओं की राज्य और जिला समन्वय समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाए।**

3. **स्थानीय मीटिंगों, जिला व राज्य स्तरीय कन्वेंशनों आदि के जरिए कामकाजी महिलाओं की मांगों पर**

व्यापक अभियान चलाए जाएं, जिनकी परिणति अप्रैल 2004 में दिल्ली में कामकाजी महिलाओं की विशाल लामबंदी में होगी।

4. राज्य में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करें और इन क्षेत्रों/उद्योगों में कामकाजी महिलाओं को संगठित करने के लिए योजना तैयार करें।

5. सीटू में महिलाओं की सदस्यता बढ़ाओं। सीटू कमेटियों और विभिन्न स्तरों पर इसकी संबद्ध यूनियनों में नेतृत्व की पोजीशंस में पर्याप्त महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें।

6. गृह आधारित मजदूरों को संगठित करने पर ध्यान केंद्रित करें। उन रोजगारों की पहचान करें जिनमें गृह आधारित महिला मजदूर बढ़ी संख्या में हैं, प्राथमिकताएं तय करें, उनकी स्थितियों का अध्ययन करें और उन्हें संगठित करने के लिए योजना तैयार करें।

7. सीटू से संबद्ध यूनियनों/फेडरेशनों, जहां महिलाएं बड़ी संख्या में हैं, में कामकाजी महिलाओं की उपसमितियों का गठन सुनिश्चित किया जाए।

8. कामकाजी महिला उपसमितियों की उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जाए।

9. कामकाजी महिलाओं के लिए अलग राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियन कक्षाएं नियमित आधार पर लगाएं।

10. 'वोइस ऑफ वर्किंग वूमेन' के लिए ग्राहक बनाने के लिए अभियान चलाएं और 2004 के अंत से पहले सर्कुलेशन 5000 तक बढ़ाएं और 'पत्रिका' की सर्कुलेशन 5000 तक बढ़ाएं।

इनके अलावा विभिन्न स्तरों पर कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों की बेहतर कार्यप्रणाली के लिए और सीटू की सदस्यता में, और विभिन्न स्तरों पर इसकी कमेटियों में, महिलाओं के प्रतिनिधित्व में और भी सुधार के लिए ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू की 7वीं कान्फ्रेंस का यह भी सुझाव है कि सीटू के निम्नलिखित निर्णयों को, कारगर तरीके से लागू करने के लिए, सीटू की 11वीं कान्फ्रेंस द्वारा दोहराया जाए:

- कामकाजी महिलाओं के बीच में काम के लिए राज्य केंद्र में एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता को रखा जाए— महिला हो तो बेहतर होगा। यदि महिला उपलब्ध नहीं है तो एक पुरुष साथी को जिम्मेदारी दी जाए।

- कामकाजी महिलाओं के बीच काम का मार्गदर्शन करने के लिए सीटू राज्य कमेटी के एक पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी जाए और काम की प्रगति को समय-समय पर मोनीटर किया जाए।

- यह सुनिश्चित करें कि यूनियन/सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू गतिविधियों में भागीदारी के लिए महिला सदस्यों के खर्च संबद्ध कमेटियों द्वारा वहन करे जाएं।

● **सीटू कार्यकर्ताओं के लिए आम ट्रेड यूनियन कक्षाओं में पाठ्यक्रम के हिस्से के तौर पर लैंगिक मुद्दों को शामिल किया जाए।**

मुझे विश्वास है कि सभी डेलीगेट रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और अपने गहरे और विविध अनुभव से इसे और भी समृद्ध बनाएंगे।

अभिवादन के साथ

भवदीय

हेमलता

सेक्रेट्री

अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति (सीटू)

की

7 वीं कान्फ्रेंस

11-12 अक्टूबर, 2003

सुशीला गोपालन नगर, मुंबई

गृह आधारित मजदूरों पर चर्चा के लिए नोट

साम्राज्यवादी नव उदारीकरण की नीतियों के कारण हमारे देश में पहले से ही मौजूद विशाल असंगठित क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है। देश में 90 प्रतिशत से भी अधिक श्रममशक्ति असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है जिसमें से 96 प्रतिशत महिला मजदूरों को लगाया जाता है। उनमें से अधिकांश ठेका, केजुअल, अंशकालिक, अस्थाई या गृह आधारित मजदूरों के रूप में काम करती हैं।

गृह आधारित कार्य को उस उत्पादन प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके तहत किसी संस्थान का कार्य कर्मचारी के इच्छित स्थान, आम तौर से उसके घर, पर किया जाता है। गृह आधारित कार्य हैंडीक्राफ्ट या कुटीर उद्योग से इस मामले में अलग है कि यह उत्पादन स्वतंत्र रूप में होता है। गृह आधारित मजदूर यह तय करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते कि वे क्या उत्पादन करेंगे और वे अपने उत्पादों को बाजार में नहीं बेचते। वे प्रतिष्ठान द्वारा दिए गए काम पर निर्भर होते हैं जोकि अधिकतर बिचौलिए या ठेकेदार /उप ठेकेदार के जरिये मिलता है।

वैश्वीकरण के युग में गृह आधारित काम में वृद्धि हुई है। पूंजीवादी उत्पादन के पूर्व दिनों में पूंजीपतियों को मजदूर गांवों से मिलते थे और वे उन्हें वस्तुओं के उत्पादन में लगाते थे। महिलाओं और बच्चों को भी फैक्ट्री में संगठित उत्पादन के लिए लाया गया था। किन्तु टेकनोलोजी के विकास के कारण विनिर्माण प्रक्रिया को छोटे-छोटे अनेक हिस्सों में, जिसे अकुशल मजदूरों द्वारा किया जा सकता है, विभाजित कर देने का दायरा बढ़ गया है। पूंजीपति अनौपचारिक क्षेत्र में काम को ले जाकर उत्पादन की कीमत घटाते हैं और अपना लाभ बढ़ाते हैं। अब उलट प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसमें उत्पादन फैक्ट्री से हटाकर अनौपचारिक क्षेत्र में कराया जाता है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, और मजदूरों की छंटनी हो रही है, और महिलाओं को सबसे पहले निकाला जाता है।

विकसित पूंजीवादी देशों में जहां अनौपचारिक क्षेत्र बहुत छोटा है उत्पादन अधिकांशत संगठित क्षेत्र में ही किया जाता है, वहां काम को अनौपचारिक क्षेत्र में भेज दिए जाने के लिए कम गुंजाइश है। वैश्वीकरण के कारण विकसित देशों के विनिर्माताओं को इस बात में मदद मिली है कि वे काम को भारत जैसे विकासशील देशों के विशाल अनौपचारिक क्षेत्र में बाहर से करा सकें। सस्ते श्रम की उपलब्धता और विकासशील देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, में गृह आधारित मजदूरों को किसी भी तरह की कानूनी सुरक्षा न होने के कारण बड़ी बहुर्राष्ट्रीय निगमों के लिए भी इन देशों में अपने काम को बाहर से कराना आकर्षक हो गया है।

वैश्वीकरण के युग में हमारे देश में परंपरागत कामों जैसे बुनाई, लेस, चिकन काम, (एंब्रोइडरी) हैंडीक्राफ्ट्स आदि के अलावा नए तरह के काम जैसे इलैक्ट्रॉनिक व इलेट्रीकल उत्पादों आदि की असेंब्ली गृह आधारित मजदूरों द्वारा किए जाते हैं। गृह आधारित मजदूर सिले हुए वस्त्रों, चमड़े का सामान, और इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि के उत्पादन में भी लगे हैं, जो बहुर्राष्ट्रीय निगमों के ब्रांडों के तहत बेचे जाते हैं। अधिकांश गृह आधारित मजदूर महिलाएं हैं।

वास्तव में भारत में गृह आधारित कार्य या बाहर से कराने की प्रणाली नई चीज नहीं है। इसकी जड़ों को मुगल काल में प्रचलित 'दादनी' प्रणाली में खोजा जा सकता है जब कारीगरों खास तौर से बुनकरों को, चिकन कढ़ाई (एम्ब्रोयडरी), कच्चे रेशमी उत्पादों आदि के लिए बिचौलियों द्वारा आदेश दिए जाते थे और उन्हें मजदूरी दी जाती थी। विभिन्न उद्योगों में गृह आधारित कार्यों का उद्गम अलग है। उदाहरण के लिए 1860 में लेस बनाने का काम पहले पहल ईसाई मिशनरियों द्वारा गरीब महिलाओं को सिखाया जाता था जो आंध्र प्रदेश में नरसापुर में ईसाई बन गई थीं, ताकि वे अपनी आजीविका चला सकें। इन महिलाओं द्वारा बनाए गए लेस का निर्यात किया जाता था और एकत्र किए गए धन को उन्हें अदा किया जाता था। लेस बनाने का काम नियमित व्यवसायिक आधार पर 1900 में शुरू हुआ। इसमें गृह आधारित मजदूरों का इस्तेमाल होता था। आज यह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शामिल हो गया है।

बीड़ी उद्योग में शुरू में काम फैक्ट्रियों में होता था। किंतु फैक्ट्री कानून बीड़ी उद्योग पर लागू हो जाने के बाद, मालिकों ने इस कानून के प्रावधानों को लागू करने से बचने के लिए गृह आधारित उत्पादन शुरू कर दिया चूंकि इस कानून में मजदूरों के लिए विशेष कार्यस्थितियों और कुछ कल्याणकारी लाभों का प्रावधान है।

चिकन कढ़ाई मुगल काल में फली-फूली। अंग्रेजी शासन में इसका पतन हुआ और पुरुष बहतर मजदूरी वाले कामों में चले गए। केवल महिलाएं ही चिकन कार्य में लगी रहीं। स्वतंत्रता के बाद इस उद्योग को फिर से उभारने की कोशिशें हुईं और व्यापारियों तथा निर्यातकों ने महिलाओं के गृह आधारित कार्य के जरिए उत्पादन करने के लिए स्थिति का उपयोग किया।

पूंजीपति वर्ग द्वारा इस बात की कोशिश की जा रही है कि उत्पादन का आयोजन गृह आधारित काम को फैलाकर किया जाए ताकि श्रम और पूंजी के बीच जारी निरंतर संघर्ष से बचा जा सके। देश में इसके कई उदारण मिल सकते हैं। बीड़ी, जटाजूट और काजू उद्योग में पहले उत्पादन फैक्ट्रियों या कारखानों में होता था। इन उद्योगों में मजदूरों ने यूनियनें बनाईं और कई संघर्ष किए जिससे सरकार को मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कुछ कानून बनाने पड़े। इसके उत्तर में पूंजीपतियों ने अपनी उत्पादन योजनाओं में फेरबदल किया और अधिकांश काम को या तो गृह आधारित प्रणाली ले गये जैसे कि बीड़ी उद्योग में। या फिर कुटीर उद्योग आधारित उप-ठेका प्रणाली में ले गये जैसे कि काजू और जटाजूट में। जबकि वास्तविक मालिक मजदूरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से बच निकले और शोषण को बढ़ाया, वहीं मजदूरों के लिए यह कठिन हो गया कि वे संगठित हो सकें और अपने शोषण को चुनौती दे सकें।

गृह आधारित काम मजदूरों के शोषण को बढ़ाने के लिए मालिकों को अनेक अवसर प्रदान करता है जबकि मजदूरों के पास जिंदा रहने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एल पी जी) की नीतियों के कारण लाखों छोटी और मझौली फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और लाखों मजदूर नौकरी से निकाल दिए गए हैं। कृषि, हस्तशिल्प और परंपरागत उद्योग संकटग्रस्त हैं। बेरोजगारी और अर्ध-बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। महिलाओं को, जिन्हें परंपरागत तौर पर परिवार को खिलाना पड़ता है, मामूली मजदूरी के लिए कोई रोजगार ढूंढ़ने पर बाध्य होना पड़ता है। मालिक इस स्थिति का लाभ अपने उत्पादों के दामों को कम रखने के लिए करते हैं और गृह आधारित मजदूरों को बहुत कम मजदूरी देते हैं।

गृह आधारित काम के मालिकों को कई फायदे हैं। मालिकों को मशीनरी, औजारों आदि पर खर्च नहीं करना पड़ता, चूंकि इनका खर्च गृह आधारित मजदूर स्वयं उठाते हैं और उत्पादन मजदूरों के घर में होता है। मालिक जब मजदूरों को उपकरण प्रदान करते हैं जैसे कि ड्रॉयिंग पिन बनाने की मशीनों, सिलाई की सिलाई मशीनों आदि के केस में, तो वे किराया और रखरखाव का खर्च भी वसूल करते हैं।

मालिकों को बुनियादी ढांचे का खर्च भी नहीं उठाना पड़ता। काम मजदूर के घर में होता है। अत: मजदूर जगह प्रदान करता है और बिजली-पानी आदि का खर्च उठाता है।

गृह आधारित मजदूरों को कच्चे माल का खर्च भी उठाना पड़ता है। उदाहरण के लिए पापड़ बनाने में मजदूरों को तेल का खर्च वहन करना पड़ता है; कागज की थैली बनाने और बीड़ियों पर लेबल चिपकाने के लिए मजदूरों को गोंद का खर्च उठाना पड़ता है।

मालिकों की जरूरत के अनुसार बाजार की निर्भरता के आधार पर काम दिया जाता है। मालिकों को, जब कोई काम नहीं है, तो ओवर हैड खर्च नहीं उठाने पड़ते। चूंकि मजदूर बिखरे हुए हैं। और अलग-अलग काम करते हैं, उन्हें संगठित करना कठिन है। चूंकि मजदूर संगठित नहीं हैं और यह अनिश्चितता होती है कि काम मिलेगा या नहीं, तो मालिक बहुत ही कम मजदूरी देते हैं।

इसके अलावा आम तौर पर गृह आधारित मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने गृह आधरित मजदूरों के लिए आई एल ओ कन्वेंशन के लिए मतदान किया है पर इसने अभी तक कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की है। आई एल ओ कन्वेंशन कहती है कि गृह आधारित मजदूरों और प्रतिष्ठान में कार्यरत मजदूरों के बीच वेतन और कानूनी सामाजिक सुरक्षा में समानता होनी चाहिए और उन्हें अपनी पसंद के संगठनों में शामिल होने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए सरकार को एक राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है जिसे एक कानून के जरिए लागू किया जाए।

गृह आधारित मजदूरों को पीस रेट के हिसाब से भुगतान किया जाता है। अत: उन्हें उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता और मात्रा के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इस तरीके से गृह आधारित मजदूरों से उनकी दैनिक मजदूरी के लिए ज्यादा समय काम कराया जाता है और मालिक को काम की जगह किसी सुपरवाइजर को लगाने की जरूरत नहीं होती।

गृह आधारित काम का दायरा

गृह आधारित मजदूर विभिन्न तरह के कामों में लगे हैं। किंतु जनगणना या अन्य आंकड़े समस्या की गंभीरता को प्रतिबिंबित नहीं करते। उनके श्रम के उत्पाद सब जगह दिखते हैं किन्तु वे सरकारी आंकड़ों से गायब हैं। जनगणना में गृह

कार्य में लगी अधिकांश महिलाओं को गैर-मजदूरों के रूप में पंजीकृत किया जाता है और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता नहीं दी जाती।

उपलब्ध जानकारी के आधार पर कई सौ कामों में से निम्नलिखित कुछ काम हैं जिनमें गृह आधारित मजदूर लगे हुए हैं:

* बीड़ी,
* अगरबत्ती,
* पापड़ बनाना,
* लेस बनाना,
* सिले हुए वस्त्र,
* कांच की चूड़ियां,
* कढ़ाई (एंब्रोइडरी),
* दुपट्टों के बॉर्डर बुनना,
* गहने, प्रसाधन-बिंदी,
* सेफ्टी पिनें, ड्राइंग पिन,
* एग्रो प्रोसेसिंग,
* पत्तल बनाना,
* जूते बनाना,
* फूल मालाएं बनाना,
* साइकिलों की सीटें,
* कुर्सियों की सीटें,
* फुटबाल बनाना,
* लाँड्री,
* इलेक्ट्रोनिक और इलेक्ट्रीकल सामान की असेंब्लिग,
* कागज की थैलियां,
* गोंद बनाना,
* रंग बनाना,
* पतंग बनाना,
* खिलौने और गुड़ियों की आंखों में पुतलियां पेंट करना,
* काटन पॉड शेलिंग, चावल से भूसी अलग करना, तंबाकू का काम, मूंगफली तोड़ना और संसाधित करना,
* फिश शेलिंग, जूट का काम,
* पैकेजिंग, प्लास्टिक के तारों के जूने बनाना,
* टेली कार्य,
* कंप्यूटरों में आंकड़े डालना, हिसाब रखना, टाइपिंग, ट्रांस्लेशन, संपादन, छपाई, बुक बाइंडिंग।

गृह आधारित मजदूरों की स्थिति

अनुमान लगाया गया है कि लगभग 70 प्रतिशत गृह आधारित मजदूर महिलाएं हैं। वे बड़ी संख्या में सामाजिक रुकावटों के कारण घरों में काम करती हैं। उनमें से कुछ, पहले जहां वे काम करते थे वहां फैक्ट्री बंद हो जाने के कारण

अपने, छंटनी, बर्खास्तगी और फैक्ट्री में काम न मिल पाने के कारण अपने घर पर ही काम करते हैं।

गृह आधारित काम के लिए पीस रेट पर भुगतान किया जाता है, जोकि बहुत कम है। यह सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कई गुना कम है। एक सर्वे में पाया गया कि दिल्ली में गृह आधारित काम से औसत आय कानूनी न्यूनतम का मात्र लगभग पांचवां हिस्सा है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि परिवार के कई सदस्य, बच्चे, खासतौर पर लड़कियां काम को पूरा करने के लिए काम करते हैं।

गृह आधारित काम में रिजेक्ट करना या छांट आम बात है। बने हुए उत्पादों को खराब क्वालिटी के बहाने से रिजेक्ट कर दिया जाता है और रिजेक्ट पीसों के लिए मजदूर को मजदूरी अदा नहीं की जाती। किंतु इन पीसों को न तो मजदूर को वापस किया जाता है और न ही उसे रद्दी किया जाता है। उन्हें अक्सर बाजार में बेचा जाता है। मजदूरों को कच्चे माल की कम मात्रा दी जाती है और मजदूरों से तैयार माल की निर्धारित मात्रा बनाने के लिए कहा जाता है। उन्हें बीच के व्यक्ति से ऊंचे दाम पर कच्चा माल खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है।

बढ़ती बेरोजगारी और उसके कारण वैश्वीकरण के युग में भारी प्रतियोगिता के कारण कुछ कामों में मजदूरी स्थिर रही है, जबकि कुछ कामों जैसे ऐंब्रोइडरी में पीस रेट वास्तव में गिरा है। मजदूरी का नियमित भुगतान नहीं किया जाता। नियमित रोजाना काम की कोई गारंटी नहीं है। उन्हें अधिक घंटे काम करना पड़ता है। यह पाया गया है कि लगभग 20 प्रतिशत गृह आधारित मजदूरों को प्रति दिन 10 घंटे काम करना पड़ता है। इनमें से अधिकांश को दिन में 12-16 घंटे काम करना पड़ता है।

काम के लंबे घंटों और घर में अस्वथ स्थितियों के कारण अधिकांश गृह आधारित मजदूर व्यवसाय की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित होते हैं। एंब्रोइडरी, बिंदी सजाने आदि कामों में लगे बड़ी संख्या में मजदूरों को झुक कर और सूक्ष्म हिस्सों पर ध्यान से काम करना पड़ता है जिससे वे कमर के दर्द, आंखों पर जोर आदि से पीड़ित होते हैं। जो बिजली के तारों के साथ जैसे इलेक्ट्रिक आइरन में तार लगाना और वोल्टेज स्टेबिलाइजर में पेंच कसना आदि काम करते हैं उनके हाथों पर कटने, छाले होने तथा अन्य चोटों की शिकायत होती हैं।

बीड़ी मजदूरों को छोड़ कर, जोकि बीड़ी व सिगार (रोजगार शर्तें) कानून और बीड़ी मजदूर कल्याण कोष कानून में आते हैं, अन्य गृह आधारित मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए कोई व्यापक कानून नहीं है। उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है।

सरकार का दृष्टिकोण

सरकार गृह आधारित मजदूरों को 'ओन एकाउंट' श्रमिक चित्रित करना चाहती है अर्थात् वे लोग जो अपने उत्पाद बनाते और बेचते हैं। किन्तु कई अध्ययन रिपोर्टों से, जिनमें श्रमशक्ति रिपोर्ट (स्वरोजगार महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट) भी शामिल है, पता चलता है कि अधिकांश गृह आधारित मजदूर वेतन मजदूर हैं, न कि 'ओन एकाउंट वर्कर'। तदनुरूप ही श्रमशक्ति रिपोर्ट में गृह आधारित मजदूरों के लिए कानूनी सुरक्षा की सिफारिश की गई है। किंतु सरकार ने गृह आधारित मजदूरों के लिए कानून बनाने के लिए अभी तक कोई प्रयत्न नहीं किया। इसकी बजाय गृह आधारित कार्य पर राष्ट्रीय नीति के मसौदे में सरकार 'ओन एकाउंट मजदूरों और गृह आधारित मजदूरों के बीच अंतर को छिपाने की कोशिश करती है। ठेकेदारों तथा मुख्य मालिकों द्वारा अधिकांश गृह आधारित श्रमिकों के तीव्र शोषण की अनदेखी करते हुए सरकार के नीतिगत प्रस्ताव मुख्य रूप से 'ओन एकाउंट' श्रमिकों पर निर्देशित हैं।

इसके अलावा एक गलत अवधारणा है कि महिलाएं गृह आधारित कार्य को प्राथमिकता देती हैं क्योंकि इससे वे अपनी घरेलू जिम्मेदारियों तथा वेतन कार्य दोनों को चलाने का अवसर पाती हैं। सरकार भी इसी नजरिए को आगे बढ़ाती है। किंतु यह पाया गया है कि कई महिलाएं फैक्ट्री कार्य को प्राथमिकता देती हैं। क्योंकि घर में रह कर उन्हें काम के अधिक बोझ का सामना करना पड़ता है। अनेक महिलाएं घर पर इसलिए काम करती हैं क्योंकि उन्हें कोई नियमित और बेहतर काम नहीं मिला। एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि अधिकांश महिलाओं ने यह बताया कि वे घर पर सामाजिक रुकावटों की वजह से काम कर रही हैं किन्तु किसी ने यह नहीं बताया कि वे गृह आधारित काम को प्राथमिकता देती हैं क्योंकि वे अपने परिवार और काम की आसानी से देखभाल कर सकती हैं।

गृह आधारित श्रमिकों पर आई एल ओ कन्वेंशन के अनुरूप श्रम मंत्रालय ने 'गृह आधारित कार्य पर राष्ट्रीय नीति के मसौदे' पर चर्चा के लिए एक पर्चा तैयार किया (इस नीति को, जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है)। पर्चा गृह आधारित काम को अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद मानता है और निम्नलिखित 'फायदे' गिनाता है:

(क) कोई ओवर हैड खर्च नहीं होता, क्योंकि ये खर्च मजदूर उठाते हैं।

(ख) मजदूर कच्चे माल के खर्च को सब्सीडाइज करते हैं।

(ग) मालिकों के लिए ये मजदूर ऐसे हैं जिनसे छुटकारा पाया जा सकता है।

(घ) चूंकि मजदूर अलग-अलग काम करते हैं, उनका यूनियन बनाना कठिन है।

(च) मालिक उन्हें बहुत कम वेतन भुगतान कर सकते हैं; मालिक उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करते।

(छ) पीस रेट यह सुनिश्चित करता है कि मजदूर उत्पाद की मात्रा और क्वालिटी की जिम्मेदारी उठाते हैं और मालिक को सुपरवीजन पर खर्च नहीं करना पड़ता।

चर्चा-प्रपत्र मालिक के फायदों को अर्थव्यवस्था फायदों के समकक्ष रखता है। यदि श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए इस पर्चे में यह नजरिया है तो कोई अनाड़ी ही उम्मीद कर सकता है कि सरकार गृह आधारित श्रमिकों की स्थितियों को सुधारने के लिए कोई गंभीर कदम उठाने में गंभीरता रखती है।

श्रम पर दूसरा राष्ट्रीय आयोग गृह आधारित श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष सिफारिश नहीं करता, हालांकि यह अस्पष्ट रूप से कहता है कि गृह आधारित श्रमिक और 'ओन एकाउंट' श्रमिकों को अलग-अलग तरह की सुरक्षा की जरूरत हो सकती है और सिफारिश करता है कि गृह आधारित श्रमिकों को न्यूनतम वेतन और अन्य मौजूदा कानूनों के तहत कवर किया जाना चाहिए। मौजूदा स्थितियों में यह संभव नहीं है। क्यों गृह आधारित श्रमिकों के केस में मालिक-कर्मचारी संबंधों को स्थापित करने में कठिनाइयां हैं।

गृह आधारित श्रम की ओर सरकार का पूरा नजरिया ही वैश्वीकरण-उदारीकरण की नीतियों के अनुकूल है, जो अनौपचारिक क्षेत्र को प्रगति का इंजन मानती हैं और 'जो औपचारिक रोजगार की अतिरिक्त जिम्मेदारियां लादे बिना बाजार के अनुशासन में काम करता है।'

संगठन

गृह आधारित श्रमिकों की विशाल संख्या पूरी तरह असंगठित है। गृह आधारित मजदूरों की थोड़ी-सी संख्या बीड़ी

अगरबत्ती, सिले हुए वस्त्रों, पापड़ निर्माण आदि में ट्रेड यूनियनों के तहत संगठित है।

स्पष्टत: गृह आधारित मजदूरों को संगठित करना बहुत कठिन है। भौगोलिक रूप से वे बिखरे हुए हैं और काम खो देने का भय निरंतर व्याप्त है। काम में स्थानांतरण हो जाने की प्रवृत है; जब कभी ठेकेदार या बीच के व्यक्ति को यह भनक पड़ जाती है कि मजदूर संगठित हो रहे हैं तो काम को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। चूंकि काम की प्रकृति अकुशलता की है या ऐसी कुशलता को आसानी से प्राप्त किया/सिखाया जा सकता है, इससे मालिक को कोई समस्या नहीं होती।

अधिकांश गृह आधारित मजदूर निरक्षर हैं और उन्हें यूनियनों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। उन्हें संगठित करने में आने वाली कठिनाइयों की वजह से अनेक यूनियनें उन्हें संगठित करने की कोशिश भी नहीं करतीं। उनके लिए कोई लाभ हासिल करना भी कठिन है क्योंकि उनके पास कोई कानूनी लाभ नहीं हैं और कोई स्पष्ट मालिक-कर्मचारी संबंध नहीं हैं। लैंगिक संवेदनशीलता की ओर लगातार उपेक्षा का रुख जो आम तौर हमारे देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन में व्याप्त है, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को, खासतौर से गृह आधारित श्रमिकों को, संगठित करने की ओर उचित ध्यान दिए जाने में एक बाधा का काम करता है। कुछ समय पहले सीटू ने मजदूरों को असंगठित क्षेत्र में संगठित करने की जरूरत पर जोर दिया था और कामकाजी महिलाओं को संगठित करने के महत्व पर भी जोर दिया था और कुछ सफलता भी पाई थी। किंतु हम यह दावा नहीं कर सकते कि गृह आधारित श्रमिकों को संगठित करने के लिए ध्यान केंद्रित करने पर गंभीर कोशिशें की गई हैं।

इन सब कठिनाइयों के बावजूद यह आवश्यक है कि हम इस सवाल पर ध्यान दें और वैश्वीकरण के युग में बढ़ते जा रहे गृह आधारित कार्य के दृष्टिगत गृह आधारित मजदूरों को संगठित करने की कोशिश करें। बड़ी संख्या में गृह आधारित मजदूर अल्पसंख्यकों, दलितों और समाज के दूसरे सामाजिक रूप से उत्पीड़ित हिस्सों से हैं। इन हिस्सों को ट्रेड यूनियन आंदोलन में लाना जरूरी है।

समस्या का अध्ययन करके और गृह आधारित श्रमिकों को संगठित करने हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और उद्योगों की पहचान करके एक शुरुआत की जा सकती है। कुछ राज्यों में गृह आधारित बीड़ी मजदूरों, अगरबत्ती मजदूरों, गार्मेंट मजदूरों, पापड़ मजदूरों, हतकर्घा बुनकरों, पत्तल बनाने वालों आदि को संगठित करने की कोशिश की गई है और कुछ सफलता मिली है। उचित सबक हासिल करने के लिए इन अनुभवों का अध्ययन किया जा सकता है और अन्य क्षेत्रों में काम शुरू किया जा सकता है।

हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में गृह आधारित मजदूरों की वास्तविक समस्याओं और मांगों की पहचान करने के लिए क्षेत्र/उद्योगवार विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है, गृह आधारित मजदूरों में हमारे काम के लिए निम्नलिखित मांगों को लेकर शुरुआत की जा सकती है:

1. सरकार गृह आधारित मजदूरों, गृह आधारित काम का दायरा, विभिन्न उद्योगों/सेक्टरों/व्यवसायों जहां यह व्याप्त है, गृह आधारित मजदूरों की संख्या, उनकी स्थितियों आदि के बारे में एक विस्तृत सर्वेक्षण करे और आंकड़े एकत्र करे।
2. भारत सरकार गृह आधारित श्रमिकों पर आई एल ओ कन्वेंशन की तुरंत पुष्टि करे।
3. गृह आधारित श्रमिकों के लिए एक विस्तृत केंद्रीय कानून बनाए; गृह आधारित श्रमिकों को काम पर लगाने वाले सभी प्रतिष्ठानों/मालिकों /ठेकेदारों/उप ठेकेदारों का अनिवार्य पंजीकरण किया जाना चाहिए।
4. सभी गृह आधारित श्रमिकों को पहचान पत्र दिए जाने चाहिएं।

कार्य

गृह आधारित श्रमिकों के बीच हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें निम्नलिखित कार्यों को हाथ में लेना चाहिए:

1. राज्य समन्वय समितियों को अपने राज्यों में गृह आधारित श्रमिकों की स्थितियों पर अध्ययन करना चाहिए।
2. उन्हें संगठित करने के लिए राज्य स्तर पर प्राथमिकताएं तय की जानी चाहिएं और रणनीतियां बनाई जानी चाहिएं।
3. चुने हुए उद्योगों/सेक्टरों में अभियान कार्यक्रमों की योजना बनानी चाहिए।
4. आवासीय क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं जैसे राशन कार्ड, पानी, सफाई, जातीय उत्पीड़न तथा दूसरी सामाजिक समस्याओं को हाथ में लेना चाहिए।
5. ऐसे मुद्दों और अभियान के ऐसे तरीकों को हाथ में लेना चाहिए जिनमें गृह आधारित श्रमिकों की बड़ी संख्या शामिल होगी और एकता की शक्ति में उनका विश्वास पैदा होगा।
6. इन मजदूरों के संगठन की प्रक्रिया में मदद के लिए विशेष स्थितियों को देखते हुए संगठन के विभिन्न परिवर्ती रूप जैसे क्षेत्र आधारित समूह, स्वयं सहायता समूह, समर्थन केंद्र, सहकारिताएं आदि पर विचार किया जाना चाहिए।